

मार्गका विगोधी है। किसी भी प्रकारका शिथिलाचार उस में जगह नहीं पा सकता, शिथिलाचारी गुहश्रीके हाथमें जिस समय जैनधर्मकी रक्षाकी बागडोर पड़ गई थी उस समय कुछ शिथिलाचार अवश्य जारी हो गया था परन्तु विद्वान व्यक्तियोंके प्रभावसे उसका पूर्ण प्रचार न हो सका। उस समय के लोगोंने शिथिलाचारकी कुछ बातें ग्रन्थोंके रूपमें परिणित कर दी परन्तु वे ग्रन्थोंमें ही पड़ी रहीं। इन्हे कार्यरूपमें परिणित करनेके लिए किसीका साहस न हो सका परन्तु जिन महानुभावों ने शिथिलाचारकी बातोंको ग्रन्थ रूपमें परिणित किया था। उन्हें दूरदर्शी अवश्य कहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने यह अवश्य ही निश्चय करलिया होगा कि सौ दोसौ वर्ष बीतनेपर इन बातों का अवश्य आदर होगा। जिन बातोंको आज लोग नहीं मानते वे आगे जाकर जैन शास्त्रोंमें लिखी रहनेके कारण आप्त वचन मानी जाने लगेगी उस समय ऐसे भी लोग जैन समाजमें जन्म लेंगे जो इन बातोंको आप्त वचन तिद्ध करनेकी पूरी पूरी चेष्टा करेंगे क्यों कि उनका यह विचार पक्का था कि पुरानी होनेपर ही ये बातें लोगोंकी श्रद्धाभाजन बन जायगी।

चर्चासागरकी रचना शिथिलाचारी गुरुओंके शिथिलाचार प्रचारार्थ ही हुई थी क्योंकि पांडे चम्पालालजा विशेष विद्वान न थे परन्तु शिथिलाचारी भट्टारकोंके पक्षे शिष्य थे। इसलिए चर्चासागरमें शिथिलाचारकी बातोंका उन्होंने खूब ही समर्थन किया है यही नहीं शिथिलाचारी प्रथाके प्रचारार्थ उन्होंने मूल-संघके अचार्योंके भी वचनोंको अशुद्ध गढ़ डाला है।

यह ग्रंथ जय तक मंडारोंमें पड़ा था लोगोंने इसकी छान-वीन नहीं की थी। कुछ विद्वानोंने इसे देखा भी था तो उन्हें यही कहना पड़ा कि यह ग्रंथ भ्रष्ट ग्रंथ है इसे न देखना चाहिये। सरनऊ जि० एटा निवासी पद्मावतीपुरवाल जातीय पूज्य प० जिने-श्वरदासजीसे जैन जनता भले प्रकार परिचित हैं। पण्डितजी जैन सिद्धांतके अच्छे जानकार थे और अच्छे कवि थे उनके पद लोग बड़ा रुचिसे गाते हैं। उन्होंने अपना बहुभाग समय मारवाड़में बिताया था। अनेक शिष्योंको ज्ञान दान दे मारवाड़में जैन धर्मकी अपूर्व जागृति की थी अंतिम समय वे कुचामणकी पाठशालाके अध्यापक थे उन्होंने यह ग्रंथ देखा था और देखते ही कह दिया था कि यह ग्रंथ भ्रष्ट ग्रंथ है। मूल संघकी आम्नायको मलिन करने वाला है इसका स्वाध्याय करना पाप है पण्डितजीके मुखसे यह बात सुनने वाले अब भी कई व्यक्ति हैं। परन्तु जबसे इस ग्रंथका प्रकाशन हुआ है इसे देखते ही धर्म भोरु जनता खलबला उठी है और इसके विषयमें अनेक ऊहापाह होने लगीं हैं क्योंकि इसमें अनेक विषय ऐसे हैं जो प्राचीन जैन शास्त्रोंमें अथवा आम्नाय परिपाटीमें देखे सुने हो नहीं गये। हिंदू धर्ममें जो बातें मानी जाती हैं तथा जिनको जैनी लोग मिथ्या कहते हैं उन्हींकी इसमें पुष्टि की गई है चर्चासागरके प्रकाशित होतेही सारे जैन संसारमें उसके विरोध की चर्चा फैल गई। कलकत्ता शहरमी अपनेको इस चर्चासे अलग न रख सका स्थानीय विद्वानोंने उसका उचित समाधान भी दे दिया।

परंतु उसी समय पण्डित मक्खनलालजीका पधारना पर्युपणपर्वमें फलकत्ता होगया लोगोंने पण्डितजीके समक्ष भी चर्चासागरकी धर्म विरुद्ध बातें रक्खी और उनका शास्त्रोक्त समाधान चाहा किन्तु पण्डितजीने उस समय एक विलक्षण ही रूप धारण कर लिया; किसी बातका भी समाधान उनसे बन न पड़ा। जिन लोगोंने पण्डितजीसे चर्चासागरकी धर्मविरुद्ध बातोंकी चर्चा दलाई। पण्डितजीने उन्हें सुधागक विधवा विवाहका पोपक आदि कह कर चुप करना ही अपनी पण्डिताईकी शोभा समझी। भाई रतनलालजी भांझरी उस समय इस विषयमें विशेष प्रयत्नशील थे। पण्डितजी उन्हींपर टूट पड़े समक्ष में भी उनसे मन चाहा कहा और अपने ट्रेक्टरमें भी गाली गलौज करनेमें चूक नहीं की है।

एक दिन मुझे भी पण्डितजीके साथ चर्चा करनेका सौभाग्य प्राप्त हो गया था यदि पण्डितजीके अन्दर कुछ भी समझदारी होती तो चर्चासागरकी बातोंका वहीं निपटारा हो जाता परंतु पण्डितजीका पारा उस समय मिथ्या हठ और कदाग्रहसे इतना गरम था कि वे मेरे साथ बात करनेमें भी अपनी तोहीनी समझते थे। जिससमय वे चर्चासागरकी पुष्टिमें अनाप सनाप बोल रहे थे मुझसे वह न सुना गया और पण्डितजीके साथ उस समय मैंने बोलना ही उचित समझा। उस समय पण्डितजीसे चर्चासागर की धर्म विरुद्ध बातोंकी पुष्टिमें एक भी प्रमाण न दिया जा सका उस दिन उनके साथ मेरी ४ घंटे तक बातें हुईं परन्तु कुछ भी

सार न निकला । पण्डितजी ४-५ दिन और भी कलकत्ता ठहरे । ग्रंथ देख कर उन्होंने प्रमाणोंकी भी खोज की परन्तु समक्षमें बैठ कर वे प्रमाण न दे सके । मैंने बराबर पंडितजीसे कहलवाया कि इस बातका निपटारा यहीं बैठकर करलेना ठोक है, इस विषयको आगे बढ़ाना ठोक नहीं परन्तु पंडितजीने इस बातपर जरा भी ध्यान न दिया उल्टा मुझे अपना शत्रु समझा । कलकत्ता समाज इस बातको अच्छी तरह जानती है । यह बात निश्चित है यदि धर्म बुद्धिकी भावनासे यह बात यहीं निपट जाती तो समाजमें इतना तहलका भो न मचता और न जन धनकी शक्ति का इस प्रकार नाश होता । इसलिये यही कहना होगा कि इस समय चर्चासागरको लेकर जो भी जैन समाजमें कलह उठी है उसके प्रधान कारण प० मन्मथनलालजी हो हैं । क्योंकि सबसे प्रथम यह आंदोलन कलकत्तासे उठा था और पंडितजी यहाँपर मौजूद थे वे धर्म बुद्धिसे यहांके विद्वानोंसे विचार विमर्श कर-लेते तो यह आंदोलन आगे न बढ़ता ।

खैर पहिली भूल जो हुई सो तो पंडितजीसे हो गई । परन्तु दूसरी भूल उनसे यह हुई कि उन्होंने चर्चासागर पर शास्त्रीय प्रमाण यह ट्रेकू प्रकाशित कर डाला और उस दबो हुई बातको फिरसे उमाडकर जैन समाजको श्रुत्य कर दिया यह बहुत ही भूलहुई यदि यह ट्रेकू चर्मरक्षार्थ होता और इसमें जो प्रमाण दिये हैं वे मान्य आचार्योंने ठोक २ होते तथा जिन धर्म विरुद्ध बातोंका इसमें उल्लेख है उन्हें धर्म विरुद्ध ही बताया जाता तो उस ट्रेकू

के उत्तरको कोई आवश्यकता नहीं थी परन्तु इसमें अष्ट ग्रंथोंके प्रमाण देकर उन धर्म विरुद्ध बातोंको पोषा गया है। मान्य प्राचीन आचार्योंके जो प्रमाण दिये हैं उनका विपरीत अर्थ समझाया गया है जिससे दि० जैन धर्म पर बड़ा भारी लांछन लगता है व योंकि जैनधर्ममे इन शिथिलचारी धर्म विरुद्ध बातोंका समावेश नहीं हो सकता। इसी बातको ध्यानमें रखकर पंडितजीके ट्रेकृका उत्तर देना उचित समझागया है। यह जो पंडितजीके ट्रेकृके खंडनमें यह ट्रेकृ लिखा है उससे पाठक समझलेवें कि पंडितजीने जैन धर्मको मलिन बनानेके लिये कितना अर्थका अनर्थ किया है जो हो पंडितजीके इन कार्योंसे स्पष्ट है कि इस समय चर्चासागरके सम्बन्धसे जो समाजमें वैमनस्य फैला है उसके मूल कारण पं० मन्मथनलालजी ही हैं अपनेको बहुत बड़ा विद्वान् मान अहंकारके वश होकर उन्होंने यह कार्य किया है।

### इस ट्रेकृके लिखनेकी आवश्यकता

चर्चासागरके पक्षपाती हमारे ऊपर यह लांछन लगा सकते हैं कि चर्चासागरका आंदोलन प्रायः दब चुका था। यह ट्रेकृ निकाल कर तिरसे उसे प्रोत्साहित करना अनुचित है। इसका उत्तर यह है कि पं० मन्मथनलालजीके ट्रेकृसे लोगोंकी यह धारणा हो चुकी थी कि चर्चासागरको बातें शास्त्रोक्त हैं। उस धारणाके दूर करनेके लिये इस ट्रेकृका प्रकाशित करना परमावश्यक समझा गया क्योंकि पं० मन्मथनलालजीके ट्रेकृका खंडन

न प्रकाशित होनेसे पवित्र दि० जैनधर्मको निर्मलतामें वृद्धा लगता था ।

दूसरे पं० मकखनलालजीने जगह २ अपने ट्रैक्टमें इस बात का उल्लेख किया है कि “यह चर्चासागरका आन्दोलन धर्म-विरोधी सुधारकोंका चलाया हुआ है-वे लोग जैनधर्मको बदनाम करना चाहते हैं” परन्तु इतने लम्बे समयको प्रतीक्षामें हमें यह निश्चित होगया है कि इस आन्दोलनमें सुधारकोंका कोई हाथ नहीं । समाजके कर्णधार धर्मात्मा श्रोमान और विद्वान एक स्वरसे चर्चासागरके विरोधी हैं । चर्चासागरके विरोधमें जगह जगह समाये और उनको सम्मतियां जो समाचार पत्रोंमें प्रकाशित हुई हैं उनसे यह बात भली भांति स्पष्ट है । पं० मकखनलालजीसे जब उत्तर नहीं बनता तो वे ऐसा ही जाल रचते हैं परन्तु सुधारकोंको चर्चासागरका विरोधी जो उन्होंने बतायाहै वह जाल उनका यहां नहीं चलसकता चर्चासागर और पं० मकखनलाल जीके भ्रष्टट्रेक्टसे जो धार्मिक जनताको जो नितान्त कष्ट हुआ है और इन भ्रष्ट बातोंके खण्डनार्थ ट्रैक्ट निकालनेकी उनकी अबसक प्रेरणा जारी है इसीलिये यह ट्रैक्ट प्रकाशित किया जा रहा है ।

तीसरे चर्चासागरका आन्दोलन बन्द था यह भी चर्चासागरके पक्षपातियोंका कहना, कुछ तथ्य नहीं रख सकता । कारण जैन-बोधक पत्रमें बराबर चर्चासागरकी पुष्टिमें उल्लेख रहता है पूज्य पं०माणिकचन्द्रजी, मेरा और भाई रतनलालजीकानाम देकर सदा वह

अपनी उदर पूर्ति करता रहता है। इस बातका तो वह कई बार  
 सल्लेख कर चुका है कि मोरेना विद्यालयसे पं० मन्खनलालजीने  
 पं० माणिकचंदजीको निकलवा दिया था इसलिये वे मन्खनलाल  
 जीसे दुश्मनी मानते हैं गजाधरलालको भा० जैन सि० प्र०  
 संस्थासे निकलवा दिया था इस रूपसे वे मन्खनलालजीके बैरी  
 बन गये हैं।" लेखकके कहनेसे यही ज्ञान पड़ता है कि अब  
 पं० मन्खनलालजी ही हमारे भाग्य विधाता हो गये। आश्चर्य  
 यह है उन नीच आक्रमण परिपूर्ण पंक्तियोंका लेखक अपना  
 नाम देनेसे भी घबड़ाता है फिर तो उस आक्रमणके जिम्मेवार  
 सम्पादक महोदय ही हो सकते हैं जो कि उनके लिये ऐसा कार्य  
 शोभा नहीं देता इसका उत्तर विशेष न देकर हमें यही कहना  
 है कि मेरे निकल जानेपर भा० जैन० सि० प्र० संस्था कौडियों  
 के मोलकी होगई है मेरे हाथमें जब उसका कार्य था तब उसकी  
 शौचनावस्था विकसित होती चली जाती थी। जिस लेखकने  
 यह नीच आक्रमण किया है यदि उसे कुछ भी लिहाज हो तो वह  
 संस्थाको पुनः उसी रूपमें कायम करनेका प्रयत्न करे पं०  
 मन्खनलालजीने भी इसभूटे नीचाक्रमणका प्रतिवाद नहीं किया है  
 इससे यही ज्ञान पड़ता है इस नीचाक्रमणमें उनका भी पूर्ण  
 हाथ है तब कमसे कम उन्हें तो संस्थाकी दुर्दशासे दुःखित  
 होना चाहिये जबतक संस्थामें रकम रही, खूब लूटी।  
 जब वह पूरी हुई उधर पण्डितजीकी दूकानका काम भी चलना  
 बन्द हुआ तब लहलहाते हुए मोरेना विद्यालय रुपी सुन्दर

चगीचेमें दे जा घुसे और विना भांभाटोंके गुलछरें उड़ाने लगे । ऐसा करनेमें बुद्धिमान्नी नहीं । पूज्य पण्डित माणिकचंदजीसे वर्षों पढ़कर भी उनके विषयमें नीचाक्रमण देख पं० मकखनलाल जीका लुप रहना गुरुहोपना है परन्तु क्या किया जाय आदत की लाचारी है । ऐसे प्रचारसे विद्वत्ताकी समानता नहीं सिद्ध हो सकती इतना ही नहीं समयर पर यह भी प्रचार किया गया कि "पं० मकखनलालजीके ट्रेक्टका कोई जवाब नहीं बन सकता । उनके ट्रेक्टके खण्डनमें कोई ट्रेक्ट लिखा जा रहा है यह धोखेवाजी की जागही है इत्यादि घटनाओंने भी इस ट्रेक्टके प्रकाशित करनेकेलिये बाध्य बनादिया इसीलिये इसका प्रकाशन करना पडा । पाठक पूर्ण विचारके साथ इसे पढ़ें । उन्हें मालूम हो जायगा कि चर्चासागरकी पुष्टिमें पं० मकखनलालजीने कितना अनर्थ किया है और असली बात क्या है यद्यपि कुछ उद्दण्ड व्यक्ति हमारे इस ट्रेक्टपर भी ऊटपटांग लिखेंगे अपनी कषाय वासना पुष्ट कर गे परन्तु उनको परीक्षा पाठक स्वयं कर लेंगे ।

पं० मकखन लालजीने जो भूमिका लिखी है वह बिलकुल असंगत और मनगढ़ंत है पंडित जीने चर्चासागरके आंदोलनको सुधारकोंका आंदोलन बतलाया है जो कि बिलकुल झूठ है इसमें सुधारकोंका कोई हाथ नहीं ! आचार्य और उनके ग्रन्थोका हवाला देकर यहभी बतलाया है कि इतने आचार्योंके प्रमाण रहतेभी चर्चा सागर को भ्रष्ट बतलाना ठीक नहीं इसका समाधान यह है कि जिन विरुद्ध बातोंके चर्चासागरमें उल्लेखहोनेसे भ्रष्ट कहा गया है



उनबातोंकी पुष्टिमें किसीभी मान्य आचार्यके बचनोंका प्रमाण नहीं दिया है पंडितजीने ऐसा लिखकर समाजको धोखा दिया है आपने मुझपर यह बार किया है कि गजाधरलालजो अब कहें किस आचार्यको वे प्रमाण कहेंगे इसका उत्तर ट्रेक्टरसे ही होगा ट्रेक्टरमें आचार्योंकी प्रामाणिकताका पूर्ण विचार किया गया है। पंडितजीने यह भी लिखा है “न्याय तीर्थोंको ग्रन्थ देखना चाहिये न्यायतीर्थ होजाने मात्रमें कोई विद्वान नहीं हो सकता न्यायतीर्थपरीक्षा ३-४ वर्षमें होती है” इत्यादि इसका उत्तर यह है कि महाराज ग्रन्थ में अक्षरसे कम तो नहीं देखेंगे। न्यायतीर्थ परीक्षाका मुझे कोई अमिमान भी नहीं। आपने उसकी प्राप्ति ३-४ वर्षमें लिखी है मैंने उसे १४ वर्षमें ही पास किया था शायद आपको ३-४ वर्ष ही समय लगेगा क्योंकि उसकी प्राप्तिमें व्याकरण न्यायकी अच्छी योग्यत्वकी आवश्यकता है। जो हो आपकी निःसार सू-मिकापर हमें बहुत लिखना था परंतु इस ट्रेक्टरसे बहुत कुछ झुलासा हो जायगा इसलिये जानबूझकर नहीं लिखा है।

हमारी इच्छा थी कि यह ट्रेक्टर शांतिसे निकाला जाना परन्तु भाई रजनलालजीके इस आपसे कि यह “पर्यूपण पर्वमें ही निकल जाना चाहिये” इसलिये बहुत ज़रूरी हमें इसे निकालना पड़ा। यद्यपि संशोधनकी काफ़ी सावधानी रखी है तथापि आर्टि प्रूफकी अशुद्धियां न ठीक होने से कहीं २ कोंई २ गलतियां भइ गई हैं पाठक शुद्धनामक ग्रन्थ पढ़ें।

जय पार हमने मुनिदाक बनब्रामकी पुष्टि की है, ग्रहापर पति-

इतिहासिक प्रकरणके कुछ श्लोक प्रमाणों द्वारा पुष्टि करते समय वह  
को विषयकी सरलताके लिये पुनः दिये गये हैं पाठक इस दोषको  
पुनरुक्त दोष न समझें ।

प्रकरणानुसार जहाँ २ हमने खंडन करनेके लिये चर्चा-  
सागर और पं० मकखनलालजीके शब्द उद्धृत किये हैं वहाँपर  
कुछ तो हृष्ट किये हैं । कहीं कहीं पर उनकी विशेष लाजाई देल  
थोड़े शब्दोंमें उनका भाव खोँचा है । शब्दोंके ह पद न रहते भावांरा  
में कमी नहीं की है ।

पं० मकखनलालजीने इस ट्रेकके पात्रोंपर बड़े फटोर शब्दोंकी  
वर्षा है उनके बदलेमें हमें भी वह नीति नम्र शब्दोंमें अपनाती पड़ो है  
इस बातका भी हमें खेद है ।

जिन महानुभावोंने इस ट्रेकके लिखते समय आरा जैन सिद्धा-  
न्त भवनसे वा अन्यत्रने गून्ध मंगाकर सहायता प्रदान का है । तथा  
जिन्होंने कुछ ऐतिहासिक बातोंमें हमें मदद पहुँवाई है । ट्रेकके  
प्रकाशन करते समय प्रूफ सशोधनादि सहायना दो हैं । अपना कार्य  
शिथिल कर इसमें तन मन लगाया है तथा गुप्त ग्राहकता और उदा-  
स्ताका परिचय देते हुए आर्थिक सहायना प्रदान की है उनके हम  
हृदयसे आभारी हैं ।

हमने इस ट्रेकमें किसी पर कोई कटाक्ष नहीं किया है जैनसि-  
द्धाधान्तका जो भी स्वरूप मनन किया है वह पाठकोंके सामने रख  
दिया है तथापि प्रमादव्रज हमसे कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा  
चाहते हैं । पं० मकखनलालजी हमारे मित्र हैं । धार्मिक बातकी  
रक्षा केलिये हमें यह लिखना पड़ा है । उत्तर प्रत्युदासका समस्यामें कुछ  
कटुकता आही जाती है परन्तु वह हमारी कटुकता घमप्रेमसे है  
द्वेष भावसे नहीं तथापि हम उसकी भी क्षमाके प्रार्थी हैं ।

गजाधरलाल वास्त्री

## प्रकाशकके दो शब्द

चर्चासागरसे यद्यपि समाज काफी सावधान हो चुकी है, जगह जगह बहिष्कार होना ही इसका ज्वलंत उदाहरण है, फिर भी पं० मन्मथलालजी न्यायालंकार द्वारा लिखित ट्रेक्टसे कुछ लोगोंको भ्रम होना संभव है प्रस्तुत ट्रेक्ट इसीलिये निकाला गया है कि जिससे लोग धोखा न खाजाय। वास्तवमें हमारा यह प्रयास कतिपय गांवरपंथी पण्डितोंको समझानेके लिये हरगिज बर्ही है क्योंकि उन्होंने तो समाजमें भ्रष्टारक पंथ पुनः चला चलानेका बीड़ा उठा रक्खा है। हमें तो सिर्फ समाजके सामने इन विपर्योका आगम प्रमाण रखना था वही बड़े भारी परिश्रम भारी खोज और छानबीनके साथ इस ट्रेक्टके रूपमें समाजके सामने उपस्थित किया जा रहा है अनेक आचार्योंके पुष्ट प्रमाणों से यह बात मलोभांती सिद्ध कर दी गई है कि चर्चासागरकी कल्पटांग बातें एवं पं० मन्मथलालजीका निःसार समर्थन जैनधर्म और जैन सिद्धान्तके सर्वथा विरुद्ध है।

समाजसे हमारा नम्र निवेदन है कि वह शांतचित्तसे इसमें दिये गये प्रमाणोंकी छानबीन कर विचार करेगी कि वास्तवमें यह चर्चासागर और पं० मन्मथलालजीके शास्त्रीय प्रमाण कितने आगम विरुद्ध हैं, और महा अनर्थ करनेवाले हैं। आशा है समाज धर्म रक्षके इस कार्यमें कटिबद्ध होकर सचेत होजायगी। क्योंकि ऐसे जालों प्रयोंके प्रकाशनका कार्य बराबर जारी है, "सूर्य प्रकाश" और "दान विचार", इसके नमूने हैं।

अन्तमें जिन महानुभावोंने इस ट्रेक्टके प्रकाशनमें धन और परिश्रमादिसे हमें सहायता दी है उनके हम अत्यन्त आभासे हैं।

विनीतः—

रतनलाल भांभरी

चर्खासागरके शास्त्रीय प्रकाशनोंपर

## विचार

##ॐ##

ऐतिहासिक दृष्टिसे मुनियोंका निवासस्थान,  
श्राद्ध, तर्पण आदि धर्मविरुद्ध बातोंकी

## मीमांसा

ॐॐॐ

चर्खासागर प्रथम जगसे प्रकाशित हुआ है लोग एक बड़ी भारी उलझनमें पड़ गये हैं यदि यह प्रथम प्रकाशित न होता तो जनताकी दृष्टि शायद इन विषयोंपर नहीं पड़ती तथा भट्टारक ग्रन्थोंमें जिस प्रकार शिथिलाचारकी पोषक और बातें पड़ी हैं और उनपर अमल नहीं किया जाता वैसी इसकी बातें भी पड़ी रहतीं और अमलमें नहीं आतीं परन्तु मुनियोंको गांव-नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना चाहिये बनमें न रहना चाहिये, गोबरसे आरती, गायका दान, श्राद्ध, तर्पण आदि धर्म विपरीत बातें ध्रावकोंको करना चाहिये, चर्खा सागरके इन शब्दोंने लोगोंके चित्तोंमें उथल पुथल पैदा कर दी है। लोग बड़े भारी भ्रममें पड़ गये हैं जो हो, ये बातें कब और कैसे

पैदा हुई ! जैन शास्त्रोंमें ये बातें कब मिली गईं ! हम सक्षेपमें इस विषयके इतिहासका उल्लेख किये देते हैं जिससे पाठक अच्छी तरह समझ लेगे कि मुनियोंका जिन-मन्दिरोंमें रहना कबसे शुरू हुआ ? पूर्वाचार्योंके षचनोंमें किसप्रकार परिवर्तन किया गया ? जैन शास्त्रोंमें हिन्दू धर्मकी घातोंका किस समय किस रीतिसे समावेश किया गया ! पूर्वाचार्योंके नाम पर कैसे २ ग्रन्थोंकी रचना हुई, तथा आजकलके विद्वान उन ग्रन्थोंमें धर्मविरुद्ध बातें देखकर भी पक्षपातसे किसप्रकार उन्हें दिगंबर जैन शास्त्रका रूप दे रहे हैं ? और जैन धर्मको मलिन बनानेकी महा निन्दनीय चेष्टा कर रहे हैं ।

छह प्रकारके बाह्य और छह प्रकारके अन्तरङ्ग, इस प्रकार तपके भेद बारह हैं । अन्तरंग तपोंमें अन्तका तप ध्यान है । सब तपोंमें यह ध्यान तप ही सार है क्योंकि मोक्ष फल और स्वर्ग आदि उत्तम-मोक्ष फलोंकी प्राप्ति इसी ध्यान तपके द्वारा होती है; शेष सभी तप इसके सहायक वा साधक हैं । इस ध्यान तपका आराधन गृहस्थ और मुनि दोनों ही करते हैं । ध्यान करना मुनियोंका तो खास काम है ही किन्तु अनेक ध्यानी गृहस्थोंका भी शास्त्रोंमें भले प्रकार वर्णन है । दूसरे पदार्थोंकी चिन्तासे हटकर जिस एक पदार्थका ध्यान किया जाय उस पदार्थमें चित्तकी एकाग्रता ( लीनता ) होना ही ध्यान है । यह एकाग्रता बहुत कठिन पदार्थ है । नीयावान जङ्गलोंमें रहनेवाले भी जब ऐसी एकाग्रता नहीं प्राप्त कर सकते तब कोलाहलपूर्ण स्थानोंमें तो, इसकी प्राप्ति

हो ही नहीं सकती । इसीलिये शास्त्रकारोंने जिस क्षेत्रमें मनुष्योंका आवागमन वा सहवास न हो, किसी प्रकारका कोलाहल वा घबराटा आदिके शब्द न हों, और जो निर्जन शांत हो वही क्षेत्र ध्यानके योग्य कहा है । मुनियोंको ही ऐसे शांत क्षेत्रमें ध्यानकी आज्ञा नहीं है गृहस्थोंके लिये भी शांत प्रदेश ही ध्यानका स्थान बतलाया है । प्रातःस्मरणीय भगवान् समंतभद्राचार्य गृहस्थोंके लिये ध्यानका स्थान इस प्रकार बतलाते हैं —

एकांते सामयिकं निर्ब्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च  
चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया । १६६ ।

रत्नकरयद्वभ्रावकाचार

अर्थात्—वन-जंगल शून्य मकान चैत्यालय आदि उपद्रव रहित एकान्त स्थानमें प्रसन्न बुद्धिसे सामायिक करना चाहिये । १६९।

यहापर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि भगवान् समंत भद्राचार्यने गृहस्थोंके ध्यानके लिये सबसे प्रथम स्थान वन बतलाया है उसके बाद सूना घर फिर चैत्यालयका जिक्र किया है । इसका खास मतलब यही है कि ध्यानकी निश्चलता वन जंगलोंमें ही हो सकती है । यदि गृहस्थ किसी समय ध्यानके समय वनोंमें न पहुँच सके तो उसे एकान्त चैत्यालय—जिनमन्दिरोंमें ध्यान कर लेना चाहिये । स्वामी समंतभद्राचार्यको जिसप्रकार ध्यान का अनुभव था, उसीप्रकार उन्हें यह भी खूब मालूम था कि ध्यान किस जगह बैठकर अच्छी तरह हो सकता है ? इसीलिये

उन्होंने गृहस्थोंके लिये भी सबसे पहली जगह- जंगल ही बनलाई है; लाचारीके दर्जे उन्हें चौद्यालयकी जगहका उल्लेख करना पड़ा है। विचारतेकी बात है जब स्वामी समंतमद्राचार्य गृहस्थोंके लिये भी ध्यानका स्थान वन बतलाते हैं, तो मुनियोंके लिये तो उनके मतानुसार ध्यानका स्थान वन ही है। यह कोरी कल्पना ही नहीं। स्तनकरंड श्रावकाचारमें जहाँपर ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन किया है वहाँपर ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक इत्कृष्ट-श्रावक (पलक) के लिये यह स्पष्ट विधान किया गया है कि वह गुरुके निकट व्रतग्रहणार्थ मुनिवनको जाता है, जिससे मुनियोंका निवासस्थान वन है, यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है और यह बात अच्छी तरह ध्यानमें आ जाती है कि ग्राम-नगरके भीतर चौत्यालय वा जैन-मन्दिर मुनियोंके रहने वा ध्यानके स्थान नहीं। यह विषय भागे अच्छी तरह स्पष्ट किया जासगा।

'सुदर्शनचरित्र' पढ़नेवालोंको अच्छी तरह मालूम है कि सुदर्शन सेठ एक बहुत बड़े श्रीमान् गृहस्थ श्रावक थे। और परम धर्मात्मा थे। यद्यपि उनके लिये अनेक चौत्यालय और जिनमन्दिर ध्यानके स्थान थे, परन्तु वे श्रावकी चतुर्दशीको नियमसे ध्यान वन हीमें किया करते थे। इसका यही कारण है कि वे ध्यानके रसको पहिचानते थे, इसलिये उसका विशेष आनन्द लेनेके लिये वन ही ध्यानके लिये उन्होंने उपयुक्त स्थान समझा था।

जो महानुभाव विद्वान हैं और ऐतिहासिक दृष्टिसे जिन्होंने शास्त्रोंका अनुभव किया है उन्हें अच्छीतरह मालूम है कि साम-

न्य रूपसे मुनियों के रहने वा ध्यानके स्थान वन-पर्वत गुफा आदि ही हैं किन्तु जो मुनि कर्म शक्तिके धारक हैं—पर्वत नदीतट आदि स्थानों पर ध्यान करनेकी पात्रता नहीं रखते, वनके लिये बस-तिकार्क विधान किया गया है जो कि मुनियोंके रहने योग्य, सुने मकानके रूपमें होती है। और वह ग्राम वा नगरके बाहिर जंगलोंके शून्य स्थानोंमें हुआ करती हैं, किन्तु ग्राम नगरके भीतर चैत्यालय-जिनमन्दिरोंमें कहीं भी मुनियोंके रहनेका विधान नहीं। यदि शिथिलाचारके जमानेमें उस समयके जमानेकी खूबीसे पीछेके ग्रन्थोंमें कहींपर चैत्यालय जिनमन्दिरोंमें रहनेका खल्लंख भी मिले तो वहांपर मान्य पूर्वाचार्योंके बचनोंसे मिलाकर निर्णय कर लेना चाहिये, क्योंकि जैन शास्त्रोंका बचन पूर्वापरविरोधी नहीं हो सकता। विरोधी बचनोंके विषयमें पूर्वाचार्योंके बचनों पर ही विशेष ध्यान देना होगा। पूर्वाचार्योंके बचनोंसे मुनियोंका ग्राम और नगरके भीतर चैत्यालयोंमें रहना कहीं भी सिद्ध नहीं होता। इसलिये आचार्योंके बचनोंके जानकार विद्वानोंकी दृष्टिमें तो ग्राम और नगरके चैत्यालयोंमें रहना मुनियोंके लिये वाधित है ही, परंतु जो लोग विशेष रूपसे शास्त्र नहीं जानते वे भी गुह्यों की स्तुति आदिसे यह समझते हैं कि मुनिगण वनोंमें ही रहते हैं, क्योंकि ऐसी कोई गुरुस्तुति नहीं देखी जाती जिसमें चैत्यालय और जिन मंदिरोंमें मुनियोंका रहना कहा गया हो। इस प्रकार विद्वान और मासुली धर्मके जानकार दोनों ही प्रकारके संज्ञनों का मुनियोंके वनवास पर ही जिन दृढ़ धर्मज्ञान बला आता है तब



चतुष्पा गाँव वा नगरके भीतर चैत्यालयादि में ही निवास बतलाना एक प्रकारसे चित्तमें हलचल पैदा कर देता है। इसी तरह गोवरसे आरती, श्राद्ध तर्पण गोदान आदि धर्म विरुद्ध बातों का कभी भी जैनधर्ममें समावेश नहीं हो सकता, यदि किसी शास्त्रमें ये बातें दीख पड़े भी तो लोगों के चित्तोंमें धर्मके विषयमें अनेक शङ्काएँ उठना स्वाभाविक ही है। उन बातोंको वे धर्म नहीं मान सकते।

जिन्हें बीती बातों पर विचार करना हो, पूर्वकालीन किसी भी शताब्दीकी प्रगति जाननी हो, उनके लिये इतिहास बड़े कामकी चीज है। किसी समय इतिहासकी खूबीका लोगोंको भलेही ज्ञान न रहा हो परन्तु आजकल इतिहासको जो महत्व प्राप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। धर्मोंके अन्दर मतभेद होनेके कारण अपने र मतके कट्टर पक्षपातसे लोग एक दूसरेके धार्मिक ग्रन्थों पर भले ही विश्वास न करें परन्तु ऐतिहासिक लेख, पट्टावली, शिला लेख आदिकी बातें लोगोंको माननी ही पड़ती हैं। आज जिन बातोंका इतिहास प्रमाण मौजूद है लोग बड़ी दिलचस्पीके साथ उन पर विचार करते हैं और पूर्ण ज्ञान बानके साथ उन्हें अपनानेमें किसी बातका संकोच नहीं रखते।

जैन इतिहास इस समय प्रायः लुप्तसा जान पड़ता है। इतिहास सम्बन्धी कुछ सामग्री मिलनी भी है तो उसपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता—सोधारण जनता तो उसे महत्वकी दृष्टिसे ही नहीं देखती। यही कारण है कि आज हम किसी बात पर खुल

कर विचार नहीं कर पाते। भगवान महावीरस्वामीके वाद जैन धर्म कबतक सुरक्षित और निर्मल रहा ? कब उसमें शिथिल-चारका सूत्रपात हुआ ? कब उसका प्रभाव बढ़ा ? उस समय जैन धर्म किस रूपमें ढला ? किस समय जैन धर्म पर क्या आपत्ति आई ? और वह आपत्ति कैसे कब दूर हुई ? ये सब बातें यद्यपि ऐतिहासिक रूपसे श्रृंखलाबद्ध नहीं हैं, फिर भी जिस सदी ( शताब्दी ) से ग्रन्थोंकी रचना हुई है, उस सदीसे आजतक के ग्रन्थोंका पर्यवेक्षण करने पर ये बातें बहुत कुछ खुलासा हो जाती हैं और उन्हें इतिहासका रूप प्राप्त हो जाने पर वे लोगोकी विश्वास भाजन बन जाती हैं।

जिगम्बर मुनियो की वृत्ति सदा सिंहके समान रहती है। परी पर्वोंके सहन करनेके लिये वे बनेमें निवास करते हैं। इस लिये गांव और नगरके भीतर जिनालयोंमें उनका निवास घाघित हैं। गांव नगरों का रहना मुनियोने कबसे शुरू किया उसका खुलासा इस प्रकार है:-

वर्तमानमें जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीन शास्त्र भगवान कुंद कुंदके बनाये प्रायः मिलते हैं, इस लिये इस कलिकालमें सबसे पहिले शास्त्रोंके निर्माण करने वाले भगवान कुंद कुंद भी थे, यह मानना ही होगा। भगवान कुंदकुंदने वि० सं० ४९ मे आचार्य पद धारण किया था और १०१ में उनका स्वर्गारोहण हुआ था। पट प्राभृतग्रंथमें, मुनियोकी दीक्षाका स्वरूप बतलाते हुए, मुनियोके रहने तथा ध्यानके योग्य स्थानोका जो उल्लेख किया है वह इस प्रकार है—

सुगणहरे तरुहृते उज्जारो तह मसाणवासे वा  
गिरिगुरुगिरिसिहरे वा भीमवरो अहव वसिते वा ४२

इसमें सुने मकान, वृत्तोंके मूल ( अधो भाग ) उपवन, मर-  
घट भूमि, पर्वतकी गुफा, गिरि शिखर, भयङ्कर वन तथा वसति-  
कार्ये, इनको मुनियोंके रहने और ध्यान करनेके योग्य स्थान बत-  
लाया है। भगवान् कुन्दकुन्द अपने समयके दिव्य ज्ञानी आचार्य  
थे। उन्होंने महान शक्ति और हीनशक्ति दोनों प्रकारके मुनियोंके  
रहने योग्य स्थानका उल्लेख किया है अर्थात् महान शक्तिके धराक  
मुनिगण गिरि गुफा आदि कहीं भी रह सकते हैं; पर जिन मुनियों  
की शक्ति हीन है वे वसतिस्थानोंमें रह सकते हैं जो कि नगरसे  
वाष्प जंगलोंमें हुआ करती हैं। इसके सिवाय और कहीं रहनेकी  
शास्त्र आज्ञा नहीं। यहाँ पर कहीं भी ग्राम नगरके भीतर जिन  
मन्दिरोंमें रहनेकी आचार्य महाराजने आज्ञा नहीं दी यदि ये ग्राम  
नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना मुनियोंका उचित समझते  
तो अवश्य इस बातका उल्लेख करते। भगवान् कुन्दकुन्दके बाद हम  
स्वामी समंतभद्रके जमानेकी ओर भुक्तते हैं—

भगवान् समंतभद्र दूसरी शताब्दीके प्रथम आचार्य माने  
जाते हैं। भगवान् कुन्दकुन्दने मुनियोंके रहने योग्य जिन स्थानों  
का उल्लेख किया भगवान् समंतभद्रके जमानेमें वह परम्परो ज्यों  
की त्यों पायस रही। भगवान् समंतभद्रने तो ग्यारहवीं प्रतिमा  
के धारक उत्कृष्ट श्रावकको भी वनवासी बतलाया है। यथा---

गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य  
भैक्ष्याशनस्तपस्यञ्चुत्कृष्टश्चैलखंडधरः ।

अर्थात् घरसे निकलकर जहाँ मुनिराज विराजते हैं वस वनमें जाकर गुरुके समीप व्रतोंको ग्रहणकर भिक्षावृत्तिसे भोजन करने वासा तपस्वी कोशिन मात्र परिगृहका धारक उत्कृष्ट श्रावक पलक होता है। यहांपर 'मुनिवन' और 'गुरूपकंठ' इन शब्दोंका उल्लेखकर समंतभद्राचार्यने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुनियोंका रहना वनमें ही था। विचारनेकी बात है जब स्वामी समतमश्राचार्य उत्कृष्ट श्रावक पलकको भी वनमें रहनेकी आज्ञा देते हैं तब मुनियोंको ग्राम नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहनेकी आज्ञा कैसे दे सकते हैं ? यदि मुनियोंको ग्राम नगरके भीतर जिनालयोंमें रहना उन्हें अभीष्ट होता तो पलकको मुनिवनमें जानेका वे उल्लेख नहीं करते, इतना ही कहकर चुप हो जाते कि उत्कृष्ट श्रावकको मुनिसे व्रत धारण कर लेने चाहिये। इसलिये यह बात स्पष्ट है कि स्वामी समतमश्राचार्यके समयमें मुनिगण गांव-नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें निवास नहीं करते थे वे वनवासीही थे। अथ हम भगवज्जिनसेनाचार्यके जमानेकी ओर ध्यान देते हैं—

भगवज्जिनसेनाचार्य अपने समयके विशेष ज्ञानी आचार्य थे, यह उनके आदिपुराणकी रचनासे भली भाँति मालूम हो जाता है। भगवज्जिन सेनाचार्य शककी आठवीं शताब्दीमें विद्यमान थे। उन्होंने शक संवत् ७५९ में 'जयधवला' ठीकाको बनाकर समाप्त

किया है। उस समय तक भगवान बुंदबुंदकी उपदेशी, मुनियोंके वनवासकी प्रथा प्रायः क्योकी त्यों सुरक्षित थी। मुनिगण वनमें ही निवास करते थे। आदि पुराणमें जहां भगवज्जिनसेना चार्थने मुनियोंके ध्यान योग्य स्थानका बर्णन किया है वहां इस प्रकार लिखा है...

शून्यालये श्मसाने वा जंरदुद्यानकेऽपि वा  
सरित्पुलिनगिर्यग्रगह्वरे द्रुमकोटरे ।५७। पर्व २१

१ अर्थात्... 'शून्य गृह मसान जीर्ण उद्यान नदीके पुलिन गिरिके शिखरकी गुफा वृक्षनिके 'कोटर' ये मुनियोंके ध्यानके स्थान है। ५७  
वसतोऽस्य जनाकीर्णो विषयानभिपश्यतः ।

वाहुल्यादिन्द्रियार्थानां जातु व्यग्रीभवेन्मनः ।७८।

अर्थात्—जो कदाचित् साधु बसती (नगर) में रहें, तो लोकनिके विषय देखें सो देखिवेते इन्द्रियनिकी व्याकुलता होय ताकरि मन व्याकुल होय । ७८।

ततो विविक्तिशायित्वं वनेवासश्च योगिनां ।

इति साधारणो मार्गो जिनस्थविरकल्पयोः ।७९।

अर्थान्—ताते योगीप्रनिकू यतविषे एकांत स्थानक विषे निवास करना योग्य है। यह जिन कल्पो स्थविर कल्पी दोऊ मुनिनिका सामान्य मार्ग है । ७९। यहाँपर भगवज्जिनसेनाचार्थने ग्राम

नगरके रहनेका बिलकुल निषेध कर दिया है। यदि उन्हें ग्राम नगरके भीतर जिनालयोंमें मुनियोंका रहना असोष्ट होता तो वे अवश्य उस घातका उल्लेख करते और इस प्रकार खुलकर ग्राम नगरमें मुनियोंके रहनेका निषेध नहीं करते। इससे यह सिद्ध है कि विक्रमकी नवमी शानन्दी तक भगवान् कुन्दकुन्दकी संप्रदाय अविच्छिन्न थी। ग्राम नगरके भीतर जिनालयोंमें रहनेकी शायद गन्ध तक भी न थी। अब हम भगवज्जिनसेनाचार्यके शिष्य श्रीगुणभद्राचार्यके समयमें मुनियोंके रहनेकी क्या व्यवस्था थी ? इस विषयपर विचार करते हैं।

गुणभद्राचार्य भगवज्जिनसेनाचार्यके प्रधान शिष्य थे, जिन्होंने भगवज्जिनसेनाचार्यके अधूरे महापुराणको शरु संवत् ८२० में पूर्ण किया था। इन्होंने अपने आत्मज्ञानशासनमें लिखा है—

इतस्ततश्च त्रस्यंतो त्रिभार्या यथा मृगाः ।

वनाद्दसंत्युपग्रामं कलौ कण्टं तपस्विनः । १६७

अर्थात्—बड़े रोदकी बात है कि इस कालिकालमें मुनिजन धर उधर भयभीत हुए मृगोंकी तरह वनसे आकर रात्रिको नगरके समीप रहते हैं। गुणभद्राचार्यके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि उस समयके कुछ दिग्ग्वर मुनियोंमें इतना ही शिथिलाचार जारी हुआ था कि वे रात्रिके समय ग्रामके समीप आकर बसने लगे थे। इतनेपर भी गुणभद्राचार्यने महान खेद प्रगट किया है। यदि उस समय धूलसंधके अनुयायी सबे मुनियोंमें ग्राम नगरके

भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना शुरू हो जाता तो उसका भी गुणभद्राचार्य अवश्य उल्लेख करते और वैसे शिथिलाचार देख कर वे और भी खेदकारी उद्गार निकालते । हमारा तो यहाँतक अनुमान है कि गाँव नगरोंके भीतर जिनालयोंमें निवास करनेवाले साधुओंकी वृत्ति भयभीत जान वे उन्हें जैनाभास भी कह देते तो कोई आश्चर्य न था । कुछ भी हो आचार्य गुणभद्रने अपने जमानेमें मूलसंघके आचार्यों में वैसे शिथिलाचार न देखने आदि किसी कारणसे भले ही उन्हें जैनाभास न कहा हो परंतु उनके ३५ वर्षोंके बाद दर्शनसारकी रचकर समाप्त करनेवाले आचार्य देवसेनने काष्ठासंघ माथुरसंघ और श्राविड़ संघोंको जैनाभास कर ही डाला ।

आचार्य देवसेनने वि० सं० १९० में दर्शनसारकी रचना की है । इनके पहिले काष्ठासंघ और माथुरसंघ और श्राविड़ संघोंकी रचना हो चुकी थी मूलसंघकी अपेक्षा इन संघोंमें कुछ कुछ शिथिलाचारकी प्रवृत्ति हो चली थी । जिससे देवसेन सुरिने उन्हें जैनाभास कहनेमें जरा भी संकोच नहीं किया । देवसेन सुरिने जो काष्ठासंघ आदिको जैनाभास कहा है—उसे प्रायः आचार्य गुणभद्रकी खेद व्यंजक व्याहृष्टाही व्यक्तरूप समझना चाहिये; क्योंकि शिथिलाचारी मनियोंको ढरपोक कहनेका प्रथम साहस-सम्भवतः उन्हींके द्वारा किया गया जान पड़ता है ।

आचार्य गुणभद्र और देवसेन सुरिके बचनोंके आधारसे इतिहासकी सृष्टि करनेपर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गुण

भद्राचार्यके समयमें शिथिलाचारका प्रारम्भ हो-चला था, देव-  
सेन सूरिके समयमें उसकी प्रबलता बढ़ गई थी और मूल-संघका  
आदर्श मलिन होता जा रहा था। इसलिये देवसेन सूरिको, जो कि-  
अपने समयके अच्छे तपस्वी और प्रभावी आचार्य थे, ऐसे उद्धार-  
निकालने पड़े। अस्तु, विक्रमकी, दशवीं शताब्दी तक शिथिला-  
चारियोंको जैनभास तो जरूर कहा गया है, परन्तु दशवीं शताब्दी-  
तकके किसी भी ग्रन्थमें ग्राम नगरोंके भीतर जिन मन्दिरोंमें निवास-  
करनेकी मुनियोंको आज्ञा नहीं दी गई। आचार्य गुणभद्रके जमानेमें  
जो एक प्रकारके शिथिलाचारका सूत्रपात हो गया था, इसमें  
सन्देह नहीं कि उसने भयङ्कर रूप धारण कर लिया था।  
और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि शिथिलाचार की वे बातें  
सहन भी हो निकली थीं—उन्हे प्रायः बुरा न समझा जाता था  
इस बातकी पुष्टिके लिये हम यहाँ यशस्तिलकके कर्ता सोमदेव  
आचार्यके वचनोंको उद्धृत करते हैं—

काले कलौचले चित्ते देहे चान्नादिकीटके ।

एतच्चित्रं यदद्यापि जिनरूपधरा नराः ।

यथा पूज्यं जिनेन्द्राणां रूपं लेपादिनिर्मितं ।

तथापूर्वमुनिञ्ज्ञायाः पूज्याः संप्रति संमताः ।

अर्थात्—इस कलिकालमें जब कि चित्त सदा चञ्चल रहना  
है और शरीर अन्नका कीड़ा-बना हुआ है यह आश्रय है जो  
आज भी दिग्म्बर-रूपके धारक पुरुष मौजूद हैं। जिस प्रकार



जिनेन्द्रकी लेपादिनिर्मित प्रतिमा भी पूज्य है, उसी प्रकार आजकल के मुनियोंको पूर्व मुनियोंकी छाया समझ कर पूज्य मानना चाहिये ।

विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी ( शक सं० ८८१ ) में आचार्य सोमदेवने यशस्तिलक चम्पूकी रचना की है । उन्होंने उस जमानेके अनुसार उस समयके मुनियोंका चित्र खींचा है । सोमदेव सूरिके इद वचनोंसे स्पष्ट है कि मुनियोंमें शिथिलाचारकी अधिकता हो गई थी, लोगोंकी उनमें रुचि बनी रहे; इसलिये उनके रहन सहनपर विशेष विचार नहीं किया । यहांपर यह बात खुलासा हो जाती है कि आचार्य गुणभद्रके समयमें कहां तो मुनियोंके जरासे भी शिथिलाचार पर इतनी कड़ाई थी और कहां साठ सत्तर वर्षके भीतर इतना परिवर्तन हो गया कि उस कड़ाईका प्रायः उल्लेख तक भी नहीं । मुनि जिस रूपसे भी रहते थे उनका वही रूप कुछ आचार्यों द्वारा पूज्य कहा जाने लगा । यह सब समयकी बलिहारी है !!

उपर लिखा जा चुका है । क शककी नवमी शताब्दीसे दि० जैन मुनियोंमें एक प्रकारसे शिथिलाचारका सूत्रपात हो गया था । वे ग्रामके समीप तथा धारे २ ग्राम नगरके चैत्यालयोंमें रहने लगे थे । श्वेतान्ध्र ग्रन्थोंमें भी उनके साधुओंमें इस शिथिलाचारका उल्लेख मिलता है । बीरनिर्वाण सं० ८५० के पहिले सभी श्वेतांबर साधु बनवासी थे । परन्तु उसके बाद उनमें शिथिलाचारका उदय हुआ । अनवास छोड़कर वे मन्दिर वा चैत्यालयोंमें रहने लगे । उनके यहाँ एक 'सहपट्टक' नामका ग्रन्थ है जो कि जिनवल्लभसूरिका बनाया

हुआ है और उसपर तीस हजारके करीब एक विलसृत टीका है । उसकी भूमिकामें लिखा है कि वीरनिः सं० ८५० के लगभग कुछ श्वेताम्बर साधुओंने बनवास छोड़कर चैत्यालयों या मन्दिरोंमें रहना शुरू कर दिया था । धीरे २ उनका बल बढ़ताही गया और करीब १५० वर्षोंमें इनकी खासी प्रबलता हो गई । इन्होंने अपने मतानुसार ग्रन्थ रचे । जिनमन्दिरोंमें रहना प्रमाणित किया । और भी अनेक शिथिलाचारकी बातें अपनाईं । भोले भावक इन्हें गुरु मानने लगे । पुराने ग्रन्थ नष्ट किये गये और उस समय बनवासियोंकी संख्या बहुत कम रह गई । श्रीजिनवल्लभ सूरि जिनदत्त सूरि और जिनपति सूरि इन श्वेताम्बर आचार्योंने जिनमन्दिरोंमें रहनेवाले साधुओंके विरुद्ध घोर आन्दोलन किया और भी अनेक लोगोंने मन्दिरवासियोंके विरुद्ध आवाज उठाई । इस तरहसे सैकड़ों वर्षोंके बाद बड़ी कठिनतासे इन्हें सफलता मिली और मन्दिरवासी साधुओंको पराजित होना पड़ा । बहुत सम्भव है श्वेताम्बर साधुओंकी शिथिलाचारकी प्रवृत्ति देखकर ही कुछ दिगंबर साधुओंकी वैसी ही प्रवृत्ति हो गई हो और श्वेताम्बर साधुओंके समान उन्होंने भी जिनमन्दिरोंमें रहना प्रारम्भ कर दिया हो; क्योंकि श्वेताम्बर साधुओंकी यह शिथिलाचारकी प्रवृत्ति दिगंबर साधुओंसे बहुत पहिले जारी हो चुकी थी । कुछ भी हो परन्तु यह बात अच्छी तरह निश्चित है कि ग्यारहवीं शताब्दीके आचार्य सोमदेवके समयमें शिथिलाचारका पूर्ण प्रचार हो चुका था । इसलिये मुनियोंकी छायाको भी पूज्य बतलानेका उन्हें आदेश करना पड़ा । जब सोमदेव सूरिके समयमें इतनी

भयङ्कर शिथिलता बढ़ चुकी थी तब आगे तो और भी शिथिलाचारने से भयङ्कर रूप धारण कर लिया होगा। बीचके आचार्योंकी कृतियोंसे शिथिलाचारका दिग्दर्शन न कर सका अब हम परिद्धत आशाधरजीके जमानेमें शिथिलाचारकी भयङ्करताका उल्लेख करते हैं।

वि० सं० १३०० के अन्ततक प० आशाधरजी जीवित थे। ये अपने समयके कितने बड़े विद्वान थे, उनकी निर्माण की हुई कृतियाँ इस बातकी सान्द्रो हैं। मुनिगण भी इनके पास अध्ययन करते थे यह इनकी जीवनीसे प्रगट है। वि० सं० १३०० में इन्होंने अपने अनगार धर्माभूत ग्रन्थ पर स्वोपज्ञ टीका लिखी है। जिसमें कि मुनियोंके स्वरूपका विस्तारसे वर्णन है। इसके द्वितीय अध्यायमें, सम्यक्त्वका वर्णन करते हुए, उन्होंने इस प्रकार लिखा है--

मुद्रां सांव्यवहारिकीं त्रिजगतीवंध्यामपोद्याहतीं  
वामां केचिदहंयवो व्यवहरंत्यन्ये वहिस्तांश्रिताः।  
लोकं भूतवदाविशंत्यवशिनस्तच्छायया चापरेः  
म्लेच्छंतीह तकैस्त्रिधा परिचयं पुं देहभोहैस्त्यजददः

टीका—इ। क्षेत्रे संप्रतिकाले केचित्तापसाद्यो व्यवहरंति प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयां कुर्वन्ति कां मुद्रां--अत्राचिहं। किंविशिष्टां वामां--विपरीतां--जटाधारणभस्मोद्भूतनादिरूपां। किं विशिष्टाः संनः, अहंयवोऽहंकारिणः किं कृत्वा अपोद्ये अपनादविषयां कृत्वा निषिद्धयेत्यर्थः। कां, मुद्रां। किं विशिष्टां आहतीं। जैर्नां--आत्रेण-

क्यादिलिङ्गलक्षणा पुनः किं विशिष्टा ? । त्रजगतीवन्धा — जगत्त्रय  
 नमस्या । पुनरपि किं विशिष्टा । सांख्यव्यवहारिकीं समीचनप्रवृत्ति  
 ि वृत्तिप्रयोजनार्थं एके टंकादिनाणकाकृतिं समीचीनामपोद्य मिथ्या-  
 रूपां क्षुद्रा व्यवहरतीति व्याख्येयं । अन्ये पुनर्द्रव्यजिनलिङ्गधारिणो  
 मुनिमानिनोऽवशिनोऽजितेन्द्रियाः सतस्तां तथाभूतामार्हतीं मुद्रां  
 वहिः शरीरे न मनसि श्रिताः प्रपन्नाः, आविशन्ति संक्रामति विचे-  
 ष्टयन्तीत्यर्थः । कं लोकं धर्मकाम जनं । किंवत् भूतवदप्र-  
 हैस्तुष्यं । अपरे पुनर्द्रव्यजिनलिङ्गधारिणो मठपतयो म्लेच्छन्ति  
 म्लेच्छा इयाचरति लोषशास्त्रविरुद्धमाचारं चरन्तीत्यर्थः कया  
 तच्छायायाः—आर्हन्गतप्रतिरूपेण तथा च पठति —

पंडितैर्भ्रष्टचारित्रैर्बठरैश्च तपोधनैः ।

शासनं जिनचंद्रस्य निर्मलं मलिनोक्तं ।

भोः साम्यवत्वारधक ? त्यज - मुंच त्वं । कं त्रिधा परि-  
 चयं—मनसानुमोदनं वाचा कीर्तनं कायेन ससर्गं च । केः सह  
 तक्षैः—कुत्सितैस्तेल्लितयैः । किं विशिष्टैः पुनरेहमोहैः—पुरुषा-  
 कारमिथ्यात्वैः । तदुक्तं—

कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेऽप्यसम्मतिः ।

असंवृत्तिरनुत्कीर्तिरमूढादृष्टिरुच्यते ।

वाह्या अप्याहुः—

पाखंडिनो विकर्मस्थान् वैडालव्रतिकान् शठान्  
 हेतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत् ।

अर्थात्---मिथ्यादृष्टि तीन प्रकारके हैं । एक तो वे जो तीन जगत्की वन्दनोक भगवान् अर्हतकी मुद्राके निषेध करने वाले, महामिमानो, जटाधारण और भवति लगानेवाले तपस्वी हैं । दूसरे वे हैं जो द्रव्य रूपसे जिनमुद्राके धारक हैं, अपनेको मुनि मानते हैं, इन्द्रियोंके वशीभूत हैं, जिनकी आर्हती मुद्रा बाहर शरीर में ही स्थित है, मनमें नहीं, और जो भूतोंकी तरह लोगोंको विचेष्टित करते हैं । और तीसरे वे हैं जो द्रव्य रूपसे तो निर्ग्रथलिंग के धारक हैं किन्तु सायही मठोंके स्वामी घने हुए मुनि हैं । ये लोक और शास्त्रके विरुद्ध आचरण करनेवाले होनेसे भ्लेच्छोंके समान हैं । इस लिय ग्रन्थकार कहते हैं कि ये तीनों प्रकारके मिथ्यात्वी चलते फिरते पुरुषके रूपमें साक्षात् मिथ्यात्व हैं इस लिये; हे सम्याग्दर्शनके आराधको-मन-वचन, कायसे इन तीनों प्रकारके दुष्ट निन्दित मिथ्या दृष्टियोंसे संपर्क छोड़ दे । ५० आशाधरजीने संस्कृत टोकामें:—

पडितैर्भ्रष्टचारित्रैर्वठरैश्च तपोधनैः ।

शोसनं निनचंद्रस्य निर्मलं मल्लिनीकृतं ।

अर्थात्— भ्रष्ट आचरण करनेवाले पण्डितोंने और भ्रष्ट चारित्रिके धारक घटर मुनियोंने भगवान् जितेन्द्रके निर्मल शासनका मलिन बना डाला है । यह श्लोक कहीं दूसरी जगहका उद्धृत किया है जो कि बड़े महत्त्वका है । ५० आशाधरजी ने यह श्लोक उद्धृत कर उस समयके मुनियोंकी भ्रष्टता देख बड़ा खेद प्रगट किया है तथा जिस ग्रन्थकारके ये वचन हैं उसके दुःखित हृदयको यह आह समझनी चाहिये ।

पं० आशाधरजीके इन वचनोंसे इस बातका अच्छीतरह पता लगता है कि तेरहवीं शताब्दीमें ऐसे भी दिगम्बर मुनि दोख पड़ते थे जो बनका रहना छोड़कर घीरे २ मन्दिर मठोंमें रहते २ मठोंके स्वामी बन गये थे । ग्रन्थकारने ‘तच्छयया यह पद दिया है उससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि वे वस्त्रधारी मट्टारक न थे किन्तु दिगम्बर जैन मुनि थे । और मठों वा जिनमन्दिरोंमें रहने २ उन्होंने उसे अपनी वपौती समझ ली थी । आजकल भी जो महानुभाव दिगम्बर जैन मुनियोंको गाव-नगरके भीतर जिन-मन्दिरोंमें रहनेका पक्ष खींचते हैं उन्हें पण्डित आशाधरजीके इन वचनों पर ध्यान देना चाहिये । ममताके दूर करनेके लिये मुनिवृत्ति धारण की जाती है, जब जिन मन्दिरोंमें रहनेकी ममता बनी ही रही तो मुनिवृत्ति धारण करना ही व्यर्थ है । अस्तु ।

शास्त्रीय प्रमाणोंसे यह बात अच्छीतरह सिद्ध है कि पं० आशाधरजीके जमानेमें तो दिगम्बर मुनियोंने अपनेको मठपति ही बनाया था परन्तु पीछे बिगड़ते बिगड़ते उसका रूप भद्दारक हो गया । उन्होंने वस्त्र धारण कर लिये और अपनेको महाप्रती मानते हुए राजगद्दाका सुख भोगने लगे । विचारनेकी बात है पहिले तो दिगम्बर मुनियोंने गाँवके समीप रहना शुरू किया । पीछे वे मठ-मन्दिरोंमें रहने लगे । इसके बाद वे मठोंके स्वामी हुए । फिर दिगम्बर मुद्दाको भी छोड़कर मट्टारकोका रूप धारण किया और हर प्रकारसे विषय भोगोंमें मग्न रहने लगे । प्रारंभमें जर्रासी असौवधानी हो जानेसे धर्म नाशक यह कितना भयकर

विकार उत्पन्न हो गया ? यदि वन छोड़कर गांवके समीप आकर रहनेवाले मुनियोंकी वृत्ति पर उस समय ध्यान दिया जाता और दुसकी कड़ी आलोचना हो जाती तो निश्चय लिंगमें यह महा-विकृति स्थान ही न पाती ।

श्वेनाम्बराचार्य श्रीमहेंद्र सूरिने वि० स० १२९४ में एक शत-पदी नामक ग्रन्थकी रचना की है । पं० आशाधरजीके अनगार-धर्माभृतसे ६ वर्ष पहिले इस ग्रन्थका निर्माण हुआ था । उसमें एक दिगम्बरमतविचार नामका प्रकरण है । उस समयके दिगम्बर जैन साधुओंको लक्ष्यमें रखकर उस ग्रन्थमें ऐसा लिखा है—  
“दिगम्बर जन साधु, मठों मन्दिरोंमें रहते हैं, वहाँ आर्थिकाये भी रहती हैं । शीतकालमें अश्रिका महारा लेते हैं, पयालके, बिछौनोंपर सोते हैं इत्यादि इससे भी मालूम होता है कि तेरहवीं शताब्दीमें कुछ दिगम्बर जैन मुनियोंमें शिथिलाचारने पूर्ण घर कर लिया था ।

तेरहवीं शताब्दीके बाद मट्टारकोंकी खासी प्रबलता हो गई । सोलहवीं शताब्दी तक इनका इकछन्ता राज्य रहा । यदि किसीने इस प्रथाके विरुद्ध आवाज भी उठाई तो वह चल नहीं सकी । दशवीं शताब्दी तक कहीं भी दिगम्बर जैन शास्त्रोंमें मुनियोंको जिनमन्दिरोंमें रहनेकी आज्ञा नहीं दीख पड़ती । तेरहवीं शताब्दीके बाद होनेवाले इन्द्रनदी महाराजने दधी जुवानसे मुनियोंको मन्दिरोंमें रहनेकी राय मोत्र जाहिर की है परन्तु उस समय कुछ २ मुनियोंने जिनमन्दिरोंमें रहना शुरू कर दिया था फिर वह मार्ग विकृत ही होता चला गया । फिर मट्टारकोंका साम्राज्य था गया,

तब तो मन्दिरोंमें रहना शिथिलाचार ही नहीं माना जाने लगा क्योंकि अधिकतासे जिनमन्दिर हो रहनेके स्थान बना लिये तब उसे शिथिलाचार बताना कठिन हो गया। उस समयमें जो जैन ग्रन्थ बने वनमें भी मन्दिरोंमें रहना पुष्ट किया गया। पाठकोंके सामने हम रत्नमाला ग्रन्थका एक श्लोक रखते हैं—

कलौ काले वनेवासो वर्ज्यते मुनिसत्तमैः

स्थीयते च जिनागारग्रामादिषु विशेषतः ।२२।

पृ० १०४ छपा

अर्थात् इस कलिकालमें मुनीश्वरोंने वनका वास छोड़ दिया है और वे जिनमन्दिर ग्राम-नगरमें रहते हैं। रत्नमालाके कर्ता शिवकोटि नामसे वि० सं० १५०० में हो गये हैं। यह श्लोक इन्द्रनन्दी महाराजके श्लोकसे थिलकुल मिलता-जुलता है। भेद इतना ही है कि इन्द्रनन्दीने राय मात्र दी है और इन्होंने जिनमन्दिरोंमें रहनेका विधान ही कर दिया है। यह समयकी खूबी है। पंद्रहवीं शताब्दीमें जब जिनमन्दिर वासियोंकी खासी प्रचलता थी तब मट्टोरक शिवकोटि कैसे यह समय चूक सकते थे? जो हो यह बात शास्त्रीयप्रमाणों और तर्कोंसे अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी कि दशवी शताब्दी तक मुनियोंको जैन मन्दिरोंमें रहनेकी कहीं आशा नहीं। दशवीं शताब्दीके बाद जब शिथिलाचारकी प्रचलता हुई तबसे कुछ मुनियोंने अपनी सिंह वृत्तिको विसार दिया। श्रीन शक्तिके धारक मुनियोंको वसतिकाओंमें रहनेका विधान था



उस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। वे जिनमन्दिरोंमें रहने लगे उसका भयंकर परिणाम यह हुआ कि सच्चा मुनिलिंग ही संसार से बिदा हो गया। मुनिनामधारियोने जैन धर्मको मलिन कर डाला। अब भी यदि इस शिथिलाचारको अपनाया जायगा और गांध नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना होगा तो और भी अधिक अनर्थोंकी सम्भावना है। इस शिथिलाचारसे मुनि-धर्मकी कभी रक्षा न हो सकेगी।

यहाँ पर यह शंका होती है कि भगवद्भट्टाकलंक देव अपने समयके बड़े भारी प्रभावी आचार्य हो गये हैं। उन्होंने राज वार्तिकालकारमें इस प्रकार लिखा है—

ग्रामे एकरात्रं नगरे पंच रात्रं

प्रकर्षेणावस्थातन्यमित्येवं संयतस्येत्यादि

पृ० ३३५ छपा

अर्थात् मुनिको ग्राममें एक दिन ठहरना चाहिये और नगरमें पांच दिन ठहरना चाहिये। यहाँ पर ग्राम नगरका स्पष्ट विधान है। ग्राम नगरमेंभी मुनि जिनमन्दिरोंमें ठहर सकते हैं इस लिये ग्राम नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें ठहरना शिथिलाचार नहीं तथा भट्टाकलंक देव सातवी शताब्दीके आचार्य हैं, इसलिये उस समय भी ग्राम-नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहनेकी प्रथा थी, दशवीं शताब्दीके बाद घतलाना भूल है ? इसका उत्तर यह है कि—

ग्राम नगरमें ठहरनेका विधान शास्त्रोक्त है और वह हमारे

आपके सघोंके मानने योग्य है। परन्तु ग्राम-नगरका अर्थ जो यह किया जाता है कि ग्राम-नगरके भीतर रहना चाहिये, यह भूल है क्योंकि ग्राम-नगरके भीतर तो मुनियोंका ठहरना हो ही नहीं सकता। यह निश्चिन्ता है कि जो व्यक्ति जिस योग्य होता है वह अपने योग्य स्थान पर ही ठहरता है। मुनिगण एकांतवासी हैं एकांतमें ही उनका ध्यान और अध्ययन हो सकता है। गांव और नगरके भीतर रहने पर उन्हें एकान्त स्थान मिलना दुर्लभ हैं, क्यों कि वहां पर अनेक जीवोंका संघट्ट रहता है। ग्राम नगरके भीतर के स्थान सदा कोलाहलोंसे पूर्ण रहते हैं। यदि यह कहा जाय कि मुनिगण ग्राम-नगरके भीतर जिनमन्दिरोमें रह सकते हैं ? तो उस त्रिषयमें यह कहना है कि प्रथम तो ग व और नगरके भीतर जितने भी जिनमन्दिर हैं उनमें मुनियोंके रहने योग्य कोई स्थान नहीं देख पडता। यदि जिनमन्दिरोमें मुनियोंके रहनेकी चाल प्राचीन होती तो जिन मन्दिरोमें उनके लिये अवश्य जगह सुरक्षित होती। इसके सिवाय गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोमें रहनेपर मुनियोंकी शौच आदि क्रियाओंमें बहुत बाधा आ सकती है। वस्तीके बाहिर जाने पर समय बहुत लग सकता है। जिनमन्दिरोमें शौचादिकी व्यवस्था हो नहीं सकती। तथा जिनमन्दिरोमें रहने पर मुनिगण वहाँ सोवेंगे तो उन्हें 'आसादना' दोष लगेगा। इसके सिवाय मुनियोंके ध्यानका समय प्रातःकाल दोपहर और सायंकाल है। जिनमन्दिरोमें गोजे-बाजेके साथ प्रातः काल पूजा होती है, दोपहरको भी लोग बराबर दर्शन-स्तुति करते हैं। शामको आरती

विशाल स्तुति आदि होते हैं। तीनों बाल बराबर मन्दिरोमें कोला-  
हल बना रहता है। जहाँ पर कोलाहल हो वहाँ मुनियोंका एकप्र-  
ध्यान नहीं बन सकता। ध्यानके लिये शांत निर्जन शून्य स्थान  
का ही विधान है। इस रूपसे गांव-नगरोंमें तथा उनके भीतर जिन-  
मन्दिरोमें मुनियोंका रहना कभी सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु जहाँ  
भी ग्राम-नगरका निकट आया है वहाँपर मुनिगण उसके समीप  
वन-उद्यानोमें ठहरते हैं। यही बात ली गई है; क्योंकि मुनियोंके  
ठहरनेका स्थान वही है। इसलिये ग्राम नगरमें मुनियोंका रहना  
वाधित होने पर ग्राम नगरके समीप उद्यान वा वन आदिमें ही  
उनका रहना मानना होगा।

न्याय शास्त्रमें एक लक्षण शक्ति मानी है। उसका उदाहरण है  
'गंगायां घोषः' यहाँ पर घोषका अर्थ है मल्हाओंकी भोपड़ियां,  
और गंगाका अर्थ है जलका प्रवाह अर्थात् मिलकर अर्थ होता है  
जलके प्रवाहमें मल्हाओंकी भोपड़ियां; है परन्तु यह अर्थ वाधित  
है क्योंकि जलके भीतर जहाँ अगाध जलका बहना रहता है वहाँ  
मल्हाओंकी भोपड़ियां नहीं रह सकतीं; इस लिये लक्षणाशक्तिसे  
वहाँ यह अर्थ किया जाता है कि गंगाके तटपर मल्हाओंकी भोप-  
ड़ियां हैं। यह शक्ति बड़े २ शास्त्रकारोंने मानी है। इसी प्रकार  
जहाँ पर मुनियोंका रहना गांव और नगरोंमें घटलाया है वहाँ पर  
यही अर्थ है कि मुनिगण अपने योग्य स्थान नगरके बाहिर उद्यान,  
सूने मदान, विसतिका आदिमें ही निवास करते हैं, गांव नगरमें उनका  
रहना वाधित है—वहाँ मुनियोंका ध्यान बन नहीं सकता। यह बात

आगमानुसार तर्कके आधारपर लिखी गई है । इस घातकी पुष्टिमें आगम प्रमाण भी इस प्रकार है:—

मथुरामें जिससमय रोग फैला था उस समय वहाँ सप्त ऋषियोंका आना हुआ था और उनकी कृपासे वह रोग दूर हो गया था । शास्त्रोंमें लिखा है कि—वे मथुरा आये थे । तथा सप्त ऋषि, पूजामें हम रोज ही पढ़ते हैं—‘जे आये मथुरापुर मङ्गार, जहा मरी रोगका अति प्रचार’ यहांपर भी मथुरापुरीमें ही मु नियोंके आनेका उल्लेख है परन्तु वे मथुराके भीतर नहीं ठहरे थे किन्तु मथुराके निकट बाह्य उपवनमें ठहरे थे । आचार्य श्रीरत्निषेणने पद्मपुराणमें इस प्रकार लिखा है...

विहरंतोऽन्यदा प्राप्ता निग्रथा मथुरां पुरीं ।  
गगनायायिनः सप्त सप्तसप्तिसमत्विषः । १ ।  
सुरमन्युर्द्वितीयश्च श्रीमन्युरिति कीर्तितः ।  
अन्यः श्रीनिचयो नाम तुरीयः सर्वसुंदरः । २ ।  
पचमो जयवान् ज्ञेयः षष्ठो विनयलालसः ।  
चरमो जयमित्राख्यः सर्वचारित्रसुंदरः । ३ ।  
राज्ञः श्रीनंदनस्यैते धरणीसुंदरीभवाः ।  
तनया जगति ख्याता गुणैः शुद्धैः प्रभापुरे । ४ ।  
प्रीतिकरमुनींद्रस्य देवागममुदीच्यते ।  
प्रतिबुद्धाः समं पित्रा धर्मं कर्तुं समुद्यताः । ५ ।

काले विकालवत्काले कंदवृंदावृतांतरे ।

न्यबोधतरुमूल ते योगं सन्मुनयः श्रिताः । ८ ।

तेषां तपःप्रभावेन चमरासुरनिमिंता ।

मारी श्वसुरदृष्टेव नारी विटगताऽनशत् । ९ ।

०५ चरित्र पृष्ठ १६४ मुद्रित ।

अर्थ—“अथानंतर आकाशविषै गमन करणहारे सप्त चारख ऋषि सप्तसूर्य समान है कांति जिनकी सो विहारे करते निग्रंथ मुनींद्र मथुरा पुरी आये । तिनके नाम सुरमन्यु १ श्रीमन्यु २ श्री-निचय ३ सर्वसु दर ४ जयवान ५ विनयलालस ६ जयमित्र ७ ये सबही महाचारित्रके पात्र अति सुन्दर राजा श्रीनंदन राणी धरणी सुंदरी-के पुत्र पृथिवीविषे प्रसिद्ध पिता सहित प्रीतिंकर स्वामीका केवल ज्ञान देख प्रतिबोधको प्राप्त भये सो चातुर्मासिक विषै मथुराके घन-विषै बटके वृक्ष नीचे आय विराजे तिनके प्रभाव करि चंसरेंद्रकी प्रेरी मरी दूर भई ।

पद्मपुराण भाषा पृष्ठ ६९२ मुद्रित

मंत्री अवस्था और राज अवस्थामें जिस समय बलिद्वारा मुनि-योपर घोर अपसर्ग हुआ था उस समय वे मुनि उज्जयिनीमें कहां ठहरे थे ? हरिवंश पुराणमें उसका इस प्रकार उल्लेख है—

उज्जयिन्यां भवेद्राजा श्रीधर्मो नामविश्रुतः ।

श्रीमती श्रीमती तस्य महादेवी महागुणाः । ३ ।

चत्वारो मंत्रिणश्चास्य मंत्रमार्गत्रिदो वलिः ।  
 वृहस्पतिश्च नमुचिः प्रल्हाद इति चांचितः । ४ ।  
 अन्यदा श्रुतपारस्थः ससप्तशतसंयुतः ।  
 आगत्याकंपनस्तस्थौ वाह्योद्याने महामुनिः । ५ ।  
 वन्दनार्थं नृपो लोकं निर्यातमिव सागरं ।  
 प्रासादास्थस्तदालोक्य मंत्रिणोऽपृच्छदित्यसौ । ६

अर्थ—उज्जयिनी नगरीका स्वामी राजा श्रीधर्म था उसकी पटरानीका नाम श्रीसती थी जो कि महा सुन्दरी होनेसे श्रीमती ही, थी और अनेक गुणोंसे शोभायमान थी । राजा श्रीधर्मके वलि नमुचि, प्रल्हाद, और अंचित, ये चार मन्त्रो थे जो कि मन्त्रकलामें अतिशय निपुण थे । एक दिन स्वामी अकंपनाचार्य जो कि समस्त श्रुतके पारगामी थे सात सौ मुनियेके साथ उज्जयिनी नगरी आये और उसके बाहिर उद्यानमें आकर विराज गये । जब नगरके निवासी लोगोंको यह पता लगा कि स्वामी, अकंपनाचार्य सातसौ मुनियोंके साथ आये हैं तो वे बमडे हुए समुद्रके समान बहुत बड़ी संख्यामें उनकी वन्दनाकेलिये चल दिये । राजा श्रीधर्म उस समय राजमहलपर बंठे थे, ज्यों ही उन्होंने नगरनिवासी लोगोंको वन्दनार्थं जाते देखा मन्त्रियोंसे उन्होने इस प्रकार पूछा—इत्यादि

हस्तिनागपुरमें जिस समय अकंपनाचार्य पधारे थे उनके ठहरने का स्थान हरिवंश पुराणमें इस प्रकार लिखा है—

आगत्याकंपनाचायस्तदा नागपुरं शनैः

मुनीनामग्रहीद्वयोगं चातुर्मास्यावधिं वहिः । ६।

सर्ग २०

अर्थ—जहां तहां बिहार करते २ आचार्य अकंपन धीरे २ हस्तिनागपुर आये और चार मासका योग धारण कर हस्तिनागपुरके बाह्य जंगलमें विराज गये । १। यहां उज्जयिनी और हस्तिनागपुर दोनोंही नगरोंमें मुनियोंका ठहरना जंगलमें बताया गया है । यदि ग्राम नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहनेका विधान होता तो उज्जयिनी और हस्तिनागपुरके शहर भीतर जिनमन्दिर और चैत्यालयोंमें मुनियोंके ठहरनेका उल्लेख मिलता । इसलिये मानना पड़ेगा, ग्राम नगरमें आकर मुनिगण उनके जंगलोंमें ही ठहरते हैं यही सिद्धांत शास्त्रोक्त है । गाँव नगरके भीतर जिनमन्दिर वा चैत्यालयोंमें मुनियोंका रहना बतलाना पीछेसे शास्त्रोंमें बढाया गया है ।

महाराज अरविन्द पौदनपुरके बड़े प्रभावशाली राजा थे । मगधान पाण्डुरथका जीव मरुसति उनका अत्यन्त प्यारा मंत्री था । धर्मठ द्वारा अपने प्यारे मंत्रीके मरनेके समाचार सुन राजा अरविन्दको महा दुःख हुआ था । उन्हें संसारसे एकदम वैराग्य हो गया था । इस समय पौदनपुरमें मुनिराज स्वयंप्रसक्ता आनो हुआ था और वे ग्राम नगरके भीतर चैत्यालयमें न ठहरकर पौदनपुरके उद्यानमें ठहरे थे । पादिराजसूरि कृप पाण्डुरथ-चरितमें उसका इस प्रकार वर्णन है—

विभावयंतं भवविभ्रमत्य स्वभावमेवं नृपतिं प्रपद्य  
निवेद्यामास वनस्य गोप्ता स्वयंप्रभस्यागमनं महर्षे

। १०२ ।

अर्थ—महाराज अरविन्द इस प्रकार सांसारिक पदार्थोंके स्वरूपका विचार करही रहे थे कि उसी समय राजसभामें वनमाली आया और मुनिराज स्वयंप्रभका आगमन इस प्रकार निवेदन किया - -

देवव्रती देवपतिर्यतीनामृद्यानमद्याभिगतोऽस्मदीयं  
अभूत्पूर्वामधिगम्य शोभामन्येवतस्यागमनाद्ब्रुवन्श्री

। १०३ ।

अर्थ---हे देव ! आज हमारे बगीचेमें एक हृदयवती मुनियोके स्वामी जो मुनिराज स्वयंप्रभ पधारे हैं उनके शुभागमनमात्रसे ही वन लक्ष्मीकी एक अपूर्ण ही शोभा हो गई है। वह उन मुनिराजके प्रभावसे एक विलक्षण ही मालूम होती है। १०३।

पाश्र्व'चरित पृष्ठ ७६ छपा ।

मुनियोंको ग्राममें एक दिन ठहरना चाहिये और नगरमें पांच दिन ठहरना चाहिये, इस सिद्धान्तका आचार्य शिवकोटिकृत भगवती आराधना ग्रन्थमें तो खुलासा ही इस प्रकार कर दिया है--

जहिणविसोत्तियञ्चत्थि दु सहरसें हि रूवगंधफासेहिं  
सज्झायज्झाणघादो वा वसदी विवित्ता सा ।३३।



अर्थ—'जा वसतिकामें शब्द रस रूप गंध स्पर्श करि अशुभ परिणाम नहीं होय तथा स्वाध्याय का अर शुभव्याय का घात नहीं होय सो विविक्त वसतिका है ।

भावार्थ—मुनीश्वरनिके वसने योग्य वसतिका ऐसी होय तामें बसैं । तहां ग्रामके निकट वसतिकामें एक रात्रि बसैं अर नगर वाह्य वसतिका होय तामें पंच रात्रि बसैं अधिक काल वर्षा ऋतु बिना एक क्षेत्रमें नहीं बसैं । अर जहां राग द्वेषकारी वस्तु देखि परिणाम बिगड़ि जाय तथा स्वाध्याय ध्यान बिगड़ि जाय तहां साधुको क्षणमात्र हूं नहीं रहना ।' (पत्र ९२ मुद्रित)

ग्राम-नगरमें आकर मुनिगण उनके समीप जङ्गलों वा वसतिकामें हो ठहरते हैं, इस बातको पुष्ट करने वाले और भी अनेक प्रमाणोंसे शास्त्र मरे पड़े हैं; परन्तु मुनिगण ग्राम नगरके भीतर चैत्याश्रयोंमेंही रहते हैं इस बातका कहीं भी प्राचीन मान्य ग्रन्थोंमें उल्लेख नहीं मिलता । इसलिये ग्राम-नगरके भीतर मुनियोंका रहना बतलाना भट्टारकोंका निजी मत ही और यह शिथिलाचारका पोषक होनेसे भागमविरुद्ध है ।

यहांतकके प्रमाणोंसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी कि पं० आशाधरजी के उल्लेखानुसार तेरहवीं शताब्दीमें दिगम्बर मुनि मठपति हो चुके थे, उसके बाद उनमें बहुत शिथिलाचार बढ़ा, मठपतियोंने अपना भट्टारक रूप धारण कर लिया, कपड़ा पहिनना, पालकीमें बैठना, अनेक दासी दास रखना, बढिया अतर फुलेल आदि लगाना तिस पर भी अपनेको महाव्रती कहना, आदि

चातोंका काफ़ी प्रचार हुआ । ये लोग भावकोंसे अपना कर वसूल करने लगे । सब तरहसे भावकोंको सताने लगे । भी जैनमन्दिरों में इनकी क़ांची २ फामल गड़िया लगाने लगीं । १००८ भा जिनेन्द्र देवकी अपेक्षा भी इन ( दोंगी भेषी पाँकड़ियो )का अधिक विनय होने लगा और सत्रहवीं शताब्दीतक इन भट्टारकोंका आसा घोल चाला रहा । उस समयके अमानेकी ऐतिहासिक दृष्टिसे छान चीन की जाने पर यह अच्छो तरह पता चल जाता है कि इन भट्टारकोंकी सत्तासे जैन जनता अत्यन्त पाड़ित हो बली थी । यह नहीं कहा जा सकता कि शिथिलाचारो दिगम्बर मुनियोंके जिन मन्दिरोंमें रहने पर उनके विरुद्ध उस वक्त से लोगोंने आवाज न उठाई हो—अवश्यही उठाई थी ।

परन्तु मालूमपही होता है कि इन मुनियोंके विरोधियोंका संगठन इतना ज़बरदस्त न था जो ये इस शिथिलाचारो प्रथाका मूकोच्छेद कर सकते; क्योंकि भावकोंकी ध्यानम दतासे उनपर भट्टारकका दुकाकी प्रभाव था । बहु भाग भावक उनके अनुयायी थे । इस लिये विरोध किय जाने पर भी उनका प्रयत्न सफल न हो सका था ।

आगे आकर हमें गोमय शुद्धि, श्राद्ध, तर्पण, आदि धर्म विरुद्ध बातों पर भी विचार करना है; इस लिये जैन शास्त्रोंमें उनका प्रवेश कैसे हुआ,? ऐतिहासिक दृष्टिसे उन पर भी हम थोड़ासा प्रकाश डालते हैं—

शककी नवीं शताब्दीसे शिथिलाचार प्रवृत्तिका सूत्रपात होकर

युनि मार्ग ही मलिन नहीं हुआ किन्तु आगमके अन्दर धमविरुद्ध बातोंका समावेश कर बसे भी मलिन बना खाला गया जिसका अर्थपर परिणाम यह हुआ कि जो बातें जैन धर्मके विज्ञकुल विपरीत हैं उन्हें हिन्दू शास्त्रोंसे उठाकर जैन शास्त्रोंमें प्रविष्ट कर दिया गया। जैन शास्त्रोंमें प्रविष्ट हो जाने पर वे ही विपरीत बातें आज आपन बचन मानी जाने लगीं और उन्हें प्रमाण रूपसे पेश कर विद्वान कहे जानेवाले कुछ पण्डित अन इस निर्मल जैन धर्मको मलिन बनानेकी पूर्ण चेष्टा कर रहे हैं।

विस्तृत इतिहास लिखनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं। समय आने पर वह लिखा जा सकेगा परन्तु बात यह है कि कई भट्टारक ऐसे हुए हैं जो बिलकुल विद्वान् न थे। उन्हें यह तो शौक रहा कि जिस तरह विद्वान् भट्टारकोंने ग्रन्थ रचकर उन पर अपना नाम दिया है उस तरह हमारे नामसे भी ग्रन्थ रचे जाने चाहिये, परन्तु यह न सोचा कि हमारे अन्दर उन सरीखी विद्वत्ता नहीं है इसलिये इन नाम लोलुपोंने ब्राह्मण पण्डित नौकर रखे। अपने नाम से उनके द्वारा ग्रन्थ बनवाये। ब्राह्मण पण्डितोंने जहाँ जैसा देखा हिन्दू ग्रन्थकी बातें मिला दीं। ज्ञान हीन भट्टारकोंमें उन ग्रन्थोंके ज्ञानधीनकी योग्यता थी नहीं वे बातें उसी तरह ग्रन्थोंमें पड़ी रह गईं और उन्हें आपन बचन माना जाने लगा। दूसरे दक्षिण प्रांतमें ब्राह्मणों द्वारा जैन धर्म पर यह दोषारोपण किया गया था कि दिग्गमर जैनी वर्णाश्रम व्यवस्थाको नहीं मानते। ब्राह्मण वर्ण जो संसारमें सर्वोच्च वर्ण माना जाता है जैन धर्म उसे महत्वकी

दृष्टिसे नहीं मानता । समयानुसार ब्राह्मण वर्ण को वह कल्पित उद्द-  
राना है । जैन धर्ममें श्राद्ध, तर्पण, आचमन आदिकी कोई महत्त्व-  
पूर्ण व्यवस्था नहीं । गोदान, सुवर्णादान तथा कन्यादान आदिकी  
कुदान माना जाता है, इत्यादि हलचलसे जैनियोंपर भारी संकट  
आकर उपस्थित हो गया था । शंकराचार्यका समय भी जैन धर्मके  
लिये कितना भयंकर था । राजाओंको अपने अधीन बना उनके  
द्वारा जैनियोंपर कैसे २ प्राण घातक वार किये गये थे, यह बात इति-  
हासज्ञोंसे छिपी नहीं है । जब जैनियों पर यह संकट आकर उप-  
स्थित हुआ तो उन्होंने ब्राह्मणोंसे सहयोग करना उचित समझा ।  
एव उन्हें रिझानेके लिये क्रियाकांडके ग्रन्थोंमें हिंदुओंकी कुछ  
खास बातें प्रविष्ट की जानेपर राजी होगये । कुछ ग्रन्थ उस समय  
को प्रगतिके अनुसार जैन विद्वानोंने भी अवश्य बनाये होंगे, परंतु  
अधिकांश प्रतिष्ठा पाठ और श्रावकाचारोंके ग्रंथोंका निर्माण  
ब्राह्मणों द्वारा हो हुआ था और उन्होंने शब्दोंका परिवर्तन कर  
हिंदूधर्मकी बातोंको ज्योंका त्यों ढाल ढाला था । उस समय  
की सभी जनता उन बातोंको माननेके लिये राजी न थी । उसे  
राजी करनेके लिये उन प्रतिष्ठा पाठों और श्रावकाचारोंका फर्जी  
नाम अकलंकदेव, नेमिचन्द्र, सिद्धांत चक्रवर्ती, उमा स्वामी आदि रख  
दिया गया, जिससे इन धुरंधर आचार्योंके नामसे कोई भी इन  
ग्रंथोंको अप्रामाणिक न मान सके । इसमें संदेह नहीं कि इन  
ग्रंथोंके कर्त्ताओंने धर्म विरुद्ध बातोंको जैनधर्मका रूप देनेमें कोई कर्मों  
नहीं की है; परंतु जिन बातोंका जैनधर्मसे कोई सम्बन्ध हो ही नहीं

सकता उन बातोंको जैनधर्मानुकूल सिद्ध करनेमें कितनी भी बारीक चाल चली जाय, छुल ही जाती है। श्राद्ध, तर्पण, गोदान, गोबरसे आरती, गोमूत्रसे अभिषेक आदि बातें जैनधर्मके बिलकुल विपरीत हैं। मला ऐसा कौन सच्चा जैनी होगा जो इन बातोंको धर्मानुकूल मानेगा ? जिन ग्रन्थोंके अन्दर ये धर्म विरुद्ध बातें लिखी हैं वे ग्रन्थ जबतक मंडारोंमें पड़े रहे, आम लोगोंके देखनेमें नहीं आये तबतक उन ग्रन्थोंको अप्रामाणिक ठहरानेकी चेष्टा नहीं की गई; किन्तु जैसे ही वे ग्रन्थ प्रकाशमें आये, इनकी कलई खुली, उन्हें धर्म विरुद्ध करार देना पड़ा।

वात रागताके पूजक जैनी गायकी पूजा तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि भगवान समंतभद्राचार्यने गायकी पूजाको देवमूढ़ता माना है। हाँ उन्होंने हिन्दूधर्मकी बातोंको अपनानेके लिये गोदान देना स्वीकार कर लिया होगा। गोबर गोमूत्रकी लोकमें विशेष मान्यता देख आरतीके लिये गोबर और अभिषेकके लिये गोमूत्र उन्हें लाचारीसे स्वीकार करना पड़ा होगा। उन्होंने यह बात स्वीकार करते समय यह जरूर विचार लिया होगा कि इन घृणित पदार्थोंसे तीन लोकके नाथ भगवान जिनेन्द्रकी आरती और अभिषेक किसी भी जैनी द्वारा नहीं किया जा सकता। उन्हें क्या मालूम थी कि इस समय लाचारीसे इन निन्द्य बातोंके स्वीकार किये जानेपर जैन धर्मको मलिन बनानेकी नौबत आ जायगी। छिः ! गोबरसे आरती और गोमूत्रसे अभिषेक करना कितना घृणित काम है। गायके गोबरसे त्रिलोकीनाथ भगवान जिनेन्द्रकी आरती

और गोमूत्रसे अभिषेक किया जातेपर तो गाय ही मुख्यदेव हुई । जिने' देवकी उच्चता भी उसके सामने कुछ महत्व नहीं रखती । हमारा निजी अनुभव है । जो भी महाशय इन नि'घ बातोंकी इस समय पुष्टि कर रहे हैं वे उस समयकी घटनाकी अज्ञानकारी और हठसे ही ऐसा कर रहे हैं । विचारनेकी बात है कि जब गोबरसे आरती और गोमूत्रसे अभिषेककी शास्त्रमें आज्ञा है; तब कहीं तो किसी रूपमें उसका प्रचार होना चाहिये था, परंतु हम देखते हैं कि जहाँपर इन प्रतिष्ठा पाठोंकी रचना हुई थी और जहाँके लोग इन प्रतिष्ठा पाठोंको आप्त वचन समझने हैं, वहां (उस दक्षिण प्रांतमें) भी कहीं गोबरसे आरती और गोमूत्रसे अभिषेक देखनेमें नहीं आता । वहाँके लोग भी गोबर और गोमूत्रको अपवित्र मानकर उससे आरती और अभिषेक नहीं कर सकते । जब यह बात है तब यही मानना होगा कि खाल आपत्तिके समय इस नि'घ बातको शास्त्रका रूप देना पड़ा था । वह आप्त वचन नहीं । इसलिये जो लोग गोबर गोमूत्रसे आरती और अभिषेक करना शास्त्रोक्त मानते हैं वे बहुत बड़ी गलतीपर हैं उन्हें जैनधर्मकी निर्मलताका र'चमात्र भी ध्यान नहीं ।

बहुतसे महाशय यहाँ यह तर्क करते हैं कि पंचकल्याणक प्रति-  
येष्टा आगमानुकूल हैं और उनका विधान इन्हीं प्रतिष्ठापाठोंसे किया जाता है । तब इन प्रतिष्ठापाठोंको कैसे जाली कहा जा सकता है ? यदि ये जाली हैं तो दूसरे प्रतिष्ठा पाठ होने चाहिये । इसका उत्तर मेरे अनुभवके अनुसार तो यह है कि प्राचीन प्रतिष्ठापाठोंको

समयको प्रगतिके अनुसार या तो लुप्त कर दिया गया होगा या उन्ही प्रतिष्ठापाठोंमें हिन्दूधर्म का यह विषय मिला दिया गया होगा । आपत्तिके समय ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं । आपत्तिके समय इससे भी भयङ्कर कार्य करने पड़ते हैं । कहा जाता है कि आपत्तिके समय भद्रकालकदेवको श्रीजिनेन्द्र देवकी प्रतिमापर चारीक धागा डालकर उसे लांचना पड़ा था और निकलक देवने अपने प्राणोंके साथ एक निरपराध घोबीका बलिदान करा दिया था । देखनेमें ये बातें बड़ीही भयंकर हैं, सामान्य जैनीभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता, फिर जैन धर्मके एकमात्र प्राण, आचार्य प्रवर भगवान् अकलंक, और उनके धर्मनिष्ठ भाई निकलकसे तो ये महानिन्द्य बातें हो ही नहीं सकती थीं परन्तु उस समय सबसे बड़ा प्रश्न जैन धर्मकी रक्षाका था । यदि उस समय वैसा न किया जाता तो आज जैन धर्मका खोज भी नहीं मिलता । बौद्ध धर्म हो सब ओर दीख पड़ता । भगवान् समंतभद्राचार्यका यह उपदेश है कि—“अल्पफल बहु विघातात् अवहेयम्” अर्थात् फल थोड़ा हो हानि अधिक हो, ऐसा काम कभी न करना चाहिये । और इस लिये जिसमें फल अधिक हो और हानि थोड़ी हो वह कार्य स्वतः विधेय ठहरता है । अकलंक देवादिकी उक्त कृतियोंमें विशाल फल तो था जैन धर्मकी रक्षा और स्वल्प हानि थी प्रतिमाका अविनय आदि, इसीसे भगवान् अकलंकदेव और निकलक देवका वह साहस अनुचित नहीं माना गया था । दक्षिणमें दिगम्बर जैन धर्मपर घोर आपत्ति आकर पड़ी थी, उस समय धर्मकी रक्षार्थ

प्राचीन प्रतिष्ठापाठोंका लोप कर देना अथवा उन्दीमें कुछ हिन्दू धर्मकी असंगत बातोंको प्रविष्ट कर देना विशेष हानिकर न था। क्योंकि दिगम्बर जैन धर्मकी रक्षा रूप विशाल फल सामने विद्यमान था। जो हो, यह तो माननाहो पड़ेगा कि प्रतिष्ठापाठों वा धावकाचारोंमें जो निश्चय धर्म विरुद्ध बातें दीख पड़ती हैं, वे दूसरे मतोंके ग्रन्थोंसे प्रविष्ट की गई हैं। भगवान महावीरकी कभी वैसी आज्ञा नहीं हो सकती।

यहा पर यह शंका हो सकती है कि प्रतिष्ठा पाठोंके सिवाय और ग्रन्थोंमें भी आरतीके समय गोबरका उल्लेख मिलता है, उनमें ऐसा क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है कि दो एक ग्रन्थोंमें जो गोबरका उल्लेख मिलता है, वे ग्रन्थ भी उसी समयके आगे पीछे की रचना हैं। उनके कर्ता आदिने गोबर आदिका उपयोग असंभव जान समयकी खूबोसे मात्र उल्लेख कर दिया है अथवा शिथिलाचारियोंने अपना ओरसे उनमें वह बात मिला दी है— और कोई बात नहीं।

यहाँ पर एक बात बड़े ध्यानसे विचारने योग्य है और वह यह कि भूमि पर नहीं गिरा हुआ ताजा गोबर, क्यों आरतीमें ग्रहण किया गया ? इसका क्या मतलब है ? जब गोबर स्वयं शुद्ध और दूसरी चीजोंको शुद्ध करनेवाली चीज है वह तो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, भूमि पर पड़ी हुई भी वह शुद्ध ही है। दूसरे भाठ प्रकारकी शुद्धियोंमें गोबरके समान मिट्टीको भी शुद्ध माना है, इस लिये शुद्ध चीज पर शुद्ध चीज पडनेसे वह अशुद्ध हो ही नहीं सकती



फिर भूमिमें नहीं गिरा गोबर लेना अवश्य कुछ खसूसियत ( विशेष-  
 पना ) रखता है। मेरा निजी अनुभव इस विषयमें यह है कि  
 अंतमुहूर्त्तसे ही गोबरमें अगणित सम्मूर्च्छन जीव पैदा हो जाते हैं  
 ऐसी शास्त्रकी आज्ञा है। जिस समय प्रतिष्ठा पाठोंमें गोबरका  
 समावेश किया गया होगा उस समय किसी जैनीकी ओरसे यह  
 तर्क अवश्य उठाया गया होगा कि गोबरमें बहुतसे सम्मूर्च्छन जीव  
 उत्पन्न हो जाते हैं, जिनेन्द्र मन्दिरमें गोबरके जाने पर बहुतसे  
 जीवोंकी हिंसा होगी और इस तरह पर उस समय उसके विरोध  
 की सृष्टि हुई होगी। उस विरोधकाही यह परिणाम जान पड़ता  
 है जो भूमि पर नहीं गिरे गोबरका विधान उल्लेख किया गया है।  
 प्रतिष्ठा पाठोंके कर्त्ता पण्डितोंने तब समझा दिया होगा कि हाल  
 ही पेटसे निकलनेवाले गोबरमें कुछ गरमी होगी, गोबरकी गरमीसे  
 जल्दी जीव नहीं पढ़ेंगे; तब तक आरती भी हो जायगी। इस  
 लिये आरतीमें गरमागरम गोबर ग्रहण करनेसे जीवोंकी हिंसा नहीं  
 हो सकती। जैनी उस समय दूबे हुए थे। ब्राह्मण पण्डितोंको  
 जैन शास्त्रोंमें गोबरको महत्व देना था, उन्हें ब्राह्मण पण्डितोंकी  
 बात माननी ही पड़ी होगी। इस गरमागरम गोबरके ग्रहणसे तो  
 सामूली जैनी भी इस बातको धर्मानुकूल नहीं मान सकता। विद्वान्  
 कहे जाने वाले व्यक्तिके इस बातको शोभित बचन कह रहे हैं यह बड़ा  
 आश्चर्य है। ऐसी दृष्टिके लिये धिक्कार है। इसी प्रकार श्राद्ध  
 तर्पण प्राणायाम आचमन आदि क्रियामें भी हिन्दू धर्मकी जाय है।  
 उनका उल्लेख भी ब्राह्मणोंकी कृपासे जैन शास्त्रोंमें मिलता है।

ये सारी क्रियायें जैन धर्मके विपरीत हैं। इन्हें मानना जैन धर्मकी निर्मलता नष्ट करना है।

सत्रहवीं शताब्दीमें जब कि शिथिलाचारका साम्राज्य था, सच्चे मुनि मार्गका लोप, मठारकोंकी उद्दण्ड प्रवृत्ति, शास्त्रोंमें विपरीत बातोंका समावेश आदिका पूर्ण बोल-बाला था, उस समय स्वनाम धन्य नररत्न कविधर बनारसी दास जीने जैन-जातिमें जन्म लेकर उसे पवित्र किया और जैन धर्मकी निर्मलताकी रक्षार्थ जो भी उन्होंने कार्य किये आज भी जैनियोंका बधा २ उन्हें परमोपकारी हितकारी मानता है, यह सभी जानते हैं।

पं० बनारसीदासजी अपने समयके प्रभावशाली विद्वान और कवि थे। अध्यात्म रसके ये कितने बड़े रसिक थे, यह उनकी नाटक समयसारकी कृति ज्वलत उदाहरण है। 'बनारसी विलास' में जो उनका जीवनचरित्र प्रकाशित है, उसीसे पाठक जान सकते हैं कि उनकी आत्मा कितनी उच्च पवित्र और सरल थी। सत्रहवीं शताब्दीमें जब उन्होंने शिथिलाचारका पूर्ण साम्राज्य देखा, जिनमन्दिरोंमें रहनेवाले दिगम्बर मुनियोंकी परिणति पहिचानो मठारकोंकी उद्दण्ड प्रवृत्तिसे श्रावकोंको पीड़ित देखा, शास्त्रोंमें श्राद्ध तर्पण, गोदान, गोबरसे आरती, गोमूत्रसे अभिषेक आदि बातों पर दृष्टि डाली, उस समय उनकी सच्ची आत्मा खोल उठी। उन्होंने जैन धर्मके वास्तविक आचार्योंकी खोज की। उनके शास्त्रोंका अच्छी तरह मनन परिशीलन किया। उसीका यह फल है कि नवीं शताब्दी तक जो पवित्र जैनधर्मका स्वरूप सुरक्षित था

वसीको पुनः कायम करनेके लिये वे पिल पड़े। जैन धर्म जो अपनी पवित्रता खो चुका था, उसे पुनः ज्योंका ज्यों रखनेका श्रेय उन्हेंने प्राप्त कर लिया। प० बनारसीदासजी अपने समयके बड़ेही परीक्षा-प्रधानी थे। मुनियोंकी वन्दना वे उनकी परीक्षा करनेके वादही किया करते थे, यह बात उनके जीवनचरित्रसे स्पष्ट हैं। प० बनारसीदासजीने मट्टारक प्रथाका उच्छेद किया था शिथिलाचार, उसके पोषक गुरु और उनके ग्रन्थोंकी महत्ता उड़ा दी थी और सत्य मार्गकी रक्षा की थी। उस समय जैन संसारमें कोलाहल मच गया था। पं० बनारसीदासजीने जो मत ढूँढ़ निकाला था, वह बनारसी मतके नामसे प्रसिद्ध हो गया था। वि० सं० १७०० के लगभग श्वेताम्बराचार्य महामहोपाध्याय मेघ-विजय गणोंने जो 'शुक्ति प्रबोध' नामका ग्रन्थ लिखा है, वह पं० बनारसी दास जीके मत-खंडनके लिये ही बनाया था। उन्होंने लिखा है—

वोच्छ्रं सुयणहितत्थं वाराणसियस्त मयभेयं ।

अर्थात्—सज्जनोंके हितार्थ मैं बनारसीदासके मतभेदको कहूँगा। और भी उन्होंने लिखा है—

तस्मादिगम्बराणां ए ए भट्टारगा वि ना पुजा  
तिलतुसमित्तो जेसिपरिग्गहो खं व ते गुरुणो।१६।  
जिणपडिमाणं भूसणमल्लारुहणाइअंगपरियरणां  
आणधस्तिओ वारइ दिगंबरस्तागमाणाए।१७।

सिरिविक्रमनरनाहा गणहिंसोलससण्हिंवासेहिं  
असि उत्तरेहिं जायं चाणारसिअस्स मयभेयं । १८।

अर्थात् तिल तुषमात्र भी परिग्रहके धारक गुरु नहीं हो सकते । इसलिये बनारसीके मतमें दिगम्बर भट्टारक भी पूज्य नहीं । १६ जिन प्रतिमाओंको आभुषण मालाये पहिनाना और केसर लगाना बनारसीके मतमें निषिद्ध है । १७ । वि० सं० १६८० में बनारसीके मतका उदय हुआ था । १८ ।

पं० द्यानतरायजीने अपने बुद्धिविलास ग्रंथमें तेरह पंथकी उत्पत्तिका समय वि० सं० १६८३ लिखा है इसका तात्पर्य बनारसी मतका नाम ही तेरह पंथ जान पड़ता है । पं० बनारसी दासजीका स्वर्गारोहण वि० सं० १६९८ के बाद हुआ था ।

इस रूपसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि शुद्धाभ्नायकी रक्षाका सूत्रपात कविवर बनारसी दासजीने ही किया था । उसके बाद आगरा और जैपुरके विद्वानोंने इसकी पूर्ण रक्षा की थी और सर्वत्र वे शुद्धाभ्नायके प्रचारमें सफल हुए थे । यह उन्हीं महानुभावोंकी कृपाका फल है कि दिगम्बर जैनधर्मकी पवित्रता आजतक पूर्णरूपसे सुरक्षित रही और है । परन्तु खेदके साथ लिखना पड़ता है कि अब कतिपय विद्वान नामधारियोंने पवित्र जैनधर्मको मलिन करनेकी फिर इठ ठानी है, उसका पुष्ट प्रमाण 'चर्चासागर' ग्रंथका प्रकाशन कर उसे पुष्ट करना है । पहिली भूल तो यही हुई कि ऐसे भ्रष्ट ग्रंथ का प्रकाशन किया गया । समाजके धर्मात्मा सेठोंके धनका दुरु-

पयोग किया गया; उसके बाद बड़ी भारी भूल यह है कि इस ग्रंथ-को प्रामाणिक मान लोग उसकी पुष्टि कर रहे हैं। अस्तु।

थोड़ासा इतिहास लिखकर पाठकोंके सामने यह बात स्पष्ट रूपसे रख दी गयी है कि जैनधर्मका सच्चा स्वरूप क्या था ? किस समय उसमें शिथिलाचारका प्रवेश हुआ ? मुनियोंका नगर-ग्रामके भीतर जिन-मन्दिरोंमें रहना कबसे शुरू हुआ ? श्राद्ध, तर्पण, गोदान, गोबरसे आरती और गोमूत्रसे श्रीजिनेन्द्रका अभिषेक आदि बातें किस समय जैनशास्त्रोंमें प्रविष्ट की गईं । पीछे कब इनका सर्वथा नाश किया गया । किस प्रकार शुद्धाम्नायकी रक्षा हुई । आजतक वह किस तरह सुरक्षित रही । कुछ नामधारी विद्वान शुद्धाम्नायकी किस प्रकार मटियामेट करना चाहते हैं । धर्मरूपा सेठोंको मुलावेमें डालकर किस तरह उनके धनका दुरुपयोग करते हैं । निन्दित और शिथिलाचार पूर्ण बातोंका प्रकाशन करनेमें कैसे निन्द्य हठ ठान रहे हैं ।

इतिहासके आधारसे सब बातोंका खुलासा हो जानेपर भी फिर भी एक बहुत बड़ी शंका यह रह जाती है कि आजकलके मुनि हीनशक्तिके धारक हैं, वे वन पर्वतोंको गुफा और नदियोंके तट पर रह नहीं सकते । भगवान् कुंदकुंदने हीनशक्तिके धारक मुनियोंके लिये वसतिकाका विधान बतलाया है । आचार्य सकल-कीर्तिने भी—

प्राप्य वसतिकां सारां ध्यानं वाध्ययनं तपः

मनिःसहने हीने कर्तुं शक्नोति नान्यथा ।७४।

अर्थात्—हीन संहननका धारक मुनि, उत्तम वसतिका पाकर ही ध्यान, अध्ययन और तप कर सकता है, वसतिकाके बिना नहीं । ७४ । इस बचनसे हीन सहननके धारक मुनियोंको वसतिकाका विधान बतलाया है । वह वसतिका अभी दीख नहीं पड़ती । ग्राम नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मुनियोंका रहना धर्मविरुद्ध शिथिलाचारका पोषक है । प्रबल भाग्यके उदयसे इस समय जहाँ तहाँ मुनियोंका विहार हो रहा है, फिर उनके रहनेका स्थान कौनसा होना चाहिये । इस विषयमें कहना यह है जिस समय मुनि मार्ग चालू था, उस समय ग्राम-नगरोंके बाहिर वसतिकाये रहती थीं । मुनिगण उनमें ठहरते थे । भगवती आराधना ग्रंथमें आचार्यवर शिवकोटिने वसतिकाओंका स्वरूप बड़े विस्तारसे कहा है । परन्तु जब सच्चा मुनिमार्ग लुप्त हो गया, मुनियोंकी संख्या भी अँगुलियों पर गिनने लायक रह गई, शिथिलाचारी भट्टारक मुनि माने जाने लगे, दिगम्बर मद्राधारी मुनि भी जैत्यालय और मन्दिरवासी हो गये, उन्होंने अपनी सिंहवृत्तिको भुला दिया, उस समय वसतिका की प्रथा छिन्न भिन्न हो गई । लोगोंने मुनियोंके शिथिलाचार पर भी ध्यान नहीं दिया । किन्तु वि० सं० १७०० में जब शिथिलाचार के महत्त्वका मूलोच्छेद हुआ, भट्टारक प्रथा विदा होने लगी, तबसे मुनिपना भी प्रायः विदा सा हो गया । अब थोड़े दिनोंसे मुनियोंकी सत्ता बसकी है, उन्हें भी गांव नगरोंके भीतर मंदिर धर्मशाला जैत्यालयोंमें ही रहते देखा जाता है, इसलिये धर्मात्मा श्रावकोंका वसतिकाओंकी ओर ध्यान नहीं जाता । शास्त्रोंके मननसे मैंने इस

वानका पूर्ण निर्णय कर लिया है कि मुनियोंको गांव नगरके भीतर कभी नहीं रहना चाहिये, खासकर चौथ्यालय और मन्दिरोंमें तो उनके ध्यानकी सिद्धि हो ही नहीं सकती। हां शरीरको ध्यानके आकारमें ढालकर वे ध्यानका टोंग कर सकते हैं। इस समय भी ग्राम-नगरके बाहिर बहुतसे जीर्ण मकान बगीचे छत्रियां रहती हैं, वहां मुनिगण सानन्द रह सकते हैं। जंगल और ऊसर भूमिमें जब वे रहेंगे तो अपार जनता वहीं उनके दर्शनोंके लिये पहुंचेगी। इस रूपसे जैनधर्मकी और भी विशेष प्रभावना होगी। जो लोग चलकर मुनियोंके दर्शनोंको जायंगे वे चाहे कितने भी उनके विरोधी हों, अवश्य उनकी आत्मापर प्रभाव पड़ेगा; किन्तु जब मुनि स्वयं उन्हें दर्शन देने गांव नगरोंके भीतर आवेंगे और रहेंगे तब उतनी विशेषता नहीं हो सकती। हमारी तो यह भावना है कि मुनिगण नगर वा गाँवाके जंगलोंमें चुपचाप आकर ठहरे। किसी रूपसे नगर निवासियोंको उनके आनेकी सूचना मिले, उस समय अमीर गरीब सभी नगर निवासी उनक दर्शनार्थ जंगलमें जायं, उस समयका आनन्द लाकोत्तर आनन्द होगा और वह विशेष प्रभावनाका कारण होगा। पहिले समय भी माली आदिसे मुनियोंके आगमन का समाचार पा, राजा, रईस, गराब सभी मिलकर उनक दर्शनार्थ जाते थे और उनके उपदेश वा दर्शनसे अपना आत्मकल्याण करते थे। इस समय भी ऐसा होना कठिन नहीं, मुनिराजो की प्रवृत्ति भीतरागत्य होनेके कारण उनके भाव गांव नगरमें रहनेके कभी नहीं हो सकते; परन्तु कुछ शिथिलाचारी पंडितजन, मुनियोंकी

इस प्रवृत्तिमें बाधक हैं। मुनियोंको वे इस प्रवृत्तिसे रोकते हैं। जिन मन्दिर चेत्यालयोंमें ही बन्दे रहने देना चाहते हैं। मुनिराजोंका इसमें कोई दोष नहीं। उनकी प्रवृत्ति पूज्य ही है। कुछ विद्वान नामधारी लोग उनकी प्रवृत्तिका दूषित घना रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यदि इन व्यक्तियोंका पभाव मुनिसंघपर रहा तो यह निश्चय है कि मुनियोंकी प्रवृत्ति और भी शिथिलाचारकी ओर झुक जायेगी। सब्धे धर्मात्माओंके भाव मुनिसंघसे विचलित हो जायगे तथा गोवरसे तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेंद्रकी आरती आद्व, तर्पण, गोदान आदि भ्रष्ट धार्तोंका जैन धर्ममें प्रचार होनेसे जैनधर्मका सच्चा स्वरूप ही विदा हो जायगा। इस रूपसे इन शिथिलाचारके पोषक विद्वानों द्वारा निर्मल जैनधर्मको बहुत बड़ा छद्मा पहुँचेगा। नवमी शताब्दीसे जैनधर्मके अन्दर जो शिथिलाचारका सूत्रपात हो गया था। छह-सात सौ वर्षोंमें उसने जैनधर्मको बिलकुल ही मलिन कर डोला। स्वर्गीय पं० बनारसीदासजी, दौलतरामजी, टोडरमलजी आदि महानुभावोंकी कृपासे वह शिथिलाचार छिन्न भिन्न हो सका था; दुःख है : आज फिर भी कुछ पंडित उस पवित्र निर्मल दि० जैनधर्मको मलिन घना रहे हैं। क्यों न हो प्रातः स्मरणीय आचार्यकल्प पं० टोडरमलजी सरौखे विद्वानोंके लिये जब इन पण्डितोंका यहाँ तक साहस है कि “पं० टोडरमल जी विशेष विद्वान न थे” तब उनके द्वारा सुरक्षित मार्गको मलिन बना देना इन पंडितोंके बाये हाथका खेल है। पं० मकखनलालजीने अनेक



व्यक्तियोंके समक्ष कलकत्तामें पं० टोडरमलजीके विषयमें उपयुक्त बात कह थी। यह उनका दुस्साहस ही था। भाई मकखन-लालजी थापने जो कुछ भी जैन शास्त्रका ज्ञान प्राप्त किया है, वह स्वर्गीय पूज्य गुरु गोपालदासजीकी कृपाका फल है। पं० टोडरमलजीके विषयमें इन गुरुजीके ये पवित्र भाव थे कि मैंने जो कुछ भी गोभ्रमटसारका विषय जाना है, वह पं० टोडरमलजीकी कृपासे जाना। विचारनेकी बात है जिस व्यक्तिका गुरु भी पं० टोडरमलजीको परम गुरु मानता हो, उस गुरुका शिष्य मलजी साहबकी विशेष विद्वान भी न कहे, यह कितना बड़ा गुरुद्रोहीपना है ! पं० मकखनलालजीने, पूज्य मलजीके लिये जो शब्द निकाले हैं, उससे शांत व्यक्ति भी एकबार खौल उठ सकता है; परन्तु मुझे खौलनेको आवश्यकता नहीं, जो जैसा करेगा अपना फल, स्वयं भोगेगा। भाई मकखनलालजी गुरुद्रोहीपनका कुफल स्वयं भोगेंगे।

पं० मकखनलालजीने अपने ट्रेक्टमें सबसे पहले गाँव नगरके भीतर जिनमन्दिर और चैत्यालयोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध किया है। अब हम इस विषयपर विचार करते हैं। पण्डितजाने जो इस बातकी सिद्धिमें प्रमाण दिये हैं उनका खण्डन तो हम पीछे करेंगे। पहिले हम वे शास्त्रीय प्रमाण देते हैं, जिनसे मुनियोंका गाँव नगरके भीतर जिन-मन्दिर और चैत्यालयोंमें रहना बनही नहीं सकता। पाठक ध्यान पूर्वक पढ़नेकी कृपा करें।

# मुनियों के वन-वासपर शास्त्रीय

## प्रमाण

—\*—

जैन शास्त्रोंमें उत्कृष्ट श्रावक एलकको भी जब वनमें ही रहनेकी आशा है, तब मुनियोंका निवासस्थान तो वन ही है। स्वामी समंतभद्राचार्यने रत्नकरंडश्रावकाचारमें एलकको वनमें रहनेकी इस प्रकार आज्ञा दी है—

यहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकंठे ब्रतानि परिग्रह्य

भैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखंडधरः । १४७

रत्न • श्राव • ०

अर्थात् घरसे निकलकर जिस वनमें मुनिराज विराजमान हों उस वनमें जावे। मुनिराजके समीप अश्लील तरह ब्रत धारण करै। भिक्षावृत्तिसे भोजन करै। उत्तम तपोंको तपै, ऐसा कोपीन मात्र परिग्रहका धारक उत्कृष्ट श्रावक होता है। यहापर एलकको वनमें निवासकी स्पष्ट आज्ञा है। जब एलकको भगवान समंतभद्राचार्य वनमें रहनेकी स्पष्ट आज्ञा देते हैं, तब मुनि तो उनके मतानुसार वनवासी हैं। भगवान कुंदकुंदने मुनियोंकी दीक्षाकी स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—

गाथा

सुराणहरे तरुहिष्टे उज्जायो तह मसाणवासे वा  
गिरिगुह गिरिसिहरे वा भीमवयो अहववसिते वा

छाया

शून्यगृहे तरुमूले उद्याने तथा श्मसान वासे वा  
गिरिगुहयांगिरिशिखरेवा भीमवनेअथवा दसतौवा४२

टोका—सुराहरे तरुहिष्टे शून्यगृहे निवासः कर्तव्यः प्रब्रव्यावते  
त्युपस्कारः । तरुहिष्टे वृक्षमूले स्थातव्यं । उज्जायो-उद्याने कृत्रिम घने  
स्थातव्यं । तह मसाणवासे वा तथा श्मसानवासे वा वितृवनस्थाने  
स्थातव्यं । गिरिगुह गिरिसिहरे वा-गिरिगुह-गिरेगुहायां स्थातव्यं  
गिरिशिखरे वा पर्वतोपरि स्थातव्यं । भीमवयो अहव वसिते वा  
भीमवने भयानकायो मटव्यां स्थातव्यं अथवा वसिते वा ग्राम-  
नगरादौ वा स्थातव्यं । नगरे पंचरात्रे स्थातव्यं । ग्रामे विशेषण न  
स्थातव्यं ।

अर्थात् दिगम्बरी दीक्षाके धारक मुनियोंको सूने मकान वृक्षों  
के कोटर उद्यान-राजो महाराजा सेठ साहूकारोंके द्वारा बनाये गये  
वन, मरघट, पर्वतोंकी गुफा, पर्वतोंके शिखर अथवा वसतिकोंओं  
में रहना चाहिये । ४२ ।

बोधप्राभृत पृ० १०६ षटप्राभृतादि संग्रह छपा ।

ग्राम नगरके बाहिर मुनियोंके रहने योग्य सूने मकानका नाम  
वसतिका है । घोर घोर मुनि, बनेंमें पर्वतोंकी गुफा आदिमेंही

रहते हैं किन्तु जो मुनि हीन संहननके धारक हैं। वे बसतिकामें ठहरते हैं। भगवान कुंदकुंदने बसतिका तकका उल्लेख कर यह स्पष्ट कर दिया है कि मुनिगण सबसे जघन्य स्थान बसतिका-मेही रह सकते हैं। भगवान कुंद कुंदने ग्राम नगरके भीतर जिन-मन्दिर वा जिन-चैत्यालयोंमें मुनियोंके रहनेका विधान नहीं किया। यदि ग्राम नगरके भीतर जिन-मन्दिर आदि स्थान भी मुनियोंके रहने योग्य होते तो आचार्य महाराज मुनियोंको उनमें ठहरनेका भी विधान कर देते। वैसा नहीं किया, इसलिये गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना शास्त्र आज्ञाके विरुद्ध है, यह मानना हो होगा।

भगवान कुंद कुंदके बनावे 'बोधप्राभृत्' पर मट्टारक श्रुत सागर सूरिकी टीका है। मट्टारक श्रुतसागरसूरि विक्रम सं० १५५० में हुए हैं। उन्होंने टोकामें 'बसति' शब्दका अर्थ ग्राम नागरादि किया है और अपनी ओरसे यह खुजासा भी कर दिया है कि नगरमें पाच दिन और गांवमें एक दिन ठहरना चाहिये। श्रुतसागर सूरिने जो बसतिकाका अर्थ किया है उससे स्पष्ट है कि गांव नगरमें आकर मुनिगण उनके बाहिर बसतिकाओंमें रहते थे। श्रुतसागर सूरिने टीकामें भी ग्राम नगरके भीतर जिन मन्दिर आदि स्थानोंमें मुनियोंके रहनेका विधान नहीं किया इसलिये यही मानना पड़ेगा कि यह विधान शिथिलाचारियोंका चलाया हुआ है।

## और भी प्रमाण

गाथा

उपसर्गपरिसहसहा शिञ्जणदेसे हि शिञ्च अत्येई  
सिलकट्टे भूमितले सव्वे आरुहइ सव्वत्थ । ५६।

छाया

उपसर्गपरीषहसहाः, निर्जनदेशे हि नित्यं तिष्ठन्ति  
शिलायां काष्ठे भूमितले सर्वाणि आरोहति सर्वत्र ५६।

टीका—उपसर्गपरिसहसहा—उपसर्गाश्च तिर्यग्मानवदेवाचतेन-  
सत्राश्चतुः प्रकाराः । परीषहाश्च पूर्वोक्ता द्वाविंशतिः । उपसर्गपरीः  
पहसहास्तान् सहते तेषु वा सहायः समर्था उपसर्गपरिषहसहाः ।  
शिञ्जणदेसेहि शिञ्च अत्येई—निर्जनदेशे-मनुष्यरहितप्रदेशे वने  
हि स्फुटं नित्यं तिष्ठति । सिलकट्टे भूमितले-शिलायां-दृषदि-  
काष्ठे—दारुफलके, भूमितले-भूमौ, तृणायां वा सव्वे आरुहइ सव्व-  
त्थ एतानि सर्वाणि आरोहति उपविशति शैते च सर्वत्र वने ग्राम-  
नगरादौ वा । ५६।

भावार्थ—तिरियञ्च मनुष्य देव और अचेतनकृत्त चार प्रकारके  
उपसर्ग तथा वार्स परीषहोंके सहनेवाले मुनिगण निर्जन देवमनु-  
ष्योंके आवागमन रहित जङ्गलोंमें सदा रहते हैं । शिला, काष्ठ—  
वेतोड़ वृक्षा, और भूमि इन सबोंपर उठते बंठने सोते हैं । ५६।

यद्ग्राभृतादिसंग्रह वो० प्रा०

यहांपर भगवान् कुन्दकुन्दने मुनियोंके निर्जन प्रदेश वनका

स्पष्ट उल्लेख किया है । गाँव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें मुनियोंके रहनेकी यदि भगवान महावीरकी आज्ञा होती तो भगवान कुन्द-कुन्द उसका अवश्य उल्लेख करने; परन्तु वैसा नहीं किया गया । यहाँपर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि भगवान कुन्द-कुन्दने तृणों घासपर मुनियोंके लिये सोने उठनेकी धिलकुल ही विधान नहीं किया । श्रुतसागर सुरिने अपने समयकी प्रगतिके अनुसार वैसा लिख दिया है । क्योंकि श्रुतसागर सुरिके जमानेमें मुनिगण घासपर सोते होंगे । परन्तु घासपर सोना मुनियोंके डिये शास्त्राज्ञाके विरुद्ध है । इस विषयमें आचार्य पथन'दोने पब० पंचविंशतिकांमें इस प्रकार लिखा है:—

दुर्ध्यानार्थमवद्यकारणमहो निग्रथताहानये  
शय्याहेतुतृणाद्यपि प्रशमिनां लज्जाकरं स्वीकृतं ।  
यत्तत्किं न गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं साम्प्रतं  
निग्रथेष्वपि चैतदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलिः

५६ पृ० २९ मुद्रित

आचार्य कहते हैं--निग्रन्थ मुनि सोनेके समय यदि घास आदिको भी स्वीकार करलें तो वह भी उनके खोटे ध्यानके लिये होता है, निन्दाका करनेवाला निग्रन्थतामें हानि पहुँचानेवाला होता है । और लज्जाका करनेवाला भी होता है । तबवे निग्रथ गृहस्थके योग्य सुवर्ण आदिको कैसे रख सकते हैं । यदि इस

कालमें निग्रंथ सुवर्ण आदिको रक्खें तो समझना चाहिये यह कलिकालका ही माहात्म्य है । ५३ ।

विचारनेकी बात है जब आचार्य पद्मनदी तृणपर सोना महादूषित लज्जाका कारण बतलाते हैं तब भगवान् कुन्दकुन्दका वह भन कैसे हो सकता है । अपने समयमें प्रचलित शिथिलाचारकी प्रथाके आधारसे वह श्रुतसागर सूरिका कथन है । समय जो भी करादे सो थोड़ा है । मुनि बनवासी ही हैं, इस विषयमें

### और भी प्रमाण

वाहिरसंगच्चाओ गिरिसरिदरिकंदराइ आवासो  
सयलो गानजभयणो गिरत्थओ भावरहियाणं  
वाह्यसंगत्यागः गिरिसरिदरीकंदराद्यावासः ७  
सकलं ज्ञानाध्ययनं निरर्थकं भावरहितानां ।

आदि शब्दात् श्मसानोधानादौ आवासः—स्थितिः ।

भाव प्राश्रुत २३७

भावार्थ—जो मुन भाव रहित द्रव्यलिंगी हैं उनके लिये वाह्य परिग्रहका त्याग, पर्वत, नदी, पर्वतोंकी गुफा, मरुषट, उद्यान, आदिमें रहना, ध्यान अध्ययन सभी याते निरर्थक हैं । यहांपर आचार्य महाराजने स्पष्ट ही कर दिया है कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों ही प्रकारके मुनियोंका रहनेका स्थान बन ही है । यदि ग्राम नगरोंके भीतर जिनमन्दिर आदि मुनियोंके रहनेके स्थान होते तो आचार्य महाराज उसे कभी नहीं मूल सकते थे ।

## और भी प्रमाण

मूलाचार के कर्ता आचार्य बृह्केर अपने समयके उद्भट आचार्य थे, मूलाचारमें मुनियोंके चरित्रका खासरूपसे वर्णन किया गया है। आचार्य बृह्केरने मुनियोंके रहने योग्य स्थान इस प्रकार बतलाया है—

भिक्षुं चर वस रणो थोवं जेमेहि मा वहू जम्प  
दुखं सह जिण णिहा मेत्तिं भावेहिं सुद्धू वेरग्गं  
भिक्षां चर वस अरण्ये स्तोकं जेम मा बहु जल्प  
दुःखं सह जय निद्रां मैत्री भावय सुष्ठु वैराग्यं ।

पृ० ३२२ मुद्रित ।

भावार्थ—हैं मुनियो ! आप भिक्षा वृत्तिसे भोजन करो, धनमें रहो, थोड़ा भोजन करो, बहुत न ढोलो, दुख सहो, निद्रा जीतो, और मैत्री भावना भाओ, यही उत्तम वैराग्य है। यहांपर मुनिबो को धनवासका ही विधान किया है।

## और भी प्रमाण

गाथा

किं काहदि वणवासो सुणणागारो य रुखमूलो वा  
भुजांदि आधाकम्मं सब्बे वि णिरत्थया जोगा ।



काया

किं करिष्यति वनवासःशून्यागारश्च वृक्षमूलो वा  
भुङ्क्ते अथःकर्म सर्वेऽपि निरर्थका योगाः॥

पृ० ३३१ सू० आ०

भावार्थ—यदि साधु अथः (१) कर्मका सेवन करता है तो  
इसका वनवास शून्यागार और वृक्षका मूल क्या करेगा ? उसके  
सब ही योग निरर्थक हैं । इस गांधासे भी आचार्य महाराजने  
गुप्तियोंके लिये वन, शून्य मकान और वृक्षोंके मूल ही रहनेके  
स्थान बताये हैं । गांव नगरके भीतर जिन मन्दिर आदि नहीं ।

और भी पुष्ट प्रमाण

काया

गिरिकंदरं मसाणं सुगणागारं च रुक्ममूलं वा  
ठाणं विरागवहुलं धीरो भिक्षू णिसेवेई ।

पृ० ३४० सू० आ०

काया

गिरि कंदरां श्मसानं शून्यागारं च वृक्षमूलं वा  
स्थानं वैराग्य बहुलं धीरो भिक्षुः निषेवतां ।

भावार्थ—धीर वीर मुनियोंको पर्वतकी गुफा, मरघट, शून्य  
घर, वृक्षके मूल भाग, इन स्थानोंपर बैठकर ध्यान करना चाहिये ।  
क्योंकि ये स्थान वैराग्यके बढ़ानेवाले हैं । पाठक विचार करें

नोट (१) अथः कर्मका स्वरूप मन्त्री आचार्यमें विस्तारसे बताई ।

मूलाधार जिसमें कि मुनियोंके हैं। आचार विचारका वर्णन है उसके कर्ता स्वामी घट्टकेरने गाँव नगरके भातर जिनमन्दिर आदिमें मुनियोंके रहनेका कहीं भी उल्लेख नहीं किया।

पद्मनदि पञ्चविंशतिकाके कर्ता आचार्य पद्मनदीके समयमें मुनिगण बनवासी ही थे। गाँव नगरोंके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहनेका उस समय कोई जिक्र ही न था। यह बात आगे अच्छी तरह लिखी जायगी। पद्मनदिपञ्चविंशतिकाके जिस अध्यायमें श्रावकोंकी महिमाका वर्णन किया गया है। उस अध्यायके 'संप्रत्यत्र कलौ काले' इत्यादि श्लोकोंको अशुद्ध गढ़कर चर्चासागरके कर्ता पांडे चम्पालालने बिना प्रकरणके यह लिख मारा है कि जिनमन्दिरोंमें मुनिगण रहते हैं, ऐसा पद्मनदी आचार्य का मत है। पांडे जो विशेष विद्वान न थे उनसे यदि गलती हांगई तो कोई बात नहीं। परन्तु आजकल विद्वान नामधारी व्यक्ति भी पक्षपान और हठके वशीभूत हुए जैनसिद्धांतके विपरीत गलतीकी पुष्टि कर रहे हैं, यह आश्चर्य है। यदि ये विद्वान नामधारी पण्डित महाशय पद्म० पञ्चविंशतिकाके मुनि प्रकरणको भी देख लेते तो उन्हें पांडेजीकी असावधानीका पना लग जाता और स्वयं भी मिथ्या पक्षपातके लिये कमर न कसते। अस्तु जिस पद्मनदिपञ्चविंशतिकाके बनावटी श्लोकके आधारसे मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना पुष्ट किया जाता है, उसे ही निषेध करनेवाले पद्म० पञ्चविंशतिकाके कुछ श्लोकोंको हम यहाँ उद्धृत करते हैं। वे श्लोक इस प्रकार हैं—

प्रोद्यत्तिग्मकरोग्रतेजसि लसच्चंडानिलोद्यद्दिशि

स्फारीभू तसुतप्तभूमिरजसि प्रक्षोण निद्यम्भसि  
 ग्रीष्मे ये गुरुमेधनीध्रशिरसि ज्योतिर्निधायोरसि  
 ध्वांतध्वंसकरं वसंति मुनयस्ते सन्तु नः श्रेयसे ६४

जिस ग्रीष्म ऋतुमें अत्यंत कड़ी धूप पड़ती है, चारो दिशाओंमें मयङ्कर लू चलती है, रेता अत्यन्त गरम हो जाता है, कुए नदियोंका पानी सूख जाता है, ऐसी मयङ्कर ऋतुमें जो मुनि गंज्ञानांधनोर को नाश करनेवाले सम्भ्रगुज्ञान रूपी तेजको अन्तरङ्गमें रखकर अत्यन्त ऊंचे पहाड़की चोटी पर निवास करते हैं वे मुनि मेरे कल्याणकर्त्ता हों ।

ते वः पांतु मुमुक्षवः कृतरवैरव्ठैरतिश्यामलैः

शश्वद्भारि वमद्भिरब्धिविषयक्षारत्वदोषादिव

काले मज्जदिले पतद्भिरिकुले धावद्भुनीसंकुले

भ्रंभावातविसंस्थुले तरुतले तिष्ठंति ये साधवः ५

जिस वर्षकालमें काले काले मेघ भयंकर शब्द करते हैं, समुद्रके खारोपनके कारण मानो जो जहां तहां जल वर्षति फिरते हैं । जिस कालमें जमीन नीचेको घसक जानी है, पर्वतोंसे बड़े-बड़े पत्थर गिरते हैं, जलकी भरी नदियां सब जगह दौड़ती फिरनी हैं और जो जल सहित सीखी पवनसे मयंकर हैं । ऐसे भयंकर वर्षाकालमें मुनिगण पृथक् नीचे बैठकर तप तपते हैं वे तुम्हारी रक्षा करो । ६५

## और भी प्रमाण

म्लायत्कोकनदे गलत्पिकमदे भ्रंश्यद्रु मौघच्छदे  
हर्षद्रोमदरिद्रके हिमच्छतावत्यन्तदुःखप्रदे ।

ये तिष्ठन्ति चतुष्पथे पृथु तपः सौधस्थिताः साधवो  
ध्यानोष्णा प्रहितोग्रशीतविधुरास्ते मे विदध्युः श्रियं

॥ ६६ ॥

जिस शीतकालमें कमल कुम्हला जाते हैं, घ द्रोंका मद गल जाता है, घृक्षोंके पत्ते जल जाते हैं, वस्त्र रहित प्ररिद्रोंके शरीरपर रोमांच खड़े हो जाते हैं और भी जो नाना प्रकारके दुःखोंका देने वाला है ऐसे भयंकर शीतकालमें ध्यान रूपी अग्निसे शीत दूर करने वाले जो मुनिगण चोपट मैदानमें बैठकर तप तपते हैं वे मुझे मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करे । ॥ ६६ ॥

कालत्रये बहिरवास्थितजातवर्षा-

शीतातपप्रमुखसंघटितोग्रदुःखे ।

आत्म प्रबोधविकले सकलोऽपि काय-

चलेशो वृथा वृत्तिरिवोज्जिभतशालिवप्रे । ६७ ।

जो मुनि आत्म ज्ञानसे रहित हैं, उनका बाहिर बनोंमें रहकर वर्षा शीत गर्मी तीनों कालमें उत्पन्न हुष दुःखोंके सहन रूप संपूर्ण वायंक्लेश वैसा ही निरर्थक है जैसा कि धान्यके कट जाने पर खेतकी बाढ़ लगाना निरर्थक है । ६७ ।

पद्मनंदिपंचविंशतिकके इन श्लोकोंसे यह बात स्पष्ट है कि मुनियोंका निवास स्थान बन ही हैं। गांव नगरके भीतर जिन मंदिर नहीं। जिस अध्यायके ये श्लोक हैं आचार्य पद्मनंदिने उस अध्यायमें मुनिओंके ही स्वरूपका वर्णन किया है। यदि आचार्य महाराजको मुनियोंका गांव नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें रहना अभीष्ट होता तो वे इस मुनि प्रकरणके अध्यायमें वैसा जरूर लिखते। मुनि प्रकरणमें ऐसी आवश्यक बातको वे कभी नहीं भूल सकते थे। इस मुनिप्रकरणमें गांव नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें मुनियोंके रहनेका विधान भी उनका प्रमाण कोटिमें लिया जाता परन्तु आचार्य पद्मनंदिनीके लेखनीसे ऐसी धर्म विरुद्ध बात कभी नहीं लिखी जा सकती थी। श्रावक प्रकरणमें जहांपर श्रावकोंके जिनमंदिर बनवानेकी महिमाका आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं वहां उनके वचनोंपर कुठाराघातकर जो अर्थका अनर्थ किया गया है वह महान पापबंधका कारण है। श्रावकोंकी महिमाके वर्णनमें आचार्य महाराज मुनियोंका रहना जिनमंदिरोंमें बतलावे और जहां मुनियोंका स्वरूप वर्णन किया है वहां वह बात छोड़ दें, वहां उनका रहना बनमें कहें, यह गलती आचार्य पद्मनंदिनीसरीखे महानुभावोंसे नहीं हो सकती। मामूली मनुष्य भी यह विचार सकता है। अस्तु जो महानुभाव पद्मनंदिपंचविंशतिकाका अक्षुण्ण देकर मुनियोंका गांव नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें रहना सिद्ध कर रहे हैं वे अब संतोष कर लें। उनका लिखना विठकुल सिद्धान्त विरुद्ध है।

## श्रीर भी प्रमाण

आदि पुराणके कर्त्ता भगवज्जिनसेनाचार्य अपने समयके कितने प्रभावी आचार्य थे, जैनियोंका बच्चा २ इस बातको जानता है। आदिपुराणका जैन समाजमें काफ़ी प्रचार है। आदि पुराणमें लिखा है कि महापूत चौत्यालय निर्जन स्थानमें था, मुनि गण वहा ठहर जाते थे। पं० मकखनलाल जीने इस बातको लक्ष्य कर यह लिख मारा है कि 'मुनिगण जब महापूत चौत्यालयमें रहते थे तब गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना विरुद्ध नहीं, वहाँ पर पं० मकखनलालजी कितने भूले हैं। कषायवश अर्थका अनर्थ कर उन्होंने लोगोंको कितने बड़े भ्रममें डाला है। यह तो जब हम उनके शब्दोंपर विचार कर गे तब लिखेंगे, परन्तु भगवजित सेनाचार्यने मुनियोंके रहनेका स्थान क्या कहा है, उसे बतलानेके लिये हम यहां उनके बचन उद्धृत करते हैं। श्री आदिपुराणजीमें मुनियोंके ध्यान करने और रहने योग्य स्थानका इस प्रकार वर्णन है—

ध्यानद्वयं विसृज्याद्यमसत्संसारकारणं ।  
 यदुत्तरं द्वयं ध्यानं मुनिनाभ्यसिषिष्यते ॥५५॥  
 तदिदं परिकर्मेष्टं देशावस्थाद्युपाश्रयं  
 वहिः सामग्रयधीनं हि फलमत्र द्वायात्मकं ॥५६॥  
 शून्यालये श्मशाने वा जरदुद्यानकेऽपि वा ।  
 सरित्पुलिनगिर्यामगह्वरे द्रुमकोटरे ॥५७॥

## शुचावन्यतमे देशे चित्तहारिण्यपातपे नात्युष्णातिशिशिरे नापि प्रबद्धतरमारुतेऽद

आदिपुराण अध्याय २१ पृ० ४५१ छपा

अर्थ—आदिके दोय ध्यान असमीचीन अर संसारके कारण  
हैं तिनहिं छांड़ि कर मुनिगण उत्तरके दोय ध्यान धर्म्यध्यान अर  
शुक्लध्यान तिनिका अभ्यास करै हैं ।५५। सो उत्तम ध्यानकी  
सामग्री सुनहु—पवित्र स्थानक अचल आसन इत्यादि वाह्य साम-  
ग्रीका संयोग ध्यानीनिकौ योग्य ही है अर इन ध्याननिका फल  
निश्चयतै निज स्वरूपकी प्राप्ति अर व्यवहार नयकरि अशुभकी  
निवृत्ति उत्तम वा मुख्य फल-निर्माण गौणफल स्वर्गादिक ।५६।  
प्रथमही ध्यान योग्य स्थानक कहै हैं—शून्य गृह, मसाण, जीण  
उद्यान, नदीके पुलिन, गिरिके शिखरकी गुफा, वृत्तनिके कोटर ।५७।  
अथवा और अनेक पवित्र स्थानक है चित्तके बस करण हारे जहां  
अति आताप नाहीं अतिशीत नाहीं प्रबण्ड पवन नाहीं ।५८।

### और भी प्रमाण

स्त्रीपशुक्लीवसंसक्तरहितं विजनं मुनेः ।

सर्वद्वैवोचितं स्थानं ध्यानकाले विशेषतः ।७७।

बसतोऽस्य जनाक्रोशे विषयानभिपश्यतः ।

ब्राह्मल्यादिद्रियार्थानां जातु व्यग्रीभवेन्मनः ।७८।

ततो विविक्तशायित्वं बनेवासश्च योगिनां ।  
इति साधारणो मार्गो जिनस्थविरकल्पयोः । ७६।

आदि पुराण अध्याय २१ पृ० ७५४ ७५५

अर्थात्—स्त्री अर प्राम पशु, नपु सक निनिके संसर्गते रहित निर्जन बन सोही महामुनिनिक्रुं उचित है अर ध्यानके समय तो एकान्त स्थानक ही विशेष योग्य है । ७७। जो साधु कदाचित (नगर) बसतीमें रहें तो लोकनिके विषय देखे सो देखिवे तै इन्द्रियनिकी व्याकुलता होय ताकरि मन व्याकुल होय । ७८। तातै योगींनिक्रुं बनविषै एकान्त स्थानकावषै निवास करना योग्य है यह स्थविरकल्पी जिन कल्पी दोऊ मुनिनिका सामान्य मार्ग हैं ।

भगवज्जिनसेनाचार्यके वचनसे यह स्पष्ट हो चुका कि मुनियोंके रहनेका स्थान बन ही है । गांव नगरके भीतर जिनमंदिर आदिमें रहना शास्त्र विरुद्ध है । महापूत चैत्यालयमें आदि पुराणके अन्दर मुनियोंका ठहरना लिखा उसका भाव न समझ भाई मधखनलालजी ने उसका यह अनर्थ कर दिया है कि मुनिगण गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रह सकते हैं । यदि भगवज्जिनसेनाचार्यको गांव नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें मुनियोंका रहना अभीष्ट था, तो जहां उन्होंने मुनियोंके रहनेके स्थानका वर्णन किया वहां यह क्यों नहीं कहा कि गांव नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें भी मुनिगण रहते हैं । इस बातके कहनेमें उन्हें क्या भय था । इसलिये कहना पड़ेगा कि गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना आचार्य जिन सेन स्वामी



अम विरुद्ध समझते थे । इसलिये उन्होंने वैसा कथन नहीं किया ।  
माई मक्खनलालजीने उनके वचनोंको न समझनेके कारण वह  
सिध्या लिखा है ।

## और भी प्रमाण

आचार्य गुणभद्र अपने समयके उद्भट आचार्य थे । भगवान्जिन  
सेनाचार्यके प्रधान शिष्य थे । भगवन्जितसेनाचार्यके अधूरे महा-  
पुराणको इन्हीं आचार्य महाराजने पूरा किया था । आत्मानुशा-  
सनमें मुनियोंके लिये उन्होंने यह लिखा है—

इतस्ततश्च त्रस्यं तो विभावर्यां यथा मृगाः।

बनाद्बभन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः । १६७।

( मुद्रित )

अर्थात् बड़े खेदकी बात है कि इस कलिकालमें मुनिगण जहां  
तहांसे भयभीत होकर वनसे आकर नगरके समीप रहते हैं । १९५।  
विचारनेकी धान है जब स्वामी गुणभद्राचार्यने ग्रामके समीप वसना  
भी बुरा कहा है तब गांध नगरके भीतर जिनमंदिरोमें रहना भी  
उनके मतानुसार सर्वथा आगम विरुद्ध है ।

## और भी प्रमाण

आधारसारके कर्ता आचार्य गीर नदी हैं । ये अपने समयके  
चहुत बड़े विद्वान् सिद्धान्त चक्रवर्ती पदसे भूषित मूलसंध, पुस्तक-  
गच्छ, देशीय गणके आचार्य थे । इनके गुरुका नाम मेघवन्ध था ।

और ये विक्रमकी १२ वीं शताब्दीमें हुए थे। मुनियोंके रहने योग्य स्थानका आचार्य वीसंदीने इस प्रकार वर्णन किया है—

इत्यस्तेयव्रते पञ्च भावनाः कन्दरादिषु

स्वभावाशून्येष्ववासां मुक्तामोचितसङ्घसु । ४५।

पर्वतकी गुफा पर्वतके शिखर आदि प्रदेशोंमें रहना तथा स्वभावसे ही शून्य-मुक्त और आमोचित मकानोंमें रहना इत्यादि पाँच भावना अचौर्यव्रत की हैं। ४५। जो म इन स्वयं छोड़ा हुआ हो वह तो मुक्त है और दूसरे राजाकी चढ़ाई होनेपर जो जबरन छुडवा दिया गया हो वह आमोचित है। आचार्य वीरनंदीने इस श्लोकसे गाव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मुनियोंका रहना नहीं कहा।

और भी प्रमाण

शून्यागारदरोगुहादिशुचिनि स्थाने विविक्ते । स्थित-  
स्तीक्ष्णैर्मत्कुणकीटदंशमशकाद्यैश्चंडतुंडैः कृतां  
स्वांगार्तिं परदेहजातिं मिव तां यो मन्यमानो मुनि-  
र्निःसङ्गः स सुखी च दंशमशकक्लेशं क्षमी तं नुमः॥

अर्थ—जो मुनि सुने मकान, पर्वतकी गुफा आदि पवित्र एकान्त स्थानमें रहता है, तोखे डंकवाले विषैले कीड़े डांस मच्छर आदि से उत्पन्न पीड़ाको पर देहकी पीड़ाके समान मानता है, परिग्रह रहित है और डांस मच्छरोंकी पीड़ाको सुखके साथ सह लेता है

इस मुनिरोजको हमारा नमस्कार है । ८ । यहाँपर आचार्य वीर-  
नदीने वन पर्वत आदि ही मुनियोंके रहने योग्य स्थान बताये हैं ।  
इस अध्यायमें और भी बहुत श्लोक हैं, जिनसे मुनियोंके लिये  
वनवासका ही विधान किया है । प्रकरण बढ़ जानेके भयसे यहाँ  
उन श्लोकोंको नहीं प्रकाशित किया गया । यदि आचार्य वीरनदीको  
गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना अभीष्ट होता तो वे कहीं  
तो उल्लेख करते ?

### और भी प्रमाण

पं० आशाधरजी अपने समयके बहुत बड़े विद्वान थे । उन्होंने  
आवक और मुनि दोनोंके आचारोंका विस्तारसे वर्णन किया है ।  
अनगारधर्मासूत्रमें मुनियोंके रहने योग्य क्षेत्रका वे इस प्रकार  
वर्णन करते हैं—

शून्यं पदं विमोचितं मुतावसेद्भ्रूद्यशुद्धिमनुयस्येत्  
न विसंवदेत्सधर्मभिरुपरुंध्यान्न परमप्यचौर्यपरः ।

संस्कृत टीका—आवसेदधिवसेदचौर्यपररतृतीयन्ननिष्ठः साधुः  
क्रितत् । पदं स्थान । किं विशिष्टं, शून्यं निर्जनं गुहागोहादि, उत  
अथवा विमोचितं परचक्रादिनोद्वासित पदमावसेत् । ५६ ।

अर्थात्—अचौर्य महाव्रतके पालन करनेवाले साधुको पर्वतकी  
गुफा वा मकान आदि पून्य निर्जन स्थानोंमें तथा दूसरे राजकी  
बहाईसे जो ग्राम वा नगर उजड़ गये हों उनके मकानोंमें रहना  
चाहिये । ५६ ।

ध्यानके लिये एकांत स्थान कैसा होना चाहिये इसके लिये अनगारधर्माभूतमें इस प्रकार लिखा है...

यत्र न चेतोविकृतिः शब्दाद्येषु प्रजायतेऽर्थेषु ।  
स्वाध्यायध्यानहूर्तिर्न यत्र बसतिर्विविक्ता सा ।

अ० घ० पृष्ठ ४६ • छपा

अर्थ.. शब्द रूप आदि इन्द्रियोंके विषयोंमें जहां किसी प्रकारका विकार न हो और स्वाध्याय ध्यानमें अडचन न पहुंचती हो वह एकांत स्थान कहा जाता है । एकांत स्थानके इस लक्षण से गाँव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मुनिगण नहीं रह सकते क्योंकि जिन मन्दिरोंमें तानों समय पूजा आरती आदिके कारण कोलाहल होनेसे मुनियोंके ध्यान अध्ययनमें बाधा पहुँचेगी, इस लिये जो महानुभाव गाँव-नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें मुनियोंका रहना मानते हैं वे भूल करते हैं ।

भगवान् अकलङ्कदेव विक्रमकी सातवीं आठवीं शताब्दीमें होगये हैं । भगवान् अकलङ्क देव अपने समयके कितने बड़े प्रभाव-शाली आचार्य थे । कैसे कठिन समयमें इन्होंने बौद्ध धर्मसे जैन धर्मकी रक्षा की थी, जैनियोंका बचवा २ इस बातको जानता है । राज वार्तिक ग्रन्थमें मुनियोंके रहने योग्य स्थानोंका भगवान् अकलङ्क देवने इस प्रकार बयान किया है —

संयतेन . . अकृत्रिमगिरिगुहातरुकोटरादयः

कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तामोचितावासा ।

## अनात्मोद्देशनिर्बर्तिता निरारम्भाः सेव्याः

अर्थात् संयमी मुनियोंको पर्वतकी गुफायें, वृक्षोंके कोटर आदि जो अकृत्रिम स्थान हैं उनमें रहना चाहिये तथा जिन स्थानों की रचना मुनियोंके उद्देशसे न हो ऐसे स्वयं छोड़े वा दूसरे राजा आदि द्वारा उजाड़े गये शून्य घर आदि कृत्रिम स्थानोंमें रहना चाहिये। कोलाहल पूर्ण स्थानोंमें नहीं रहना चाहिये। यदि गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहनेका विधान होता तो भगवान् अकलंक देव इस बातका अवश्य उल्लेख करते परन्तु वैसा उन्होंने नहीं किया, इसलिये मानना होगा कि गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना शास्त्रोक्त नहीं। ये ही पत्तियां ष्यों की ट्यों श्लोक वार्तिकमें हैं। इसलिये श्लोक वार्तिकके कर्ता भगवान् विद्यानन्दके मतानुसार भी मुनियोंका गांव-नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं होता।

### और भी प्रमाण

आचार्य—सकलकीर्ति अपने समयके अच्छे विद्वान् और अनेक ग्रंथोंके रचयिता हुए हैं। भट्टारक होनेपर भी मूलसंघकी आम्नायके ये कट्टर अनुयायी थे, प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमें मुनियोंके रहने योग्य स्थानोंका उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है —

गिरिशून्यगृहावासान् ध्यानविध्वस्तकिल्बिषान्।

वाह्याभ्यन्तरभेदेन त्यक्तसर्वापरिग्रहान्।३२।

प्रावृट्काले स्थितान् वृच्च मूले हेमंतिकेऽचलान्  
चतुर्मार्गे च ग्रीष्मे तान् नगशृङ्गे मुनीश्वरान् ३६  
अनेकवृद्धिसम्पूर्णान् समर्थान् भव्यतारणम् ।  
निर्भयान् सद्गुरुस्त्वित्यं भजतु त्वं स्वर्गमुक्तये । ४०।

अर्थ—पहाड़ अर शूना घर विषे है स्थान जिनका अर ध्यान करि नष्ट किया है पाप जिनने अर वाण अभ्यंतर भेदकरि त्यागे हैं चौबीस प्रकारका परिग्रह जिनने । ३२। अर वर्षाकालमें वृक्ष नीचा तिष्ठे हैं अर शोन कालविषे चौहटा विषे अचल तिष्ठे हैं अर ग्रीष्म-काल विषे पर्वतनिके शिखर विषे तिष्ठे है । ३९। ऐसे अनेक वृद्धिन करि सम्पूर्ण-अर अर भव्यनके तारणो विषे समर्थ अर निरभय ऐसे दसदश सद्गुरु स्वर्ग अर मुक्तिके अर्थ नित्य ही सेवने योग्य हैं । ( १ ) । ४०।

पृ० २९ लिखित

### और भी प्रमाण

वज्रकाया महाधैर्या महासत्वाः शुभाशयाः ।  
परीषहसहा धीरा आदिसंहननान्विताः । ७५।  
ध्यानाध्ययनकर्मादि सर्वं गिरिगुहोदिषु ।  
भवन्ति मुनयः कर्तुं समर्थास्त्यक्तदेहिनाः । ७६।

प्राप्य वसतिकां सारां ध्यानं वाऽध्ययनं तपः  
मुनिः संहनने हीने कर्तुं शक्नोति नान्यथा । ७७ ।

अर्थ—त्याग्या है देह कहिये शरीरका ममत्व जिनने अर वज्र  
रूपम संहननके धारी वज्रकाय ऐसे मुनि हैं ते महा धैर्यवान महा  
पराक्रमी शुभ है चित्त जिनका अर बाईस परोषहोंके सहनहारे अर  
धीर ऐसे आदि संहननके धारी अर ध्यान अध्ययन कर्मादिक  
सर्व गिरि गुफानिविष मुनि हैं ते करनेकूँ समर्थ होय हैं अन्य हीन  
संहननके धारीनिकी सामर्थ्य नाहीं । ७५-७६। मुनि हैं सो हीन  
स हनन विषे सोरभूत वसतिका ताहि प्राप्त होय ध्यान अध्ययन वो  
तप करनेको समर्थ होय हैं अर वसतिका बिना समर्थ नाहीं  
होय । ७४ ।

आचार्य सकल कीर्तिने यहां मजबूत संहनन और कमजोर  
संहननके धारक दोनों प्रकारके मुनियोंके लिये रहने योग्य स्थानका  
उल्लेख किया है । हीन संहननके धारक मुनियोंके लिये वसतिका  
का विधान बनलाया है । यदि संहननकी कमजोरीके कारण  
मुनिगण पर्वत बन आदिमें नहीं रह सकते, तो वे वसतिकाओंमें  
ठहर सकते हैं । गाँव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहनेको आचार्य  
सकलकीर्तिने भी आह्वा नहीं दी । यदि गाँव नगरके भीतर जिन  
मन्दिरोंमें रहना शास्त्रोक्त होता तो आचार्य सकलकीर्ति ज़रूर  
उसका उल्लेख करते । जो महानुभाव यह कहकर कि—भाज  
फलके मुनिगण हीन शक्तिके धारक हैं बन पर्वतों पर वे रह नहीं

सकते अतः उनके लिये गाँव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना दूषित नहीं मानते, उन्हें आचार्य सकलकोटि'के बचनोपर ध्यान देना चाहिये । आचार्य सकलकीर्ति'को हीनशक्तिके धोरक मुनियोंका ख्याल था इसीलिये उन्होंने हीन शक्तिवाले मुनियोंके लिये वसतिकाका विधान किया है, यद्यपि मुनि मार्गकी शृंखला टूट जानेसे आजकल गाँव नगरके बाहिर वसतिवा जहाँ दीख पड़ती तथापि बहुतसे मकान छत्रियां आदि दीख पड़ती हैं उनमें मुनिगण रह सकते हैं, यह बात ऊपर अच्छी तरह स्पष्ट की जा चुकी है ।

हम लोग प्रतिदिन सस्कृत पूजा पढ़ते हैं, सस्कृत पूजाक जयमालमें मुनियोंके रहने योग्य स्थान इस प्रकार बतलाया है—

### जे गिरिगुहकन्दरविवर थंति ।

अर्थात् मुनिगण पर्वनोंको गुफा और कन्दराओंमें निवास करते हैं । इस जयमालमें भी मुनियोंका गाँव नगरके भीतर चौत्यालयोंमें रहना नहीं कहा ।

पाठक महाशय हम न्यायके सामने प्रातः स्मरणार्थ भगवान् कुंद कुंद समन्तभद्र वट्टकेर, जिनसेन पद्मनन्दी, गुणभद्र, आदि जैन धर्मके धुरन्धर आचार्योंके काफ़ी प्रमाण रख चुके हैं । और भी अगणित प्रमाण हमारे पास हैं । उन्हें देनेसे एक दूसरा महापुराण बन सकता है क्योंकि 'मुनिगण बनमें ही रहते हैं' यह अनादि अनन्त सिद्धान्त है । समस्त आगम-सोहित्य इस सिद्धान्त से भरा पड़ा है । गाँव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंके



रहनेका विधान तो किसी भी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं पाया जाता । जैन धर्ममें जबसे शिथिलाचार चला, खास कर भट्टारकोंके जमाने में जो ग्रन्थ बने उन्हींमें कहीं २ उल्लेख मिश्रता है । तुलना करने पर पूर्वाचार्योंके वचनही मान्य समझे जायेंगे । अस्तु ।

दिगंबर जैन समाजमें पं० बनारसीदासजी, भूषरदासजी, दोहरमलजी आदि भाषाके भी बड़े बड़े विद्वान हो गये हैं । इस समय जो भी दि० जैनधर्मकी पवित्रता सुरक्षित है उन्ही भाषाकार विद्वानोंकी कृपाका फल है । भाषाकार विद्वानोंने भी मुनियोंके रहने योग्य कौनसा स्थान बतलाया है, उसे भी हम यहाँ पाठकोंके सामने रखते हैं । पं० बनारसीदासजीने इस प्रकार लिखा है...

**प्रासुक शिला उचित भू खेत अचल अङ्गसाम भावसमेत  
बच्छिम रैन अल्प विद्राल से योगीश्वर बंचै काळ**

बड़ो स्तुति ।

पं० बनारसीदासजीने प्रासुक शिला आदिका उल्लेख कर मुनियोंका रहना जंगलमें ही बतलाया है । गाँव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें नहीं ।

### और भी प्रमाण

स्वर्गीय पं० भूषरदासजीकी गुरुस्तुति जैनियोंके बचने बचनेको फंठ है इसमें मुनियोंका निवास स्थान जंगलही बतलाया है...

यह तन अपावन अशुचि है संसार सकल असार  
ये भोग विष पकवानसे इस भाँति सोच विचार

तत्र विरचिश्चीमुनि बनबसौ सबत्यागिपरिग्रह भीर  
ते साधु । २।

जे कांच कञ्चन सम गिनै अरि मित्र एक स्वरूप  
निन्दा वढाई सारिखी बनखंड शहर अनूप । ३।  
जे वाहूय पर्वत वन वसैं गिरि गुहा महल मनोग  
शिल सेज, समता सहचरी, शारोकिरन दोपकजोग  
मृग मित्र भोजन तपमयीं विज्ञान निर्मल नीर  
ते साधु । ४६।

और भी आगेके पद्योंमें बनहीका विधान है । गाँव नगरके  
भीतर अस्थालयोंमें मुनियोंका रहना कहीं भी नहीं बताया गया ।

### और भी प्रमाण

आचार्यतुल्य प० टोडरमलजो साहबका जैन समाजपर महान  
उपकार है । यदि पूज्य मलजो साहब न जन्म लेते तो आज  
श्रीगोम्मटसार सरोखे महान ग्रंथका भाव कोई जल्दो समझ ही  
नहीं सकता था । मलजो साहबका मत मुनियोंके रहनेके विषयमें  
इस प्रकार है:—

“कलिकाल विषे तपस्वी मृगवत् इधर उधरतै भयघान होखे  
बनते नगरके समीप आय बसें हैं यह महा खेदकारी कार्य भया ।  
यहाँ नगर समीप ही रहना निषेध्या है, तो नगर विषे रहना तो  
निषिद्ध भयो ही ।

मलजी साहबके इन बचनोंसे उन लोगोंको शिक्षा लेनी चाहिये जो कि मुनियोंका गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें रहना पुष्ट करते हैं। पं० टोडर मलजी अपने समयके प्रभावशाली विद्वान थे। वे भी गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मुनियोंका रहना उचित वता सकते थे, पर-तु उन्होंने इस बातको शास्त्रोक्त न समझा, इसलिये गांव नगरके भीतर मुनियोंका जिनमंदिरोंमें रहना शास्त्राज्ञाके प्रतिकूल है। पूज्यमलजी साहबने और भी यह लिखा है।

“बहुदि जिन मंदिर तो धर्मका ठिकाना है तहां नाना कुकथा करनी सोचना इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्ते। मोक्ष मार्गप्रकाश पु० २७० मुनिगण यदि गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें रहेगे तो वही सोवेंगे उन्हें भी अवश्य प्रमाद-दोष लगेगा।

### और भी प्रमाण

पं० सदासुखजीने अनेक ग्रंथोंकी भाषा-टीका की है अथ प्रकाशिकामें वे शून्यागार विमोचितावास इत्यादि सूत्रकी टीकामें मुनियोंके रहने योग्य स्थान इस प्रकार बतलाते हैं शून्य गृह जो पर्वत गुफा वनवृक्षकोटरादिकनिमें बसना अथ परका छोड़ा हुआ अथ उजड़ा स्थानमें बसना।” यहाँपर पं० सदासुखजीने गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मुनियोंका रहना नहीं बतलाया।

### और भी प्रमाण

पं० शोलनरामजी जैनधर्मके अच्छे प्रभावशाली विद्वान और

कवि थे। जैन समाजमें पहिलतजीके पद्योंका काफी प्रचार है। जैनधर्मकी वारीकसे वारीक कथनों भी बड़े सुन्दर और सरल ढंगसे उन्होंने पदोंमें भर दा है क्रियाकोपनों उन्होंने मुनियोंके रहनेको स्थान इस प्रकार बतलाया है:—

मुनि हैं निर्भय वनवासी एकांत वास सुखरासी ।  
जिन ज ध्यानी आतम रामा जगकी संगति नहिं कामा  
जे मुनि रहनेको था ना वनमें काराहं मतिवाना  
ते पावै शिव सुरथाना यह सूत्र प्रमाण बखाना ।३१

पण्डित दौलतरामजाने 'सूत्रप्रमाण बखाना' यह लिखकर यह स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्रानुसार मुनियोंका निवास स्थान वन ही है। यदि गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मुनियोंके रहनेका विधान होता तो यहां वे इस बातका भी जरूर उल्लेख करते।

## और भी प्रमाण

ज्ञानानन्द श्रावकाचार ग्रंथमें 'मुनियोंके रहने योग्य स्थानका चर्चान इस प्रकार किया गया है।

बहुदि मुनि ध्यान विषय गरक हुआ सोम दृष्टिको धर्या है अर चाय नगरादिकसे राजा वन्दवा आवै हैं सो वह मुनि कहां तिष्ठे है—  
कैतो मसान भूमिका विषे । कैतो पुराना वन विषे । कभी तो पर्वतकी कन्दरा काहये गुफा विषे । अर कैतो पर्वतके शिखर विषे, अर कभी तो नदीके तीर विषे अर कैतो उजाड़ अटवी विषे कैतो

एकात ब्रह्म तलै अर वसतिका विषे अथवा नगर वाहा जैत्यालक-  
विषे इत्यादिक रमनीक मनको लगानेका कारण उदासोनताका  
कारण ऐसे स्थानक विषे निष्ठे है। पृ० ८ ।

### और भी प्रमाण

रत्नकर'ड श्रावकाचारकी टीकामें मुनियोंके रहने योग्य स्थान  
का इस प्रकार वर्णन किया गया है—

वैसे हैं दिग्म्बर यातै सम्यन्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र-  
इत्यादिक गुणनिको निधान हैं । बहुरि कैसे हैं यातै नहो है अंतरंग  
वहिरंग परिग्रह जिनके ऐसे मठ मठान उपोसरा आश्रमादिक  
रहित एकाकी अथवा गुरुजनाकः चरणाको लार कदै वनमें कदै  
पर्वतनिकी निर्जन गुफानिमें कदै घर वनमें नहोनिके तटनिमें  
नियम रहित है नित्य विहार जिनका इत्यादि पृ० १८९ । और भी  
भाषा ग्रन्थोंके अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं परन्तु विद्वान  
पाठकोंके लिये इतने ही पर्याप्त हैं । जहांपर भी भाषा शास्त्रोंमें गुरुओं  
का वर्णन है वहांपर उनका रहना वनमें ही बनलाया है । यदि गांव  
नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना शास्त्रानुकूल होना तो वह भी  
भाषा शास्त्रोंमें लिखा दोख पड़ता परन्तु वह कहीं भी भाषा शास्त्रों  
में नहीं पाया जाना इसलिए यही कहना होगा कि गांव नगरके भीतर  
मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना बतलाना शास्त्रके विरुद्ध है ।

प्राकृत संस्कृत और भाषा शास्त्रोंके आधारसे मुनियोंका  
निवास स्थान वन ही है, इस बातको जानकर भी बहुतसे महा  
जुभाषोंका यह कहना है कि आदर्श मार्ग तो वनका रहना ही है

किन्तु मन्दिरोंका रहना भी अपवाद मार्ग है परन्तु यह बात ठीक नहीं । गांव नगरके भीतर मन्दिरोंमें यदि मुनिगण रहेंगे तो उनका मुनिपना सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि ध्यान अभ्ययन ही मुनियोंका खास कर्त्तव्य है । वह एकांत शांत स्थानोंमें ही हो सकता है । गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंका स्थान शांत एकांत स्थान नहीं । इन महानुभावोंके कथनानुसार भट्टारक ग्रन्थोंके आधारसे यदि गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंका रहना अपवाद मार्ग कह कर अपना लिया जाय तो अपवाद मार्ग तो और भी हैं उन्हें भी मान लेना होगा । वि० सं० १६०० में भट्टारक श्रुतसागर सूरि हुए हैं उन्होने तत्त्वार्थ सूत्रपर एक टीका लिखी है उसके संयम श्रुत प्रति सेवनेत्यादि सूत्रपर द्रव्यलिंगो मुनियोंके लिये इस प्रकार लिखा है —

लिंगं द्विभेदं द्रव्यभावलिंगभेदात् तत्र—  
 भावलिंगिनः पंचप्रकारा अपि निग्रन्था भवन्ति ।  
 द्रव्यलिंगिनः, असमर्था महर्षयः शीतकालादौ  
 कंवलादिकं गृह्यत्वा न प्रक्षालयन्ति न सीव्यन्ति  
 न प्रयत्नादिकं कुर्वन्ति । अपरकाले परिहरन्ती ।  
 भगवत्याराधनाप्रोक्ताभिप्रायेण कुशीलापेक्षया  
 वक्तव्यं ।

अर्थात्—द्रव्यलिंग और भावलिंगके भेदसे मुनिलिंग दो प्रकार

का है। भावलिङ्गी पांच प्रकारके हैं और वे सभी निग्रह हाते हैं। परोषहों के सहनेमें असमर्था द्रव्यलिङ्गी मुनिशीत कालमें कंबल आदि प्रहण करते हैं उसे वे धोते सीमते नहीं न उसकी रक्षार्थ कोई दूसरा प्रयत्न करते हैं। शीतकालके चले जानेपर वे कंबलको छोड़ देते हैं यह कथन कुशील मुनिकी अपेक्षा भगवती आराधनाके कथनके अनुसार लिखा है।

यह शास्त्रका सिद्धान्त है कि द्रव्य लिङ्गी और भावलिङ्गी मुनिकी पहिचान दिव्यज्ञानीके सिवाय दूसरा नहीं कर सकता; क्यों कि दोनों ही प्रकारके मुनियोंका बाह्य लिंग समान रहता है, बाह्य चरित्रका आराधन भी समान रूपसे करते हैं, विशेष क्या द्रव्य लिङ्गीको भी यह पता नहीं लगता कि मैं द्रव्यलिङ्गी हूँ फिर न मालूम श्रुत सागर सूरिने द्रव्यलिङ्गीकी इतनी मोटी पहिचान से कैसे बता दा। इतनी मोटी पहिचानसे द्रव्य लिङ्गी मुनिपर श्रद्धा होना कठिन है। श्रुत सागर सूरिके हिसाबसे यदि कंबल न प्रहण कर तो वह भावलिङ्गीभी हो सकता है। जान नहीं पड़ता ऐसा क्यों लिखा गया। जो हो मुनिके लिये श्रुत सागर सूरिने शीतकालमें केवल लेनेका विधान किया है। क्या इसे भी अपवाद मार्ग मानकर अपना लिया जा सकता है ?

ब्रह्मदेव जी वि० सं० १६०० में हुए हैं इन्होंने परमात्मप्रकाश की टीका लिखी है, उसमें इस प्रकार लिखा है—

परमोपेक्षासंयमाभावे तु वीतरागशुद्धा-  
त्मानुभूतिभावसंयमरक्षणार्थं विशिष्ट

संहननादि शक्त्यभावे सति यद्यपि तपःपर्याय  
शरीरसहकारिभू तमन्त्रपानसंयमशौचज्ञानो-  
पकरणतृणमयप्रावरणादिकं किमपि गृह्णाति  
तथापि ममत्वं न करोति । गाथा २१६ पृ० २३२

अर्थात् तावक समयके न रहने पर वीतराग शुद्धात्मानु  
भूति रूपसंयमकी रक्षाके लिये बलवान संहनन आदि शक्तिके  
अभावम तपके कारण शरीरक सहकारो खाना पीना संयम शौच  
ज्ञानके उपकरण चटाई आदिको मुनि ग्रहण कर लेते हैं पर उसमे  
ममता नहीं रहते । यहां पर ब्रह्मदेवके मतानुसार मुनिगण चटाई,  
लपेट कर आहारके लिये नगरमें आसकते हैं । क्या इसे भी अप-  
वाद मार्ग कहकर स्वीकार किया जा सकता है ? यदि कोई महा-  
नुभाव इन भ्रष्ट बातोंकी भी पुष्टि करे तो मैं तो यही कहूंगा  
इससे मुनिव्रत न धारण करना अच्छा । शककी नवमी शताब्दीमें  
मुनियोंके अन्दर इतनाही शिथिलाचार शुरू हुआ था कि वे रात्रिमें  
गांवके समीप आकर रहने लगे थे, इसके बाद वह शिथिलाचार बढ़-  
ताही चला गया और आगेचलकर वह शिथिलाचार भट्टारक रूपमें परि-  
यात हो गया, निश्चयताका ही लोप हो गया । मुनियोंके लिय शीत-  
कालमें कबल आदिका भी विधान होने लगा । तथा खास समय  
पर चटाईका लपेटना भी दूषित नहीं समझा जाने लगा परन्तु  
जीवोंके शुभोदयसे पं० बनारसी दासजी आदि महानुभावोंने जन्म  
लेकर शिथिलाचारको सत्यानाशी प्रथाका महत्व कम कर दिया।



नहीं तो न मालूम जैन धर्म-आज किस रूपमें दीख पता अस्तु अनेक धुरन्धर आचार्य और विद्वानोंके पुष्ट प्रमाणोंसे यह बात बख्खी तरह सिद्ध हो चुकी कि मुनियोंका निवास स्थान जंगलही है यही अनादि अनन्त सिद्धांत है। गाँव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें जो मुनियोंके रहनेका विधान किया गया है। वह शिथिल-आचार्य की कृति है, क्योंकि प्राचीन शास्त्रोंमें कहीं भी वैसा विधान नहीं मिलता। इस लिये पं० मकखनलाल जी और उनके हिमायती जो गाँव नगरके भीतर मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना शास्त्रानुकूल बतझाते हैं वह उनका भ्रम है। यहांतक हमने खण्डन की और दृष्टि न डाल कर जैन सिद्धांतकी असलियतका निरूपण किया है। अब हम पं० मकखनलाल जीने जो अनेक प्रमाण ( प्रमाणामास ) देकर गाँव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध कर सच्चे दिगम्बर धर्मको मलिन बनाने की कुचेष्टा की है। उस पर विचार करते हैं।

---

# मुनियोंके जिनमन्दिरवासपर दिये गये

## शास्त्रीय प्रमाणोंका

खंडुक



सबसे पहले हमे यहां यह बतला देना बहुत ही जरूरी है कि पं० मन्मथनलालजीने जो ट्रेक लिखा है वह बिलकुलही वे सिल सिले लिखा है क्योंकि प्रथम तो यही नहीं मालूम होता कि इस ट्रेककी भूमिका कह तक है। पृष्ठ नं० ८ में जहां पर पण्डित जीके खूब मोटे अक्षरोंमें दस्तखत हैं, भूमिकाकी समाप्ति वहाँ जान पड़ता है परन्तु आगे बढ़नेसे जान पड़ता है कि 'चेर्चा सागर पर शास्त्रीय प्रमाण' इस हेडिंगके आगे भी भूमिकाका विषय लिखा गया है और पण्डितजी को जिन्हें कोसना था उन्हें घुरी तरह कोसा गया है। पहिले आठ पृष्ठोंकी भूमिकामें जो बातें लिख दी गई हैं उन्हें ही फिर लिख मारा है। अपनेको विद्वान माननेवाला व्यक्ति भूमिका का भी विषय न समझे, सचुचही एक बड़े आश्चर्यकी बात है। ऐसी जल्दी किस कामकी जिससे विद्वता ही धूलमें मिल जाय ! यदि हम मित्रता वा समान धर्मोंपनेके नातेसे पण्डितजीके इस बलवान दोषपर न भी दृष्टिपात करें तथा 'चेर्चा-सागरपर शास्त्रीय प्रमाण' इस हेडिंगके बादको लिखनेके भी

भूमिका काही विषय समझ ले, तबभी पृष्ठ नं० ९ पर 'धर्मबन्धुओंसे निवेदन' इस हेडिङ्गके पढ़नेके बाद भूमिकाकी समाप्ति भूलकने लगती है। परन्तु और भी आगे पढ़नेपर यह स्पष्ट मालूम होता है कि पण्डितजीकी भूमिका समाप्त ही नहीं मालूम होती। रहस्य कर उन्हें जो बातें सुझनी जाती हैं लिखे ही मारे जाते हैं। कोसते २ उनका पेट ही नहीं भरना। अच्छी होता कुछ समय सोचकर एक साथ ही वे खूब पेटभर गालों दे लेते। पण्डितजीकी इस थोथी पण्डितार्थकी मूर्ख लोग भले ही तारीफ करे, विद्वान लोग तो इस बे शिर पैरकी लेखन शैलीकी कभी तारीफ नहीं कर सकता। अस्तु पृष्ठ नं० १८ पर 'मुनियोंके नगरमें रहनेके सम्बन्धमें विचार'

इस हेडिङ्गसे आगे हम इस ट्रेकटकी शुरुआत समझते हैं पर फिर आगे देखते हैं कि—गाली देते देते पण्डितजी नहीं हारते। क्या किया जाय आदनकी लचारी है। पण्डितजीका मुख उनकी निजी संपत्ति है। वह गालियोंसे भरा पड़ा है। दूसरी कोई चीज उसके अन्दर नहीं जान पड़ती थिर वे धर्मदृष्टिसे तत्त्वपर कैसे विचार कर सकते हैं? अब हम पण्डितजीके गाली गलौजका उत्तर न देकर खास बातकी ओर पाठकोंका ध्यान आकषिप्त करते हैं—

पृष्ठ नं० १९ में प० मकखनलालजी लिखते हैं कि—“चर्चा-सागरका अभिप्राय तो इतना ही है कि आजकल मुान वनोंमें नहीं रह सकते इसलिये वे जिन मन्दिरजी आदि शून्य स्थानोंमें नगरों में भी रह सकते हैं इसका अर्थ यह करना कि चर्चासागरने मुनियों के वनमें निवास करनेका सर्वथा निषेध ही किया है यह समाजको

धोखा देना और उल्टा समझाना है” इत्यादि । पंडितजीके इन शब्दोंपर विशेष टीका टिप्पणा न कर चर्चासागरमें जो लिखा है उसे हम ज्योका त्यों यहां उद्धृत किये देते हैं । पाठक स्वयं विचार कर लेंगे कि प० मधुखनलालजीका लिखना कहां तक सच्चा है—

### चर्चासागर चर्चा १६ पृ० १७ मुद्रित प्रति

“प्रश्न—इस पंचमकालमें इस वर्तमान समयमें होनेवाले मुनि-राज किस क्षेत्रमें ठहरे ? वन, उपवन, पर्वत, गुफा, नदीके किनारे, शमशान आदमें निवास करें अथवा किसी और जगह भी अपना स्थिति रखें । समाधान—इस पंचमकाल वर्तमान समयमें होनेवाले मुनियों की स्थिति श्री जिनमन्दिरजीमें बतलाई है । यह बात श्रीपद्मनदी पञ्चविंशतिकाके छठे अधिकारमें लिखा है ।

संप्रत्यत्र कालो काले जिनगेहे (!) मुनिस्थितिः ।  
धर्मस्य (!) दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम् ॥६॥

धर्मका दान देनेके लिये एक श्रावक ही मूल कारण है । भावार्थ इस वर्तमान समयमें श्रावक ही धर्म सुननेके पात्र हैं इसलिये मुनि-राजोंकी स्थिति जिनालयोंमें होनेसे ही श्रावकोंको लाभ पहुंच सकता है । श्री इन्द्रनन्दीने नीतिसारमें भी लिखा है ।

काले कलौ वनेवासो वर्जनीयो मुनीश्वरैः ।

स्थीयेत च जिनागारग्रामादिषु विशेषतः ॥ १६ ॥

१ कलिकालमें मुनियोंकी स्थिति जिनालयमें ही है २ कलिकाल में मुनियोंको वनमें निवास नहीं करना चाहिये । आजकल बहुतसे

लोग मुनियोंके जिनालयमें निवास करनेपर नुकता चीनी करते हैं परन्तु यह उनकी भूल है जब शास्त्रा में स्पष्ट आज्ञा है तब इसमें शङ्का करना व्यर्थ है ।”

यहापर हमने चर्चासागरकी पंक्तियाँ ज्योंकी त्यों उद्धृत करदी है । खास शब्दोके नीचे रेखा भी लगा दी है । कहिये पण्डितजी ! क्या अब भी आप यह कह सकेंगे कि चर्चासागरमें मुनियोंका केवल जिनमन्दिरोंमें रहना नहीं लिखा । आश्चर्य है इनने बड़े झूठ को आपने छिपानेकी क्यों कोशिश की ! अब आप ही विचार लें समाजको धोखा आप दे रहे हैं या कोई दूसरा ! ‘मुनियोंकी स्थिति जिनालयमें ही है’ चर्चासागरमें इन शब्दोके रहते भी उन्हें नहीं स्वीकार करना सचमुच ही बड़े साहसका काम है ।

पृ० न० २० में ‘संहणशम्भु गुणोणय’ इत्यादि श्लोक भाव संग्रह ग्रन्थका उद्धृत किया है । इस श्लोकमें स्थविरकल्पी मुनियों को पुर नगर गाँवका दसनेवाला बतलाया है इसलिये इस श्लोकको आधारसे पण्डितजीने यह लिख मारा है कि मुनिगण पुर नगर गाँवोंके अन्दर जिनमन्दिरोंमें रहते हैं । परन्तु पण्डितजीका यह लिखना ठीक नहीं । पुर नगर गाँवके रहनेका विधान अनादिकाल से है और उसका मतलब यह है कि मुनिगण पुर नगर गाँवोंके बाहिर उद्यान-भाग घाँचे, वनामें ठहरते हैं । दूसरी जगह उलका रहना बाधित है । इस विषयको अनेक युक्ति और शास्त्रीय प्रमाण से अच्छी तरह ऊपर सिद्ध कर दिया गया है । पुर नगर गाँवोंके भीतर जिन मन्दिरोंमें आकर मुनिगण रहते हैं ऐसा कहीं भी

चल्लेख नहीं, न कोई शास्त्रों में ऐसी कथा ही मिलती है। किन्तु जो मुनि पुर नगर गावोत्र उद्यान वगोचे आदि बाहिर स्थानों। ठहरने हैं उन्हें ही पुर नगर गांव वासा कहा जाता है। यदि पुर नगर गांवके भीतर जिन मन्दिरोमें रहना शास्त्राक्त होता तो आचार्य देवसेन यह स्पष्ट ही लिखदेते उन्हें मय किस बातकी था। जब उन्होंने पुर नगर गांवके भीतर जिन मन्दिरों में मुनियोंका रहना शास्त्राक्त नहीं समझा तभी उन्होंने नहीं लिखा। पुराणोंका स्वाध्याय करनेवाले भी इस मोटी बातको जानते हैं कि मुनिगण गांव शहरमें आकर उनके बाहिर वाग वगोचोंमें ठहरने हैं। माली आदिके मुखसे मुनिगणका आगमन सुग लोग उनकी चन्दनाको वनोंमें जाते हैं। फिर न मालूम पंडित मखनलालजीसे यह बात क्यों बिना जानी रह गई ? मालूम यही होता है कि इस बातको खूब जानकर भी अपने निन्दित मतको पुष्टिकेलिये पंडितजीने चाल चलो है। सिद्धांतकी जरासी बात न जाननेसे अपनी विद्वत्तापर धट्टा लगाया है। पंडित मखनलालजीने पुर नगर गांवके भीतर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना बताकर पवित्र मुनिधर्मपर ही कुठाराघात नहीं किया, लोगोंको सिद्धांतके विपरीत मत सुझाया है।

पृष्ठ २१ में स्थविर और जिनकल्पों मुनियोंका भेद और इनका स्वरूप समझानेके लिये कई श्लोक उद्धृत कर अनेक पत्र वृत्तार ग डाले हैं। तथा अपना ओरसे ही गढ़कर यह बात भी लिख डाली है कि—“बहुतसे लोग यह समझते हैं कि स्थविर कल्पों और जिन-कल्पों भेद श्वेताम्बर मतमें है। दिगम्बर मतमें नहीं इत्यादि।

पंडितजीकी इस फिजूलकी कल्पनासे हम बहुत दुखी हुए हैं। स्वाध्याय करनेवाले व्यक्ति कमसे कम पुराणोंका स्वाध्याय तो करते ही हैं। हम ऊपर श्रीआदिपुराणजीके कई श्लोक उद्धृत कर आये हैं उनमें जिनकल्पी और स्थविर कल्पी मुनियोंका स्पष्ट उल्लेख है। जब पुराणों के स्वाध्याय करनेवालोंको भी जिनकल्पी स्थविरकल्पी मुनियों का ज्ञान है तब विद्वान तो उनका स्वरूप अच्छी तरह समझते ही हैं। फिर न मालूम पंडितजीने ऐसी कल्पना क्यों कर डाली। पण्डितजी भले ही हमसे नाराज हो जाय, पण्डितजीकी इस कल्पनासे तो हम यही समझते हैं कि ट्रेकृके लिखनेके पहिले पण्डितजीने शायद जिनकल्प और स्थविर कल्पका स्वरूप अच्छी तरह न समझ रक्खा हो। उन्हें यह नई बात सूझ पड़ी होगी इसलिये अपनी बुद्धिके अनुसार उन्होंने वैसी कल्पना कर डाली। इस कल्पनाके उल्लेखसे तो यही पता चलता है कि इस बाराक बातके जानकार पण्डितजी ही हैं और सभी मूर्ख हैं। जिनकल्प और स्थविरकल्पका स्वरूप समझानेसे तो यही जान पड़ता है कि पण्डितजीने सारी समाजको विद्यार्थी मान रक्खा है और उसे वे पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या किया जाय आदतकी लाचारी है क्योंकि पण्डितजी एक विद्यालयके अध्यापक हैं। उन्हें पाठ पढ़ाना न सूझेगा तब किसे सूझेगा ?

इसके बाद फिर पण्डितजीने भूमिका उठाई है और विस्तारसे अपनी कल्पनाकी बहार भक्तकाई है जो कि बिलकुल व्यर्थ है बहुत ही गूढ़ी बातें लोगों के रिझानेको लिये लिखी हैं जा कि बिलकुल

व्यर्थ है। उन सबका उत्तर भूमिकासे ही प्राप्त होगा। यहां लिखना प्रकरण विरुद्ध है। प्रतिहिंसा की भावनासे जैसा पण्डितजीका माथा अशांत रहा प्रकरण वे प्रकरणका जरा भी खयाल न कर जहां उन्हें जो बान थाद आई वहां लिख मारो वैसा हमारा माथा अशांत—गर्न नहीं। हमें तत्पर विचार करना है जिससे जैन धर्मकी पवित्रता सुरक्षित बनी रहे।

पृष्ठ न० २७ में 'पंचम चरिए पक्खइ' इत्यादि गाथा त्रिलोक सारकी उद्धृत की है। इस गाथामें पंचम कालके अन्त तक मुनियोंको सत्ता बतार्ई गई है। यह गाथा उद्धृत कर पण्डितजी ने यह शिक्षा दी है कि लोग जो कहते हैं कि पंचम कालमें मुनि हो ही नहीं सकते यह बात ठोक नहीं क्योंकि त्रिलोकसारके बचनानुसार पंचम कालके अंत तक मुनिगण रहेंगे" इत्यादि। यहां पर भी पण्डितजीने अध्यापकी छोंकी है। जत्र प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमीको यह बात मालूम है कि भरतक्षेत्रमें पंचमकालके अन्त तक मुनि रहेंगे, तब न मालूम पण्डितजीने यह बात क्यों वृथा लिखी। देने बेटे हैं चर्चासागर पर शास्त्रीय प्रमाण और लिख रहे हैं यहां वहांकी वे प्रकरण बातें। इसी लिये तो पण्डितजीका टुक बढ गया है, नहीं तो जो बातें उन्होंने कामकी समझ कर लिखी हैं वे ८ पृष्ठसे ज्यादाकी नहीं है। पाठकही विचारें जब पंचमकालके अन्त तक मुनि रहेंगे। प्रायः सभी स्वाध्यायप्रेमी लोग यह बान जानते हैं तब पण्डितजी को यह पाठ पढ़ानेको क्या आवश्यकता थी। हमें तो यहां भी यही मालूम होता है कि



नई बात जानकर ही पण्डितजीने यह बात ज़िख मारी है।

पृ० नं० २८ में 'भरहे दुस्समकाले' इत्यादि गाथा पट्पाहुड़ प्रथकी उद्धृत की है। इस गाथामें पंचमकालमें भक्त क्षेत्रके मुनिोंमें धर्म ध्यान हाता है यह बतलाया है। यह गाथा उद्धृत कर पण्डितजीने समझाया है कि "पञ्चमकालमें भी मुनियोंके धर्म ध्यान होता है" इत्यादि। पण्डितजीका यह उल्लेख करना भी व्यर्थ ही है क्योंकि जब चौथे ही गुणस्थानसे धर्म ध्यानका विधान है तब भावलिंगी मुनियोंके तो वह होगा ही। प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी यह बात जानता है। पृष्ठ नं० २८ में 'अब्जत्रि तिरियण सुद्धा' इत्यादि गाथा उद्धृत की है। इस गाथामें लिखा है कि पंचम कालके मुनि रत्नत्रय धारण कर इन्द्र पद वा लौकान्तिक पद प्राप्त कर मोक्ष जाते हैं।" नहीं मालूम होता पण्डितजी यह क्या पाठ पढ़ाते ही चले जाते हैं क्योंकि सच्चे मुनियोंके लिये यह बात क्या फडिन ही? इसी २८ वें पृष्ठमें 'ये कथयन्ति महाभ्रान्तिनो न विद्यन्ते ते नास्तिका जिनसूत्रवाह्या ह्यानव्या' अर्थात् जो लोग कहते हैं कि भ्राजकल महाभ्रान्ति होतेही नहीं है वं नास्तिक और जिन सूत्रसे बाहिर है।" इत्यादि लिखा है यह भी लिखना व्यर्थ है। जब पंचमकालमें मुनि है तब वे महाभ्रान्ति तो होंगे हा। न मालूम इन कालतू बातोंसे ट्रेक बढ़ानेमें पण्डितजीने क्या महत्व समझ रक्खा है। हमने भी यह सोच लिया है कि पण्डितजीने विद्वत्ताको कुछ पर्वा नहीं की है लोगोंको रिक्तानेको उन्होंने ठान ठानलो है। इसलिये पण्डितजीकी ऊटपटांग बातों पर दुख मताना व्यर्थ है।

पृष्ठ नं० २८ में ही "मुनि चैत्यालयोंमें निवास करते हैं इसके और भी प्रमाण ।' यह खूब मोटे अक्षरोंमें हेडिङ्ग दिया है । यहां पर तो पण्डितजीने आखोंमें धुनही भोंकी है । हमारा पाठकों से निवेदन है कि वे शुरूसे उनताम्रवें पेज तक पढले, कही भी कोई भी मुनियोंके जिन मन्दिरोंमें रहनेका प्रमाण नहीं दिया । स्थविर कल्पी मुनियोंके लिये एक जगह पुर नगर ग्राम बासी होने का उल्लेख किया जिसका कि मुनि, पुर नगर गावके उद्यान वाग बगीचोंमें ठहरते हैं यह शास्त्राक्त अर्थ है । यही नहीं यहां पर पण्डितजी लिखते हैं—कि "इस पंचम कालमें मुनिगण पुर नगर, गावमें निवास करते हैं । इतना स्पष्ट प्रमाण होनेसे अब अधिक प्रमाणांकी आवश्यकता नहीं है फिर कतिपय और प्रमाणों द्वारा हम मुनियोंका निवास चैत्यालय आदि स्थानोंमें होता है इस बात को और भी खुनासा करते हैं ।" यह लिखकर ता पण्डितजीने कमाल ही कर डाला है । इतने बड़े भूठकी भी कुछ हद है । यहाँ तक एक भी तो प्रमाण नहीं दिया गया । फिर न मालूम पण्डितजी किस बुनियाद पर यह लिख रहे हैं ? हम इस विषयमें अधिक क्या लिखें पाठक स्वयं साच ले पण्डितजी कितने सत्यवक्ता है ? अस्तु

पृष्ठ नंबर ३० में 'कलौ काले बने बासो बर्णते मुनिसत्तमैः' इत्यादि रत्नमालाका श्लोक उद्धृत किया है । इसका अर्थ यह है कि कलिकालमें मुनिगण बनकर रहना छोड़कर गांव आदिमें जिन मन्दिरोंमें रहते हैं । ग्रन्थक अन्तमें शिवकोटि पद आया है इस लिये ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार न कर रत्नमालाके कर्ताको पण्डित

जैन भगवान् समन्तभद्राचार्यके शिष्य, प्रसिद्धग्रन्थ भगवती आराधनाके कर्ता, आचार्य शिवार्य वा शिवकोटि समझ लिया है। यहाँ पर हमारा इतना ही लिखना पर्याप्त है कि रत्नमालाके क शिवकोटि वि० सं० १५०० में मट्टारक हो गये हैं। ये खुद मन्दिग्वासी मट्टारक थे। उस समय जिन मन्दिरोंमें रहनेका शिथिलाचार बड़े जारोंसे विद्यमान था। इसलिये समयकी प्रगतिके अनुसार मट्टारक शिवकोटिने वैसा लिख दिया है। इस ग्रन्थमें और भी कई बातें सिद्धान्त विरुद्ध हैं। सम्भवतः उस समयमें इन बातोंका प्रचार देख मट्टारक शिवकोटिने उन्हें लिख दिया है। इतिहासका जहाँ हमने उल्लेख किया है मट्टारक शिवकोटिके विषयमें हम खुलासा लिख आये हैं। यदि इस ग्रन्थकी बातोंको हम प्रमाण मानते हैं तो उत्तर पुराण, आदि पुराण, मूलाचार, आदि महान् ग्रन्थोंसे विरोध आता है। जैन शास्त्रोंमें सिद्धान्त विषयक विरोध हो नहीं सकता। रत्नमाला ग्रन्थकी अपेक्षा आदिपुराण आदिको बातें मान्य माननी होगी। इसलिये रत्नमालामें जो गाँव नगरके भानर जिन मन्दिरोंमें रहनेका विधान है वह समयकी प्रगतिके अनुसार हैं, सिद्धान्तके अनुकूल नहीं।

प० मन्मथन लालजोने रत्नमालाके कर्ता शिवकोटि मट्टारकको समन्त भद्राचार्यके शिष्य भगवती आराधनाके कर्ता आचार्य शिवाय वा शिवकोटि मान लिया है, यह उनकी भूल है। ऐतिहासिक दृष्टिसे यदि विचार किया जाता तो वे समझ सकते थे परन्तु इतनी मिहनत करे कौन ? पर ऐसा जल्दीका फल समझद्वारों

की दृष्टिमें घुरा होना है । आगमकी बातोंकी कुंजियोंपर विचार न कर जिसप्रकार पुर नगर गाँववासीका अर्थ, पुर नगर गावोंके बाग धगीचोंमें मुनि ठहरते हैं, यह सच्चा अर्थ पंडितजीके सूझ नहीं पड़ा । उसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार न करनेके कारण वि० सं० १५०० में होनेवाले भट्टारक शिवकोटिको उन्होंने विक्रमकी प्रायः दूसरी सदीमें होनेवाले भगवती आराधनाके कर्ता आचार्य शिवार्य वा शिवकोटि समझ लिया , यह कितना बड़ा प्रमाद है । विशेष परिश्रम न कर यदि पं० मकखनलालजी दोनों ग्रन्थोंकी रचनाका भी मिलान कर लेते तो भी वे रत्नमालाके कर्ता भट्टारक शिवकोटि को , भगवती आराधनाके कर्ता आचार्य शिवार्य वा शिवकोटि कहने की बड़ी भारी भूल न कर डालते । क्योंकि यह मानी हुई बात है कि—एक आचार्यकी दो कृतियोंमें एक तो प्राय. एकसी भाषा रहती है । यदि एकसी भाषा न भी रहै तो भाव और शैलीमें भिन्नता नहीं रहनी । भगवती आराधना ग्रन्थ प्राकृत भाषामें है । रत्नमाला संस्कृत भाषामें है । भगवती आराधनाकी रचना बड़े गम्भीर भावके लेकर की गई हैं । रत्नमालाकी रचनामें एकदम हलकापन और गम्भीरताका नाम तक नहीं हैं । संस्कृतकी कविता भी महत्व नहीं रखती फिर न मालूम पंडितजीने भगवती आराधना और रत्नमालाका कर्ता एक कैसे बता दिया । आश्चर्य है !। यह बात जरूर है कि इस बातकी छानबीनके लिये विवेक पूर्ण विचारकी जरूरत थी । आदिसे अन्ततक ग्रन्थ दोनों देखने पड़ते, जिससे महान कष्ट होता । वहाँ तो जल्दी मान बढ़ाई छुटनेको अभिलाषा

थी। परिश्रम कैसे किया जाता? धर्म विरुद्ध बातके पोषणके लिये ऐसी मान बढ़ाईके लिये धिक्कार है।

पृ० ३० में 'जिनेन्द्रनन्दिरे सारे' इत्यादि धर्म प्रश्नोत्तर श्रावकाचारका श्लोक उद्धृत किया है, इसका अर्थ यह है कि सार जिन मन्दिरोमें मुनिजन ठहरते हैं। पण्डितजने इस श्लोकका उद्धृत कर यह लिख मारा है कि "मुनिगण जिन मन्दिरोमें निवास करते हैं और इसके द्वारा यह सिद्ध करनेकी चेष्टा का है कि गाँव नगरके भीतर जिन मन्दिरोमें रहना मुनियोंका शास्त्र विरुद्ध नहीं।" यहाँ तो पण्डितजाने अपनी पण्डिताईको ही विसार दिया है। यह बात शास्त्राक्त है कि जिस समय मुनिगण आहार विहारके लिये गमन करते हैं उस समय मार्गमें जिन मन्दिर आनेसे वे उनमें दर्शनके लिये जाते हैं। वहाँ ठहरकर गृहस्थाका उपदेश भी देते हैं, प्रश्नोत्तर श्रावकाचारके कर्ताने "स्थितं कुर्वन्ति योगिनः" अर्थात् मुनि गण ठहरते हैं, यही लिखा है। स्थिति ना अर्थ ठहरना है क्यों कि व्याकरण शास्त्रमें स्था, धातुसे मात्र अथमें क्तिन् प्रत्यय करनेसे 'स्थिति' शब्द बनता है। स्था धातुका अर्थ गति निवृत्ति अर्थात् चलते २ ठहर जाना है। पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि चलते-ठहरता जभी हो सकता है कि जब रास्तेमें मुनि जा रहे हो और जिन मन्दिर जान वे उसमें ठहर जाय। जब प्रश्नोत्तर श्रावकाचारके कर्ताने स्थिति शब्दका प्रयोग कर यह स्पष्ट हो कर दिया है कि जिनमन्दिर जान मुनि, ठहर जाते हैं तब न मालूम यहाँ पर इस श्लोकसे पं० मकखनलालजीने मुनियोंका जिन मन्दिरोमें

निवास करना यह अर्थ कैसे निकाल लिया ? पंडितजीने जो सबसे छोटा व्योकरण लघु कौमुदी पढ़ी है उसमें भी तो स्था घातु आइ है। क्या वह भी भुला दी गई ? यदि पंडितजी ग्रन्थको प्रकरण भी देख लेंते तो भी उन्हें सच्चा अर्थ मालूम हो जाता, पर इतनी मिहनत धौन करे। मिहनत करना तो पंडितजी जानते ही नहीं। जो हो यहाँ तकके पण्डितजाके ट्रेक्ट पर विचार करने पर हमें तीन बातोंका ख़ुलासा हुआ है प्रथम तो यह है कि—'पुर नगर गांवका शास्त्रोक्त अर्थ न कर सिद्धान्त ज्ञानका फीकापन जाहिर किया है। दूसरे—भगवती आराधना और रत्नमालाका कर्ता एक घताकर इतिहासकी अनभिज्ञता प्रगट की है। तीसरे स्थिति शब्दका ठीक अर्थ न समझ, व्याकरण ज्ञानका कोरापन जचा दिया है।

पृष्ठ—३१ में

“संप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे (!) मुनिस्थितिः  
धर्मश्च दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम् ।

अर्थात्—वर्तमान कलिकालमें मुनियोंकी स्थिति जिन मन्दिरमें बतलाई है, और उसी मुनि स्थितिसे धर्म और दान प्रवर्तित होते हैं और इन सब बातोंके—अर्थात् जिन मन्दिरोंमें होनेवाली मुनि स्थिति, धर्म और दान इन सबके मूल कारण श्रावक होते हैं।” इस श्लोकमें 'जिनगेहे' को जगह 'जिनगेहे' यह अशुद्ध पाठ गढ़ कर और उसी पाठके अनुसार शास्त्रोंके विरुद्ध अर्थ कर पञ्चनन्दि पञ्च

त्रिभक्तिकाका श्लोक उद्धृत किया है। ऊपर अनेक शास्त्रीय प्रमाणोंके आधारसे यह हम अच्छी तरह सिद्ध कर आये हैं कि गंग नगरके सोतर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना शास्त्र विरुद्ध है पद्य० पञ्चविंशानिकाके आधारसे भी वह सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि पाँडे चंपालालजीने पद्म० पंच० काके श्लोकको अशुद्ध गढ़ कर ठैना जबरन अर्थ किया है। पं० मकखनलाल जीने भी पाँडे चंपालालजीकी गलती पर विचार नहीं किया है। उसे ठीक ही मान लिया है। अस्तु इस श्लोकसे जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध होना है या नहीं इस विषय पर थोड़ा सा हम विचार निचे देते हैं।

सबसे पहिले यहा यह समझ लेना जरूरी है कि 'सं-त्यत्र कलो काले' इस श्लोकके किस शब्दको अशुद्ध गढ़ कर 'मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना' सिद्ध किया गया है? उसका खुलासा यह है कि वह 'जिनगेह' शब्द है। शुद्ध पाठ 'जिनगेहोमुनि स्थितः' ऐसा है और उसका अर्थ जिन मन्दिरोंका बनवाना और मुनियोंकी स्थिति करना यह होता है जोकि आगमके अनुसार ठीक है। पाँडे चंपालाल जीने 'जिनगेहोकी जगह' 'जिनगेहे' यह पाठ मनसे गढ़ा है जिसका कि अर्थ जिन मन्दिरोंमें मुनि रहते हैं वह होता है। यह अर्थ आगमके विरुद्ध है। पद्मनन्दी आचार्यके मतानुसार ऐसा भ्रष्ट अर्थ नहीं हो सकता। उसका खुलासा इस प्रकार है—

प्रथम तो बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे दशवीं शताब्दी

के पहिलेके किसी भी मूल स'घके ग्रन्थमें मुनियोंका गांव नगरले भीतर जिन मन्दिरमें विधान नहीं पाया जाता क्योंकि शक ८२० ( वि० स० ९५५ ) में उत्तर पुराणको समाप्त करनेवाले भगवज्जिनसेनके शिष्य श्री गुणभद्राचार्यने आत्मानुशासन ग्रन्थमें मुनियोंका ग्राम नगरके समाप रहना भी दूषित बतलाया है। इससे जान पड़ता है कि उस समयके दिग्म्बर मुनियोंमें इतना ही शिथिल-चोर जारी हुआ था कि उन्होंने गांव और नगरोंके समाप आकर रहना शुरू किया था यदि उस समय मुनिगण गांव और नगरोंके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहते तो गुणभद्राचार्य इस बातका जरूर उल्लेख करते। आचार्य गुणभद्रके गुरु भगवज्जिनसेनाचार्यने मुनियोंको ग्राममें रहनेका निषेध किया है। आचार्य पद्मनन्दी भगवज्जिनसेनाचार्यके पहिले हो गये हैं।\* उनके समयमेंतो गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना सम्भव हो नहीं सकता। दर्शनसारमें आचार्य पद्मनन्दीके बारेमें इस प्रकार लिखा हुआ है—

सिरिवीरसेण सीसोजिणसेणो समल सत्थविण्णणी  
सिार पउमणंदि पक्ख्हा चउसंघसमुद्धरण धोरो।३०

अर्थात्—श्रीपद्मनन्दी आचार्यके पीछे श्री वीरसेन स्वामीके शिष्य श्री भगवज्जिनसेनाचार्य समस्त शास्त्रोंके परगामी और चारो प्रकारके स घक उद्धार करनेमें धीर वीर हुए। ३०।

\* यद्यपि आचार्य पद्मनन्दिका समय त्रिवादास्पद है क्योंकि पद्मनन्दी नामके कई आचार्य हो गये हैं परन्तु जबतक ठीक निर्णय नहीं होता तब तक यह समय निराधार भी नहीं माना जा सका।



तस्स य सीसो गुणत्रयगुणभदोदिव्वगाणपरिपुराणो

पद्मवसा रुद्धमदी महातवो भावलिङ्गो य ।३१

अथात्—भगवज्जिनसेनाचार्यके शिष्य गुणवान दिव्य ज्ञानसे परिपूर्ण पद्म पवासा शुद्ध बुद्धिबके धारक महा तपस्वी भावलिङ्गी मुनि गुणभद्र हुए ।३१। दर्शनखोरके इस पुष्ट प्रमाणसे यह बात सिद्ध है कि 'आचार्य पद्मनन्दी भगवज्जिनसेनाचार्यसे पहिले हुए हैं उनके समयमें मुनियों के जिन मन्दिरों में रहनेका जिक्र भी न था इस लिये आचार्य पद्मनन्दीकी बनाई पद्म० पंचविंशतिकासे मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना कभी सिद्ध नहीं हो सकता । चर्चा सागरके कर्ताने पद्म० पंचविंशतिकाके श्लोकको अशुद्ध गढ़कर उसका जवरन प्रमाण दे डाला है । इस लिये 'जिनगेहो मुनिस्थितिः अर्थात् जिन मन्दिर और मुनियोंकी स्थिति दो बातें भिन्न २ हैं किन्तु जिनगेहे मुनिस्थितिः अर्थात् जिन मन्दिरोंमें मुनि रहने हैं यह बात नहीं ।

दूसरे—पद्मनन्दी पंच विंशतिका ग्रन्थ पर पं० जोहरी लालजी और पं० पन्नालालजी किटुकाकी हिन्दी टीका है । टोडरमलजी नन्दोमुखदासजी आदि भाषा टीकाकारों के वचन आचार्य वचनके समान ही प्रमाण माने जाते हैं उक्त दोनों पण्डितों ने 'जिनगेहा मुनिस्थितिः' यही गठ रखकर—“अवारमा इस कलि-काल विपे जिन मन्दिर करावना तथा आहार दान देने करि मुनी-श्वरनिर्मा शरार की स्थिति करना इस प्रकार जिनगेह और मुनिस्थिति इन दोनों भिन्न पदोंका भिन्न २ अर्थ किया है । इस

रूपसे एक तो मूल पाठ 'जिन गेहो मुनिस्थितिः' और दूसरे भाषा कारने भी उसी पाठका अर्थ मिया है इस लिये इस पुष्ट प्रमाण से भी मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना नहीं बन सकता अतः जिन गेहो मुनिस्थितिः यही पाठ शुद्ध हैं ।

तीसरे पदम० पचविंशतिनामे पल्ले तो यह श्लोक है—

संप्रत्यपि प्रवर्तेत धर्मस्तेनैव वर्त्मना ।

तेनैतेऽपि च गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतवः॥५॥

अर्थ—अब इस कालके विषय भी धर्म पूर्वोक्त है, सो तिसही भाषा करिके आश्रित सकल देश रूपही प्रवर्ते है ता कारण करिके ये गृहस्थ हैं ते भी धर्मका कारण कहिये हैं ॥५॥ इस वाद 'संप्रत्यपि कलौकाले जिनगेहो मुनिस्थिति' यह श्लोक है जो चर्चा सागर के कर्ताने प्रमाण रूपमें लिया है । पहिले श्लोकमें ग्रन्थकारने 'धर्मस्तेनैव वर्त्मना, यह लिखा है इसका अर्थ यह है कि पूर्वकाल ( चौथेकालमें ) जिस प्रकार धर्म सकलरूप और देश रूप था । उसी प्रकार अब इस कलिकालमें भी प्रवर्तमान है—उसमें किसी प्रकारका हेरफेर नहीं । तथा चतुर्थकालके श्रावकोंके समानही इस कालके श्रावकभी धर्मके कारण हैं । विचारनेकी बात है कि जब आजकालके श्रावक चौथे कालके समानही धर्मके कारण हैं तब चतुर्थ कालमें ता मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहनेका कहीं विधान नहीं और न कहीं यह लिखा है कि गृहस्थ जिन मन्दिरोंमें मुनियों को रख सकते हैं, तब आजकाल मुनि गाव नगरके भीतर जिन

मन्दिरोंमें रहें तो उसी रूपसे धर्म कहां रहा तथा श्रावक उन्हें जिन मन्दिरोंमें रखे, तो चौथे कालके श्रावकोंके समान आजकलके भी धर्मके मूल कारण कैसे हो सकते हैं। यह तो थोथे कालकी अपेक्षा मुनिधर्मका परिवर्तन हो गया और चौथे कालके समान श्रावक भी नहीं ठहरे तब ग्रंथकारका 'तेनैव वर्तमाना' अर्थात् धर्म उसी रूपसे प्रवर्तना है यह वचनही निरर्थक हैं। इस लिये मानना होगा कि चौथे कालमें जिन मन्दिरोंमें रहना मुनिधर्म न था वैसा आजकल भी मुनिधर्म नहीं हो सकता तथा चौथे कालमें जिस प्रकार श्रावक मुनियोंको मन्दिरोंमें नहीं रख सकते थे उसी प्रकार आज भी वे वैसा नहीं कर सकते। तथा और भी यह बात है कि—

'संप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहो मुनिस्थितिः' इस आगेके श्लोक में श्रावकोंका धर्म वर्णन करते हुए आचार्य महापजने स्पष्टही कर दिया है कि जिस प्रकार पूर्वकालमें जिन मन्दिरोंका बनवाना, मुनियोंकी स्थिति (निर्यादा) कायम रखना, धर्मका प्रवर्तना और दान देना ये बातें श्रावकों द्वारा होनी थीं इस लिये इन बातों के मूल कारण उस समयके श्रावक थे उसी प्रकार इस समय इस कलिकालमें भी ये बातें श्रावकों द्वारा होनी हैं इस लिये आजकलके श्रावक भी धर्मके मूल कारण हैं। 'संप्रत्यत्र कलौ काले' ये वाक्य—पूर्वकालके श्रावकोंके साथ आजकलके श्रावकोंकी तुलना केही लिये ग्रंथकारने लिखे हैं, जिसका पोषण पूर्व श्लोकमें प्रयुक्त हुए 'अपि' शब्दसे भी होता है। नहीं तो इनका लिखना व्यर्थ

था और इतनाही कहना काफी था कि श्रावक इन बातोंको कराते हैं । तथा यह पहिले कहा जा चुका है कि पूर्वकालमें गाँव नगर के भीतर जिन मन्दिरोंमें रहनेका कही विधान नहीं तब आचार्योंके घबघबानोंको पलट कर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना जबरन सिद्ध कर देना बड़े भारी साहसका ही काम समझना चाहिये ।

चौथे—‘स प्रत्यत्र कला काले’ इस श्लोकके बाद पद्म० पंच विशतिकामे यह श्लोक है—

**देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः सयमस्तपः  
दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने ।**

अर्थात्—देव पूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये छह श्रावकोंके नित्यकर्म हैं । ७। इस श्लोकके देनेका तात्पर्य यह है कि ‘स प्रत्यत्र कला काले’ इस श्लोकमें जिन मन्दिर, मुनिस्थिति धर्म और दान इन चारों बातोंके जुदा २ रहनेसे जिन मन्दिरोंके बनवानेसे तो देव पूजा मुनिस्थिति करनेसे गुरुसेवा, धर्मसे स्वाध्याय संयम और तप और दानसे दान इन आवश्यक कर्मोंकी पुष्टि होती है । यदि जिन मन्दिरोंका बनवाना श्रावकोंका मुख्य कार्य न रहेगा तो जिस प्रकार दान आदिके मूलकारण श्रावक कहे गये हैं, उस प्रकार जिन मन्दिरोंके बनवानेमें मूलकारण श्रावक नहीं हो सकते, क्योंकि मन्दिरोंके बनवानेवाले श्रावक ही होते हैं, शास्त्रों में जगह २ यह लिखा है ।

पाचवें—जब जिन मन्दिरोंको श्रावक ही बनवाते हैं, तब श्राव-

कोकी दान आदिकी महिमा वर्णन करने पर जिन मंदिरोंके बनाने की महिमाका भी तो ग्रंथकारको पद्मनन्दी पञ्चविंशतिकामें वर्णन करना चाहिये था सो नहीं किया; क्योंकि "जिन गेहो मुनिस्थितिः" जिन मन्दिरोंमें मुनि रहते हैं ऐसा पाठ माननेसे जिन मंदिरोंमें मुनियोंका रखना तो श्रावकोंका मुख्य कार्य ठहरता है परन्तु श्रावकोंका जिन मन्दिरका निर्माण करना मुख्य कर्तव्य सिद्ध नहीं होता। इस अध्यायमें केवल श्रावकोंकी महिमाका वर्णन है यहा श्रावकोंकी महिमाके वर्णनमें जिन मन्दिरोंको जो श्रावक बनवाते हैं इस महिमाका वर्णन करना बहुत जरूरी है। इस अध्यायमें और किसी श्लोकसे जिन मन्दिरोंका बनवाना श्रावकोंके लिये मुख्य कर्तव्य बतलाया नहीं। श्रावकोंकी महिमाकी खास बात भूल जाना यह आचार्य पद्मनन्दी सरीखे महानुभावोंसे असम्भव है इस लिये जिनगेहो मुनिस्थितिः' अर्थात् जिन मन्दिर और मुनिस्थिति इस जुदे २ अर्थवाला ही पाठ शुद्ध है।

इसप्रकार—अनेक प्रमाणोंसे यह बात सिद्ध है कि मुनियोंका पद्मनन्दी पञ्चविंशतिके आधारसे जिन मंदिरोंमें ही रहना सिद्ध करना चर्चासागरकर्ताकी मनगढ़ंत कल्पना है। किसी भी प्रकार वह पद्मनन्दी आचार्यका सिद्धान्त नहीं हो सकता। इसलिये विशेष शास्त्रकी जोतकारी न रखनेसे पांडे चम्पालालजीसे जो भूल हो गई तो हा गई किन्तु आज इस पक्षकी खोजानानी करनेवाले कति पय विद्वान भी सरासर भूल कर रहे हैं। उन्हें तो सोच-समझकर बालना चाहिये।

चर्चासागरके कर्तानि जिन मन्दिरोंमें ही मुनियोंकी स्थिति सिद्ध करनेके लिये दूसरा प्रमाण इन्द्रनदी नीतिसारका ( १ ) यह दिया है । “काले कलौ वनेवासो वर्जनीयो मुनिश्वरै, स्थीयेत च जिनागार ग्रामादिषु विशेषतः ।” उसका तात्पर्य यह है कि इस कलिकालमें मुनीश्वरोंको वनमें नहीं रहना चाहिये, बहुतकर उन्हें जिनमन्दिर ग्राम आदिमें रहना चाहिये । भट्टारक इन्द्रनदीके इन वचनोंसे भी ‘कलिकालमें मुनिगण जिनमन्दिरोंमें ही रहते हैं’ यह बात सिद्ध नहीं होती, इसपर भी हम यहां थोड़ासा विचार किये देते हैं—

इन्द्रनन्दो कई हो गये हैं । नीतिसारके कर्ता भट्टारक इन्द्रनदी तेरहवीं शताब्दीके बाद हुए हैं । तेरहवीं शताब्दीमें मुनियोंके अन्दर जिनमन्दिरोंमें रहनेका शिथिलाचार शुरू हो गया था । इन्द्रनदीजीने भी जिनमन्दिरोंमें रहना प्रारम्भ कर दिया था, इसलिये अपने स्वभावके अनुसार उन्होंने ऐसे मुनियोंको जिनमन्दिरोंमें ठहरनेकी रोयमात्र दी है, फिर भी सब मुनियोंको जिनमन्दिरोंमें ठहरनेका उन्होंने विधान नहीं किया है ।

दूसरे—‘काले कलौ वनेवासो वर्जनीयो मुनीश्वरैः’ इत्यादि

( १ ) यह श्लोक इन्द्रनदी नीतिसारमें नहीं है संहिताका जान पड़ता है ।

श्लोकमें ‘स्थीयेत’ और वर्जनीयः इन दो क्रियाओंका उल्लेख किया है ‘स्थीयेत’ यह विधि लकारका क्रिया है । विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, असीष्ट, संप्रश्न और प्राथना इन अर्थोंमें व्याकरण शास्त्रके अनुसार विधिलकारका प्रयोग होता है । विधिका अर्थ विधान कर देना वा

सिद्धात रूपसे कहना होता है। भट्टारक इंद्रनदी 'स्थीयेत' इस क्रियाका प्रयोग विधिलकारमें तो कर नहीं सकते थे ; क्योंकि उनके पूर्वकालीन आचार्य गुणभद्र, जिनसेन, पद्मनन्दो, समतभद्र आदि ने मुनियोंको जिनमंदिरोंमें रहनेका कहीं विधान नहीं किया, तब इंद्रनदी उस बातका कैसे विधान कर सकते थे। निमंत्रण, आमंत्रण आदि अर्थोंकी यहां योग्यता नहीं, इसलिये प्रार्थना अर्थमें उन्होंने यहां विधिलकारका प्रयोग किया है। अर्थात् मुनीश्वर पद देकर उन्होंने यह प्रार्थना की है कि इस कलिकालमें मुनीश्वरोंको वनमें न रहकर जिनमंदिर ग्रामआदिमें रहना चाहिये। इस रूपसे कलिकालमें मुनियोंका जिनमंदिरमें ही रहना इंद्रनदी महाराजके वचनोंसे सिद्ध नहीं होता।

तीसरे—मुनीश्वरोंको वनका रहना छोड़ देना चाहिये। जिनमंदिर ग्राम आदिमें रहना चाहिये। इंद्रनदी महाराजके इन वचनों से यह स्पष्ट मालूम होता है कि उस समय कुछ मुनि जिनमंदिरोंमें रहने लगे थे : किन्तु धीरवीर मुनि उस समय तक भी वनवासी ही थे, इसलिये मुनीश्वर शब्दका प्रयोग कर इंद्रनदी महाराजने धीरवीर मुनियोंसे भी यह प्रार्थना की है कि आप लोगोंको भी अब वनका रहना छोड़कर जिनमंदिर ग्राम आदिमें रहना चाहिये।

चौथे—'विशेषतः' पद देकर तो भट्टारक इंद्रनदीने स्पष्ट ही कर दिया है कि बहुत कर जिनमंदिर ग्राम आदिमें रहना चाहिये अर्थात् इसका मतलब यह है कि यदि धीरवीर मुनि वनोंमें रहें

तो उनकी खुशी पर अब बहुत कर जिनमंदिर ग्राम आदिमें रहना ठीक है ।

इस रूपसे भट्टारक इंद्रनदीके वचनोंसे भी यह नहीं सिद्ध होना कि मुनियोंको जिनमंदिरोंमें ही रहना चाहिये । फिर चर्चा सागरमें इंद्रनदीके वचनोंसे जो यह लिख मारा है कि मुनियोंको जिनमंदिरोंमें ही रहना चाहिये यह उनकी धींगाधीगी है । राय देने अथवा प्रार्थना करनेसे कोई बात सिद्धात नहीं हा जाती । सच्चे मुनि इस प्रकार शिथिलाचारकी पोषण करनेवाली राय वा प्रार्थनाका कभी स्वीकार नहीं कर सकते ।

इस रीतिसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी कि चर्चा सागरके कर्ना पाडे चम्पालालजीने जिन दो प्रमाणोंके आधारसे 'मु नियोंका केवल जिनमंदिरोंमें रहना' सिद्ध करना चाहा था वह नहीं हो सका । इसलिये चर्चासागरके प्रमाणोंके अनुसार जो महाशय दिगंबर मुनियोंको स्थिति जिनमंदिरोंमें ही मानते हैं वे गलती पर हैं ।

जो हो 'संप्रत्यत्र कलौ काले' इस पदम० पंच० काके श्लोकसे 'मु नि जिनमंदिरोंमें नहीं रह सकते' इस बातको अच्छी तरह बताना दिया गया, साथमें जिनमंदिरोंमें मुनियोंकी सिद्धिके लिये जो इंद्रनदी भट्टारकका प्रमाण दिया है, उससे भी वह बात सिद्ध नहीं हो सकती, यह भी लिख चुके । अब हम पं० मन्खनलालजीने 'संप्रत्यत्र कलौ काले' इस श्लोकपर जो अडबंद भाष्य लिख मारा है, उसपर विचार करते हैं—



सबसे पहिले आपने भाई रतनलालजी झांभरीको कोसा है सो तो आपका धोहार ही है। हम आपके आहारमें खलल डालना नहीं चाहते। खूब मजेसे आप पेट सर सकते हैं। आगे चलकर आपने लिखा है— “जिनगेहे इस पाठको पं० गजाधरलालजी न्याय-तीर्थने अशुद्ध बताया था और कहा था कि जिनगहो पाठ ठीक है” इत्यादि। इससे उत्तरमें यह निवेदन है कि मैंने अवश्य जिनगेहे यह सप्तम्यन्त पाठ अशुद्ध बताया था तथा ऊपर लिखे अनेक शास्त्रीय प्रमाणोंसे वह अशुद्ध ठहरा भी दिया गया। वहाँपर जिनगेहो यह प्रथमान्त पाठ ही शुद्ध है। जिनगहो यह पाठ तो शुद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर अर्थका कहनेवाला ‘गह शब्द’ संस्कृत भाषामें नहीं है फिर मैं कैसे उस पाठको शुद्ध कह सकता था। भाई मन्खनलालजी ! मैं व्याकरण कोषका कुछ बल रखता था, इतनी गलती मुझसे नहीं हो सकती, व्याकरण कोषकी जानकारीमें मुझे आप कोरा सिद्ध करनेकी चेष्टा न करे, आप अपना रक्षा करें।”

आगे चलकर आपने लिखा है कि हमें एक अशुद्ध प्रति दिखाई थी उसमें जिनगहो यह अशुद्ध पाठ था, पद्य पंख० ग्रंथपर एक भाषा टीका है टीकाकारने भी कुछ विचार न कर उस अशुद्ध पाठ का ही अर्थ किया है जो कि टीकाकारकी गलती है इत्यादि। इस पर हमें यह कहना है कि पद्मनंदि पंचविंशतिका ग्रंथपर स्वर्गीय चिद्भद्र पं० जीहरीलालजी च० पं० मन्नालालजी साहब खिंदका इन दो विद्वानोंकी हिंदी टीका है। ये महोदय जैन सिद्धांतके अच्छे

ज्ञाता थे । किसी भी श्लोकका सिद्धांत विरुद्ध अर्थ इनसे नहीं हो सकता । पंडित मखनलालजीने स्वर्गीय पं० जोहरीलालजी व पं० मन्नालालजी साहब खिदुको को अज्ञानो बताकर उनका घोर अपमान किया है । जिन महानुभावोकी कृपासे पवित्र जैन धर्म की रक्षा हुई है, जिन्होंने अनेक ग्रंथोंकी टोका कर हमें ज्ञान दान दिया है, उन परमोपकारी विद्वानोको अज्ञानी कहना हमारी धृष्टता है ।” क्यों न हो, जहाँ आचार्यकल्प प्रातः स्मरणोप पं० टोडरमलजी साहबको भी मामूली पंडित कह दिया जाय वहाँ और विद्वानोंको अज्ञानी कह देना कोई बड़ी बात नहीं । ‘अधजल गगरी छलकत जाय’ ।

आगे चलकर आप लिखते हैं—‘पं० जी ( गजाधरलाल ) युवकमंडलके कार्यकर्ताओंके अनुगता हैं, इसलिये वे किसी शास्त्रके विषयमें कुछ भी कह दे’ तो आश्चर्यकी बात नहीं’ इत्यादि । यहाँपर पंडित मखनलालजीसे मेरा यह निवेदन है कि आप मेरे दोषोंको स्पष्ट ही क्यों न कर देते ? घबड़ाते क्यों हैं ? चर्चासागरके विरोधमें आवाज उठानेवाले भाई रतनलालजी झांझरीको जिस प्रकार आपने विधवा विवाह-पोषक और सुधारक कह डला है जिन बातोंकी उनमें गन्ध तक नहीं उसी प्रकार मुझे भी उन बातोंका प्रचारक कह डालिये । छुट्टी हुई युवक मण्डलके कार्यकर्ताओंका अनुगता कहकर ही क्यों दिल शांत कर लिया । किसीको बद-वारी न चाहने वाले व्यक्तिका ऐसाही खास गुण होना चाहिये । मिहिरवान ! आप किसीको भी कुछ कह सकते हैं । मर्जी आपकी ।

आपने लिखा है—“वीर नि०ल० २४४० में गजाधर लालने पद्म० पंचविशतिकाका स्वयं अनुवाद किया है। उसमें जिनगेहे यह सप्तम्यंत पाठ ही रक्खा है। अब वे यदि उसे अशुद्ध बतलावे तो” इत्यादि। इसके उत्तरमें निवेदन यह है कि मैंने जो अनुवाद किया है वह जिनगेहो इस प्रथमांत पाठका ही किया है चर्चालागरके मतानुसार सप्तम्यंत पाठका नहीं। पण्डितजी मुझे वृथा बदनाम कर समाजको धोखा दे रहे हैं। वह मेरा अनुवाद ज्यों का त्यों इस प्रकार है—

“अर्थः—और इस कालमें श्रावकगण बढ़े बढ़े जिनमन्दिर बनवाते हैं। तथा आहार देकर मुनियोंके शरीरकी स्थिति करते हैं। तत्सर्व देश एक देश रूप धर्मकी प्रवृत्ति करते हैं और दान देते हैं इस लिये इन सबोंके मूलकारण श्रावकही हैं, अतः श्रावक धर्म भी अत्यन्त उत्कृष्ट है।” ६। पृ० १९५ छपी प्रति।

पाठक मेरे अनुवादको पढ़ें। मैंने जिनगेहो इस प्रथमांत पाठकाही अर्थ किया है जिन मन्दिरका बनवाना और मुनियोंकी स्थिति करना ये दो बातें मैंने जुड़ी २ लिखी हैं। कहिये पण्डितजी! अब और क्या धोखा देना चाहते हैं? क्या आपने यहो समझ लिया था कि मेरा पद्य० पंच० का ग्रन्थका अनुवाद लोगोंके देखनेमें आय-गाहो नहीं। खेद है !!!

छपी प्रतियोंमेंसे कुछ प्रतियोंमें जिनगेहे पाठ छप गया था, वह छापेकी गलती है। दूसरी प्रतियोंमें “जिनगेहो” यही पाठ छपा है। मेरे पास दोनों प्रतियां मौजूद हैं। जिन्हें प्रूफ शोधनेका काम

पढ़ा है वे अच्छी तरह जानते हैं कि कोई २ गलती छपते समय मशीन पर पकड़ी जाती है और उस समय उसे सुधारा जाता है। जो फार्म गलती सुधारनेके पहिले छप जाते हैं उनमें ता वह गलती रह ही जाती है किन्तु बाकीके फार्म शुद्ध छपते हैं। पञ्च० पंच विंशतिकाके छपते समय यही हुआ था। मशीन पर गलती सुधरी दी जाती है। श्लोकका अर्थ देखना चाहिये वह किस पाठका किया है। अर्थ “जिनगेहो” इस प्रथमांत पाठका ही किया गया है इसलिये प्रथमांत “जिनगेहो” यही पाठ शुद्ध मानना होगा। मामूली आदमी भी यह जान सकता है कि जिस पाठका अनुवाद जाता है अनुवादकका वही पाठ शुद्ध माना जाता है जब मैंने “जिनगेहो” इसी प्रथमांत पाठका अर्थ किया है तो पाठ वही शुद्ध मानना होगा। यदि जिनगेहे यह सप्तम्यंत पाठ मुझे शुद्ध जँचता तो मैं ‘जिनमन्दिरोंमें मुनि रहते हैं’ यह अनुवाद करता परन्तु मैंने जिनमन्दिर बनवाना और मुनियोंकी स्थिति करना’ यह मन्त्र २ अर्थ किया है जो कि जिनगेहो इस प्रथमांत पाठकाही अर्थ होता है पण्डित जी आपने विचार शक्तिका एकदम दिवाला खोल दिया है। क्या आप इतनाभी विचार नहीं कर सकते थे ? जहां पर शास्त्र विरुद्ध झूठे पत्रका हठ है वहां विचार शक्तिका निर्मल रहना असंभव है। न कृपाकर मेरे लिखे प० प० प० च० काके अनुवादको फिरसे पढ़ें मैंने बिलकुल ठीक लिखा है। आप उसे झूठा नहीं बता सकते।

आगे आपने लिखा है—“जिनगेहे” पाठ न मान कर ‘जिनगेह’ यही पाठ ठीक समझा जाय तो फिर श्लोकमें ‘संप्रत्यत्र कलौकाले’

ये पद क्यों दिये गये हैं इत्यादि । महाराज ! यहां पर तो आपने खोशो विचार शक्तिही पूरी कर डाली । यदि आप पद्म० पंच विश्वानुशासन ग्रन्थ देख लेते तो आपको ऐसे कुनकोंके लिये मौकाही न मिलता । “स प्रत्यत्र कलिकाले” इन शब्दोंके देनेका तात्पर्य यह है कि चौथे कालमें श्रावक जिस प्रकार जिन मन्दिर बनवाते थे, सुनियोजी स्थिति रखते थे, धर्म और दान करते थे उसी प्रकार आजकल कलिकालके श्रावक भी करते हैं, इस लिये चौथे कालके समान आजकलके श्रावक भी जिन मन्दिर आदिके करनेमें मूल कारण हैं । आचार्य पद्मनन्दीने आजकलके श्रावकों को विशेष महिमा दिखानेके लियेही ‘कलिकाल’ शब्दका प्रयोग किया है क्योंकि कलिकालमें धर्मकी विमुखतासे श्रावकोंकी क्वचि चौथे कालके श्रावकोंके समान नहीं भी रह सकती, परन्तु वह अब भी वैसीही बनी है यह षट्के महत्त्वके साथ आचार्य महाराजने लिखा है । ग्रन्थको खोलकर पूर्वपर विचार किया न जायगा श्लोकको देखकर ही विचारको तुरंगे बांध दी जायगी तब सभी बातपर कैसे विचार किया जा सकता है ? कृपा कर आप एक बार पद्म पंच० ग्रन्थका फिर खाध्याय करें और पूर्ववर्ती श्लोकमें पुर्युक्त “अपि” शब्द पर भी ध्यान दें । आपका ही जान पड़ेगा कि ‘कलिकाल’ पद देनेका ग्रन्थकारका क्या अभिप्राय है ।

आगे आपने एक संस्कृत टोकाका हवाला देकर यह बतलाया है कि उसमें ‘जिनगोहे’ यह सप्तम्यंत पाठ हा है और उसका अर्थ ‘मुनि जिन मन्दिरोंमें रहते हैं’-यही होता है इत्यादि । यहाँ पर मेरा

आपसे यह निवेदन है कि आपने और जा प्रमाण दिये हैं वहां उन ग्रन्थों और उनके कर्ताओंके नाम लिखे हैं। इस टीकाका क्या तो नाम है ? कौन उसका कर्ता है ? किस समय वह बनी ? यह भी तो लिखना चाहिये। परन्तु आपने इस बातका जिक्रतक नहीं किया। टीकाके शब्दोंसे इस बातका पता चलता है कि यह टीका किसी आचार्यकी लिखी नहीं है। आपने जो श्लोकका अर्थ दिया है ठीक ठीक उससे मिली जुली है। संभव है आपका लिखा वह अर्थ भाषाका हो और यह संस्कृतका हो और उसीका टीका नाम रख दिया हो। पद्म० पंच० ग्रन्थका प्रकरण देख कोई आचार्य वैसा टीका कर नहीं सकता। यदि की है तो कहना होगा वह भूल है।

आपने लिखा है—भालरापाटन बम्बई आदिकी प्रतियोंमें “जिनगेहे” यह सप्तम्यंत ही पाठ है, इस लिये ‘मुनिगण जिन मन्दिरों में रहते हैं” यह बात शास्त्र विरुद्ध नहीं, इत्यादि। क्षमा कोजिये पण्डित जी ! यह आपकी बहानाबाजी है। हमें जेपुरके नामी बिद्वानोंकी भाषा टीका जिनगेहो इस प्रथमांत पाठकी मिल रही है और वह अर्थ प्राचीन मान्य आचार्योंके मतानुसार है। दूसरे जिस समय मैंने अनुवाद किया था तब ५-६ प्रतियोंके आधारसे किया था सबोंमें जिनगेहो यह प्रथमांतही पाठ था इस लिये अनुवाद भी उसी पाठका किया गया है। यदि आपके मतानुसार जिनगेहे यह सप्तम्यंत पाठ मिलता तो मैं उसीका अनुवाद करता। आज तो यह बात झगड़ेका कारण बन गई है १८ वर्ष पहिले तो

कोई झगड़ा न था। मैं कोई अंतर्यामी भी न था जो आजके झगड़ेको चितार कर पहिलेही संभल जाता। मेरा तो यह निजी अनुभव है कि शिथिलाचारियोंने बहुत पहिले इस पाठको बहुत सी प्रतियोंसे अशुद्ध बना दिया होगा, सब प्रतिभोंमें वे अशुद्ध नहीं बना सके, नहीं तो आज यह झगड़ा ही न उठता।

आपने लिखा है—इतने प्रमाणोंके होते हुए भी यदि पं० गजाधरलालजी अपने लिखे-संस्कृत पाठको अशुद्ध बताने और भूल और असावधानीसे लिखे हुए अपने हिन्दी अनुवादको अब भी सही कहें, तो फिर उन्हें गोभट्टसारकी 'सुत्तादतं सम्मं इत्यादि गाथाका स्मरण कर लेना चाहिये। अर्थात् समझाने पर भी यदि न माने तो उन्हें मिथ्या दृष्टि समझना चाहिये इत्यादि। यहां पर मुझे यह तो मालूम हुआ कि पण्डित जीने मेरा किया पद्य० पद्य० का अनुवाद पढ़ा है परन्तु अनुवाद पढ़कर वे मूल पाठ को भी शुद्ध कर लेते तो अच्छा होता। क्योंकि मूल पाठ जैसा होगा वैसाही अनुवाद किया जा सकता है। परन्तु इतने परिश्रमकी और विचारकी पण्डितजी को फुरसत कहां। खेद है अपनी गलती पर जरा भी खयाल न कर पण्डितजी ऊटपटांग लिखते ही जा रहे हैं। आपही कहें—“जिनगेहे” यह सप्तम्यंत पाठ मिथ्याने से मैं वैसा अनुवाद कर सकता था क्या ! इतना मैं नासमझ न था। आप वृथा अपनी कल्पनाओंकी बहोर न बताने आपने जो यह लिखा है कि गजाधरलालको मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये। सो महाराज यदि आप इस प्रकार जामासे बाहिर न

होते तो आपकी विद्वतामें घटा नहीं लगता । जो व्यक्ति सिद्धांत की मोटी बात पर भी विचार न कर सके वह सिद्धान्तके अनुकूल कहनेवालेको मिथ्यादृष्टि कहें यह उसकी योग्यता और नासमझीका कारण है । भगवान केवलीको भी इन्द्रजाली कहनेवाले जीव सत्सारमें मौजूद थे मैं तो चीजाही क्या हूँ । महाराज पंडितजी । आप मुझे अपनी बुद्धिके अनुसार मिथ्यादृष्टि मान भी लें तो मैं अपना ही बुराकर सकता हूँ । जैन सिद्धान्त की निर्मलता मुझसे नष्ट नहीं की जा सकती । आपने तो जैन सिद्धान्त की निर्मलता नष्ट करनेका खोटा पक्ष खोज रक्खा है आप तो दूबोगेहीं दुनियाको भी डुबानेका प्रयत्न आपने कर डाला है । आप सरीखे घाममार्गीकी अपेक्षा मेरा मिथ्यादृष्टि होना बुरा नहीं । आप समझ लीजिये मेरे ऊपर किसीका प्रभाव नहीं न मैं किसीका साथ दे रहा हूँ । मेरा पक्ष सत्य पक्ष है । शास्त्रोंके अनुसार ही वह किसीके द्वारा मलिन नहीं किया जा सकता ।

पृष्ठ न० ३५ में 'यत्र श्रावक लोक एव धरति' इत्यादि पदम० पंच० विंशतिकाका श्लोक उद्धृत कर आपने उससे मृतियोंका जिन मंदिरोंमें रहना सिद्ध किया है । सो आपकी यह बड़ी भारी गलती है । वहांपर भी यही अर्थ है कि मृत्निगण आहार विहारके समय मंदिरोंमें आकर टहरते और गृहस्थोंको उपदेश दान देते हैं । पदमन्दी आचार्यके मतानुसार मृतियोंका जिन मंदिरोंमें रहना कभी सिद्ध नहीं हो सकता यह ऊपर अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है । इस श्लोकके भाष्यमें आपने मुझे बहुत कोला है



सो आप खूब कोसिये । जब जवाब ठीक नहीं बनता तब गुस्सा आती है । गाली गलौज करनी पड़ती ही है । मुझे इस बातका दुख नहीं । पाठक स्वयं विचार कर लेगे ।

पृष्ठ नं० ३७ में—

सुवर्ण घर गिरि गुहारूखमूलआगंतुगारदेवकुलं  
अक्रुदप्पाभारा रामधरादिरिण य विवित्ताइं।३६।

भाषा—सूना गृह होय, वा गिरिकी गुफा होय, तथा वृक्षका मूल होय, तथा आगन्तुक जो आवने जावने वालेनिके विश्रामका मकान होय, तथा देवकुल होय, तथा शिक्षागृह होय, तथा अकृत प्राणभार कहिये कोई करि आपके निमित्त किया नहीं होय वा बाग वगीचेनिके महल मकान होय सो विवित्त वसतिका साधुनिके रहने योग्य होय है । ६।” यह भगवती आराधनाकी गाथा था पं० सदा-सुखजीकी भाषा वचनिका सहित उद्धृत की है । इसमें देवकुल शब्द आया है उस देवकुलका अर्थ जिनमन्दिर समझ पं० मकखन लालजीने लिख दिया है कि भगवती आराधनामें भी मुनियोंका जिनमन्दिरमें रहना लिखा है । भाई पण्डितजी ! सिद्धांतके अनुकूल शब्दका अर्थ न समझ जा आप अपनी ओरसे अर्थ कर डालते हैं यह बहुत बुरा करते हैं ऐसा अर्थ करना आपको शोभा नहीं देता । आपने पं० सदासुखदासजीका अर्थ उद्धृत किया है । यदि गाथाके प्रत्येक शब्दसे उसका मिलान कर लेते तो भा आपको देवकुलका अर्थ जिन मन्दिर नहीं समझता पर आप ऐसा क्यों करने

रुगे । पं० सदासुखदासजीने देवकुलका अर्थ शिक्षागृह किया है वही आगमोक्त है देवकुलका अर्थ जिनमन्दिर वहां आगमोक्त नहीं । 'आचार्योपाध्यायतपस्वि' इत्यादि सूत्रमें कुल शब्द आया है । भगवान् अकलंकदेवने राजवार्तिकमें कुलका अर्थ इस प्रकार लिखा है—

“दीक्षकाचार्य शिष्य सस्त्यायः कुल । दीक्षकाचार्यस्य शिष्यसंस्त्यायः कुलव्यपदेश मर्हति । अर्थात् दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्य संप्रदायको कुल कहते हैं । तात्पर्य यह है कि शिष्य सम्प्रदाय का नाम कुल है तथा जिस स्थानमें यह शिष्य संप्रदाय रहती है उस स्थानको भी कुल कह दिया जाता है । आज भी ऋषिकुल गुरुकुलके नामसे बहुतसे शिक्षागृह प्रसिद्ध हैं । इसलिये गाथामें जो देवकुल आया है उसका अर्थ मुनियोंका शिक्षागृह यही है । अतः पं० सदासुखदासजीने देवकुलका अर्थ जो शिक्षागृह किया है वही आगमानुकूल है । गाथाके 'देवकुल' शब्दका जिनमंदिर यह अर्थ हो ही नहीं सकता ।

यद्यपि भगवती आराधनामें देवकुल शब्दकी जगह गुरुकुल शब्द दिया जा सकता था परन्तु गुरुकुल श्रावकोंका भी शिक्षागृह कहा जा सकता था देवकुलसे मुनियोंका शिक्षागृह बताना था क्योंकि देवगुरु शास्त्र तीनोंके लिये देव शब्दका व्यवहार होता है इसलिये देवकुल शब्दसे मुनियोंका शिक्षागृह ही लिया जा सकता है उसी शिक्षागृहमें मुनि ठहर सकते हैं । तथा और भी यह बात है कि भगवती आराधनामें जहांपर यह गाथा लिखी है वहांपर विविक्त वसतिकाका स्वरूप बतलाया है । विविक्त वसतिका जंगलों

गें ही होती है क्योंकि वही स्थान एकांतका है। जिनमंदिर सभी वनोंमें हों यह बात नहीं गांव नगरके भीतर भी होते हैं। मुनियोंके शिक्षागृह नगरके बाहिर जंगलोंमें ही रहते हैं इसलिये भगवती आराधनाके प्रकरणके अनुसार भी देवकुलका अर्थ मुनियोंका शिक्षागृह ही हो सकता है उसका अर्थ जिन मंदिर नहीं। सिद्धान्त के अनुकूल अर्थका विचार न कर पं० मकखनलालजीने जबरन देवकुलका अर्थ जिनमंदिर किया है ! इसलिये भगवती आराधनाके अनुसार जिनमंदिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध नहीं हो सकता। आपने लिखा है कि—

पं० सदासुखदासजीके वचनसे भी यह स्पष्ट है कि मुनिगण शिक्षागृह पाठशाला विद्यालयोंमें भी रह सकते हैं इत्यादि। पण्डितजी ! जरा विचार शक्तिको काममें लाइये। सदासुखजीके ये निजी वचन नहीं हैं कि मुनिगण शिक्षागृहमें ठहरते हैं। उन्होंने जो शिक्षागृह लिखा है वह देवकुल शब्दका अर्थ है। आपके कथन से यह बात निकलती है कि आपने इस बातपर विचार ही नहीं किया है कि शिक्षागृह अर्थ सदासुखदासजी कहांसे ले आये यदि आप ऐसा विचार कर लेते तो आपको देवकुलका अर्थ शिक्षागृह सूझ जाता नत्र आपको देवकुलका अर्थ जिनमन्दिर करनेके लिये साहस ही नहीं होता। यदि भगवती आराधनाकी भाषा टोका न होती तब तां कोई दुख न होता क्योंकि अपना ओरसे ऊटपटांग जो अर्थ नासमझीसे लिखा जा सकता है परन्तु उसपर विस्तृत हिन्दी टोका है और देवकुलका स्पष्ट अर्थ “आगमोक्त शिक्षागृह”

लिखा है, उसे न देख आख बन्दकर ओंधी सघी मार देना बुद्धि-मानी नहीं। यहाँपर आपने 'देवकुल' का अर्थ 'शिक्षागृह' न समझ जो 'जिनमन्दिर' किया है यह बड़ा भारी अनर्थ किया है। इसे सिद्धांतके ज्ञानकी अज्ञानकारी कहना होगा। तथा आपने जो 'शिक्षागृह'का अर्थ 'पाठशाला विद्यालय' समझा है यह भी आपकी गलती है। मिहिरवान ! जिस पाठशाला वा विद्यालयके आप अध्यापक हैं वह पाठशाला विद्यालय वहाँ शिक्षागृहका अर्थ नहीं। वहाँपर "मुनियोंके योग्य शिक्षागृह" ही अर्थ है, क्योंकि वहाँ देवकुल शब्दका प्रयोग किया गया है जिसका कि ख़ास अर्थ "मुनियोंका शिक्षागृह" ही है। बात यह है कि देवकुल शब्द देखते ही आपने फ़ौरन उसका 'जिनमन्दिर' अर्थ कर दिया है। आपको वहाँका प्रकरण और पं० सदासुखदासजीका अर्थ देखनेकी पर्वाह नहीं रही है। पण्डितजी ! इस धागाधोंगी और लापरवाहीसे मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं हो सकता। कहा तो आप पूज्य पं० टोडरमलजीको मामूली पण्डित कहनेकी दम भरें और कहा पं० सदासुखदासजीके हिन्दी अर्थको भी न समझें, यह कितनी लज्जास्पद बात है। पृष्ठ नं० ३८ में आपने—

इत्यस्तेयत्रते पंच भावनाः कंदरादिषु

स्वभावशून्येष्ववासो मुक्तामोचितसन्नसु।४५।

[ अर्थात्—स्वभावसे शून्य पर्वतकी गुफा आदिमें रहना तथा मुक्त और आमोचित मकानोंमें रहना इत्यादि पांच भावनों अर्थात्

ब्रतकी है । ] यह श्लोक आचारसारका उद्धृत किया है । इस श्लोक से मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं होना, तो भी न मालूम पंडितजीने क्या समझ यह श्लोक उद्धृत किया है । क्यों पंडित जी ! ऐसे बिना प्रकरणके श्लोकोंको उद्धृत कर जो आपने पोथा बढ़ाया है यह ठीक है क्या ? इस श्लोकके ऊपर आप लिख रहे हैं—“और भी प्रमाण” परन्तु श्लोकमें वह बातही नहीं है, इस जाल-लाजीकी भी कोई हृद है । इस श्लोकमें मुक्त और आमोचित शब्द आये हैं उनका अर्थ आप लिखते हैं—“मुक्त मकान वह है जो धनी द्वारा ( मुनियोंके लिये ) स्वयं छोड़ दिया जाय और आमोचित मकान वह है कि जो उससे ( धनीसे मुनियोंके लिये ) खाली करा लिया जाय ।” - महाराज ! मुक्त आमोचित शब्दोंका यह अर्थ लिख कर तो आपने सिद्धान्त ज्ञानका दिवालाही खोल डाला । मिहिर-चान ! सभी बातोंमें आपकी अटकल नहीं चल सकती । जैन शास्त्रके शब्दोंके अर्थ करनेमें जैन शास्त्रोंको देखनेका कष्ट करना होगा । मुक्तका अर्थ इस प्रकार किया गया है कि जिस गांवका नगरके लोग व्यापार आदिकी होनता वा रोग आदिकी मयंकरता से स्वयं गांव नगरोंको छोड़ दें उस गांव वा नगरके घर “मुक्त” कहे जाते हैं तथा विमाचित वा आमोचित शब्दका अर्थ पं० आशा-धरजीने अतगारधर्माश्रममें यह किया है “विमाचितं परचक्रां दिना द्वासितं पदमावसेत्” अर्थात् दूसरे राजा आदिसे जो गांव उजाड़ दिये जायं, तहस नहस कर दिये जायं उन चजाड़े गये गांवोंके घर आमोचित कहे जाते हैं” यह अर्थ मुक्त आमोचित शब्दोंका शास्त्रोक्त

है। भगवतीआराधना ग्रन्थमे वसतिके ४६ दोष बताये हैं। जो शून्य मकान मुनियोंके निमित्तसे खाली किये हों वा धनी द्वारा खाली करा लिये हों, यदि मुनियोंके यह बात मालूम पड़ जाय तो मुनि उसमें कमी नहीं ठहर सकते। यह एक मामूली व्यक्ति जानता है कि जो कार्य मुनियोंके निमित्त होता है, मुनियोंके काममें वह नहीं आता फिर मोरेना सिद्धांत विद्यालयके अध्यापक पं० मक्खन लालजी यह बात न समझे। यह आश्चर्य है। जो अध्यापक शास्त्रकी इस मोटी बातको भी नहीं समझें, वह विद्यार्थियोंको आगमकी बारीक बातें कैसे समझाता होगा। समझमें नहीं आता। ऐसेही शिथिलाचारा व्यक्ति मुनियोंका शिथिलाचारको ओर झुकाकर मुनिधर्मकी पवित्रता नष्ट कर सकते हैं। पृष्ठ नं० ३९ में नामापि यः स्मरति मोक्षपथस्थसाधोः

आशु क्षयं ब्रजति तद्दुरितं समस्तं ।

यो भक्तभेषजमठादिकृतोपकारः

संसारमुत्तरति सोऽत्र नरोऽत्र चित्रं । १६।

पं० मक्खनलालजीने यह पदम० पृष्ठ० का श्लोक उद्धृत किया है। इसमें भो जिनमन्दिरोंमें मुनियोंके रहनेका विधान नहीं। इस लिये प्रमाण रूपमें यह श्लोक नहीं समझा जा सकता, इसमें यह लिखा है—श्रावकों द्वारा मुनियोंका भोजन दवा मठ आदिसे उपकार किया जाता है। यहाँ पर इतनाही लिखना बहुत है कि भोजन दवा मठ ( वसतिका ) आदि द्वारा श्रावक मुनियोंकी रक्ष

करते हो हैं। ऊपर हम इस बातको स्पष्ट कर आये हैं कि हीन शक्तिके धारक मुनियोंके लिये बसतिकाकी बहुत आवश्यकता होती है। य मठ और बसतिका जङ्गलोंमें होते हैं, मुनिगण उसमें ठहरते हैं। पण्डितजीने व्यर्थ बार्ते लिखकर अपने ट्रेकके पेज काले किये हैं। विद्वान कहे जानेवाले व्यक्तिका यह कार्य ठीक नहीं। आपको सिद्ध करना है ग्राम नगरके भीतर जिनमन्दिरोंके अन्दर मुनियोंका रहना, सो इस श्लोकसे यह बात नहीं सिद्ध होती, इसे आपभी विचार सकते हैं। इस श्लोकके माध्यको लेकर आपने मुझपर यह गहरा वार किया है कि—

“कहिये पं० राजाधर लालजी ! शायद आपका जैन शास्त्रों पर तो विश्वास न होगा, पर अपने लिखे (इस श्लोकके अनुवाद) पर तो विश्वास होना चाहिये।” इत्यादि। यहां पर मेरा यह निवेदन है कि महाराज ! मुझे जैन शास्त्रों पर पूरा विश्वास है पर आपके शास्त्र और मत पर जराभी विश्वास नहीं। आप मुझे मिथ्यादृष्टिही समझे। पद्म० पञ्च० के इस श्लोकसे आपका पत्र पुष्ट होता, उस समय आप मुझ पर रोब जमाते तो शोभा भी देता, सो तो आपके पक्षकी पुष्टिकी यहां गन्ध भी नहीं, फिर आपका मेरे लिये यहा कुछमी लिखना निष्फल है। आप क्या लिख रहे हैं, जरा विचारे तो सही। पृष्ठ नं० ४० मे आपने—

पठद्भिरनिशं साधुवृंदैराह मनस्विनं

प्रजल्पन्निव यो भव्यैर्व्यभाव्यत समागतैः । १८३।

कृतेर्याशुद्धिरिद्धिः प्रविश्य जिनमन्दिरं ।

तत्रापश्यत् ऋषीन् दीप्ततपस कृतवेदनः । २७५।

ये दो श्लोक आदि पुराणजोके उद्धृत किये हैं। इन श्लोको में महापूत चैत्यालयमें मुनियोंका ठहरना लिखा है। इसीके आधार से पं० मन्मथनलालजीने यह लिख भारा है कि आदि पुराणमें मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना लिखा है। यह परिद्धत जीकी भूल है। आदि पुराणमें जहां पर मुनियोंका रहना वा ध्यानका स्थान बनलाया है वहा पर गाव नगरके भीतर उनका रहना बडे जोरसे निषेधा है और जिन मन्दिरोंमें रहनेका वहां बिलकुल विधान नहीं किया—शून्य गुह, पर्वतके शिखर, गुफा, इमशान आदि स्थानो परही उनका रहना बनाया है यह हम ऊपर बहुत विस्तारसे लिख चुके हैं। प्रमाण रूपमें आदि पुराणके कई श्लोक भी लिख आये हैं। मुनिगण बाहार विहारके समय वा किसी जंगलके शून्य प्रदेशमें जिन मन्दिरके रहने पर उसमें दर्शनार्थ जा सकते हैं स्तुति पाठ कर सकते हैं। ठहर भी सकते हैं। यही बात इन श्लोकोंसे आदि पुराणमें लिखी है। मुनि ग्राम नगरके भीतर जिनमन्दिरों में रहते हैं यह बात वहाँ नहीं लिखी। महापूत चैत्यालय जगल म था, वहा मुनिगणाका आना जाना होता था। बज्र जंघ जब मन्दिरमें गये होंगे उस समय मुनि वहां थे, इससे जिन मन्दिरोंसे सतत मुनियोंका रहना सिद्ध नहीं हो सकता। एक जगह आदि पुराणमें गाव नगरोंमें मुनियोंके रहनेका निषेध किया जाय और



जहाँ मुनियोंके ध्यानके स्थान बतलाये हैं, वहाँ जिन मन्दिरोंके उल्लेख न कर दूसरी जगह जिनमन्दिरोंमें इनका रहना लिखा जाय यह आदिपुराणमें पूर्वापरविरोधी बात नहीं हो सकती। पंडितजी महागज ! अपनी अज्ञानकारीसे आप भगवज्जिन-सेनाचार्यको कलंकित न करें। पृष्ठ न० ४१में—

कल्याणकलिते तीर्थे चैत्यगेहे जिनालये  
भूमिगर्भे मठेग्रामे विवेकिश्रावकाश्रिते २६८  
विजंतुकलतागेहे पुलिने चैत्यपादपे

निवासः प्राक्तनैः प्रोक्तः मूनीनां चित्तशांतये २६९

परमार्थोपदेशके इन श्लोकोंमें चैत्यालय और जिनमन्दिरोंमें मुनियोंके रहनेका उल्लेख आया है, इसीलिये प० मकखनलालजीने ये श्लोक उद्धृत किये हैं। यह पर इनका ही लिखना काफी है मद्भारक ज्ञानमूषण जिन्होंने परमार्थोपदेशको रचना की है, वि क्रमकी १६वीं प्रतान्द्रीमें हो गये हैं। उस समय मद्भारक मुनियोंकी रहना जिनमन्दिरोंमें जागी था। इसलिये समयकी खूबीसे उन्होंने वैसा ही लिख दिया है। वह बात सिद्धान्त नहीं। दूसरे चित्त शांतये यह पद उन्होंने दिया है। गाव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें चित्तकी शांति नहीं हो सकती, जगल्लोके चैत्यालय और जिन मन्दिरोंमें हो हो सकता है, यह ऊपर अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिये मद्भारक ज्ञानभूषणने यदि चैत्यालय और जिन मन्दिरोंको मुनि-

योंके रहनेका स्थान भी कहा है तो उसका अर्थ “नगरसे बाहिर जंगलोंके या तोरु स्थानोंके चैत्यालय जिन मदिरो” का ग्रहण है । इससे गांव नगरके भीतर जिनमदिरोमें मुनियोंका रहना सिद्ध नहीं हो सकता ।

पृष्ठ न ४२ और ४३ में --

‘दीर्घ कालाभ्यस्त गुणकुले’ त्वादि राजवार्तिककी और “सय-मथ्यतनारी भक्तिहेतोः’ इत्यादि चारित्रसारकी पंक्तियां ऊद्धृत की हैं, उनमें लिखा है मुनियोंको नगरमें ५ दिन और गांवमें एक दिन ठहरना चाहिये । इससे पंडितजीने धतलाया है कि जब गांव नगरमें रहनेकी स्पष्ट आज्ञा है तब वे उनके भीतर जिन मदिरोमें रह सकते हैं इसीलिये राजवार्तिक और चारित्रसारके अनुसार मुनियोंका जिनमदिरोमें रहना वाधित नहो” इत्यादि । परन्तु यह परिद्वतजीका मत है जब कि राजवार्तिक और चारित्रसारके कर्ताओं को मुनियोंका गांव नगरके भीतर रहना इष्ट था तब उस धानका खुलासा कर देना था जो नहीं किया, इससे जिनमन्दिरोका रहना कभी सिद्ध नहीं हो सकता । गांव नगरका जो उल्लेख किया है उसका तात्पर्य यह है कि जो मुनिगण गांव नगरके बाहिर उद्यान बाग-बगीचोंमें ठहरते हैं वे ही गांव नगरके ठहरनेवाले कहे जाने हैं । यह बात युक्ति और शास्त्रीय प्रमाणोंसे ऊपर हम खूब सिद्ध कर आये हैं । आदिपुराणके मतानुसार गांव नगरमें ठहरना मुनियोंका ही नहीं करना । शास्त्रोंमें जगह २ इस बातका उल्लेख है । भाई परिद्वतजी! इतनी भी सिद्धान्तकी बात न समझोगे तो कैसे जैन

सिद्धान्तकी रक्षा कर सकोगे । हठ पकड़ो, पर सिद्धान्तके विपरीत हठ पकड़ना महापाप है । पृष्ठ नं ४४ में—

‘उवसग्ग परीसहस्रहा’ इस ‘षट्पाहुड्’ की टीकाके “ग्रामनगरा दौवा” ये शब्द उद्धृत किये हैं, पृष्ठ नं ४५ में नगरे पंचरात्रे स्यात्तव्य

ग्रामे विशेषेण न स्थातव्यं षट् पाहुडकी ४२ वीं गाथा टीकाके शब्द उद्धृत किये हैं । पृष्ठ नं ४६ में ग्रामोच्छानाटवीत्यादि राजवार्तिकके शब्द उद्धृत किये हैं, इनमें गांव नगरमे मुनियोंका ठहरना लिखा है । इसका वही समाधान है कि गांव नगरके भीतर मुनियोंका रहना नहीं हो सकता । गांव नगरके बाग बागीचोंमें रहनेसे गांव नगरका रहना कहा जाता है । पंडितजी इस विषयके उदाहरण तो दे रहे हैं परन्तु पुराणोंमे क्या ऐसी एक भी कथा बता सकेगे कि अमुक मुनि गांव नगरके भीतर ठहरा ? ‘गांव नगरके बाग बागीचोंमें ठहरते हैं’ इस कथनसे तो तमाम पुराण भरे पड़े हैं । शास्त्रके मर्मपर दृष्टि न डाल कर झूठा हठ करना व्यर्थ है । पृष्ठ नं ४७ में—

‘एकान्ते आराम भवनादि प्रवेशे’ यह राजवार्तिक और “एकान्ते भवनारामादि प्रदेशे” यह चारित्रसार इस प्रकार दो ग्रन्थोंके आधारसे एकांत स्थानका आपने तात्पर्य समझाया है । यहां एकांत शब्दसे नगरके बाहिर बाग बागीचोंका ही ग्रहण किया है । एकान्त शब्दसे जिनमंदिरका ग्रहण नहीं किया । यदि जिनमंदिरमें मुनियोंके ध्यानके योग्य एकान्त स्थान होता तो अवश्य उल्लेख रहता । महाराज पंडितजी ! अब आप ही सोच लीजिये, जब राज-

वार्तिक आदि मान्य ग्रन्थोंमें किसी रूपसे मुनियोंका गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना नहीं बनता, नथ आपका जो लिखना है वह सबैथा निरर्थक है । पृष्ठ नं० ४७ में—

सुकुमाल चरित्रके आधारसे सुकुमालकी कथा उद्धृत की है । मुनिराज यशोभद्र उनके उसीभवके मामा थे । कुमार सुकुमालकी आयु थोड़ी जान और उन्हें निकट भव्यमान धार्मिक मोहके कारण वे उनके महलके बागीचेमें उनको संबोधनेके लिये आ विराजे थे । सुकुमालकी मांका पुत्रपर विशेष मोह था । माताको मुनिराजके मुखसे यह समाचार मिल चुका था कि मुनि दर्शनसे ही सुकुमाल मुनि दीक्षा धारण कर लेंगे और जरासे कारणसे उन्हें वैराग्य हो जायगा, इसलिये उसने ऐसी जगह सुकुमालके लिये भवन बनवाया था जहां नगरकी कोई बात न पहुंच सकती थी, मरना जीना रोना आदिको हाल भी सुकुमाल नहीं जान सकते थे । पाठक विचार सकते हैं जिस जगह नगरकी बात न सुन पड़े, वह जगह कैसे शान्त एकान्त स्थानमें थी । और वहां पर मुनियोंके ठहरनेमें क्या आपत्ति हो सकती थी । एक तो ऐसा नियोग ही था, इसलिये यशोभद्र मुनिके वैसे परिणाम हुए, दूसरे वह स्थान भी शान्त-और एकान्तका था इसलिये इस खससियत पर लक्ष्य न रखकर ५० मकखनलाल-जीने जो इस व थाके आधारसे मुनियोंका गाव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना सिद्ध किया है, वह व्यर्थ है । किसी कारणसे कोई खास बात हो जाय तो वह सिद्धांत नहीं ही सकता । पृष्ठ नम्बर ५० में पण्डितजीने—

अत्रेदानीं निषेधंति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः  
धर्म्यध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राग्वर्तिनां ८३

अर्थात् "इस कालमें मुनियोंके शुक्लध्याननहीं होता । श्रेणिसे पहिले धर्मध्यान होना है ।" यह श्लोक उद्धृत किया है । पण्डितजो महाराज । आप पहिले ही धर्मध्यानकी प्राप्ति आजकलके मुनियों में बना आये हैं फिर न मालूम यह श्लोक वृथा उद्धृत कर क्यों आपने कलमको कष्ट दिया है । यह श्लोक मुनि, जिनमन्दिरोंमें रहते हैं इस बातकी पुष्टिमें प्रमाण रूप तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें वह बात नहीं । हम नहीं समझते वे प्रकरण बात लिखनेमें क्या महत्त्व आपने समझ रक्खा है ! मर्जी आपकी । पृष्ठ न० ५१ में—

काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादिकीटके  
एतच्चित्रं यद्यपि जिनलिंगधरा नराः । ४०३।  
यथा पूज्यं जिनेन्द्राणां रूपं लेपादिनिर्मितं  
तथा पूर्वमुनिच्छायाः पूज्याः संप्रति संयताः ४०५

ये दो श्लोक यशस्विनलकचम्पूके उद्धृत किये हैं । सोमदेव सूत्रिने दिगम्बर दीक्षाकी कठिनताका अनुभव कर कलिकालमें जिन लिङ्गधारी मुनियोंकी आश्चर्यके साथ प्रशंसा की है । इन श्लोकोंसे भी मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं होता । इन श्लोकोंसे कलिकालमें मुनियोंकी सत्ता बतलाई है, सो मुनियोंकी सत्ता पंचम

कालके अन्त तक रहेगो, स्त्राध्याय प्रेमी प्रायः जानते हैं। इसलिये इन श्लोकोंका उद्धृत करना भी परिणतजोका निरर्थक है। पृष्ठ नं० ५२ में —

‘येऽत्राहुर्नहि कालोऽयं’ इत्यादि श्लोक लिखकर परिणतजीने पञ्चमकालमें ध्यानकी सिद्धि की है। यह भी परिणतजोका प्रयास व्यर्थ है क्योंकि जब इस कालके अन्ततक मृति रहेगे तब ध्यान तो होना सिद्ध है ही, क्योंकि मुनियोंके लिये ध्यान ही सब कुछ चीज है। इस श्लोकके बाद परिणतजीने प्रकृत विषयके उपसंहारमें एक छोटा सा लेख लिखा है, उसमें माई रतनलालजो माभरो और उनके मित्रोंको कोसा है। यह भी लिखा है कि इन लोगोंने चव सागरका अमान्य ठहराकर भगी पाप किया है, इसलिये उन्हें प्रायश्चित्तके साथ अपने शब्द वापिस लेने चाहिये इत्यादि। यहाँ पर मेरा निवेदन यह है कि माभरोजो और उनके साथियोंने धर्म बुद्धिसे धर्मकी निर्गलताकी रक्षा की है। उन्होने कई पाप नहीं किया। पाप तो महाराज। आपने किया है क्योंकि अपने निन्दित पक्षकी पुष्टिके लिये आपने शास्त्राज्ञाको लोपा है, अर्थका अन्ध किया है, लोगोको धर्मसे चलायमान करनेकी चेष्टा की है, मुनियोंकी पवित्रताका लोप कर उन्हें शिथिलान्वागी बतानेका साहस किया है। यह बहुत बड़ा पाप है। इसका कितना बड़ा प्रायश्चित्त होना चाहिये यह भगवान केवली ही जान सकते हैं।

आपने लिखा है “चर्चासागरमें पद्मनन्दी और शिवकोटि आचार्योंके बचनानुसार मुनियोंकी जिनमन्दिरोमें रहना सिद्ध


किया है कोई मनसे नहीं लिखा है” इत्यादि, यहाँपर मुझे यह लिखना है कि पद्मनन्दी आचार्यके श्लोकको भगुदध गढ़कर उनका वचन तो लिखा है, शिवकोटिका कौनसा प्रमाण दिया है सो नहीं दीख पड़ा ; इन्द्रनदी मट्टारकका एक प्रमाण जरूर है । शायद यह गलना होगी । अस्तु

खास शब्द—गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध करनेके लिये आपने ५२ पेज रग डाले हैं । आपने जितने प्रमाण दिये हैं उनमें मट्टारक शिवकोटिके रत्नमाला ग्रन्थ और मट्टारक ज्ञानभूषणके परमार्थोपदेश ग्रन्थ इन दो ग्रंथोंके प्रमाणोंके सिवाय किसी भी प्रमाणसे मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं होता । मट्टारक ज्ञानभूषणने जो चैत्यालय और जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना बतलाया है वहां पर भी नगरके बाहिर बनोंके चैत्यालय और जिनमन्दिरोंका ग्रहण है क्योंकि वहा पर जिन स्थानोंका वर्णन किया है वे बनोंके एकान्त स्थानही ग्रहण किये हैं । वहां पर गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरों का ग्रहण नहीं हो सकता । दूसरे चित्तशांतये यह पद देकर तो गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना मुनियोंका लियाही नहीं जा सकता । जब आपको जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध करनेवाला कोई और प्रमाण न मिला, तब आपने राजवार्तिक चारित्र सार आदि ग्रन्थोंमें गांव नगरका उल्लेख देख उनसे गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें मुनियों का रहना सिद्ध करना चाहा ।

१. ७ उससे आपने अपने सिद्धान्त ज्ञानके कारापनकी जांच करा

( १२५ )

दी, क्योंकि वहाँ गांव नगरका अर्थ गांव नगरके बाहिर बाग्य वगीचे आदि हैं, वहाँ मुनिगण ठहरते हैं। पुराणोंमें सब जगह यही लिखा है। इस लिये अपने मतकी पुष्टिके लिये आपका एक ही प्रमाण रत्नमालाका कहा जा सकता है; परन्तु वह भी ठीक नहीं; क्योंकि रत्नमालाके कर्ता मञ्जारक शिवकोटि वि० सं० १५०० में हुए हैं। उस समय शिथिलाचारका जमाना था। मन्दिरोंमें रहनेका शिथिलाचार जारी था; जमानेकी खूबीसे वैसा लिख देनेसे वह सिद्धान्त बचन नहीं हो सकता। इस प्रकार गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध करने वाला एकमौ पुष्ट प्रमाण न रहते जो आपने शांत जैन समाजका श्रुद्ध कर दिया है, यह आपका बड़ी भारी भूल है। आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला है। अथमी हमारी यह प्रार्थना है कि एक बार फिर आप इस विषय पर विचार करें।





# गोबर पर विचार

भगवान जिने द्रुकी जो पूजा वा आरती की जाती है उन दोनों का उद्देश्य आठों कामोंके नाश करनेकी अभिलाषा है। पूजा और आरतीके समय पवित्र और सुगन्धित द्रव्य ही काममें आती हैं। लोग उस द्रव्यको भले ही ग्राह्य वा पवित्र समझे यदि वह हिंसाकी कारण है और जिसकी उत्पत्ति विष्टा मार्गसे हुई है, वह तीन लोक के नाथकी पूजा आरती सरीखे पवित्र कामोंमें नहीं आ सकती। लोकमें गायको देवता माना जाता है, इसी लिये उसके गोबर गोमूत्रको भी पवित्रताकी दृष्टिसे देखा जाता है, परन्तु विचार करनेपर कभी पवित्र नहीं हो सकता। चर्चा सागरमें भगवान जितेन्द्रकी आरतीका स्वरूप बतलाया है; वहाँ पर गोबरसे भी आरती करना लिखा है; वह श्लोक इस प्रकार है —

दुर्भास्वस्तिकदर्भपद्मकनदीमृद्रोचनागोमयः  
श्रीखंडोत्तमहेमरौप्यकुसुमश्रीदोपभृंगारकान्  
सिद्धार्थं तिलशालिकुंकुमयवप्रत्यग्रधूपादिकान्  
सर्वान् मंगलसंचकान्क्रमयुगस्योत्तारयाम्यहेतः

अर्थात् दूध, स्वस्तिक, दाभ, कमलगट्टा, नदीकी मट्टी, गोबर आदि शब्दोंसे मैं आरती करता हूँ । यहाँपर गोबरसे आरतीका विधान किया है । भाई रतनलालजी भाभरुकी ओरसे यहाँ पर यह कहा गया है कि गोबरसे आरती करना धर्म विरुद्ध है । मान्य शास्त्रोंमें कहीं भी यह विधान नहीं आया, चर्चा सागरके कर्ताने इस भ्रष्ट मार्गको घोषा है । इस पर ५० मखनलालजीने गोबरके शुद्ध बनानेमें आकाश पातल एक कर दिया है । नेमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ आदि अप्रमाणिक ग्रन्थोंके प्रमाण देकर उसे शुद्ध बता नेकी वृथा चेष्टा की । भर्तृ आगनके लिपनेमें गोबरका लोकमें अधिक प्रचार देख राजवार्तिक चरित्रसार आदि ग्रन्थोंमें उसे लौकिक शुद्धियोंमें ले लिया है । जो पदार्थ हो तो वस्तुतः अशुद्ध परन्तु लोग उसे किसी कारणसे व्यवहारमें लाते हो इसलिये उसे लाचारीसे शुद्ध मान लेना यह लौकिक शुद्धिका अर्थ है । जहाँ पर गोबरको लौकिक शुद्धियोंमें माना है वहाँ पर उसका यही भाव है कि गोबर है तो अशुद्ध परन्तु अधिकांश लोग उसे लीपने आदिके व्यवहारमें लाते हैं इसलिये वह शुद्ध है । परन्तु ऐसा लौकिक शुद्ध पदार्थ लोक व्यवहारमें भले ही काममें आवे । पूजा आरती आदि पवित्र कामोंमें यह काम नहीं आ सकता । यदि पूजा आदि पवित्र कामोंमें भी वह शुद्ध माना जाता तो उसे जहाँ लौकिक शुद्धियोंमें बताया है वहाँ पर यह भी कह देना था कि इससे पूजा आरती भी हो सकती है । ऐसा लिखनेमें भगवान अकलक देव सरोखे आचार्योंको कोई भय भी न था परन्तु यह बात उन्होंने नहीं लिखी इस लिये पूजा

आरतोंके समय गोबर सरोखी निकुण्डे चीजका उपयोग करना जैन धर्मकी पवित्रता नष्ट करना है । और जैन धर्म पर हिन्दू धर्मकी छाप लगाना है ।

लोकमें मृगछाला ( मृगचर्म ) हाथी दांत, ऊन, शंख आदि बहुत सी अपवित्र चीजें भी शुद्ध मानी जाती हैं परन्तु जैनियोंके धार्मिक कार्योंमें उनका उपयोग नहीं होता । क्या कहो भी जिन मन्दिरों में मृगछाला वा शेरको खाल कहीं बिछी दीख पड़ती है ! क्या ऊनी वस्त्रोंसे कहीं भगवान् जिनेन्द्रकी पूजाका विधान है । हाथी दांत बहुत पवित्र माना जाता है । जिस तरह हाथी दांतकी गणेश जी, ब्रह्मा जी, श्रीकृष्ण आदिकी मूर्तियाँ दीख पड़ती हैं क्या कोई हाथी दांतकी भगवान् जिनेन्द्रकी प्रतिमाभी दाख पड़ती है । यदि कहीं मिल भी जाय तो क्या वह वेदोंमें विराजमान कर पूजा जा सकती है ? कभी नहीं । इस लिये जिस प्रकार मृगछाला हाथी दांत आदि चीजें लोकमें शुद्ध मानी जाने पर भी उनका धार्मिक कार्योंमें उपयोग नहीं होता उसी प्रकार गोबर भी मले हो लोकमें शुद्ध माना जाय, पूजा आरती आदि धार्मिक कार्योंमें उसका कभी उपयोग नहीं हो सकता । जमोन वगैरह जो गोबर से लीपी जाती है उसका एक मात्र कारण बदबू दूर करना है । तथा मिट्टीको छखड़नेसे कुछ रोकना और जमाना है इस लिये लीपने आदिमें उसका उपयोग हो सकता है । वह पवित्र नहीं माना जा सकता ।

शास्त्रोंमें यह बात लिखी है कि गोबरमें बहुत जल्दी जीव

पडते हैं। यदि आरती आदिके कार्यमें गोबर लिया जायगा तो यह निश्चय है कि उससे अनेक जीवोंकी हिंसा होगी। जहां पर हिंसा है वहां पर धर्म नहीं हो सकता। यह जैन धर्मका खास सिद्धान्त है। इस रूपसे गोबर कभी भगवान् जिनेन्द्रकी आरती के समय ग्रहण नहीं किया जा सकता।

दशवीं शताब्दीके पहिलेके किसी भी ग्रन्थमें आरतीके लिये गोबरका विधान नहीं पाया जाता। आदि पुराणमें भगवज्जिन सेनाचार्यने नीराजना ( आरती ) का उल्लेख किया है परन्तु वहा पर नीराजना द्रव्योंमें गोबरका उल्लेख नहीं किया। लघु अभिषेक पाठमें नीराजना द्रव्य लिखी है परन्तु वहां भी गोबरका उल्लेख नहीं है। जबसे जैन धर्ममें शिथिलाचार जारो हुआ है तबसे और भ्रष्ट बातोंकी तरह भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीमें गोबर ग्रहण करनेमें भी पाप नहीं समझा गया है। प्रतिष्ठापाठोंमें तो गोबर गोक्षूत्रको सर्वोत्कृष्ट द्रव्य मान लिया है। यह शिथिलाचार बराबर १६ वीं शताब्दी तक कायम रहा। फिर आगे ऐसे प्रभावी जैनाचार्य भी नहीं हुए जो संस्कृत प्राकृतमें ग्रन्थोंका निर्माण कर इन शिथिलाचारी प्रथाओंका मूलोच्छेद करते, भाषाके अनेक जैन धर्मके मर्मज्ञ विद्वान् हो गये हैं उन्होंने इसका पूरा निषेध किया है।

'उन्होंने गोबरको जीवोंका पिण्ड बतलाया है। मल कहकर उसे पुकारा है। महा अपवित्र माना है। अब, हम अपनी ओर से विशेष न लिखकर शास्त्रोंमें गोबरके विषयमें क्या

लिखा है यह बात पाठकोंके सामने रखते हैं। पाठक गोबर शुद्ध है वा अशुद्ध है ? तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीमें उसका ग्रहण करना ठीक है या नहीं। इस बात पर स्वयं विचार कर सकेंगे।

भाषाके विद्वानोंने जैन धर्मकी आचार विचार सम्बन्धी गूढ़ बातोंको भाषामें ढोलकर जैन धर्मकी बहुत बड़ी रक्षा की है। जो कुछ भी आचार विचार आज लोगोंमें दीख पड़ता है वह क्रिया कोषोंकी कृपासे ही दीख पड़ता है। पं० दोलतरामजी कृत क्रिया कोषका जैन समाजमें बहुत बड़ा आदर है। गोबरको महा अपवित्र पदार्थ बतलाते हुए वे लिखते हैं—

नहि छीदै गोवर गोभूत मल मूत्रादिक महा अपूत  
छाणा ईधन काज अजोगि लकड़ी हू वींधी नहिजोगि

पृ० १४ छपा

यहां पं० दोलतरामजीने स्पष्ट ही कर दिया है कि गोबर और गो मूत्र ये मल और मूत्र हैं महा अपवित्र है, इनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिये तथा जो लोग गोबरके छांड़े (कण्डे) काममें लाते हैं यह भी महा अपवित्र है। छांड़ोंसे कभी रसोई वगैरह न करनी चाहिये। भाई रतनलालजी भांफरीजीने गोबरको विष्टा कह दिया था। उस पर पं० सक्खनलालजीने मनमाना उन्हें कोस डाला है। भाई रतनलालजीका गोबरको विष्टा बतलाना मनगढ़ंत न था, शास्त्रके आधारसे था; क्योंकि क्रियाकोष शास्त्रमें गोबरको

मल ( विष्ठा ) कहा गया है । देखना है पं० दोलतरामजीके लिये भा० मक्खनलालजीका कोसना किस रूपसे होता है । तथा आगे जोकर पं० मक्खनलालजीने दाल घाटी आदिका गोबरक कंठों पर होनेसे गोबरको पवित्र बतलाया है, परन्तु पंडितजीका वैसा ही लिखना शास्त्र विरुद्ध है क्योंकि क्रियाकोषमें पं० दोलतरामजीने छाडोंपर दालवाटी करना अनुचित बतलाया है । आज भी जिन लोगोंके खाने पीनेका आचार विचार है, वे लोग गोबरके छाणोंकी रसोई नहीं जीमते । उसका चौकामें आना पाप समझते हैं । आचार विचार शून्य बहुतसे भी व्यक्ति यदि गोबरके छाणोंकी रसोई खाते हैं तो वे धर्म विरुद्ध ही कार्य करते हैं । उनका वैसा करनेसे धर्म दृष्टिसे गोबर पवित्र नहीं हो सकता । जब क्रियाकोषमें गोबरको महा अपवित्र माना है उसके सूखे कण्डों पर रसोई करना भी मना किया है तब तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेन्द्रकी आरती गोबरसे बतलाना, कभी ठीक नहीं हो सकता पीछेके ग्रन्थोंमें जो गोबरसे आरतीका गोमूत्रसे भगवान् जिनेन्द्रके अभिषेकका विधान मिलता है वह बनावटी है । हिन्दू धर्मकी घात जबरन जैनग्रन्थोंमें घुसेड़ी गयी है ।

### और भी प्रमाण

पं० किसनलालजी कृपण क्रियाकोषमें भी गोबरको महा अपवित्र माना है । जल्दी जीव पड़नेसे उसे घोर हिंसाका कारण माना है । जहां शुद्ध घृतकी विधि बतलाई है वहाँ पर पशुओंको स प्रकार रखना चाहिये तथा गोबरका क्या होना चाहिये ।

इस विषयमें इस प्रकार लिखा है—

गोबर तिनकौ है नित सोइ,  
अपने गेह न थापै कोइ ।  
औरन को माग्यो नहि देइ,  
ब्रस सिताव जामैं उपजेइ ।४३।  
बाल रेत नाखि जा मांहि,  
करडो करि सो देइ सुखाइ ।  
चरिवे को रामे न खिडांइ,  
जल पीना निवार नहिं जाई

पृष्ठ ४२ लिखा -

अर्थात् पशुओंका जो गोबर हो उसे छाणोंके लिये अपने घर न राखे । यदि गोबर कोई मांगे तो उसे भी न दे क्योंकि बहुत ही जल्दी उसमें ब्रस (जीव) पडते हैं इसलिये गोबर हो उसी समय उसमें बाल रेत आदि खारी चीजें मिलाकर सुखाने डाल दे । क्रिया कोपकं कर्ताने यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया है कि गोबरमें बहन जल्दी जीव पडते हैं, इसलिये किसी भी काममें उसका लेना अनेक जीवोंकी हिंसा कर महान पाप वध करना है । तथा उसकी मुखानेकी जो विधि बतलाई है उससे यह स्पष्ट कर दिया है कि सूखा गोबर रसोई आदिके काममें नहीं लिया जा सकता । अब कविये पं० मन्खनलालजी । गोबर कडों पर दालवाटी चूरमाका

करना क्या आप शास्त्रकी आज्ञाके अनुकूल मानेंगे ? आचार विचार वाला मनुष्य कभी गोबरके छाड़ोंको रसोई नहीं खा सकता । जो पेसा करते हैं लोककी देखा देखी करते हैं, उन्हें शास्त्रकी आज्ञाका पना नहीं ।

क्रियाकोषमें यहाँ तक लिखा है कि दूध निकालते समय गायको स्नान कराया जाता है । यदि उस समय गाय गोबर या पेशाब कर दे तो फौरन दूध दुहना बन्द कर देना चाहिये । और उसे फिरसे स्नान कराकर दूध निकालना चाहिये । यहाँ पर यह बात विचारनेकी है कि जब गोबर और गोमूत्रको पवित्र मान लिया गया है और उससे भगवान् जिनेन्द्रकी आरती और अभिषेक तकका विधान है तब गोबरको इतना अपवित्र क्यों माना गया कि उसके होते ही फिर गायको स्नान कराना चाहिये । असल बात यह है कि लोकरू लाजसे गोबरको ग्रहण करने योग्य माना भी हो तो भी है तो वह गायका विष्टा ही । धर्म दृष्टिसे वह कभी पवित्र नहीं हो सकता ।

### और भी प्रमाण

जिस त्रिवर्णाचारका धर्मरसिक नाम दिया है और जिसके श्लोकोंके बड़े गौरवके साथ चर्चासागरमें प्रमाण रूपसे उद्धृत किया है देखिये उस त्रिवर्णाचारमें भी गोबरके विषयमें क्या लिखा है—

त्रिणमूत्रोच्छिष्टपात्रं च प्यचर्मास्थिरक्तकं



गोमयं पंकदुर्गन्धस्तमोरोगांगपीडितः । १५०

असम्मार्जितमुद्धूलिष्टताङ्घ्रिभूसंवृतं

मलिनं वस्त्रपात्रादियुक्ता स्त्रीः पूर्णागर्भिणी

सूतकीगृहसंधिस्थो स्लेच्छशब्दोऽतिनिष्ठुरः

तिष्ठन्ति यत्र शालायां भुक्तिस्तत्र निषिध्यते १५२

अथ जहाँगर विष्टा मूत्र पड़ा हो, जूठे वर्तन रखे हों, पीव चमड़ा हड्डी और लून पड़ा हो, गोबर पड़ा हो, कीचड़ हो, दुर्गन्ध आती हो, अन्धकार हो, रोगसे पीडित मनुष्य हो, जो जगह झाड़ पोंछ कर साफ न की गई हो, धूल पड़ी हो, प्राणियोंके अवयव पड़े हों, धूआँसे आच्छादित हो, मैले वर्तन कपड़े पड़े हों, पूर्ण गर्भवती स्त्री बैठी हो, प्रसूतिगृहकी दीवालसे सटा हो, स्लेच्छोंके शब्दोंसे भयंकर हो, वहाँ बैठकर भोजन न करना चाहिये । १५०—१५२

विचारनेकी बात है कि एक जगह तो गोबरको इतना पवित्र मान लिया कि उससे यगवान जिनंद्रकी आरती भी की जा सकती है और दूसरी जगह वही गोबर इतना अपवित्र मान लिया कि उसे पीव चमड़ा हड्डीकी गणनामें गिन लिया ! एक ही चीजके बारेमें परस्पर विरुद्ध ये दो विधान कैसे हुए । समझमें नहीं आता । जो महानुभाव त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठापाठोंके लेखानुसार गोबरको शुद्ध मानते हैं उन्हे इस पूर्वापर विरोधी लेखपर खयाल करना चाहिये । वनावटी बातके धरान करनेमें कितनी भी चतुरता रक्ख जाय कहीं न कहीं पोल रह ही जाती है । यदि गोबरको वस्तुतः

पवित्र माना जाता तो दशमी शताब्दीके पहिलेके ग्रन्थोंमें अवश्य उस घातका उल्लेख रहता परन्तु कहीं देखनेमें नहीं आता । इस लिये मानना होगा कि धर्मद्वेषियोंने जैनधर्ममें इन भ्रष्ट बातोंका प्रचार कर उस मलिन धनानका साहस किया है । ऐसे भ्रष्ट वचन कभी केवला भगवानके नहीं हो सकते ।

### और भी प्रमाण

भोपाके विद्वानोंमें प० सदासुखदासजीका आसन बहुत ही ऊँचा है । यद्यपि लौकिक शुद्धिमें उन्होंने गोवर बनलाया है परतु उस महाहिंसाका कारण कहा है । वे लिखत हैं—

“गौके बाधनेमें तथा जाक मल ( गावर ) में मूत्र ( गोमूत्र ) में असख्यात जात्र उपजे हैं ।” इत्यादि । विचारनेकी बात है जिस गोवरको प० सदासुखदासजी मल ( विष्टा ) बतला रहे हैं, उससे कैसे भगवान जिनेंद्रकी आरना हो सकती है ? प० सदासुखदास जीके मतानुसार यदि गोवर मल है तो कहना होगा भगवानकी आरती मलसे भी हो सकती है । यदि सदासुखदासजी गोवरको पवित्र मानते तो उसे कभी मल नहीं कह सकते थे । उन्होंने जो गोवरको लोक लाजसे शुद्ध माना उसका यही मतलब है कि वह है तो महा अपवित्र मल ही, परन्तु लोक उसे अज्ञानतासे वैसा नहीं समझते । खद है विद्वान कहे जानेवाले पण्डितजन भी शास्त्रों के शब्दोंको समझनेकी चेष्टा नहीं करते, झूठी दृष्टसे जैनधर्मकी पवित्रता नष्ट करना चाहते हैं ।

कुछ पक्षपाता पण्डितोंका कहना है कि जिस प्रकार प्रतिष्ठा

पाठ आदिमें गोवरका विधान मिलता है, उसी प्रकार संस्कृत और प्राकृतके ग्रंथोंमें उसका निषेध क्यों नहीं मिलता। इसका उत्तर यह है कि पदार्थके स्वरूप पर विचार करना चाहिये। गोवरको स्वरूप जब अशुद्ध है, उत्पत्ति भी उसको अशुद्ध मार्गसे है, तब वह शुद्ध किसी हालतमें नहीं हो सकता। दूसरे दशवीं शताब्दीके पहिलेके किसी ग्रंथमें गोवरका विधान नहीं, जबसे जैनधर्ममें शिथिलाचार चला है, आचार्योंके नामसे हिन्दू ब्राह्मणों, द्वारा प्रतिष्ठा पाठ आदिका निर्माण हुआ है, उनमें गोवरका विधान मिलता है। १५-वीं १६-वीं शताब्दीके बाद आचार्य हुए नहीं, भाषाके विद्वान् हुए हैं, उन्होंने अनेक ग्रंथोंका निर्माण किया है। उनके बचनोंका आदर भी आचार्य बचनोंका सा ही माना जाता है। भाषा ग्रंथों में जहाँ भी प्रकरण आया है गोवरको अनेक जावोंका पिंड और मल ( विष्टा ) बतलाया है, इसलिये किसी भी हालतमें गोवर शुद्ध नहीं माना जा सकता। जैनधर्मके सब्बे उपासक आचार विचारक पालन करनेवाले महानुभाव उसका स्पर्श करना भी पाप समझते हैं, फिर भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीमें तो उसका उपयोग ही नहीं सकता। जो लोग गोवरसे भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीके पक्षपाती हैं वे हठवादी हैं। जो ही अनेक प्रमाणोंके आधारसे यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिया कि गोवर महा अपवित्र पदार्थ है, शास्त्रोंमें उसे मल ( विष्टा ) कहा है। अब पं० मन्मथलालजीने उसे शुद्ध बतानेमें जो प्रमाण दिये हैं उनपर हम विचार करते हैं—

पृष्ठ नं० ५३ ५४ में पं० मन्मथलालजीने भाई रतनलालजी

के वे शब्द उद्धृत किये हैं जो उन्होंने तीन लोकों के नाथ भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीमें गोवर विधान देखकर दुःखित हृदयसे निकाले हैं। पंडितजीने उन शब्दोंके आधारसे यह लिख मारा है कि “भाभरी जीने पूज्य आचार्योंको गाली दी है। जैनधर्मका घोर अपमान किया है” इत्यादि। परन्तु पण्डितजीने भाभरीजीके भावोंकी ओर ध्यान नहीं दिया। जिन लोगोंने गोवर सरीखी भ्रष्ट चीजोंसे भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीको विधान कर, जो जैनधर्मकी पवित्रता पर पानी फेरा है, उससे सब्जे जैनधर्मको दुख हुए बिना नहीं रह सकता। भाभरीजीको असभ्य, दोन ( नोच ) बड़े घरकी हवा खिलाये जानेके योग्य आदि तक लिखा गया है। यह अनुचित ही है। भाभरीजीने न तो आचार्योंको ही गाली दी है, न पांडे चम्पालालजीका बुरे वचन सुनाये हैं। वहां तो जिन्होंने गोवर और गोमूत्रको पवित्र मान जैनधर्म पर हिन्दूधर्मकी छाप लगाकर उसके सच्चे स्वरूपको नष्ट करनेकी चेष्टा की है उनके लिये वे दुखभरे वचन हैं। पंडितजीने यह भी लिखा है कि भाभरीजी संस्कृत पढ़े नहीं, शास्त्रोंका मर्म समझते नहीं, फिर उन्होंने गोवरको किस प्रकार विष्टा लिख डाला है, जान नहीं पड़ता। भाभरीजी बीस पंथ तेरह पंथमें फूट डालना चाहते हैं इत्यादि।” इसका उत्तर यह है कि प्रश्नोत्तर श्रावकाचारके कर्ताने उसे विष्टाकी विष्टा बताया है, प० दौलतरामजी प० किसनलालजीने भी उसे महानिघ्न और विष्टा कहा है। प० सदासुखदासजीने भी उसे मल ( विष्टा ) कहा है, फिर रतनलालजीका कहना शास्त्रोंकी आज्ञानुसार है।

उन्हें वृथा गाली सुनाकर अपनी पंडिताईका रोभाव जमाना वर्ध है। दोन यह है आप नाम सुनकर ही अपनी राय दे देते हैं। भाव की ओर ध्यान नहीं देते, इसीलिये आपका विचार महत्त्व नहीं रखता।

पृष्ठ नं० ५७-६० तक पंडितजीने गोवरको शुद्ध करनेके लिये आठ कल्प उठाये हैं सबोंका अर्थ यही है कि गोवरसे लीपा जाता है और गोवरके छाणोंपर दालवाटी पकाकर खाई जाती है। इसका उत्तर यह है कि गोवरको लोक लाजसे शुद्ध मान लिया है उससे लागोंके देखादेखी मकानोंका लीपना आदि प्रचलित है। परन्तु उससे वह भगवान जिनेंद्रकी आरतीके काममें आवे यह कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जा महानुभाव सचचे जैना हे, जैन धर्मके अहिंसां स्वरूपको समझते हैं, वे गोवरका स्पर्श तक नहीं कर सकते और जब वे गोवरके छाणोंको चौका तकमे ले जाना अपवित्र मानते हैं तब उनपर की हुई दालवाटी तो वे खा ही नहीं सकते। इस रूपसे जैनधर्मके सचचे जानकार जब गोवरका छूना पाप समझते हैं, तब पं० मकखनलालजीका यह कहना कि दि० जैनियोंमें गोवर पवित्र और मांगलिक द्रव्य माना जाना है तथा वे इसके छाणोंपर की हुई दालवाटी खाते हैं, यह बहुत बड़ा धोखा देना है। नामधारी जैनी बिना समझे लागोंकी देखा देखी गोवर अपना निकले ता वह उनको अजानकारो है। अपनाने मात्रसे काइ पदार्थ शास्त्रोंकी दृष्टिमें शुद्ध नहीं हो सकता। जैनियोंमें और भी बहुत सी बातें "अज्ञानतासे प्रचलित हैं, तो क्या वे भो

धर्म दृष्टिसे ठीक मानी जा सकती है ? आपने लिखा है मनुष्यकी विष्टा पर पैर पड जानेसे स्नान करना पड़ता है । गोवर पर पैर पड जानेसे नहीं , इसलिये गोवरको विष्टा कहना भूल है इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि गोवरको मनुष्यकी विष्टा नहीं कहा गया, गायकी विष्टा कहा गया है और वह गायकी विष्टा ही है । गायकी विष्टा छोड़कर उसे कोई मक्खन मिश्रा नहीं बतौ सकता । आपने लिखा है—“होमादि कुंडोंको गोवरसे लीपा जाना है” सेा इसका समाधान यह है कि यह लेख उन्हीं ग्रंथोंमें पाया जाता है जिनकी कि जैनधर्ममें प्रामाणिकता नहीं । मान्य आचार्योंके किसी ग्रंथमें वह विधान नहीं । आपने जो लिखा है भाभरीजीने गोधरके विष्टाके बराबर बताया है सो ठीक नहीं, खल रस भागके परिणामन एवं वस्तुस्वरूपमें भेद होनेसे विष्टा और गोवर भन्न २ पदार्थ हैं” इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक मनुष्यके खल रस भाग जुदे २ हैं, परन्तु मनुष्योंको विष्टाके विषयमें यह नहीं कहा जाता कि अमुककी विष्टा विशेष अपवित्र है और अमुककी विष्टा विशेष अपवित्र नहीं । इस रूपसे खल रस भागका हेतु पोच है और उससे गोवरकी पवित्रता सिद्ध नहीं हो सकती । इसलिये लोकरीतिके आधारसे जो पंडितजी गोवरको पवित्र सिद्ध करना चाहते हैं, वह सिद्ध नहीं हो सकता । पृष्ठ न० ६० में

मृत्स्नयेष्टकथा वापि भस्मना गोमयेन च  
शौचं तावत्प्रकुर्वीत यावन्निमज्जता भवेत् । ११

अर्थात्—मिट्टी ईंटका चूरा राख और गोबरके द्वारा वहाँ तक शुद्ध करनी चाहिये, जहाँ तक कि निर्मलता आजाय। यह यशस्तिलक चम्पूका श्लोक उद्धृत कर गोबरकी पवित्रता सिद्ध की गई है। परन्तु इस रूपसे गोबर इतना पवित्र नहीं माना जा सकता कि वह भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीकी सामग्री बन सके। टट्टी आदि से आकर हाथ धोनेके विषयमें यह कहा गया है कि जबतक बदन दूर न हो जाय तबतक मिट्टी आदिसे बराबर हाथ धोना चाहिये। लोक रीतिमें यह बात देखी जाती है, उसीको शास्त्रमें लिख दिया गया है, इस लिये इस रीतिसे गोबर भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीके लायक पवित्र नहीं हो सकता। पृष्ठ नं० ६१ में—

‘लौकिक शुचित्वमष्टविधं—कालाम्नि भस्म मृत्तिका गोमयेत्यादि’ राजवार्तिककी पंक्ति उद्धृत की है। यहाँ पर लौकिक शुद्धिमें गोबर लिया गया है, यही पकड़ कर उसे पवित्र सिद्ध करनेकी चेष्टा की गई है, पर यहाँ पर भी यही भाव है कि लीपने हाथ धोने आदिके लिये ही गोबर काममें आ सकता है। भगवान् जिनेन्द्रकी आरती उससे नहीं की जा सकती। लौकिक शुद्धि माननेका अर्थही यह है कि वह लौकिक कामोंमें ग्रहण किया जा सकता है, धार्मिक कामोंसे उसका उपयोग नहीं हो सकता। इस लिये गोबरको भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीकी सामग्री बताना महा भूल है। चारित्रसारमें भी इसी प्रकार गोबरको लौकिक शुद्धिमें माना है, उसका तात्पर्य यही है लीपना हाथ धोना आदि कामोंमें गोबरका ग्रहण हो सकता है। पूजा आदि धार्मिक कार्य उससे

नहीं किये जा सकते । पृष्ठ न० ६३ में—

तेन सामान्यतोऽदत्तमादानस्य सन्मुनेः  
सरिन्निभरणाद्यंभः शुष्कगोमयखंडकं ।२।  
भस्मादि वा स्वयं मुक्तं पिच्छालांबु फलादिकं  
प्राप्तुकं न भवेत्स्तेयं प्रसत्तत्वस्य हानितः ३।

अर्थात्—नदीके भरने आदिवा जल, सूखे गोबरका टुकड़ा ( कण्डा उपला ), भस्मादि अपने आप छोड़ी गई मयूरकी पिच्छे सूखी तुंबी आदि जो प्रासुक चीजे हैं वे यदि किसीके द्वारा बिना दी हुई हैं उन्हें भी ग्रहण करने वाले जो श्रेष्ठ मुनि हों तो उन मुनिराजका प्रमोदका योग न होनेसे चोरीका दोष नहीं लगता । ये दो श्लोक श्लोकवार्तिकके उद्धृत किये हैं । यहां पर सूखे गोबरके कण्डेका उल्लेख रहनेसे पंडितजीने गोबरको पवित्र सिद्ध करनेकी जो चेष्टा की है, वह व्यर्थ है जब सिद्धान्त यह है कि मुनिगण बिना दी मिट्टी और जल भी नहीं ले सकते तब वे जंगल में पड़ी मोरकी पिच्छे तुंबी आदि कैसे ले सकते हैं, यह भी तो विचारना चाहिये । यहां पर श्लोक वार्तिक पंक्तियोंका मतलब यह है कि—

भरनेका पानी, गोबरका टुकड़ा, मयूरकी पिच्छे तुंबी आदि चीजे जो जंगलमें पड़ी रहती हैं, उनका कोई मालिक नहीं । मुनियोंका इन चीजोंके लेनेकी आज्ञा तो शास्त्र नहीं देता, परन्तु



यदि मुनि लेने' तो इन्हे' चोरीका दोष, नहीं' लग सकना । यदि गोबर यहाँ मुनियोंके किसी काममें आता तो उसे शुद्ध माना जाता, सो तो काममें आता नहीं फिर इस लेखसे गोबरको पवित्र नहीं माना जा सकता । लौकिक शुद्धियोंमें गोबर लिया गया है इसलिये भरनेके पानो आदिके साथ उसका भी ग्रहण कर दिया है । कुछ भी हो, भगवान जिनेंद्रकी आरतीमें गोबरका उपयोग नहीं हो सकता । पृष्ठ नं० ६३ म—

पं० सदासुख दासजीने काल शौच अग्नि शौच आदि आठ प्रकारकी शुद्धियोंमें गोमय शौच भी माना है अर्थात् लौकिक दृष्टिसे गोबरको ग्रहण करने योग्य कहा है । इसका तात्पर्य भी यही है कि वह लीपने हाथ धोने आदि लौकिक कार्योंमें काम आ सकता है । पूजा आदि धार्मिक कार्योंमें उसका ग्रहण नहीं हो सकता । रत्न करंड श्रा० टीका पृष्ठ नं० १८२ में पं० सदासुख दासजीने गोबर, गोमूत्रको स्पष्टही मल-मूत्र बनलाया है । जब उनके मतानुसार गोबर मल ( विष्टा ) है, तब वह भगवानकी आरतीमें कभी नहीं लिया जा सकता । यहाँ पर यह बात और भी विचारने की है कि राजवार्तिक और चारित्रसारमें पवन शौचका लौकिक शुद्धिमें उल्लेख नहीं किया है, पं० सदासुख दासजीने किया है यह भेद कैसा । मालूम होता है भगवान अकलङ्क देव और चामुण्डरायको पवन शौच पसन्द तथा अथवा उस समय प्रचलित न होगा, पं० सदासुखजीके जमानेमें प्रचलित होगा । इस रूपसे यह बात समझमें आजाती है कि लौकिक

शुद्धियोंका विधान लोकके देखादेखी है । पं० सदासुख दास जीने मलोंकी अपवित्रतामें जहां होनाधिकता बतलाई है, वहां पर गोबरको ग्रहण योग्य मल बताया है, परन्तु कहा मलही है तथा जो मल है उससे भगवान जिनेन्द्रकी आरतीका करना बडाही निंद्य काम है । प० मन्खनलाल जीने जो रत्न करंड श्रा० टीकाके आधारसे गोबरको पवित्र सिद्ध करनेकी चेष्टा की है लखयहडीकभूल है । जब वहा बराबर गोबरको मल कहकर । कि गया है, तब मलसे भगवान जिनेन्द्रकी आरती कैसे हो सकती है । यह भी तो विचारना चाहिये । पृष्ठ न० ६६ में—

पूजा और आरतीमें भेद बनलानेके लिये पण्डितजीने वृथा कई पृष्ठ काले किये हैं जो भेद पण्डितजीने आरतीका बतलाया है उसे सब जानते हैं । प्रकरणमें आरतीसे भगवान जिनेन्द्रकी आरतीका ग्रहण है । यदि अच्छी तरह विचार किया जाय तो भगवान जिनेन्द्रकी आरती और पूजाकी ब्रह्म भिन्न २ रहते भी उद्देश दोनों का एकही है । आठों कमोंके नाशका इच्छासे ही लोगोंकी प्रवृत्ति पूजा आरतीमें होती है, इस लिये भगवान जिनेन्द्रकी आरती और पूजाको किसी-रूपसे एक कह देना भी विरुद्ध नहीं भोम्बरोजीका तात्पर्य भी आरतीसे भगवान जिनेन्द्रकी आरतीका ही है । उनके शब्दों पर विचार न कर मन्खनलालजीने वृथा उन्हें कोसा है । पण्डिताई जाहिर करनेका यह तरीका विद्वान पसन्द नहीं कर सकते । पृष्ठ न० ६९ में पण्डितजीने लिखा है—

गोबरके साथ आरती हमने भी नहीं की है, परन्तु उस शास्त्रा-

ज्ञाका हम निषेध नहीं कर सकते । प्रतिष्ठाचार्योंको यह अवसर जखर मिला होगा ।” इत्यादि ! यहाँ पर यह कहना है कि जब शास्त्रभी आज्ञा गोवरसे आरती करनेकी है तब आपने क्यों नहीं की । आज्ञा क्या दूसरोंको कहनेके लिये ही है स्वयं माननेको नहीं । आज्ञा रहते जो कार्य नहीं किया जाय वह उस आज्ञाका अविनय है आगमका अग्रमान करना है । आश्चर्य है कि शास्त्रोंमें गोवरसे आरतीका विधान रहते भी कहीं भी किसी देशके किसी मन्दिरजीमे गोवरसे आरती करना देखा सुना नहीं गया । कहीं तो होना सुना जाना था । जिन्होंने गायको देवता मान रक्खा है और उसके गोबर गोमूत्रको अमृत समझ रक्खा है, उनके यहाँ भी यह भ्रष्ट विधान नहीं कि भगवानकी आरती और अभिषेक गोबर गोमूत्रसे हो । शिथिलाचारियोंने जैन शास्त्रोंको गोबर और गोमूत्रको पवित्रताके लिये और भी आगे बढ़ा दिया है । यह बड़ी लज्जाकी बात है पृष्ठ नं० ७० में

‘देहेस्मिन् विदिता र्चने निनर्दति’ इत्यादि श्लोक यशस्तिलक चम्पूका उद्धृत किया है । वहाँ पर भगवानको आरती गोबर से भी करना लिखा है इस लिये आपने गोबरको पवित्र कह डाला है । हमने इस श्लोकके ऊपर नीचेके विषयपर जब विचार किया है तो यही मालूम इत है कि यह श्लोक वे प्रकरणा वहाँ जबरन कहींका घुसेड़ा गया है । त्सेपक है । आचार्य सोमदेव ऐसा भ्रष्ट विधान नहीं कर सकते । आचार्योंका विचार भेद हो सकना है परन्तु विचारमें भ्रष्टता नहीं आ

सकती । तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेन्द्रकी आरती गोवरसे हो यह सर्वथा अनुचित है । पृष्ठ नं० ७१ से ७३ तक—

“भूम्यात्त पतित गोमये’त्यादि नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा पाठकी प’क्तिया उद्धृत कर आपने गोवरसे आरती करना पुष्ट किया है तथा नेमिचन्द्रको गोम्मटसारके कर्ता आचार्य नेमिचन्द्र लिखा है यह प० मन्खनलालजोकी बड़ी भारी अज्ञानकारी है । आपको इतिहासके आधारसे यह बात लिखनी थी । नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा पाठके इतिहासकी खोज करनेसे पता लगा है कि नेमिचन्द्र एक गृहस्थ ब्राह्मण विद्वान् थे । जैन होनेपर भी वे हिन्दूधर्मके कट्टर पक्षपाती जान पड़ते थे । विचारनेकी बात है जो हिन्दू धर्मका पक्षपाती हो, कर जैन ग्रंथ लिखेगा, वह जरूर अपने मतकी बातें उसमें घुसे-ड़ेगा । गृहस्थ ब्राह्मण नेमिचन्द्रजीने जो अपने बनाये प्रतिष्ठा पाठ में गोवरसे आरती और गोमूत्रसे अभिषेक लिखा है, वह उन्होंने ठीक ही किया है, क्योंकि वे तो उसे पवित्र मानते ही थे फिर भला जैनियोंसे उसे पवित्र मनानेकी वे क्यों चेष्टा नहीं करते । इन नेमिचन्द्र ब्राह्मण गृहस्थको आचार्य बना देना और उसे पुजा देना प० मन्खनलालजोका अति साहस समझना चाहिये । पण्डितजी महाराज ! जब एक गृहस्थ ब्राह्मणोंको आप आचार्य बना सकते है तब गोवरसे आरतीकी पुष्ट कर देना आपके लिये बड़ी बात नहीं । बलिहारी आपकी समझदारोंका है । पृष्ठ नं० ७३ में—

‘गोमयेनूतनैः शुद्धैः’ इत्यादि अकलक प्रतिष्ठापाठके वचन

उद्धृत कर गोवरसे आरती करना सिद्ध किया है तथा अकलङ्कदेव का राजवार्तिकके कर्ता भगवान अकलङ्कदेव लिख डाला है। यहां पर भी पण्डितजीने बहुत बड़ी गलती की है; यह प्रतिष्ठा पाठ भी भगवान अकलङ्कदेवका बनाया नहीं हो सकता। यह नाम फर्जी है। प्रतिष्ठा पाठकी मान्यता बढ़ानेके लिये भगवान अकलङ्कका नाम दिया गया है। यह भी किसी ब्राह्मणकी ही कृति है। ऐसे ग्रंथ-कारोंको आचार्य अकलङ्कदेव बना देना बड़ी भूल है। जब प्रतिष्ठा पाठकी ही प्रामाणिकता नहीं तब उसमें जो गोवरसे आरतीका विधान बतलाया है वह कैसे ठीक माना जा सकता है ? इस रीति से इस प्रतिष्ठा पाठके आधारसे भी गोवर शुद्ध नहीं माना जा सकता। उसे पवित्र बताकर जैन धर्मकी पवित्रता नष्ट करना है। पृष्ठ नं० ७६ में

'महिकपा गोमयका मत्तसपिंडा' इत्यादि इन्द्रनंदी भट्टारककृत इन्द्रनंदिसंहिताकी पंक्ति उद्धृत की है, उसमें गोवरसे आरतीका विधान है उससे पण्डितजीने गोवरको पवित्र सिद्ध करना चाहा है। यहांपर भी वही लिखना है कि भट्टारक इन्द्रनंदीके वे वचन शिथिलाचारी मट्टारक' होनेके कारण हो सकते हैं। गोवरसे आरतीका विधान मान्य आचार्य वचनोंसे नहीं हो सकता। इस रूपसे पण्डितजीने जितने भी प्रमाण दिये हैं वे उन प्रतिष्ठा पाठों के हैं जो कि जैनधर्ममें अप्रामाणिक माने जाते हैं। और जो दूसरे प्रमाण दिये हैं उनमें गोवरको लौकिक शुद्धिमें माना है। धार्मिक

कार्यमें उसका उपयोग नहीं हो सकता । अतः गोबरसे भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीकी पुष्टि करना शास्त्राज्ञाके विपरीत है । पृष्ठ नं० ७६ में आपने यह भी लिखा है—“लेख बाहुल्यसे अधिक प्रमाण नहीं दिये गये हैं, आगम पर श्रद्धा लानेवालोंके लिये इतने प्रमाण ही पर्याप्त हैं । जिन्हें आगमकी पर्वाह नहीं है किन्तु अपनी और अपनी युवक मडलीका ध्यान ही दृष्ट है, उन लोगोंके लिये यह हमारा लेख पर्याप्त है भी नहीं” इत्यादि । इस विषयमें प्रार्थना यह है कि अप्रामाणिक ग्रन्थोंके प्रमाण, प्रमाण नहीं कहलाते । आपने लौकिक श्रद्धामें गोबरका नाम देख उसका उपयोग भगवान् जिनेन्द्रकी पूजामें वता दिया है, यह आपकी गलती है । ऐसे कहींके प्रमाणोंको कहीं घसीट कर गोबर पवित्र सिद्ध नहीं हो सकता । यदि लीपने या हाथ धोनेके लिये गोबरका निषेध किया जाता तो यह प्रमाण आपका लागू हो सकता है । सां निषेध किया नहीं गया । आपने अप्रामाणिक प्रतिष्ठा पाठोंके प्रमाण भर मारे हैं । इन्हें कैसे माना जाय । जब वे ग्रन्थ हो प्रमाण नहीं, तो उनकी बातें कैसे प्रमाण मानी जा सकती हैं । आपने एक यशस्तिलक ग्रन्थका प्रमाण दिया है । वह झूठा है उसकी भी महत्ता नहीं । अब आपही सोचें आपने क्या प्रमाण दिये ? कैसे आपके प्रमाणों पर श्रद्धा की जाय ? हमें आगमकी श्रद्धा है, धार्मिक विषयमें युवक मडलीका दृष्ट भी नहीं, तब ऐसा आपका लिखना व्यर्थ है । ऐसे खोले रुआवका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

प्रमाण एक भी न होंगे, डोंग मारी जायगी प्रमाणाँकी, सो कैसे हो सकता है ? पण्डितजी ! प्रमाणाँके न रहते आपका ऐसा लिखना ठीक-ही है । मर्जी आपकी । पृष्ठ नं० ७७ में पण्डितजीने-ऐसा प्रकट किया है—

चर्चा सागरमें गोवरसे आरतीका लेख आनेसे जब उसका वहिष्कार किया जायगा तो खभा प्रतिष्ठा पाठोंका वहिष्कार करना होगा क्योंकि उनमें गोवरसे आरतीका उल्लेख हैं । जब प्रतिष्ठा पाठोंका वहिष्कार हो जायगा तब विम्बप्रतिष्ठा मन्दिर प्रतिष्ठा आदि कैसे प्रमाण समझी जायगी इत्यादि ।- इसका उत्तर यह है । इन प्रतिष्ठा पाठोंमें भ्रष्ट बातें मिलाकर जो उन्हें भ्रष्ट किया गया है उन बातोंको निकालकर इन्हें शुद्ध करना ही होगा । और उनके आधारसे प्रतिष्ठा हो सकेगी । गोवरसे आरती करने और गो-सूत्रसे भगवान् जिनेशका अभिषेक होनेसे ही प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो सकती । इनके बिना ही पूरी हो सकती हैं । गोवर और गोसूत्रसे आरती अभिषेक करना महा नीच काम है । कोई सच्चा जैनी इस निंदा बातको नहीं कर सकता । पृष्ठ नं० ७८ में आपने लिखा है—

चर्चा सा०का वहिष्कार और इसकी अप्रमाणताका हो हल्ला मचानेवाले भाई आचार्यकुन प्रतिष्ठा पाठोंके प्रमाण देखकर अपनी भूल पर पश्चात्ताप करें तो महान् आचार्य श्रीमद्दाह कलक देव, आचार्य नेमिचंद आचार्य इन्द्रनंदि आचार्य सोम

देव आदि महान् आचार्यों को जो अपमान हुआ है उससे जितना भारी पाप बंध हुआ है वह हलका अवश्य हो जायगा इत्यादि । इस विषयमें यह प्रार्थना है कि चर्चासागरमें जो प्रमाण दिये हैं उनमें जो वचन भ्रष्टाचारियोंके हैं, उनके सम्यन्धसे उसका बहिष्कार हुआ है । कोई भी जैनों भगवान् अफलाकदेव, नेमिचन्द आदि पूज्य आचार्योंका अपमान नहीं कर सकता । उनके नामसे जो जालसाजी की गई है उस जालसाजीका अपमान है । इतिहासकी खोजके लिये परिश्रम न कर आपने प्रतिष्ठा पाठोंके कर्ताओंको जो भगवान् अफलाक देव नेमिचन्द सिद्धांत चक्रवर्ती आदि मान लिया है यह आपकी अज्ञानकारी है । जिन्होंने प्रतिष्ठा पाठोंकी पोल खाली है उन्होंने खूब सोच विचार कर काम किया है, उनके कर्ता ये पूज्य आचार्य नहीं हो सकते, जिनका नाम आपने गिनाया है आप विचारशक्तिको काममें लाकर दूसरों पर कलक लगानेकी चेष्टा न करें, आपके कहे अनुसार यह कोई नहीं मान सकता कि भ्रांभरीजी और उनके साथियोंने आचार्योंको गालियां दी हैं । दूसरोंको बदनाम करनेके लिये यह आपका जाल बिछाना व्यर्थ है अपनी नासमझीसे दूसरोंको नीचा दिखाना बुद्धिमानी नहीं । प्रतिष्ठापाठोंके कर्ता कौन थे ? यह खुद आपको भी ज्ञान नहीं । इस विषयमें आप दूसरोंसे जाननेकी चेष्टा करें ।

सारांश यह है कि गोवरको पवित्र सिद्ध करनेके लिये आपने जो भी प्रमाण दिये थे उनमें एक भी पुष्ट प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ ।



इसलिये आपके द्वारा दिये गये प्रमाणोंसे जब गोवर पवित्र सिद्ध नहीं होता तब उससे भगवान् जिनेंद्रकी आरती कभी नहीं की जा सकती । इसलिये भगवान् जिनेंद्रकी आरती गोवरसे करना श्रद्धाचारियोंकी कल्पना है—मत्स्य आचार्योंकी आज्ञा नहीं । शाचार्य जिनसेन आदिने कही भी धार्मिक कामोंमें गोवरका ग्रहण नहीं कहा । बहुतसे लोग गोवरको पवित्र माननेमें यह हेतु देते हैं कि जिस प्रकार गायका दूध शुद्ध है क्योंकि उसके खल रस भाग जुदे २ हैं, उसी प्रकार गोवरके भी खल रस भाग जुदे २ हैं, इसलिये वह भी शुद्ध है । उनका इस बेशिर पैरकी कल्पनासे हमें नितांत खेद है । विचारनेकी बात है जो चीज गायके गुदा वा योनि भागसे निकलै वह कैसे शुद्ध कही जा सकती है । ऐसे कहने वाले यदि गायकी गुदाको गुदा और योनिको योनि न मानें यह बात दूसरी है परन्तु इतना मोटा धूल आंखोंमें झोंकी नहीं जा सकता, क्योंकि वह छोटे बड़े समा जानते हैं । स्त्रियोंके दूध होता है, बालक उसे पीते हैं, वहभी पवित्र ही माना जाता है, उसके गुदा और योनिसे निकलनेवाली चीज भी गायके गोवरके समान पवित्र मान लेनी चाहिये । क्योंकि खल रस भाग तो यहां भी जुदे २ हैं । यदि कहा जायगा कि लोकमें वह पवित्र नहीं मानी जाती तो यह मानना होगा कि जो चीज जिस रूपसे मानी जाती है उसका उही रूपसे उपयोग होना चाहिये । गोवर लापने हाथ धाने आदि कामोंके लिये उपयुक्त माना गया है, इसलिये उन्हीं कामोंमें उसका

उपयोग होना चाहिये । इतना वह शुद्ध पवित्र नहीं माना जा सकता कि तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेन्द्रकी आरती भी उससे हो सके । इसलिये गोवरको जो इतना पवित्र मानते हैं उनकी भूल है । बहुतसे लोग यहांपर यह भी अपनी राय देते हैं कि तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीमें गोवरका ग्रहण नहीं किया गया किन्तु गृहस्थावस्थामें जिस समय इन्द्र मेरु पर उनका अभिषेक करता है उस समय दूब, गोवर आदि मांगलीक द्रव्योंसे इंद्राणी बालक भगवानकी आरती करती है इसलिये उस समय भी आरतीमें गोवरका विधान है परन्तु यह कहना उसका ठाक नहीं, क्योंकि जहां पर भी गोवर से आरतीका विधान है वहांपर अर्हत भगवानका खास उल्लेख है । अर्हत अवस्था केवल ज्ञानके समय मानी जाती है, प्रतिष्ठा पाठोंमें भी यही उल्लेख है । वे अच्छी तरह जांच सकते हैं । इन्हीं महाशयोंका यह भी कहना है कि जब प्रतिमाजीके लिये पत्थर पसन्द कर लिया जाता है उस समय उस पत्थरका गोमूत्र आदिसे अभिषेक माना है, जिनेन्द्र भगवानका मूर्तिका नहीं । यह भी कोरी कल्पनाबाजो हो है । यह स्पष्ट लिखा है कि गो मूत्र आदिसे मैं भगवान् जिनेन्द्रका अभिषेक करता हूँ । वे प्रतिष्ठा पाठोंसे यह अच्छी तरह तिरांय कर सकते हैं यदि किसी तरह इनकी बात माननी ली जाय तो गोवर और गोमूत्र जिसे शास्त्रों में मलके नामसे पुकारा गया है जो अनेक त्रस (जीवों) का पिंड और निकृष्ट है उससे आरती और अभिषेकको क्या जरूरत है । ससारमें

भी अनेक उत्तमोत्तम चीजें हैं उनसे वह कार्य कर लिया जा सकता है। किसी मूठ्राचाराने पवित्र जनें धर्मको मलिन करनेके लिये ये बातें शास्त्रके रूपमें रख दीं तो हठ नहीं करनी चाहिये, उन बातों पर विचार कर लेना जरूरी है। यदि ये लोग कहें कि गोबर गोमूत्रसे आरती अभिषेक करनेमें बड़ा भारी जैन धर्मका रहस्य छिपा हुआ है तो इस पर हमारा इतनाही कहना है कि उस रहस्यको या तो वे ही महाशय जानते हैं या केवला भगवान जानते होंगे। हमारे सरोला आदमी उस गूढ़ रहस्यको समझनेकी भला क्या चेष्टा कर सकता है। कुछ मा हा; यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी कि गाबर, शास्त्रोंकी आज्ञानुसार मल है, मलसे कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जा सकता। भगवानका आरती वा पूजा धार्मिक कार्य हैं, वह महा अपवित्र गोबरसे नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य भ्रष्टाचारियोंके वचनोंसे ऐसा मानते हैं वे गलती पर हैं। उन्हें हठ छोड़कर शास्त्रोंके बातों पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये। पं० मखनलालजीकी कृपासे हमें यदि किसा सिद्धान्तकी हितकारी कथना पर विचार करना पड़ता तो हम भी अपनेको धन्य समझते; परन्तु हमें गोबर और गोमूत्र सरोखी महानिकृष्ट मलमूत्र चीजों पर विचार करना पड़ा है, यह दुःखकी बात है। जिन परमाणुओंसे गायका गाबर और गोमूत्र बने वे परमाणु अवश्यही धन्यवादके पात्र हैं क्योंकि हमारे मित्र पं० मखनलाल जी और उनके साथी निद्वान उनकी तारोफ

कर रहे हैं। 'यशस्कीर्ति' नाम कर्मका उदय जब पदार्थोंमें नहीं माना जाता, परन्तु यहां तो बलात् गोबर गोमूत्रके यशस्कीर्ति नाम कर्मका उदय मानना ही होगा, क्यों कि उनका यशगान बड़े २ विद्वान नाम धारी कर रहे हैं।

## मालाओं पर विचार

जिन महानुभावोंका मन निश्चल है उन्हें जपके लिये मालाओं की कोई जरूरत नहीं किन्तु जप करते समय जिनका चित्त ठिकाने नहीं रहता उनके लिये मालाओंका विधान किया गया है। मालाये' नौ प्रकारकी मानी हैं। 'अमीरसे अमीर' और गरीबसे गरीब अपने योग्य मालाओंसे जाप कर सकता है। मालाओंके भेदमें 'किसी को ऐनराज नहीं। मान्य ग्रन्थोंमें जब इस बातका उल्लेख है तब उसे स्वीकार करनेमें किसीको आनाकानी नहीं हो सकती। किन्तु कीमती मालाओंका जो अत्यधिकफल बतलाया है उस विषय में यह ऐनराज है कि इस प्रकारका अत्यधिक फल अन्य किन मान्य ग्रन्थोंमें लिखा है। क्योंकि जापका फल भावोंकी विशुद्धि पर है। जितने जिसके भाव जाप करते समय विशुद्ध होंगे उतनाही उसको फल प्राप्त होगा। रत्नोंकी मालासे जाप करने वालेके परिणाम यदि 'वञ्चल' हैं तो वह रत्नोंकी मालासे जाप करनेपरभी

परिणामोंमें शान्ति न रहनेसे विशेष फल प्राप्त नहीं कर सकता । और सूतकी मालासे जप करनेवालेके यदि परिणाम शान्त है तो वह मामूली सूतकी मालासे जप करने पर भी परिणामोंमें शान्ति रहनेसे विशेष फल प्राप्त कर सकता है । इस लिये मालाओंके कीमती बेकीमती पनसे बहुत ज्यादा वा बहुत कम फलका मिलना नहीं है. परिणामोंकी शान्ति और अशान्तिसे बहुत ज्यादा और बहुत कम फल मिलता है । हाँ, यह बात जरूर है रत्नोंकी माला रखनेवाला डबा माना जाता है, सूत आदिकी माला रखनेवाला गरीब माना जाता है । मालाओंके फलसे इस बातका कोई सम्बन्ध नहीं । भाई रतनलालजी भाभरीने मालाओंके भेद पर कोई आपत्ति नहीं की । कीमती मालाओंका जो बहुत ज्यादा फल बतलाया है उस पर आपत्ति का है । पं० मकखनलालजीने इस आपत्तिको समझा नहीं । मालाओंके भेदोंकी उन्होंने पुष्टि कर डाली है, जिसकी कोई जरूरत न थी, क्योंकि भाभरीजीको उनके भेद माननेमें कोई ऐतराज न था, किन्तु कीमती मालाओंका जो बहुत ज्यादा फल बतलाया है, उसकी पुष्टिसे परिहृजाने एक भी प्रमाण नहीं दिया । यहां हम चर्चासागर और भाई रतनलालजी भाभरी दोनोंके शब्द उद्धृत किये देते हैं । पाठक स्वयं जांच कर लेंगे—

### चर्चासागरके शब्द

इस प्रकरणमें मालाके भेद इस प्रकार समझने चाहिये ।

क्रियाकोपमें लिखा है ।

प्रथम फटिक मणि मोती माल ।  
 सोना रूपा सुरंग प्रवाल ॥  
 जीवा पोता रेशम जान ।  
 कमल बीज फुनि सूत बखान ।  
 ये नव भांति जापके भेद ।  
 भजिये जिनवर तजि मनखेद ॥

दूसरी जगह लिखा है—

सूत्रस्य जाप्यमालायाः सदा जापः सुखावहः  
 दग्धमृदास्थि काष्ठाना यक्षमालाऽफलप्रदा ।१।  
 सुवर्णा रौप्य विद्रुत मौक्तिका जपमालिकाः ।  
 उपवास सहस्राणां फलं यच्छ्रंति जापतः ।२।

अर्थात् सतकी माला सदा सुख देनेवाली है । अग्निके द्वारा पकी हुई मिट्टी हड्डी, लकड़ी और रुद्राक्ष आदिकी मालाएं, फल देनेवाली नहीं हैं, ये मालाएं अयोग्य हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं हैं अर्थात् इनस जप कभी नहीं करना चाहिये तथा सोना, चांदी मूंगा और मोतीकी माला हजारों उपवासोंका फल देनेवाली हैं । इनकी मालाओंके द्वारा जप करनेसे हजारो उपवासोंका फल मिलता है । इस प्रकार मालाओंका फल बतलाया है ।

## भांभरीजीके शब्द

“सोना, चांदी, सू गी और मोतीकी माला द्वारा जाप्य करनेसे हजारों उपवासका फल प्राप्त होता है” तो क्या रत्नोंकी माला द्वारा जाप्य करनेसे लाखों उपवासका फल होगा ? लोग व्यर्थ ही सूतकी मालाओं द्वारा जाप्य करके हजारों उपवासोंका फल यों ही छोड़ देते हैं। भावोंका विचार न कर मात्र कीमती मालाओंको महत्व देना वास्तवमे नई सूझ है।”

चर्चासागर और भांभरीजी दोनोंके शब्दोंको मिलाकर पाठक समझ गये होंगे कि मालाके नौ प्रकारके होनेमें भांभरीजीको कोई आपत्ति नहीं। किन्तु कीमती मालाओंका जो हजारों उपवासोंका फल बताया है यह और जगह मान्य शास्त्रोंमें कहाँ लिखा है ? पेत्राज इसीपर है। पण्डितजीको यहाँपर कीमती मालाओंके बहुत ज्यादा फलकी पुष्टिमें विशेष प्रमाण देने चाहिये थे, सो आपने एक भी प्रमाण नहीं दिया। अस्तु अब हम प० मखनलालजीने जो लिखा है उसपर विचार करते हैं—

पृष्ठ नं० ८० में आपने लिखा है—“भांभरीजी और हम जैसे विचारवालोंको इन मालाओंके विषयमें भी क्यों कुतर्क खड़ा हो गया।” इस विषयमें निवेदन यह है कि नौ प्रकारकी मालाओंके माननेमें कोई आपत्ति नहीं। कीमती मालाओंका जो बहुत ज्यादा फल कहा है, उस विषयमें आपत्ति है कि वह किस आधारसे है ? चर्चासागरमें जो श्लोक लिखे हैं वे किस ग्रन्थके हैं ? अन्य

प्रन्थोमें उस घातको कहा पुष्ट किया गया हैं ? महाराज ! आपने प्रश्न नहीं समझा, बिना समझे यह लिख रहे हैं कि 'कुतर्क क्यों, खड़ा हा गया ?' मालाओंके विषयमें हमारी कोई आपत्ति नहीं। साव-समझ कर आपको लिखना था ।

पृष्ठ न० ८० पर आपने 'प्रायदेव तबनुति पदै' इत्यादि श्लोक एकी भाव स्तोत्रका दिया है उसमें मणियोंकी मालाओंका उल्लेख है। जिसपर किसीका आपत्ति नहीं। पृ० नं० ८१ पर 'पुष्पैः पर्णभिरंघुज' इत्यादि यशस्तिलक चम्पूके श्लोक उद्धृत किये हैं, उनमें कुछ मालाओंके भेद गिनाये हैं। वे भी मान्य हैं। वहाँपर कीमती मालाओंका बहुत ज्यादा फल नहीं कहा। पृ० नं० ८२ पर "स्फटिकं च प्रवालच" इत्यादि श्लोक प्रति० पा० के दिये हैं, वहाँपर भी कीमती मालाओंका बहुत ज्यादा फल नहीं कहा, मालाओंके भेदमात्र कहे हैं। तथा स्फटिक प्रवाल मुक्ता इत्यादि श्लोक विद्यानुवादको उद्धृत किया है, इसमें भी कीमती मालाओंका बहुत जादा फल नहीं कहा। तथा पृ० नं० ८३ पर आचार्य देवसेनका और विवाह पद्धतिको, पृ० ८४ पर सक्तामरका, पृ० ८५ में इन्द्रनन्दी संहिताका, पृ० ८६ पर बृहज्जिनदीया संग्रह का और पृ० ८७ पर बसुनन्दि श्रावकाचारके प्रमाण दिये हैं। उनमें भी मालाओंके भेदही बताये हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं। कीमती मालाओंकी अत्यधिकता इन प्रमाणोंमें कही नहीं कहा। आपको पुष्टि करनी चाहिये थी कीमती मालाओंके अत्यधिक



फल को, क्योंकि झांझरीजीकी आपत्ति उसी पर है, इस प्रकार आपने प्रश्न न समझ कर जो भी पृष्ठ काले किये हैं सब व्यर्थ हैं। कलकत्तामें मालाओंको लेकरही हमारा आपको विवाद ४ घण्टेक हुआ था। उस समय हम यह कहते थे कि कीमती मालाओंका बहुत ज्यादा फल अन्य किन ग्रन्थोंमें लिखा है। आप उस समय भी यही कह रहे थे मोलाये' नौ प्रकारकी हैं। उस समय आप प्रश्न नहीं समझ रहे थे, ट्रेकूके लिखते समय भी आपने प्रश्न न समझा, यह बड़े भारी अचरजकी बात है। अच्छा है अब विद्वान लोग हमारे प्रश्न और आपके उत्तरकी जांच कर लेंगे। पृ० नं० ८२ में आपने लिखा है—“कलकत्तामें विद्यानुवाद शास्त्रको बड़े मन्दिरजीसे मँगाकर उसमेंसे इन सब बातोंको हमने पं० गजाधर लाल जी, रतनलालजी झांझरी और उपस्थित सब साइयोंको बताया भी था इत्यादि। जमा कीजिये पण्डितजी! आपने विद्यानुवाद ग्रन्थका जो पारायण किया था, वह उपस्थित विद्वानोंसे छिपा नहीं था। आपके मुंहसे अशुद्ध उच्चारण सुन सब लोग आपकी मखौल उड़ा रहे थे शायद आपको वह स्मरण होगा। १५-२० श्लोकोंका पारायण करने पर भी उसमें कहीं भी कीमती मालाओंका बहुत जादा फल नहीं निकला था। आज भी आप उससे निकालकर देते तो भी हम समझते सो अब भी आपसे निकाल कर नहीं दिया गया। हम तो समझते थे इस हास्यपूर्ण चटनाका आप उल्लेख नहीं करेंगे पर आप क्यों चूकेगे आपको

तो इस घातका पूरा अभ्यास है कि थोड़े लोग दौप भलेही जाने सब तो नहीं जानते ऐसा विचार कर आप अपने दोषकी पर्वाही नहीं करते। आपने सोनेके चमर छत्र आदिका उल्लेख कर चूया पृष्ठ काले किये हैं, वे घाते फालतू हैं। पृष्ठ न० ९० मे लिखा है—

“किसी भी आगममें रत्न मालाओंका निषेध नहीं मिल सकता। नहीं मालूम ये लोग किस आधार पर इन विषयोंका विरोध करते हुए शास्त्रोंको अमान्य ठहराने चले हैं ? आश्चर्य हैं इस भारी दुस्साहस पर !” इसका उत्तर है कि मणिमालाओंका कोई निषेध नहीं करता, आप भ्रांमरीजीके शब्दोंके ध्यानसे पढ़ें। आप लोगोंका दुस्साहस नहीं, क्योंकि हम लोग ठीक ही लिख रहे हैं। दुस्साहस आपका है जो प्रश्न न समझकर भी ऊटपटांग लिख कर अपनी झूठी विद्वत्ता छोकनेमे संकोच नहीं करते। आप ही विचारे - माताओंके विषयमें जो आपने लिखा है वह भ्रांमरीजीकी आपत्तिका उत्तर हो सकता है ? वे पूछ रहे हैं कुछ आप उत्तर दे रहे हैं कुछ ? क्या इसीको आपने पढिताई समझ रखा है। सब पूछिये तो इस निकम्मी पढिताईसे आपने जैन समाजमें बड़ा क्षोभ पैदा कर दिया है जिसका बहुत बड़ा प्रायश्चित्त करना होगा। समाजकी शक्तिको इस तरह नष्ट करना शोभा नहीं देता।

सारांश—भ्रांमरीजीकी आपत्ति यह थी कि क्षीमती मालाओं-

का बहुत ज्यादा फल और किन २ शास्त्रोंमें लिखा है। पंडितजीको उन शास्त्रोंके प्रमाण देने थे, पर पंडितजीने एक भी प्रमाण नहीं दिया। पंडितजीने इस विषयके प्रमाण दे डाले हैं कि माला इतने प्रकारकी हैं; जिस पर कोई आपत्ति न थी। यदि पंडितजी प्रश्नकी आपत्ति समझ लेते तो यह वृथा कलम पीसते। हमें तो यह जान पड़ता है कि पंडितजीको कीमती मालाओंके बहुत ज्यादा फलको पुष्ट करनेवाले किसी ग्रन्थमें प्रमाण मिले नहीं। मालाओंके विषयमें विना कुछ लिखे विद्वत्तामें बढ़ा लगता था। इसे लिये जान बूझकर पंडितजीने भांभरीजीकी आपत्तिको उपदेश किया है, नहीं तो पं० मकखनलालजी भांभरीजीके मामूली शब्द न समझे यह हो नहीं सकता। पंडितजी भले ही इस उटपटांग प्रश्न और उत्तरकी चालको गौरवकी दृष्टिसे देखें, विद्वान तो इस चालको बुरा ही समझेगे।

# आसनोंपर विचार



जहांपर कर्म कालिमाको दूर कर आत्माकी शुद्धिका उद्योग किया जाता है वहां पर किसीप्रकारके आसनको जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर आत्मा ही आसन माना जाता है और उसीमे विराजमान होकर अपना कल्याण कर लिया जाता है। तथा जो भक्ति भावसे पूजन वा जाप की जाती है वहां पर भी कोई खास आसनकी जरूरत नहीं, भक्तिके रसमें ओत प्रोत व्यक्ति जिनेंद्रके गुणोंमें जेव लीन होता है वहा पर भी आसनकी जरूरत नहीं होती। यदि वहां भी आसनकी खास आवश्यकता कही जाय तो तीर्थयात्रा वा और भी जगह; जहां पर आसन नहीं मिल सकते शिला खंड और जमीन पर बैठकर ही पूजन जाप करनी पड़ती है वहां पर फिर पूजा और जाप न हो सकेंगे, क्यों कि न आसन मिलें और न ये खास कार्य किये जायें। चर्चा सागरमें तो शिला और भूमिके आसन पर बैठनेका फल दुखदायी बताया है तब तो जहां आसन न मिलेंगे वहा पूजा आदि हो ही न सकेंगे, क्योंकि जान बूझकर कौन दुखके भ्रमलेमें पड़ेगा इसलिये यही कहना पड़ेगा। कि भावोंमें यदि भक्ति रस है तो आसन वगैरह व्यर्थ हैं आचार्य अमितगतने इस विषयको स्पष्ट इस प्रकार किया है—

न संस्तरोऽश्मा न तृणं न मेदिनी  
विधानतो नो फलको विनिर्मितः  
यतो निरस्ताक्षकषायविद्विषः  
सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः  
न संस्तरो भद्रसमाधिसाधनं  
न लोकपूजा न च संघमेलनं  
यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिज्ञं  
विमुच्य सर्वामपि वाह्यबासनां ॥

अर्थात् जो मनुष्य विद्वान है वस्तुका सच्चा स्वरूप समझते हैं वे आत्माको निर्मल बनानेके लिये आसन, पत्थर, तृण, भूमि, काष्ठ, खंडको कारण नहीं मानते, वे तो इन्द्रिय कषायोसे रहित-पना ही आत्माकी निर्मलताका कारण मानते हैं अर्थात् यदि आत्मामे इन्द्रिय कषायोंकी प्रवलता है तो कैसे भी आसन पर बैठा जाय आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकता क्योंकि आसन लोकपूजा और संघकी रक्षा आदि बातें समाधि-ध्यानके कारण नहीं इसलिये हे आत्मन ! यदि तुझे ध्यान करना है तो तू इन समस्त बाहिरी आडंबरोंको छोड़कर अपने आत्मस्वरूपमे लीन हो । आचार्य अमितगतिके इन वचनोंसे यह स्पष्ट है कि पूजा जप आदि जहा आत्माकी भलाईके लिये किये जाते हैं वहां आसन बगैरह निष्प्रयोजन हैं । वहां तो भावोंकी निर्मलताकी ही आवश्यकता है परन्तु हां:—

जहापर राज्य, धन, पुत्र, आदि इस लोक संबंधो बातोंकी सिद्धिके लिये मंत्रोंका आगधन करना पड़ता है। व्यंतरादिकोंको उपासनाकर उन्हें खुश करनेकी चेष्टा की जाती है, उनको रुचिके अनुसार खास वस्त्र और आसन आदिकी आवश्यकता हो सकती हैं। परन्तु ये क्रियायें लौकिक स्वार्थोंकी सिद्धिके लिये मानी है, इसमें धार्मिकपना नहीं। किन्तु जो क्रियायें धार्मिक हैं उनसे यदि बंध होता है तो पुण्यका होता है अथवा आत्माके कर्ममलोका नाश होकर वह शुद्ध बनता चला जाता है, अधार्मिक क्रियाओंके लिये भाव-शुद्धिकी आवश्यकता है वहां पर आसन आदि आडवरमात्र हैं। चर्चा सागरमें जहां पर आसनोंके गुण दोषोंका विचार किया है वह यदि मन्नाराधनके समय लिया जाता तो उस पर टीका टिप्पणीकी विशेष आवश्यकता न थी। परन्तु पूजा और जापके समय आसनोंमें किसीको दुखदायी और किसीको सुखदायी लिखा है यह ठीक नहीं, क्योंकि पूजा जप धार्मिक कार्य हैं। वहां पर भावोंकी शुद्धि प्रधान कारण है, वहापर आसन मिलै तो कोई हानि लाभ नहीं हो सकता। भाई रतनलालजी भाभरीजीने यही लिखा है कि पूजा जापके समय यदि भाव शुद्ध है तो किसी प्रकारके आसनसे कोई हानि लाभ नहीं हो सकता। आसनोंपर ही बुरे मले फलका मान लेना कल्पना मात्र है। तथा चर्चासागरमें जो श्लोक दिये हैं वे त्रिवर्णाचार ग्रन्थके हैं जो ग्रन्थ अप्रमाणाक है। अन्य किसी मान्य ग्रन्थमें यह बात आसनोंके विषयमें देखनेमें नहीं आई इसलिये यह आसनोंके बुरे भलेका विचार प्रामाणिक नहीं,

माना जा सकता। यहांपर हम चर्चासागरके शब्द और भांभरी-  
जीके शब्द लिखे देते हैं; पाठक स्वयं उनपर विचार कर लेंगे—

### चर्चासागरके शब्द

वंशासने दरिद्रः स्यात्पाषाणे व्याधिपीडितः ।  
धरण्यां दुःखसंभूतिदौर्भाग्यं दारुकानने ॥१५॥  
तृणासने यशोहानिः फल्लवे चित्तविभ्रमः ।  
अजिने ज्ञाननाशः स्यात्कंवले पापवर्धनं ॥१६॥  
नीले वस्त्रे परं दुखं हरिते मानभंगता ।  
श्वेतवस्त्रे यशोवृद्धिः हरिद्रे हर्षवर्धनं ॥१७॥  
रक्तवस्त्रं परं श्रेष्ठं प्राणायामविधौ ततः ।  
सर्वेषां धर्मसिद्ध्यर्थं दर्मासनं तु चोत्तमं ॥१८॥

अर्थात् वांसके आसन पर बैठकर पूजा और जप करनेसे  
दरिद्रता, पापाणकी शिला पर बैठनेसे रोगकी पीडा, पृथ्वीपर बैठ-  
नेसे दुःख, दारु काठपर बैठनेसे दुर्भाग्य, तृणके आसनसे यशकी  
हानि, पत्तोंके आसनसे चित्तका डांवाडोल पना, मृगछाला पर  
बैठनेसे ज्ञानका नाश, कंवलेके आसनसे पापकी बढ़वारी,  
नीले वस्त्रके आसनसे दुःख, हरे वस्त्रके आसनसे मानभंग  
सफेदवस्त्रके आसनसे यशकी बढ़वारी, हलदीके रंगे हुए  
आसनपर बैठनेसे हर्ष, लालवस्त्रका आसन परमश्रेष्ठ, दर्भ

( डाम तृण )का आसन उत्तम माना है। इसके सिवाय हरिवंश पुराणमें लिखा है कि श्रीकृष्णने समुद्रके किनारे तैला स्थापनकर डामके आसनपर बैठकर अपने कार्यकी सिद्धि की तथा आदि पुराणमें जो गर्भान्वय आदि क्रियाये लिखी हैं उनमें भी डामके आसनका ही विशेष वर्णन लिखा है इससे सिद्ध होता है कि डामका आसन ही सबसे उत्तम आसन है।

### झाझरीजीके शब्द

चर्चा न० २५—“भगवानकी पूजा और जप चार प्रकारके आसनपर बैठकर ही करे’ यथा ( १ ) सफेद वस्त्रके आसन ( २ ) हलदी द्वारा रंगे वस्त्र ( ३ ) लाल वस्त्र ( ४ ) डामके आसन। अन्यथा जप और पूजा करनेवालोंको नीचे लिखे फल होते हैं:— बांसके आसनसे दरिद्रता, पाषाण शिलासे रोग पीडा, पृथ्वीसे दुर्भाग्य, तृण वा घाससे यशाहानि, पत्तोंके आसनसे विभ्रम-डांवाडोल, वनात कंवलसे पापवृद्धि, नीले वस्त्रसे अधिक दुःख चित्तका हरेवस्त्रसे मानमंग”श्रीसम्भेदशिखरजी आदिकी यात्राओंमें सभी भाई पृथ्वी या पाषाण शिलापर खड़े होकर ही पूजा करते हैं या करते आये हैं तो क्या इसका फल उन्हें दुर्भाग्य और रोग पीडा ही प्राप्त होगा ? पूजा और ध्यानका फल भावों द्वारा न प्राप्त होकर केवल आसनोंपर अवलंबित बताना केवल धृष्टता है। मुनिगण ऐसे आसन कहांसे प्राप्त कर सकते हैं ?

चर्चा सागरके शब्दोंपर पाठकोंनि विचार किया होगा कि जहां-पर मंत्राराधनके समय आसनोंपर विचार नहीं किया है किन्तु



पूजा और जप (ध्यान) के समय आसनोंपर विचार किया है पूजा और ध्यानका फल परिणामोंकी शुद्धिके आधीन है कैसे भी आसन हों यदि परिणाम शुद्ध हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा । यदि परिणाम शुद्ध नहीं है तो किसी भी आसनसे फल नहीं मिल सकता । भांभरीजीने ऐसे ही विचारसे आसनोंके फलोंके विषयमें आपत्ति की थी और खुलासा भी कर दिया था कि तीर्थ-यात्रा आदि स्थानोंपर जहां आसनोंकी प्राप्ति नहीं वहांपर विना आसनोंके अथवा शिला आदि आसनोंसे या तो फल प्राप्त होगा ही नहीं यदि होगा भी तो रोगकी पीड़ा आदि फल होगा, क्योंकि चर्चा सागरमें शिला आदि आसनोंसे रोगकी पीड़ा आदि दुखदायी फल बतलाये है । भांभरीजीने इस बात पर तो कोई आपत्ति ही नहीं की कि मंत्राराधनके समय ये आसन बुरे हैं फिर पूजा और ध्यानके समय भी आसनोंको ही मुख्य मान लेना भावोंकी निर्मलताकी कोई परवा न करना, यह बात कभी युक्त नहीं हो सकती । यदि यह भी होता कि आसनोंके बुरे भले फलके विषयमें चर्चा सागरमें अन्य किसी मान्य ग्रन्थका प्रमाण होता तोभी उसपर टीकाटिप्पणी करनेकी हिम्मत न पड़ती सो तो है नहीं वहांपर प्रमाण दिया है जाली ग्रंथ त्रिवर्णाचारका, जिसकी पवित्र डैन समाजमें कोई मान्यता नहीं । इस शिष्ये यह बात अच्छीतरह सिद्ध हो चुकी है कि त्रिवर्णाचारके वचनोंके अनुसार पूजा और ध्यानके समय जो आसनोंका फल बुरा भला कहा है वह कभी ठीक नहीं हो सकता । यदि परिणाम शुद्ध नहीं है तो

हजारों उत्तमोत्तम आसनोके रहते भी उत्तम फल नहीं मिल सकता और यदि परिणाम शुद्ध है तो कोई भी आसन मत हो अथवा बुरासे बुरा भी आसन हो, कभी निन्दित फल नहीं मिल सकता । बुरे भले आसनोंसे बुरा भला फल मान लेना त्रिवर्णाचारके कर्ता की कपोल कल्पना है और चर्चासागरमें जो उसके श्लोकोंको प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है यह चर्चासागरके कर्ताकी विशेष समझदारीका न रखना है ।

यहांपर एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि जो बात बुरी होती है वह प्रायः सबके लिये बुरी ही होती है । यह नहीं कि एकके लिये बुरी हो और दूसरेके लिये बुरी न हो । पाषाण शिलाके आसनको रोगकी पीड़ाका कारण बताया है और जमीनके आसनको दुखका कारण कहा है । ये आसन श्रावक और मुनि दोनोंके लिये ही दुखदायी होंगे । फिर मुनिगण भी तो पाषाण शिला वा प्रासुक जमीन पर बैठ कर ध्यान करते हैं उन्हें भी इस दुखदायी फलका सामना करना पड़ेगा । तब तो मुनियों को चर्चासागरके अनुसार कोई शुद्ध आसनका भी परिग्रह रखना होगा । यदि यहां पर यह कहा जाय कि आसनोंके बुरे भले फलका विचार श्रावकोकी ही अपेक्षा है मुनियोंको अपेक्षा नहीं ? तो इसका उत्तर यह है कि जब पाषाण शिलाको रोगकी पीड़ाका कारण बतला दिया है । तब वह तो सभी ध्यानिधोंकेलिये वैसाही फल देगा । मुनि भी उस फलसे नहीं बच सकते । यह तो यहा कहना व्यर्थ ही है कि मुनिगण परम ध्यानी होते हैं इस लिये

उनके लिये बुरा फल नहीं हो सकता । क्योंकि यह कल्पनामात्र है । एक भूठके लिये हजारों भूठोंकी कल्पना सरीखा है । यहांपर यह एक बात और भी है कि तृणके आसनको यशका नाश करने वाला बतलाया है परन्तु साथ ही डाम नामक तृणके आसनको सर्वोत्तम माना है । यह वारोक बात समझमें नहीं आई । क्या डाम, तृण नहीं है ? दूसरे तृण तो विचारे इतने बुरे और डाम तृण इतना उत्तम यह कल्पना किस लिये है ! समझ नहीं पड़ती । जो हो ये सारो कल्पनायें कुछ सार नहीं रखतीं । जो आसन शुद्ध और प्रासुक हो वह सभी ग्रहण करने योग्य है चाहे वह पाषाण शिला हो चाहे डाम हो । पूजा और ध्यानके विषयमें आसनोंका बुरा भला फल बतलाना व्यर्थ है । हम आसनोंके विषयमें जो सार बात है पाठकोंके सामने रख चुके । अब पं० मन्मथनलालजीने आसनोंके विषयमें जो लिखा है उसपर विचार करते हैं—पृष्ठ नं० ६३ में पंडितजीने लिखा है—

‘ परमार्थ वा पुण्य प्राप्तिके लिये जहां पूजा जप किये जाते हैं वहां आसन वस्त्र आदिकी कोई आवश्यकता नहीं किन्तु मनोरथ सिद्धिके लिये जहां पूजा ध्यान किया जाता है वहां आसनोंकी आवश्यकता पड़ती है श्री भक्तामरके मंत्रके जपते समय जो आसन माने हैं उनका भो पण्डितजीने उल्लेख किया है इत्यादि’ यहां पर पण्डितजीके लिखनेमें और हमारे लिखनेमें कोई भेद नहीं परन्तु चर्चासागरमें पूजा जापका सामान्य रूपसे उल्लेख किया है वहांपर मनोरथ सिद्धि केलिये पूजा जापका कोई उल्लेख नहीं किया इसलिये ‘मनोरथको सिद्धिके लिये वहांपर बुरे भले आसनोंका विधान है’ यह कमी नहीं कहा जा

सकता । यदि यह बात वहां स्पष्ट होती तो भांभरीजी कभी आपत्ति कर ही नहीं सकते थे । चर्चासागरमें जिस रूपसे पूजा ध्यानके समय आसनोंके बुरे भले पनपर विचार किया है उससे यह एक बड़ा भारी अनर्थ हो सकता है कि जहा पर दर्भ आदि आसन मिल सकेंगे वहां तो पूजा ध्यान करनेके लिये लोगोंकी प्रवृत्ति होगी और जहां वे आसन न मिलेंगे भूमि शिला आदि ही मिलेंगे वहां कोई भी पूजा ध्यानके लिये प्रवृत्त न होगा । यदि चर्चासागरके कर्ताका यह विचार होता कि मंत्रोंके अराधन करते समय ही ऐसे आसनों पर विचार है तो वे स्पष्ट कर देते परन्तु उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, इसलिये परमार्थ और पुण्य-बंधके कारण ध्यान और पूजाके लिये भी आसनोंके बुरे भलेपनका विचार करना चाहिये ऐसा उनका मत है । पंडितजीने जो आसनोंका स्वरूप समझाया है वह चर्चा सागरका मत नहीं । चर्चा सागरको देखकर पंडितजीको अपना विचार प्रगट करना था । बल्कि पंडितजीको यह भी लिखनेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी कि चर्चा सागरमें यह कमी रह गई है । अस्तु हमारे और पंडितजीके मतानुसार जब यह बात ठोक है कि किसी कामना ( मनौती ) को ध्यानमें न रखकर आत्मकल्याणकी अभिलाषासे जहां पूजा और जाप होते हैं वहा पर आसनोंके बुरे भलेपनका कोई जरूरत नहीं तब चर्चासागरने जो खुलासा नहीं लिखा वह भूल है और ऐसी भूल रहते चर्चासागरसे कभी जीवोंका कल्याण नहीं हो सकता । पंडितजीको यहा पर दोही शब्द लिख देने

थे कि चर्चा सागरका ऐसा लिखना भूल है वहां पर ऐसा होना चाहिये था । पंडितजीने—

दर्भास्तरणसंगंधस्ततः पश्चाद्दुदीर्यतां ।

विघ्नोपज्ञांतये दर्पमथनाथ नमः पदं ।६।

आदिपुराण । पर्व ४०

आदि पुराणजीका यह श्लोक उद्धृत किया है इस श्लोकमें दर्भ ( डाम ) के आसनका उल्लेख है । प्राप्तुक और शुद्ध जान कर ही यहां डामके आसनका ग्रहण किया गया है किन्तु यह नहीं लिखा कि सब आसनोंमें दर्भका आसन ही उत्तम है । इसलिये इस प्रमाणसे चर्चासागरमें जो यह लिखा है कि डामका आसन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, इस बातकी पुष्टि नहीं होती । अतः चर्चा सागरका जो लेख है वह त्रिवर्णान्वारके अनुसार होनेसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । दूसरी बात यह भी है कि आदिपुराणमें यह श्लोक गर्भान्वयादिक क्रियाओंके स्वरूप बतलाने समय लिखा है । गर्भान्वयादि क्रियाओंमें गर्भ आदिकी रक्षाकी खास इच्छा रहती है । इसलिये वहां डामके आसन आदिकी आवश्यकता हो सकती है । चर्चासागरमें पूजा और ध्यानके समय आसनोंके भले बुरेपन पर विचार किया है तथा वहां पर किसी कामनासे पूजा ध्यानका उल्लेख नहीं किया इसलिये आदि पुराणका यह श्लोक यहां कार्यकारी नहीं । पृष्ठ न० ६१ से आपने ऐसा आशय व्यक्त किया ।

“आसनोंके साथ सफ़ेद वस्त्र पीला वस्त्र रक्त वस्त्र आदि

वस्त्रोंका विधान रहनेसे आसनोंका विधान श्रावकोंके लिये किया गया है मुनियोंके लिये नहीं क्योंकि मुनियोंको वस्त्र धारण करनेकी आज्ञा नहीं इसलिये भाभरीजीने मुनियोंके लिये आसनोंका विधान बना का बहुत बड़ा धोखा दिया है” इत्यादि। इसके उत्तरमें निवेदन यह है कि वहापर अवश्य श्रावकोंके लिये ही आसनोष्ण विधान है परन्तु आसनोष्ण जो पत्थरके आसनका यह फल बनलाया है कि उसपर बैठनेसे रोगकी पीडा होती है। भूमिपर बैठनेसे दुःख होता है यह फल तो उनका मिट नहीं सकता। चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो जो भी उन आसनोष्ण बैठकर ध्यान करेगा। उसका दुःखदायी फल तो उसे भोगना ही होगा। सर्पके काटनेसे विष न चढे यह बात नहीं हो सकती। मुनियोंके लिये पापाण और भूमिका आसन, दुःखदायी फल नहीं दे; यह बात जंच नहीं सकती क्योंकि जो जिस स्वभावकी चीज होती है उसका वह स्वभाव टल नहीं सकता गुडसे सींचे जानेपर भी नीमका फल कडवा ही होता है। इसलिये यही जान पडता है कि आसनोष्ण उस प्रकारका बुरा भला फल कोई प्रधानता नहीं रखता। इष्टकामनाके लिये मंत्राराधनके समय वैसा आसनोंका भेद जच सकता है। इसलिये महाराज पंडितजी ! भाभरीजीने किसी प्रकारका धोखा नहीं दिया चर्चासागरके कर्ताको सिद्धांत विषयक जानकारीकी कमीसे इस विषयका खुलासा करना नहीं आया है इसलिये उन्होंने लोगोंको धोखेमे डाल दिया है। आपने जो लिखा है उसे चर्चासागरसे

मिलान करलें। आपने जो आसनोंके विषयमें लिखा है क्या वही चर्चा सागरमें लिखा है! आप खुद चर्चासागरके कर्ताकी भूल समझ जायेंगे। पृष्ठ नं० ९५ में—

आपने भांभरीजीको अनभिन्न और उद्धृत लिखा है। सो मेरी रायसे तो आसनोंके विषयमें जो भांभरीजीने लिखा है। उसी बातकी पुष्टि आपने भी की है। हर एक विद्वान भी उसी बातकी पुष्टि करेगा इस लिये भांभरीजीने चर्चासागर के शब्दोपर समझकर ही आपत्ति को है। आसनोंके स्वरूप लिखनेमें चर्चासागरके कर्ताकी ही भूल जान पड़ती है जो उन्होंने समझ वृत्तकर उस विषयको नहीं लिखा। इसलिये शास्त्रानुसार सच्ची बात लिखनेसे यदि भांभरीजी धोखेवाज और उद्धृत हैं तो आप पहिले धोखेवाज और उद्धृत कहे जायेंगे क्योंकि आपका और उनका लिखना एक है। अस्तु, सारांश यह है कि किसी मंत्रके आगधन करनेपर आसन आदिके भेदोंका विचार किया जाता है किन्तु आत्म कल्याणके लिये जहा पूजा ध्यान किया जाता है वहां आसनोंके भले बुरे फल पर कोई विचार नहीं किया जाता। वहां तो विशुद्ध परिणामोंके रखनेमें सावधानी रखनी पड़ती है इस लिये चर्चासागरमें सभी प्रकारकी पूजा और जपके समय जो बुरे भले आसनोंके आधार बुरा भला फल माना है वह जैनागमके प्रतिकूल होनेके कारण ठीक नहीं।

# व्रतभ्रष्ट और शूद्रके दर्शनपर शुद्धिका विचार

जपका अर्थ किसी पदार्थका चिंतवन करना है। ध्यानमें भी किसी एक वाच्य पदार्थका चिंतवन ही किया जाता है इसलिये जप और ध्यान ये दोनों एक ही अर्थको कहनेवाले शब्द हैं। यह ध्यान उन्नी समय होता है जब चिन्तकी वृत्ति स्थिर होती है। जिन चाजका ध्यान किया जाय उसीमें चिन्तका लीन रहना स्थिरता कहा जाता है। जिन समय मनुष्य ध्यानमें लीन होता है उस समय पांचों इंद्रियोंमें एक भी इंद्रिय अपना काम नहीं करती। बच्चा ध्यानी देखता सुनता सूँघता भी नहीं। अपने ध्येयके चिन्तनमें मग्न रहता है। ध्यान करते समय यदि इंद्रिया अपना काम बराबर करती ही रहें तो वह ध्यान नहीं कहा जा सकता वह ध्यानका ढोंग कहा जाता है। ध्यानके समय हम देखे सुने और सूँघे तो हमारा चित्त कभी स्थिर रहती नहीं सकता ध्यानके समय यदि हमारे सामने चाउला शूद्र या व्रतभ्रष्ट आ जाय तो हम उसे कभी नहीं देख सकते। यदि देखते हैं तो हमारा ध्यान कायम नहीं रह सकता। ध्यानी मनुष्यको छीक जभाई अपान वायु भी नहीं हो सकती क्योंकि ये धारें मनकी चंचलतामें होती हैं। जब मनकी वृत्ति स्थिर उधर रहेगी तभी ये धारें हो सकती हैं। त्रिवर्णाचार ग्रन्थके श्लोक उद्धृत कर चर्चासागरमें



यह लिखा है कि “जाप करते समय यदि चांडाल, शूद्र, व्रतभ्रष्टके दर्शन हो जाय वा छींक, उवासी, अपानवायुका अवसर प्राप्त हो जाय तो जाप छोड़कर आचमन प्राणायाम आदिकर फिर जाप जपनी चाहिये, यह बात जैन सिद्धांतकी नहीं हो सकती। दूसरे मतोंमें मालाके मनकाओका फेरना ही जप समझ रक्खा है। चर्चासागरके लिखे अनुसार जैन सिद्धांतमें भी मालाओंके मनका फेरना ही जप कहा जायगा। पर यह बात नहीं। जपमें तो किसी खास पदार्थका चितवन किया जाता है। रूआवके साथ पालती भारकर मालाके मनिकाओके सरकानेको ही जप कहने पर तो शूद्र आदिके दर्शनसे जप छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि वहां मन स्थिर ही नहीं। वहां तो आरामसे मालाके मनका भी सरकाये जा सकते हैं तथा और भी क्रिया आसानीसे की जा सकती हैं। अन्य मतोंमें यह बात अच्छी तरह देख सुन पड़ती हैं। जपके स्वरूपका विचार न कर हिंदूधर्मसे त्रिवर्णाचारमें यह बात ली गई है और अपनी ना समझीसे चर्चासागरमें भी यह बात ज्योंकी त्यों रख दी गई है। हां यह बात हो सकती है कि जपकी शुरुआतमें यदि यह बात हो तो आचमन आदि कर जपका प्रारंभ किया जा सकता है क्योंकि उस समय तक जप शुरू नहीं हुआ है। जैन सिद्धांत आडम्बरी बातको नहीं मानता। ध्यानीको ऐसे आडम्बर पसन्द नहीं आ सकते। ध्यानके रसको जाननेवालेके सामने कोई भी बात हो वह ध्यानसे विचलित नहीं हो सकता। ध्यानके स्वरूपको न पहिचान कर ही

चर्चा सागरमे इस अन्य मैजहबको वातको स्थान मिल गया है । नहीं तो ऐसे आडम्बरको जैन सिद्धांतमें जगह कहाँ । तथा जब यह बात है कि जपका यह स्वरूप हिंदूधर्मके अनुसार है तब आचमन और प्राणायाम ये शब्द भी हिंदूधर्ममें ही प्रचलित है इसलिये यह बात भी हिंदू धर्मके अनुसार ही लिखी गयी है । यह बात भी जैन सिद्धांतके अनुसार नहीं हो सकती । यहांपर यह बात कही जा सकती है 'कि जैन ग्रन्थोंमें भी आचमन और प्राणायाम शब्दोंका उल्लेख मिलता है इस लिये हिंदूधर्ममें ही प्राणायाम और आचमनका स्वरूप है, यह बात ठीक नहीं । इसका उत्तर यह है कि शब्द तो ये हिंदूधर्मके ही हैं । जैनाचार्योंने जो इन शब्दोंका उपयोग किया है वह लोक रूढ़िको ध्यानमे रखकर किया है । परन्तु उनकी क्रिया जैन धर्मानुकूल बतलाई है । आचमन करते समय हाथकी मुद्रा और प्राणायामके समय नाक आदिका विकार जो हिंदू धर्ममे माना है, वह नहीं ग्रहण किया है । तथा जाप-ध्यानके समय आचमन प्राणायामका उपयोग कही भी नहीं लिखा यह तो त्रिचर्णाचारमें ही लिखा है या उसके आधेन चर्चा सागरमें है और जगह तो शौच आदि क्रियाओंके समय आचमनका विधान किया है । जिसका अर्थ कुल्ला करना है, तथा ध्यानमें दृढ़ताके लिये प्राणायामका उल्लेख किया है जिससे चित्त निश्चल होकर ध्यानके योग्य बन सके । श्राद्ध वा पितृतर्पण आदि शब्दभी हिंदू धर्मके हैं लोकरूढ़िके अनुसार जैनाचार्योंने उन शब्दोंका उल्लेख किया है परन्तु उनका अर्थ जैन सिद्धांतानुसार

माना है। चर्चा सागरमें जो आचमन प्राणायाम श्राद्ध वगैरह बातें लिखी है वे त्रिवर्णाचारके आधारसे लिखी हैं। त्रिवर्णाचारमें ये सब बातें हिन्दू धर्मके अनुसार मानी है इस लिये ये बातें जैन सिद्धातकी कभी नहीं मानी जा सकती। भाई रतनलालजी भांभरीने भी यही बात लिखी है कि जपके समय आचमन और प्राणायामका विधान नया ही सुना गया है। जैन सिद्धान्तमें ये क्रिया नहीं बन सकती। इन बातोंका लेखक जैनी नहीं हो सकता। इसपर पं० मन्मथनलालजीने उनके शब्दोंपर तो विचार किया। नहीं बहुतसा उन्हें कोस डाला है और ऊट पटांग लिख मारा है—हम यहां भी चर्चा सागर और भांभरीजी दोनोंके शब्द उद्धृत किये देते हैं पाठक स्वयं विचार कर लेंगे।

### चर्चासागरके शब्द

ब्रनच्युतत्यजातीनां दर्शने भाषणे श्रुते ।

क्षुतेऽधोवातगमने जृंभने जपमुत्सृजेत् ॥३३॥

प्राप्तावाचाम्यते तेषां प्राणायानं षडंगकं ।

कृत्वा सम्यग्जयेच्छेषं यद्वा जिनादिदर्शनं ॥३४॥

अर्थात्—‘जो अपने व्रतोंसे भ्रष्ट होगया है उसका तथा शूद्रका देखना, इन दोनोंके साथ वात चीत करना, इन दोनोंके वचन सुनना, छोंक लेना, अपानवायु वा उवासीका होना यदि जप करते समय ये ऊपर लिखी बातें हो जायं तो उसी समय जप छोड़ देना चाहिये और फिर आचमन और षडंग—छह अंगोंसे

सुशोभित प्राणायाम कर बाकी वचे हुए जपको अच्छीतरह करना चाहिये यदि आचमन और प्राणायाम न होसके तो भगवान जिनेंद्र का दर्शन कर पीछे जप करना चाहिये।”

### झांझरीजीके शब्द

“शूद्र तथा व्रतभ्रष्टके दर्शन होजाय तो जपको छोड़कर प्राणायाम और आचमन करनेसे शुद्धि हो। मुनियोंको आचमन करनेकी सुविधा किस प्रकार हो सकती है ? सभी ग्रन्थोमे मुनियों द्वारा शूद्रो चांडालों और व्रतभ्रष्टोंको उपदेश देनेकी बात पाई जाती है जब वे जाप कर रहे हो और उसी समय कोई शूद्र या व्रतभ्रष्ट उनके सामने आ उपस्थित हो तो मुनि या श्रावक ने, आचमन ओर प्राणायाम द्वारा शुद्धि की हो ऐसा किसी महा-नुभावने देखा या सुना हैं क्या ? यह आचमन और प्राणायामका संबन्ध जैनियोंमे नया ही सुना है। यदि रात्रिमे ऐसा अवसर आ उपस्थित हो तो रात्रिभुक्त त्यागी किस प्रकार आचमन कर सकता है ? इससे मालूम होता है कि इसका लेखक जैनी नहीं है या जैनधर्मसे अनभिज्ञ है”

यद्यपि चर्चा सागरमें यह विधि गृहस्थके लिये कही है और वह त्रिवर्णाचारके आधारपर कही गई है। मुनियोंके लिये वह उल्लेख नहीं। परन्तु ध्यानके समय ये बातें असम्भव हैं। यदि की जाती है तो ध्यान नहीं बन सकता। यदि गृहस्थ ध्यानियों के लिये ये बातें है तो ध्यानी मुनियोंके लिये भी कहनी चाहिये

परंतु वहां बन नहीं सकती इसलिये ध्यानी गृहस्थ हो या मुनि हो दोनोंके लिये ध्यानके समय ऐसा होना असम्भव है इस बात को लक्ष्यमें रखकर भाभरीजीने वहां मुनियोंका उल्लेख किया है। दर असलमें जापके समय ऐसा आचमन आदिका विधान कहीं नहीं दीख पड़ता। त्रिवर्णाचार और चर्चासागरमें दीख पड़ा है। यदि कहीं होता तो प० मकखनटंगलजी जरूर उसका उल्लेख करते। सो उन्होने इस बातकी पुष्टिमें एक भी प्रमाण नहीं दिया इसलिये यही कहना होगा कि यह बात हिंदू धर्मकी है। धर्म द्रोहियोंने जैनधर्मको कलंकित करनेके लिये जवरन इन भ्रष्ट बातों को जैनधर्मका रूप देनेकी चेष्टा की है।

चर्चासागरमें यह लिखा है कि 'जापके समय व्रतभ्रष्ट आदि का दर्शन होजाय तो जाप छोड़कर आचमन इत्यादि कर फिर जाप पूरी करनी चाहिये।' पंडितजीको इस बातकी पुष्टिमें अन्य ग्रन्थोंके प्रमाण देने चाहिये थे कि अमुक ग्रन्थमें भी यही लिखा है कि-जापके समय व्रतभ्रष्ट आदिके दर्शन होनेपर आचमन आदि कर फिर जाप पूरी करनी चाहिये। परंतु पंडितजीने इस बातका एक भी प्रमाण नहीं दिया। इसलिये कहना होगा कि ध्यानके समय इस प्रकारका विधान धर्मविरुद्ध हैं। नहीं तो पंडितजी धर्मानुकूल उसे जरूर सिद्ध करते। पण्डितजीने तो आचमन और प्राणायामकी सिद्धिमें कुछ प्रमाण दे डाले हैं जिनकी सिद्धिकी यहाँ विशेष जरूरत न थी। खास विषयको तो पंडित

जीने उड़ा ही दिया है। क्या पंडितजी ! त्रिवर्णाचारके सिवाय आप कह सकेंगे कि---जापके समय आचमन प्राणायामसे शुद्धि का विधान दूसरी जगह भी है ? जो हो पंडितजी समझते हैं कि जनता इतना कहा विचार कर सकनी है इसीलिये उन्होंने लिखना तो कुछ चाहिये और लिख कुछ और ही मारा है खैर हम पंडितजी के जैसे शब्द हैं उन्ही पर विचार करते हैं—

पृष्ठ न० ६६-६७ तक आपने लिखा है कि “चर्चामागरमे जो यह जापके समय आचमन आदिका विधान है वह श्रावकोंके लिये है मुनियोंके लिये नहीं। मुनियोंके लिये बताकर भांभरीजीने धोखेवाजी को है” इत्यादि। इसका उत्तर यह है कि ध्यानी श्रावक हो वा मुनि हो व्रतभ्रष्ट आदिके देखने पर आचमन आदिका विधान उसके लिये अयुक्त है यदि श्रावकके लिये यह बात ठोक है तो मुनियोंके लिये भी होसकती है क्योंकि चित्तकी एकाग्रतासे श्रावक भी ध्यान करता है और मुनि भी करता है। इसी आशयसे भांभरीजीने मुनियोंका उल्लेख किया है उन्हें धोखेवाज बतलाना अपनी अज्ञानकारी प्रगट करना है। आपने लिखा है कि “आचमन प्राणायामको क्रिया दक्षिणमे है” इस विषयमे यह लिखना है कि बहुतसे दक्षिणके पुरुषोंसे हमारा संपर्क रहा है। प्राणायाम और आचमन करने उन्हे नही देखागया यदि कुछ करते हैं तो वे त्रिवर्णाचार सरोखे भ्रष्ट ग्रन्थके उपासक है इसलिये उनका वह कार्य हम धर्मानुकूल नही समझते क्योंकि हमें जापके समय व्रत भ्रष्ट आदिके दर्शन होने पर आचमन आदि

का विधान सिवाय त्रिवर्णाचारके दीख नहीं पड़ा यदि होता तो चर्चासागरके कर्ता उसका भी प्रमाण देते यदि उनसे नहीं बन पड़ा तो आप तो जरूर देते ही, सो आपसे भी तो नहीं बन पड़ा । इसलिये यही कहना पड़ेगा कि त्रिवर्णाचारके आधारसे जो चर्चासागरमे यह बात लिखी है वह मनगढ़ंत कल्पना है इसी लिये वह धर्म विरुद्ध है । आपने यहां पर क्राभरीजीको बहुत कोसा है । सो महाराज ! इस कोसनेसे चर्चासागरकी बात सिद्ध नहीं हो सकती । आपके पास उत्तर न होनेसे यह कोसना है । जो कि एक विद्वान कहे जानेवाले व्यक्तिकेलिये घृणित कार्य है। पृष्ठ न० १००मे पद्वदिणे ण वयेसु वि ण दंतकट्टं ण आचमं तप्पं । ण्हाणंजणणस्साणं परिहारो तस्स सण्णेओ । १४।

अथात् पर्व और अन्य ऋतोके दिनोंमे लकड़ीकी दांतुन आचमन तर्पण स्नान अंजन नस्य इनका त्याग समझना चाहिये । यह श्लोक इंद्रनंदि संहिता का उद्धृत कर जैन शास्त्रानुसार आपने आचमनकी पुष्टि की है । प्रथम तो यहांपर यह कहना है कि संहिताके कर्ता भट्टारक हैं इसलिये संहितामें और भी अनेक बातें हिन्दू धर्मके अनुसार होने से जिस प्रकार जैन धर्मकी नहीं मानी जाती उसी प्रकार यह आचमनकी प्रथा भी हिंदू धर्ममे प्रचलित हैं इसलिये यह भी क्रिया जैन धर्मानुक्रम नहीं हो सकती । दूसरी बात यह है कि यदि आचमनसे यहां हिंदू धर्मके अनुसार आचमनका अर्थ न लेकर

केवल 'कुल्ला करना' यह अर्थ लिया जाय तो पर्व वा व्रतोंके दिन 'मुख शुद्धि नहीं करना चाहिये' इतना ही अर्थ इस श्लोकका है। इससे इस बातकी पुष्टि नहीं होती कि 'जपके समय व्रतभ्रष्ट आदि के दर्शन होनेपर आचमन करके फिर जप पूरा करना चाहिये' क्योंकि चर्चासागरमें यही बात लिखी है और उसीकी सिद्धिके लिये पंडितजीने प्रमाण देनेके लिये फरार कसी है। इस रूपसे चर्चासागरके कथनकी जय इससे पुष्टि नहीं होती तो प्रमाणरूपमें यह श्लोक देना निरर्थक है। आचमनकी पुष्टिमें यह श्लोक दिया जान पड़ता है तो उसकी पुष्टि भी इससे नहीं हो सकती क्योंकि चर्चासागरमें जिस आचमनका उल्लेख किया है वह त्रिवर्णाचारके आधार से किया है। त्रिवर्णाचारमें आचमनकी विधि हिंदू धर्मके अनुकूल है जो कि जैन धर्मके विरुद्ध है। यहा तो आचमनका अर्थ केवल कुल्ला करना मात्र है। आचमन शब्द देखकर पंडितजीने यह श्लोक उद्धृत कर दिया परन्तु उसके अर्थ पर विचार नहीं किया यह खेद है। यहापर पंडितजीने यह भी लिख मारा है कि 'भांभरीजी ने जो यह लिखा है कि आचमन और प्राणायामका सवन्ध नया ही सुना है सो भाई भांभरीजी आप और आपके समर्थकोंने कितने शास्त्र देखे हैं? आपके लिये अनेको नयी बात सूझेंगी सो क्या अमान्य ठहरेंगी इत्यादि।' इसके उत्तरमें यह कहना है कि कम से कम आपके वरावर तो समर्थकोंने शास्त्र देखे ही हैं। समर्थकों



मे इतनी विशेषता और हैं कि वे शब्दमात्रसे नहीं भडक उठते वे गहराई टटोलते हैं। आप शब्दमात्रसे संतोष कर लेते हैं। चर्चासागरमें तो कुछ लिखा है पुष्टि आप कुछ और ही कर रहे हैं यह आपको ही शोभा देता है। पृष्ठ न० १०१ में —

बहिर्विहृत्य सम्प्राप्तो नानाचाम्य ग्रहं विशेत् ।

बहिरागतो नानाचाम्य गृहं प्रविशेत् ।

अर्थात् बाहिरसे आकर घरमें कुटला करके ही घुसना चाहिये। ये वाक्य यशस्तिलक चम्पू और नीतिवाक्यामृतके लिखकर आचमन की पुष्टि की गई है। यहांपर भी आचमनका अर्थ कुटला है। हिन्दूशास्त्रके अनुसार यहां आचमनकी क्रिया नहीं ली गई। बाहरसे आकर हाथ पैर धोकर कुटला कर घरमें घुसना चाहिये यह बात शास्त्री यता नहीं रखती लोकमें यह रिवाज देख पडती है। तथा पुजावपरणाडय इत्यादि भाव संग्रहकी गाथा उद्धृत की है वहापर भी यही अर्थ है कि भगवान् जिनैन्दकी पूजा स्नान कुटला करके करनी चाहिये। महाराज पटितजी! चर्चासागरमें जो लिखा है उनकी पुष्टिमें आप प्रमाण दे। इधर उधरकी बातोंमें कोई तत्त्व नहीं। तथा:—

‘तावत्प्रातः समुत्थाय’—इत्यादि श्लोकमें यह बताया है कि शौच और कुल्लाकर प्रातः कालकी विधि करनी चाहिये। यहां पर भी आचमनका अर्थ कुल्ला है। इससे भी चर्चासागरकी बात

पुष्ट नहीं होती। यहांपर आपने भ्रांभरीजी और उनके मित्रोंको वेहद कोसा है यह खोखापन है। पृष्ठ नंबर १०३ में आपने—

मुनिर्णोत्सुसिद्धानैः प्राणायामः प्रशस्यते

मुनिभिर्ध्यानसिद्धयर्थं स्थैर्यार्थं चांतरात्मनः ।

अर्थात् अंतरात्माकी स्थिरता और ध्यानकी सिद्धिके लिये पूर्ण सिद्धान्तके जानकार मुनियोंने प्राणायामको उत्तम बतलाया है। ज्ञानार्णवका यह श्लोक उद्धृत कर प्राणायामकी पुष्टि की है। परन्तु इस रूपसे प्राणायामकी पुष्टि करना व्यर्थ है कारण प्राणायाम शब्द हिंदूधर्मका है। प्राणायामका लोकमें अधिक प्रचार होनेसे मद्भारक शुभचंद्रने उसे जैन धर्मके रूपमें ढाला है। क्यों कि जैन शास्त्रोंमें धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दो प्रशस्त ध्यान माने हैं। प्राणायाम यदि ठीक जैनधर्मके अनुकूल किया जायगा तो वह धर्मध्यानमें ही गर्भित होगा क्योंकि चित्तकी स्थिरताके लिये ही धर्मध्यान किया जाता है। प्राणायाम करनेका भी यही प्रयोजन है। इसरूपसे प्राणायाम जैन सिद्धांतका खास शब्द नहीं। जैन सिद्धांतके अनुसार चाहे उसे प्राणायाम कह लो चाहे और कुछ नाम रख दो कोई आपत्ति नहीं। त्रिवर्णाचारमें प्राणायामका स्वरूप हिंदूधर्मके अनुसार माना है इसी पर भ्रांभरीजीने आपत्ति की है। तथा स्थिराभवन्ति चेनांसि इत्यादि दो श्लोक ज्ञानार्णवके और भी उद्धृत किये हैं उनमें भी प्राणायामको चित्तकी स्थिरताका कारण माना है यह भी लोकमें प्रचलित प्राणा-

यामको जैनधर्ममें ढाला है । इस रूपसे जैन शास्त्रोंमें प्राणायाम का विधान नहीं माना जाता किन्तु लोगोंके कहनेके लिये यह कह दिया जाता है कि भाई हम भी प्राणायाम मानते है और उसका तात्पर्य यह है । यदि प्राणायाम शब्द जैन आगमका होता तो ज्ञानार्णवके सिवाय अन्य भी प्राचीन शास्त्रोंमें उसका उल्लेख मिलता । सो नहीं दीख पड़ता । पृष्ठ नं० १०० में

त्रिधा लक्षण भेदेन संस्मृतः पूर्वं सूरिभिः ।

पूरकः कुंभकश्चैव रेचकस्तदनंतरं ।

अर्थात् पूर्वाचार्योंने पूरक कुंभक और रेचकके भेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका माना है । यह श्लोक उद्धृत कर प्राणायामके भेद बताये हैं । परन्तु भट्टारक शुभचंद्रके पूर्व किन प्राचीन आचार्योंने इस विषयको स्पष्ट किया है ज्ञात नहीं होता । ध्यानका विषय कई प्राचीन ग्रन्थोंमें आया है परन्तु चर्चासागरके अनुसार प्राणायामका उल्लेख नहीं दीख पड़ा । तथा

समाकृष्य यदा प्राणधारणं स तु पूरक

नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स तु कुंभक ।

यत्कोष्ठादतिथत्नेन नासात्रह्म पुरातनै

वहिः प्रक्षेपणं वायोः स रेचक इति स्मृतः ।

ज्ञानार्णवमें ये दो श्लोक उक्त'च'कहकर दूसरे ग्रंथके दिये हैं । ये श्लोक जहांतक मालूम पड़ता है वैशेषिक दर्शनके हैं । किसी जैन

शास्त्रके नहीं। पण्डितजीने उन्हें जैनशास्त्रके मानकर यह लिख मारा है कि प्राणायामकी क्रिया ज्ञानार्णवसे पहिले भी जैन सिद्धा-  
तमे प्रचलित थी यह उनकी गलती है। छानचीन करनेसे यह बात चौड़े आजायेगी और यह भी स्पष्ट हो जायगा कि प्राणायाम—  
पूरक कुंभक रेचक ये सब वाते हिंदूधर्मकी हैं। उन्हें बुद्धिमत्तासे  
जैन धर्मानुसार ढाला गया है। पृष्ठ न० १०५ मे—

**आकार' मरुना पूय कु'भित्थ रेफवद्दिना**

**दग्ध्वा स्ववपुषा कर्म स्वतो भस्म विरेच्य च । १८३**

अर्थात् ध्यानके समय अपने समक्ष आकारको पचनसे  
वेष्टित मानना तो पूरक है। रेफरूपी आगसे उसे कुंभित करना  
रोकना कुंभक है और स्वयं अपने शरीरसे कर्मोंको जलाकर  
उनकी भस्मको बाहिर फेंकना यह रेचक है। इस तत्वानुशासनके  
श्लोकसे तो यह स्पष्ट ही हो जाता है कि पूरक कुंभक और  
रेचक ये शब्द दूसरे मतके हैं। उनका अर्थ उस मतमें दूसरे  
प्रकार माना है परन्तु वह अर्थ ठीक न होकर ठीक यही है। ऐसे  
करनेसे ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती है और उसी ध्यानसे आ-  
त्माका कल्याण हो सकता है। शास्त्रोंमे यह देखनेमें आता है कि  
भगवान् जिनेंद्रको ब्रह्मा विष्णु महादेव बुद्ध आदि कह दिया  
जाता है। परन्तु स्तुति उनकी जिनेंद्रके स्वरूपसे ही की जाती  
है ब्रह्मा वा विष्णु आदिके स्वरूपोंसे नहीं उसी प्रकार ध्यान की  
क्रियाको पूरक कुंभक आदि नाम दे दिये जाय परन्तु कहना

उन्हे धर्मध्यान ही होगा क्योंकि ब्रह्मा विष्णु आदि शब्दोंके समान पूरक कुंभक आदि शब्द भी परमतके हैं। पृष्ठ नं० १०६-मे आपने।

तत उपविश्य पूर्ववदाचमनं कृत्वा ओं ह्रीं  
असि आ उसाय नम स्वाहा अनेन पंचागुरुणां त्रिवारं  
जलादि अर्घ्यप्रदानं विधाय पुनराचमनं कृत्वा पंच  
दश तर्पणानि कुर्यात् ओं ह्रीं अर्हद्भ्यः स्वाहा ओं ह्रीं  
सिद्धेभ्य स्वाहा इत्यादि

अर्थात् फिर बैठकर पहिलेके समान आचमन करके 'ओ ह्रीं  
असि आ उसाय नमः स्वाहा' इस मंत्रको बोलकर पंच परमेष्ठियोंको  
तीन बार जलादि अर्घ्य देकर फिर आचमन करके पंद्रह तर्पण करे।  
ओं ह्रीं अर्हद्भ्यः स्वाहा ओं ह्रीं सिद्धेभ्यः स्वाहा इत्यादि पंद्रह  
तर्पण मंत्र है इस प्रकार अकलंकप्रतिष्ठापाठका प्रमाण देकर  
आचमनकी पुष्टि की है। यहांपर इतना ही लिखना पर्याप्त है  
कि यह हिंदूधर्मके अनुसार आचमनकी नकल की है वहांके मंत्रों  
मे असि आ उसा, आदि जैनमंत्र जोड़ दिये हैं। यह सब वनावटो मा  
लूम होता है ऐसी नकलरो जैनधर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। इसी  
तरह अशुभानामिकाभ्या नासाचिवरणद्वय इत्यादि नेमिचन्द्र प्रति-  
ष्ठा पाठके शब्द उद्धृत कर आचमनकी पुष्टि की है। यह भी वनाव-  
टो है। दूसरे मतकी बातोंको इस प्रकार ढालने पर वे आग-  
मकी बातें नहीं मानी जा सकती।

लौका भेट दूढिया पथियोका है। गुजरातमें इनकी प्रबलता अधिक थी। इनकी क्रियायें भ्रष्ट होती ही हैं। किसी कारणवश भट्टारक श्रुतसागरने पट्ट पाहुडकी टीका लिखते समय “अयत्या-चारा गृहस्थधर्मादपि पतिता उभयभ्रष्टा वेदितव्याः ते लौका इत्यादि लिख कर सवेरे उनका नाम लेना और मुह देखना भी बुरा बतलाया है। पाठक जानते हैं दूढिया मत जुदा ही है। उस मतके पालन करनेवालोंको व्रतभ्रष्ट नहीं कह सकते क्योंकि दि,० जैनधर्मानुसार जो व्रत धारणरुग् उसे छोड़ देता है वह भ्रष्ट कहा जाता है। ‘लौका लोग जब जुदे हैं तो वे व्रतभ्रष्ट नहीं कहे जा सकते। शूद्रोंरो अस्पृश्य शूद्रोंका ग्रहण है वे अस्पृश्य भी नहीं। इस रूपसे लौका लोग जब व्रतभ्रष्ट और शूद्र दोनों ही नहीं कहे जा सकते तब पृष्ठ नं० १०७में व्रतभ्रष्ट और शूद्रके दर्शनका निषेध ऐसा मोटे अक्षरोमें हेडिङ्ग देकर पण्डितजीने उन्हें व्रतभ्रष्ट और शूद्र कैसे कह दिया ? यह जान नहीं पडता। यदि इस उदाहरणको न देकर कोई दूसरा उदाहरण पण्डितजी दे देने तो भी ठाक रहता परन्तु वहां तो जो मनमें आता है वह लिख दिया जाता है। विचारके लिये तो दिमागको कष्ट दिया ही नहीं जाता पृष्ठ नं० १०८ में असंजातान्यसंसर्गं सुधीर्देवानपाचरेत् अर्थात् विद्वानको चाहिये कि दूसरेके संपर्कसे रहित होकर वह देवोंकी उपासना करे। ये शब्द यशास्तिलक चंपूके दिये है। और ये पूजाके समय कहे गये हैं। पूजाके समय स्नान पूर्वक शूद्र धोती

दुपट्टा पहिन कर पुजारी दर्शन करनेवाले जैनियोंको भी नहीं छूता क्योंकि उनके वस्त्र शुद्ध नहीं रहते । इन वाक्योंको उद्धृतकर क्या पण्डितजीका यह भी मत है कि जिन्हें पुजागी नहीं छूता वे दर्शनोके लिये मन्दिरमें आये हुए सभी जैनी व्रतभ्रष्ट और शूद्र हैं । मालूम नहीं होता इन वचनोके उद्धृत करनेकी यहां क्या आवश्यकता थी क्योंकि इस श्लोकमे व्रतभ्रष्ट और शूद्रके स्पर्श का निषेध नहीं किया गया । ऐसी वे प्रकरण-वार्ता लिखनेमें न मालूम पण्डितजीने क्या महत्त्व समझ रक्खा है पृष्ठ नं०१०८ में

चांडालादिक नर जिते हीन करम करतार ।

तिनहि लखन वचनहि सुनत अंतराय निरधार ॥

यह दोहा क्रिया कोषका उद्धृतकर चांडालादिको देखना उनके वचन सुनना अंतरायके कारण माने हैं परन्तु यहां पर यह नहीं कहा कि जप करते समय यह अंतर्गत है क्योंकि चर्चासागरमें जप करते समय इनका देखना बुरा कहा है । जो हो चर्चासागरमें यह लिखा था कि जप करते समय यदि व्रतभ्रष्ट या शूद्र के दर्शन हो जायं तो जप छोड़ देना चाहिये फिर आचमन प्राणायाम या जिनेन्द्र दर्शन कर शेष जपको पूरा करना चाहिये । इस बातकी पुष्टिमें पण्डितजीको प्रमाण देने चाहिये थे परन्तु आपने एकभी प्रमाण नहीं दिया ठीकही है जब यह बात जैनधर्मा नुकूल हो तब तो प्रमाण दिये जासकते हैं जब यह बात है ही नहीं तब प्रमाण कहाँसे दिये जा सकते हैं ? भाई गननलालजी भांभरी ने यह लिख दिया था कि यह आचमन और प्राणायामका नाम

नया सुना है । क्योंकि भाभरीजीका तात्पर्य यह है कि त्रिवर्णाचारमें जो आचमन और प्राणायामका वर्णन है वह हिन्दूधर्मके अनुसार होनेसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । वस इसी बातपर आचमन और प्राणायामकी पुष्टिके लिये पण्डितजीने कई प्रमाण दे डाले हैं पर वहापर आचमनका अर्थ कुल्ला-या मुख शुद्धि मात्र है । हिन्दुधर्मके अनुसार मन्त्रपूर्वक आचमनका विधान नहीं तथा प्राणायामका अर्थ जो ऊपर तत्त्वानुशासनके श्लोकके आधारसे किया गया है वह है । ये शब्द और इनकी क्रियाये हिन्दूधर्ममें प्रचलित हैं । इनका विशेष प्रचार देख जैनधर्म के अनुकूल इन क्रियाओंको ढाला गया है । जिन ग्रन्थकारोंने यह कार्य किया है अपनी समझसे अच्छा ही किया है परन्तु मैं इस बातको पसन्द नहीं करता क्योंकि सभी मनुष्योंको आचमन और प्राणायामका जैन धर्मानुकूल अर्थ नहीं मालूम हो सकता । प्रचार भी जैन धर्ममें उसका कम है । शायद पण्डितजी खुद भी आचमन प्राणायाम नहीं करते होंगे । इस रूपसे लोककी देखादेखी आचमन प्राणायाम क्रियाये की जानेपर जैनधर्मकी पवित्रता नष्ट होती है । किसी भी रूपमें इन बातोंकी पुष्टि न होकर इनका खन्डन ही होना चाहिये । दूसरे मतके शब्दोको जैन शास्त्रमें उद्धृतकर पवित्रजैनधर्मका गौरव नहीं कायम रहसकता । पण्डितजीने आचमनकी पुष्टिमें प्रतिष्ठापाठोंके शब्द उद्धृत किये हैं वहा तो स्पष्ट ही हो जाता है कि हिन्दूधर्मके मंत्रोंमें फेरफारकर तथा जैनधर्मके जवरन मन्त्र गढ़कर उनकीजगह बैठाकर



वह वनावटी रचना को गई है। अस्तु चर्चासागरकी जिस बातको अनेक अन्य प्रमाणोसे पुष्टि होनी चाहिये उसकी पुष्टि न करे पण्डितजीने वृथा समय नष्ट किया है इस बातका खेद है।



## किस औरमुखकर पूजा करनी चाहिये इसपर विचार



पूजाका अर्थ भक्तिपूर्वक सेवा करना है। देव पूजा गुरु उपासना आदि छह आवश्यक कर्मोंमें पूजाका सबसे पहिले विधान किया है। गृहस्थको प्रतिदिन पूजा करनी ही चाहिये नहीं तो गृहस्थपना निरर्थक है। ऐसा जगह शस्त्रोंमें विधान मिलता है। जितनेभर मनुष्य पूजा करते हैं वे अपने कल्याणके लिये करते हैं चाहे वे किसी भी रूपसे पूजा करें। पूजाके समय जो उनके परिणामोंमें निर्मलता होती है उससे अवश्य उन्हे पुण्यबन्ध होता है और उस पुण्यबन्धसे संसारके उत्तमोत्तम सुख मिलनेके बाद उन्हे मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। भगवान् जिनेन्द्रका मुख पूर्व उत्तरकी ओर शस्त्रोंमें प्रशस्त माना है उसी आधारसे पुजारीको भी पूर्व और उत्तर मुख होकर पूजन करनी चाहिये ऐसा लिखा है परन्तु यह सम्भव नहीं हो सकता कि पूजाका फल पूर्व दिशा और उत्तर दिशाकी ओर मुख करने वालोंको ही मिलता है और अन्य दिशाओंकी ओर मुख करके

पूजा करनेवालोको भयङ्कर हानि उठानी पडती है। क्योंकि इस रूपसे पूजाका फलाफल बतानेपर भलावुरा करनेमें दिशाही कांण पडती है। पूजासे जो परिणामोमे निर्मलता होती है उसका कुछ फल नही मिलता। यह निश्चित है पूर्व और उत्तर दिशाका ओर मुख करनेवालोके यदि परिणामोमें निर्मलता नहीं है तो लाख प्रयत्न करनेपर भी उन्हें पूजाका फल नही प्राप्त हो सकता और यदि उनके परिणामोमें निर्मलता है तो पश्चिम और दक्षिण दिशाकी ओर मुखकर पूजा करनेपर भी पूजाका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होता है। यह तो हो ही नहीं सकता कि पश्चिम दक्षिण दिशाकी ओर मुखकर पूजा करनेवालोको पुत्र नाश आदि अनिष्ट फल प्राप्त हों। चर्चासागरमें यदि इतना ही लिखा रहता कि पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर मुखकर पूजन करनी चाहिये तो भी किसी बातकी आपत्ति नही हो सकती थी परन्तु वहां अन्य दिशाओमें मुखकर पूजा करने पर पुत्रनाश आदि अनिष्ट फल बताये गये हैं यह अवश्य ही खटकने लायक बात है। क्योंकि चर्चासागरमे ये वाते उमास्वामीश्रावकाचारके आधारसे लिखा गई है। उमास्वामि श्रावकाचार तत्त्वार्थ सूत्रके कर्ता भगवान उमास्वामिकृत नही हैं उनके नामसे कल्पित है। आदिपुराण आदि ग्रन्थोंमें भी पूजाका प्रकरण आया है वहापर किसी दिशाका वुरा फल नहीं बतलाया। उमास्वामिश्रावकाचार ने कहांसे लिख मारा। यह बात विचारनेकी है। जो हो हमचर्चासो

गरके शब्द यहां उद्धृत किये देते हैं और भांभरीजीने उनपर क्या आपत्तिकी है। यह भी लिखे देते हैं पाठक स्वयं विचार कर लेंगे।

### चर्चासागरके शब्द

पश्चिमाभिमुखीभूय पूजां कुर्याज्जिनेशिनां  
तदा स्यात्सन्ततिच्छेदो दक्षिणस्यामसंततिः।  
आग्नेय्यां चेतकृता पूजा धनहानिर्दिनेदिने।  
वायव्यां संततिर्नैव नैऋत्यां तु कुलक्षयं।  
ईशान्यां नैव कर्तव्या पूजा सौभाग्यहारिणी।

अर्थात् भगवान् जिनेन्द्र देवकी पूजा पश्चिम दिशाकी ओर मुखकर करनेसे संतानका नाश होता है। दक्षिण दिशाकी ओर करनेसे सन्तान नहीं होती है। आग्नेयी दिशाकी ओर करनेसे दिन दिन धनकी हानि, वायवी दिशाकी ओर करनेसे संतितका न होना, नैऋत्य दिशामे करनेसे कुलका नाश और ईशान दिशाकी ओर मुख कर पूजा करनेसे सौभाग्यका नाश होता है। इस प्रकार वर्णन हे। ऐसा समझकर पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर मुख करके ही भगवानकी पूजा करनी चाहिये। वाकी की दिशाओं वा विदिशाओंकी ओर मुख कर पूजा करनेमे अनेक दोष आते हैं ऐसा जानकर उन दिशाओंको ओर मुखकर कभी पूजा नहीं करनी चाहिये। केवल अपनेको सम्यक दृष्टि मानने वाले अन्य कितने ही जीव अपनी बुद्धिके बलसे तथा हठसे

सामने खड़े होकर पूजा करनेका उपदेश देते हैं सो वे अपना तथा दूसरोका दोनोंका अकल्याण करते हैं। ऐसे लोग शास्त्रोंकी बातोंको भी नहीं मानते केवल अपने हटकों दृढ़ करते रहते हैं। ऐसे लोगोंको जिनवचनका विरोधी ही समझना चाहिये।

### झांझरीजीके शब्द

भगवानको पूजा करनेवालेका पूजा करते समय यदि पश्चिम दक्षिण, आग्नेय, वायव्य, नत्रद्वत्य और ईशान दिशामें मुखहोतो क्रमशः सन्तान नाश, पुत्र पौत्रादिनाश, प्रति दिन धन हानी, सन्तान नहीं होना, कुलनाश एवं समस्त सौभाग्य नष्ट हो जाना लिखा गया है। भगवानकी पूजनका-ऐसा खोटा फल बतलाना पाप है, यदि ऐसा हो तो जहापर चतुर्मुख प्रतिमाजी विराजमान हो वहा चारो तरफसे पूजा नहीं करनी चाहिये। मन्दिरोमें सदा भगवानके सामने चौकीके अगल बगल खड़े होकर लोग पूजा क्रिया करते हैं ऐसी अवस्थामें कुछ भाइयोका मुख पश्चिम दक्षिण दिशाओंमें अवश्य होता है तो क्या भगवानकी पूजाका महान फल प्राप्तके वजाय ऋवल मात्र एक ओर मुख कर लेनेसे इतने भयङ्कर दुःख प्राप्त होंगे। केसा अन्धेर है।

पाठकोंको मालूम होना चाहिये कि चर्चासागरके ये श्लोक उमास्वामि श्रावकाचारके हैं जो श्रावकाचार भगवान उमास्वामि द्वारा बना हुआ न होकर किसी ढोंगीका बनाया है। उसमें पश्चिम आदि दिशाओंमें जो पूजा करनेका महा दुःखदायी फल

वतलाया है वह उस श्रावकाचारके कर्ताकी कल्पना है। अन्य ग्रन्थोंमें इस प्रकारका भयङ्कर फल कहीं भी नहीं लिखा। यही नहीं उमास्वामि (?) श्रावकाचारके वचनोंके अनुसार न चलने-वालोंको हठी जैनधर्मका द्वेषी तक वतला दिया है। भ्रांभरीजी ने यहाँपर यही आपत्ति की है कि यह बात जैनधर्मके अनुकूल नहीं हो सकती। इसपर पं० मन्मथनलाल जीने अनाप शनाप लिख मारा है जो कि बिलकुल ही जैन शास्त्रोंके विरुद्ध है पण्डितजी के निरर्थक शब्दोंपर तो हम पाँछे विचार करेंगे पहिले पाठकोंके सामने हम धुरंधर आचार्यों के वे प्रमाण पेश करते हैं जिनसे सन्मुख आदि बैठकर पूजा करनेमें महान फल वतलाया है। वे प्रमाण इस प्रकार हैं—

आचार्यवर्य स्वामी वट्टेर कृत मलाचारका जैन समाजमें बहुत बड़ा आदर है। यह बात हम ऊपर छुलासा रूपसे लिख चुके हैं जहाँपर उन्होंने पूजाका प्रकरण लिखा है वहाँ सन्मुख खड़े होकर पूजा करनेका फल इस प्रकार वतलाया है—

तेसिं अहिमुहुदाए अत्था सिज्झंति तह्य भन्तीए  
 नो भक्तिरागपुञ्चं बुच्चइ एदं णहि णिदाणं ५७२ । पृ० २१८  
 तेषामभिमुखत अर्था. सिध्यंति तथा च भक्त्या ॥  
 सा भक्तो रागपूर्वमुच्यते इदं न हि निदानं ॥५७२॥

तिन जिनवरादिकनिका सन्मुख पणां करि तथा भक्तिकरि  
 वांछित अर्थ सिद्ध होय है कि या आत्म स्वभावकी सिद्धि होयहे

नाते' या भक्ति, राग पूर्वक कहिये है। अर निदान नाहीं है क्योकि यामे संसारका कारण पणाका अभाव है याते'। यहापर इस प्रमाणसे स्पष्ट है कि भगवान जिनेंद्रके सन्मुख होकर पूजा करने से विशेष फलकी सिद्धि होती है। सन्मुख होकर पूजा करने वाला चर्चासागरके शब्दोके अनुसार जैनधर्मका विरोधी नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहा जायगा तो स्वामी बड़केर महाराज सबसे पहिले जैनधर्मके विरोधी बनेगे क्योकि उन्होंने सन्मुख होकर पूजा करनेका विधान किया है।

### और भी प्रमाण

प्रातः स्मरणीय भगवज्जिनसेनाचार्य श्री आट्टिपुराणमें इस प्रकार सन्मुख होकर पूजा करनेका विधान करते हैं पर्व ४८ में विवाह क्रियाके वर्णनमें उन्होंने इसप्रकार लिखा है।

पुण्यश्रमे क्वचित्सिद्धप्रतिमाभिमुखं तयो ।

दंपत्योःपरया भूत्या कार्यं पाणिग्रहोत्सवः ॥ १२८॥

अर्थात्—किसी पवित्र आश्रममें सिद्ध भगवानकी प्रतिमाके सन्मुख बड़े ठाटवाटके साथ उन दोनों दंपतीके विवाहका उत्सव मनाना चाहिये। यहांपर भी सिद्ध भगवानकी प्रतिमाके सन्मुख ही विवाह कार्य करनेकी आज्ञा दी है—

### और भी प्रमाण

जहापर आदि पुराणजोमे वर्णलाभ क्रियाका वर्णन किया है चहापर भगवज्जिनसेनाचार्यने इस प्रकार लिखा है—

तद्यपि पूर्ववत्सिद्ध प्रतिमार्चन भग्नतः ।

शृत्वान्योपासकान् मुख्यान् साक्षीकृत्यार्पयेद्धनं १३८

अर्थात् उस समय भी पहिलेके समान सिद्ध भगवानकी प्रतिमाकी पूजा करे और उसके आगे मुख्य २ श्रावकोके समक्ष सट चढावे । यहांपर भी इस क्रियाका जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाके सामने ही विधान किया है ।

### और भी प्रमाण

आदिपुराण पर्व ३६ में जहा उपासक दीक्षाका वर्णन किया है वहापर आचार्य जिनसेनने इस प्रकार लिखा है—

जिनार्चाभिमुखं सूरिर्विधिर्नैवं निवेशयेत्

तदोपासकदीक्षेयमिति सूर्ध्नि मुहु स्पृशन् ।

अर्थात्—यह तुम्हारी श्रावककी दीक्षा है इस प्रकार कहकर दीक्षा देनेवालेके मस्तकपर बार बार हाथ फेरता हुआ आचार्य भगवान जिनेन्द्रकी पूजाके बाद भगवान जिनेन्द्रके आगे उस दीक्षा देनेवालेको बैठाये । यहांपर दीक्षाके समय भी सामने हीका विधान किया है । चर्चासागरके कथनानुसार क्या आदिपुराणके कर्ता भगवज्जिनसेनाचार्यको भी जिन वचनोंका विरोधी कहा जायगा ? क्योंकि उन्होंने पूर्व और उत्तर दिशामें पूजा आदिका विधान न कर सन्मुख होकर पूजाका विधान किया है ।

## और भी प्रमाण

आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती विरचित त्रिलोकसार की प्रतिष्ठा जैनसमाजमें गहुत बढ़ो चढ़ी हैं पूजाके प्रकरणमें आचार्य नेमिचन्द्रजी इस प्रकार लिखते हैं ।

गाथा—दिव्यफलपुष्पहस्ता सत्थाभरणा सचामराणीया  
बहुध्वजतूरारावा गत्वा कुर्वन्ति कल्याणं ॥१७२॥

पडिवरसं आसाढे तह कत्तिय फगुणे य अट्टमिदो ।

पुण्णदिणोसिय भिक्खं दो दो पहरन्तु ससुरेहिं ॥१७६॥

सोहम्मो ईमाणो चमरो बडरोयगो य दक्खिणदो ।

पुव्ववरदक्खिणुत्तरदिशासु कुव्वंति कल्याणं ॥१७७॥

छाया-दिव्य फलपुष्पहस्ताः सत्थाभरणा सचामरानीका

बहुध्वजतूरारावाः गत्वा कुर्वन्ति कल्याणं ॥१७२॥

पूर्तिवर्षमाषाढे तथा कार्तिके फालगुने च अष्टमीत

पूर्णदिनांतं चाभीक्ष्णं द्वौ द्वौ पहरौ तु स्वसुरैः ॥१७६॥

सौधर्म ईशानः चामरो वैरोचनः प्रदक्षिणतः

पूर्वापरदक्षीणोत्तरदिशासु कुर्वन्ति कल्याणं ॥१७७॥

अर्थ—दिव्य फल पुष्प आदि पूजन द्रव्य हस्त विषै धारे हैं ।  
चहुरि प्रशस्त आभरण पहरे हैं । चामरनिकरि सहित सेना युक्त

है । बहुत ध्वजा अर वाजित्रनिके शब्दकरि सयुक्त हैं । ऐसे होत

स्वते अपने स्थाननि ते तहा न टोश्वर द्वोप विषै जाय इन्द्रध्वज



आदि जो जिन पूजन रूप कल्याण ताहि करै हैं । ६७५ । वर्ष वर्ष प्रति आपाढ़ मासविषै अर तैसेही कार्तिक मास विषै अर फाल्गुन मास विषै अष्टमी तिथि तै लगाय पूर्णिमा दिन पर्यंत अभीक्षण कहिये निरंतर दोय २ पहर अपने अपने देवनिकरि । ६७६ । कौन कहा करै हैं सो कहै हैं— प्रथम स्वर्ग युगल के इंद्र सौधर्म अर ईशान बहुरि असुर कुमारनिके इंद्र चमर अर वेरोचन ये चारों प्रदक्षिणा-रूप पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशानिविधै कल्याण जो जिन पूजन ताहि करे हैं । पूर्ववाला दक्षिण जाय तब उत्तरवाला पूर्व को आवै ऐसे चारो दिशानिमे प्रदक्षिणारूप महोत्सव युक्त पूजन करे हैं । ६७७ । यहांपर चारो दिशाओमे स्पष्टरूपसे पूजनका विधान है । यदि दक्षिण और पश्चिममे मुख कर पूजन करनेमें सन्तान नाश आदि भयकर फलको प्राप्ति सिद्धांतोक्त होती तो आचार्य नेमिचन्द्र कभी वैसा विधान नहीं करते इससे बढ़कर औरपुष्ट प्रमाण क्या हो सकता है ? इसलिये यह बात सिद्ध है कि उमास्वामि श्रावकाचारके आधारसे जो चर्चासागरमे दक्षिण और पश्चिम को और मुख कर पूजाका भयंकर फल बतलाया है वह विल-हुल कल्पित है ओग जैन शास्त्रोके विरुद्ध है ।

### और भी प्रमाण

देवोऽर्हत्प्राङ्मुखो वा नियनिमनुसरन्नुत्तराशामुखो वा  
 यामध्यास्तेस्म पुण्यां समवसृतिमहीं तां परीत्याध्यवासुः

प्रादिक्षणेन धीन्द्रा ध्रुयुवतिगणिनी नृस्त्रियःस्वइचदेव्यो  
देवा सेन्द्राश्च मर्त्या पद्माश्च इति गण द्वादशामी क्रमेण

समवसरणप्रकरण

अर्थात् “मर्यादाने अंगीकार करनवारो अरहंत देव या पवित्र समवसरण को पृथक्का मन्व्यकेविषे पूर्वदिशाके तथा उत्तर दिशाके सन्मुख तिष्ठे हैं अरवा अहंतने प्रदक्षिणारूप वेष्ट न करि मुनी-श्वर कल्पवासिनो आर्यकाने आदि लेय मनुष्यनिकी स्त्री ज्योति-पनी देवी, व्यंतर देवी भवनवासिनी भमनवासी देव व्यंतर देव ज्योतिपी देव कल्पवासी देव मनुष्य तिर्यंच ये द्वादशगण अनुक्रमते तिष्ठे हैं नमस्कार पूजा वन्दना करे हैं” । यहांपर भी कोई दिशाका विधान नहीं सभी दिशाओकी ओर मुखकर बैठनेवाले सानन्द भगवानकी पूजा वन्दना करते हैं । यदि दक्षिण पश्चिम दिशामें मुखकर पूजा करनेसे भयंकर फल प्राप्त होता तो समवसरणकी रचना ऐसी क्यों की जाती ? परमशक्तिका धारक इंद्र लोगोंको पूर्व ओर उत्तर दिशा की ओर मुख कर ही बैठनेकी व्यवस्था करता । साक्षात् केवल ज्ञानीके विराजमान रहने पर तो कोई गलती नहीं हो सकती थी । इसलिये यही मानना होगा कि उमास्वामिश्रावकाचारमें पूजाका जो दिशाओंके अनुसार बुरा भला फल माना है वह उनको निज की कल्पना है । पूर्वाचार्योंके ग्रंथ देख कर उन्होंने यह बात नहीं लिखी है । इस लिये वह कभी प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । तथा जो जैनशास्त्रोंके स्वाध्याय करनेवाले हैं उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम है कि—

समघरणमें मानस्तंभके मूलमें, अकृत्रिम मन्दिरोंमें, मानस्थंभके मस्तकपर, चैत्य वृक्षोंके मूलमें, चतुर्मुख सिद्धोंकी प्रतिमा तथा स्तूप गिरियोंमें चतुर्मुख प्रतिमायें विराजमान रहती हैं वहांपर भी दक्षिण पश्चिम मुखकर आरती अभिषेक पूजन महाअर्घ्य विधान शातिधारा आदि होती है उन्हें धर्मविरुद्ध नहीं माना जाता । और भी इस विषयमें अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं परन्तु विस्तारके भयसे वैसा करना अनुचित मालूम पड़ता है । सारवात यह है कि पूजा करनेवाला किसी भी ओर मुखकर अपने परिणामोंकी निर्गलताके अनुसार पुण्यबंध कर सकता है चर्चासागरमें जो दिशाओंके आधीन बुरा भला फल माना है वह पूजाके स्वरूपकी न समझ कर ही वेला किया हैं । यदि दिशा ही बुरे भले फलोंके देनेवाली मानी जायगी तो फिर परिणामोंकी निर्मलता कोई चीज ही न ठहरेगी । तथास्तु अब हम पं० मक्खन-लालजीने जो चर्चासागरकी बात पुष्ट करनेकी चेष्टा की है उसपर विचार करते हैं—

पृष्ठ न० १०६ में पण्डितजीने चर्चासागरकी पंक्तियां उद्धृत की है । वे पंक्तियां ह्रस्व चर्चासागरकी नहीं उन्हें श्लोक उद्धृत करने थे ! दक्षिण आदि दिशाशोका जो महा भयंकर फल चर्चासागरमें बतलाया है वह तो पण्डितजी छोड़ ही गये हैं । जो पंक्तियां पण्डितजीने उद्धृतकी हैं यदि वे वैसे रूपमें होती तो जल्दी कोई आपत्ति भी न करता । इसलिये पण्डितजीने चर्चासागर की खास पंक्तियोंको छिपाया है । पृष्ठ न० ११० में भ्रांभरीजीके

शब्दोंपर टीका टिप्पणी की है वह भी अयुक्त है। वहींपर आपने यह भी लिखा है कि “चतुर्मुख प्रतिमाकी विशेष बात है। उसका विधान भी विशेष है, इसलिये वहांपर दिशाओंका नियम नहीं इत्यादि” परन्तु वह ठीक नहीं। क्यों कि जब दक्षिण और पश्चिम दिशाकी ओर मुखकर पूजा करना संताननाश आदि अनर्थका कारण बताया है तब वह दिशाका फल तो चतुर्मुख प्रतिमाकी पूजाके समय भी मिलेगा ही। उस समय कहा जा सकता है। यदि यही बात है तो आपको किसी ग्रन्थका प्रमाण देना था कि—चतुर्मुख प्रतिमाके समस्त दिशाओंका नियम नहीं। आपने अपनी ओरसे लिख दिया वह कैसे प्रमाण माना जा सकता है? कपाय और हठ बहुत बुरी बीज हैं। जिस तरह आपने बिना प्रमाणके यह कल्पना कर डाली कि चतुर्मुख प्रतिमाके समय दिशाओंका विधान नहीं उसी तरह यही लिख देंगे कि चर्चासागरकी इस विषयमें राय ठीक नहीं तो बखेड़ा भी न उठता परन्तु आपसे ऐसा कैसे हो सकता है? जिनको भगड़ा कर जन धनकी शक्ति नष्ट करनेमें आनन्द आता है उन्हें सच्ची बात कह कर शांतिमें कैसे मजा आ सकता है। चर्चासागरमें यह लिखा है कि दक्षिण आदि दिशाओंकी ओर मुखकर पूजा करनेसे सन्तान नाश आदि भयंकर फल भोगने पड़ते हैं। ऐसा ही लेख आपको दूसरे ग्रंथोंका प्रमाणरूपमें उपस्थित करना चाहिये था। परन्तु आपने एक भी उस बातकी पुष्टिका प्रमाण नहीं दिया। पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर मुख कर पूजा करनेका

ता शास्त्रोंमें विधान है परन्तु और दिशाओंकी ओर मुख करनेपर सत्यानाशी फल मिलता है। यह कहीं भी नहीं बतलाया। पृष्ठ न० ११२ में आपने—

पूर्वाशाभिमुखो विद्वानुत्तराभिमुखोऽथवा  
पूजां श्रेयोऽथवा जाप्यं सुधीः कुर्यादहर्निशं ।

अर्थात् पूर्व और उत्तर की ओर मुँहकर विद्वानको पूजा जाप करनी चाहिये यह विद्यानुवादका श्लोक उद्धृत किया है। यहापूर्व उत्तर दिशाका विधान किया है। दक्षिण आदि दिशाका भयंकर फल नहीं बनाया इसलिये आप जिस बात को पुष्टि करना चाहते हैं वह इससे सिद्ध नहीं होती। इसी तरह आपने—

उदङ्मुखं स्वयं तिष्ठेत् इत्यादि दो श्लोक यशस्तिलक चंपूके उद्धृत किये हैं। तिष्ठेहि स्वयं पुजा। इत्यादि गाथा इन्द्रन्द्रि संहिताको लिखी है। पूर्व उत्तर दिसि सुखसार। पूजक पूर्व करे मुख सार इत्यादि क्रियाकोषका छद्म उद्धृत किया है। वेदो दक्षिण अर उत्तर मुख जानिये इत्यादि तेरह द्योप पूजाका, पूर्वाशाभि- मुख, साक्षादि त्यादि ज्ञानार्णव ग्रंथका, पूर्व दिशि मुखकर बुधवान इत्यादि क्रियाकोषका प्रमाण उद्धृत किया है। इन सबोंमें पूर्व और उत्तर मुखकर पूजा करनेका विधान बतलाया है। दक्षिण आदि दिशाओंका भयंकर फल नहीं बतलाया। इसलिये ये सब प्रमाण आपके निरर्थक हैं, चर्चासागरकी बात इनसे पुष्ट नहीं हो सकती। पूर्व और उत्तर दिशाओंमें मुखकर पूजन करना चाहिये

इस विषयमें तो कोई आपत्ति ही नहीं। आपत्ति इस बात पर है कि “इन दो ही दिशाओंमें मुख कर पूजन करनी चाहिये, और दिशाओंकी ओर मुखकर नहीं। यदि दक्षिण आदि दिशाओंमें मुखकर पूजन की जायगी तो संतान नाश आदि भयकर फल प्राप्त होगा” परन्तु इस बातकी पुष्टिमें आपने एक भी प्रमाण नहीं दिया। पृष्ठ न० ११६ में आपने क्रियाकोपके आधारसे स्नान दातुन आदिका विधान भी दिशाओंके आधारसे लिखा है वह भी निरर्थक है क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं फिर भी जिन दिशाओंका विधान किया है उनसे भिन्न दूसरी दिशाओंमें स्नान आदि करनेसे भयकर फल नहीं बतलाया। अर्थात् ।

सारांश—पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर मुखकर पूजाका विधान विशेषतः मिलता है परन्तु सन्मुख होकर वा दक्षिण पश्चिमकी ओर मुखकर भी पूजाका विधान है उसकी पुष्टिमें ऊपर अनेक प्रमाण दिये जा चुके हैं। दक्षिण और उत्तरकी ओर मुख करनेसे सतानका नाश आदि महा भयकर फल प्राप्त होता है यह तो कहीं भी मान्य आचार्योंके ग्रन्थोंमें नहीं लिखा, कल्पित ग्रंथ उमास्वामी श्रावकाचारके आधारसे चर्चासागरमें लिखा देखा गया है। वस इसीपर यह आपत्ति को गई है कि “दिशाओंके आधारसे जिन पूजा का यह भयकर परिणाम और किस मान्य ग्रंथमें लिखा है।” पं० मन्मथनलालजीने चर्चासागरकी पुष्टिके लिये यह विषय लिखा है परन्तु किसी ग्रंथमें पूजाका वैसा फल न मिलनेसे वे भी उस बातकी पुष्टि करनेमें समर्थ नहीं हुए हैं। उन्होंने पूर्व और उत्तर दिशा

की ओर मुखकर पूजा करना चाहिये, इस बातकी पुष्टिमें कुछ प्रमाण दे डाले हैं जिनका कि देना बिल्कुल निरर्थक है क्योंकि उस बात पर कोई आपत्ति थी ही नहीं। पूर्व उत्तर दिशाकी ओर मुखकर पूजा करना सर्वोको अभीष्ट है। इस लिये पण्डितजीने इस विषयमें जो लिखा है मात्र कई पृष्ठ निरर्थक काले किये हैं। जिस बातपर आपत्ति थी उस बातपर कुछभी न लिख कर अंडवड लिखना बुद्धिमानी नहीं। भोले लोग भले ही समझे कि पण्डितजीने प्रमाण दिये हैं परन्तु जो महानुभाव कुछ बुद्धि रखते हैं और जिन्हें कुछ भी शास्त्रका ज्ञान है, वे कभी पण्डितजीके ऊट पटांग लिखनेको सहत्व नहीं दे सकते। असली बात छिपाकर उधर इधर की बिना प्रयोजन बात लिखकर जो शक्ति और समय नष्ट किया गया है यह अवश्य ही महान खेदका विषय है।



# श्राद्ध और पितृतर्पण पर विचार



अपने किये कर्मका फल आपको ही भोगना पड़ता है। दूसरा कोई भी उसमें भाग नहीं बटा सकता। जैन शास्त्रोमे इस बातका बड़ें विस्तारसे खुलासा किया है। यदि पुत्र चाहे कि मे अपने पिताकी तरुलीफ हरलूं, तो वह हर नहीं सकता। एक जीव मरकर स्वर्गमें ही जन्म ले, यह भी कभी नहीं हो सकता। जो जीव आज मनुष्यकी पर्यायमे मौजूद है, वह मरकर कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा, चमगीइइ आदि निद्रित पर्याय भी धारण कर लेता है। जो आज अपना पिता है वह मरकर अपना पुत्र, पोता, पर पोता तक हो जाता है। विशेष क्या आप आपके ही पैदा हो जाता है। ऐसी अनेक कथाओसे जैन शास्त्र भरे पडे हैं। लोकमें जो श्राद्ध वा पितृतर्पणकी प्रथा प्रचलित है वह बिलकुल कल्पित, स्वार्थियोंकी चलाई हुई, मिथ्या है। क्योंकि श्राद्ध वा पितृतर्पणका वे यह उद्देश बतलाते है कि ब्राह्मण और कौश्रिको भोजन करानेसे वा और भी अनेक चीजे ब्राह्मणों को देनेसे, वे हमारे पितरोंके पास पहुंच जाती हैं परन्तु यह सम्भव नहीं हो सकता। थोडी देरके लिये मानलीजिये कि किसी का पिता अपने अशुभ कर्मके उदयसे कुत्ता वा सूअर हो गया



और वहाँपर भी शरीरमें रोग हो जानेसे वह महा दुखी रहने लगा । पूर्वजन्मके उसके पुत्रोंने पिताको, पितर मानकर उसका श्राद्ध किया अनेक प्रकारके दान दिये, वे ब्राह्मणोंतक ही रह गये । कुत्ता और सूअरकी पर्यायमें जो पितर थे उनके पास कुछ भी नहीं पहुँचा । अब बताइये विचारे कुत्ता और सूअर रूप पितरोंको उससे क्या लाभ हुआ । ऐसे अनेकों दृष्टान्त शास्त्रोंमें भरे पड़े हैं । एवं श्राद्ध और तर्पणको विलकुल मूर्खोंको कल्पना समझ जैनचार्योंने बड़े जोरसे उनका खण्डन किया है । खण्डन करते समय जैन चार्योंने श्राद्ध तर्पणका जैन सिद्धांतानुसार अर्थ भी घटाया है परन्तु उससे जैनशास्त्रों द्वारा श्राद्ध पितृतर्पणकी पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि वे हिंदूधर्मके शब्द हैं इनका नामोल्लेख करनेसे जैनधर्मकी पवित्रता नष्ट होती है । जैनचार्योंने जो इनका सच्चा अर्थ समझाया है उसके जाननेवाले बहुत कम लोग हो सकते हैं । श्राद्ध तर्पणकी क्रियायें लोकमें प्रचलित हैं । अपने शास्त्रोंमें भी उनका नाम देखकर लोग समझने श्राद्ध तर्पणका विधान हमारे यहाँ भी है । इसलिये लोगोंको देखा देना वे श्राद्ध आदि करने लगजायगे । इससे जैनधर्मको बहुत बड़ा बड़ा लगेगा । जैनसिद्धांतमें श्राद्ध तर्पणका नाम कोई जानता ही नहीं । मुनि आदिको दान देना जो श्राद्ध तर्पण कहा गया है उसका नाम श्राद्ध तर्पण नहीं, उसका नाम आहार दान है । उसे श्राद्ध तर्पण कह देना श्राद्ध तर्पणके अर्थको जैन सिद्धांतानुसार ढालना है । इस

रूपसे जिस धर्ममें श्राद्ध तर्पणका विधान हो न हो वहा पर विधान कर देना अवश्य ही चौका देनेवाली बात है। चर्चासागरमें जहापर तिलकका विचार किया है वहापर उसके बिना श्राद्ध तर्पणको भी निरर्थक बतलाया है। वहापर श्राद्ध तर्पणका विधान देखकर स्वयमेव यह आशका हो जाती है कि श्राद्ध तर्पणकी प्रथा जैनियोंमें कहासे आई ? जिस श्लोक से श्राद्ध तर्पणका विधान किया है वह श्लोक त्रिवर्णाचारका है। त्रिवर्णाचारमें श्राद्ध तर्पणकी पुष्टि हिंदूधर्मके अनुस्मार की गई है। वहापर जैन धर्मके अनुसार कोई बात ही नहीं कहा। भाई रतनलालजीने यह धर्म विरुद्ध बात देखकर ही आपत्ति की है। श्राद्ध तर्पणके प्रकरणमें पं० मकरपनलालजीको त्रिवर्णाचार देख कर उसको मिथ्या ठहराना था परन्तु उन्होने उस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जैनधर्मानुसार जहा श्राद्ध, तर्पण, शब्द आये है उनके कुछ प्रमाण दे डाले है। जो कि बिलकुल निरर्थक हैं क्योंकि वे चार्ने तो मानी ही जाती हैं। पर चर्चासागरमें जो श्राद्ध तर्पण लिया गया है। वह जैनशास्त्र सम्मत नहीं हो सकता। पण्डितजीने वहापर भाँभरोजीको बुरी तरह कोस डाला है यह उनकी गलती है। जा हो हम यहा चर्चासागरकी पंक्तिया ज्यों को त्यो रखे देते हैं तथा जिम् ग्रन्थके आधारसे वे पंक्तिया लिखे हैं उन श्लोकको भी लिखे देते है पाठक स्वयं समझ जायगे कि चर्चासागरऔर त्रिवर्णाचारसे जैनधर्मकी पवित्रता किस रूपसे नष्ट होती है। इसके बाद हम भाँभरोजीकी जो आपत्ति है वह भी उद्धृत करेंगे।

## चर्चासागरके शब्द

जपो होसस्तथा दानं स्वाध्यायः पितृतर्पणं ।

जिनपूजा श्रुतारव्यानं न कुर्यात्तिलकं विना । ४-८५

अर्थात् शास्त्रोंने लिखा है कि गमोकार आदि मंत्रोंके जप, होम, सत्यात्रोंको दान, जैनशास्त्रोका पांचों प्रकारका स्वाध्याय, पितृतर्पण, जिनेन्द्रदेवकी पूजन, तथा शास्त्रका श्रवण आदि कार्य विना तिलक लगाये कभी न करना चाहिये । ये चर्चासागरके शब्द हैं । यद्यपि पं० मन्मथनलालजीने श्राद्ध तर्पणका अर्थ जैनचार्योंके मतानुसार किया है परन्तु यहाँ पर चर्चासागरके कर्ताने जिस ग्रन्थका प्रमाण दिया है उस ग्रन्थमें तर्पण और श्राद्धका अर्थ क्या लिखा है ? वह देखना चाहिये । चर्चासागरके कर्ताने यह श्लोक त्रिवर्णाचारसे उठाया है उस त्रिवर्णाचारमें श्राद्ध तर्पणका जुलाला इस प्रकार किया है—तर्पण

असंस्काराश्च ये केविज्जलाशाः पितरः सुराः

तेषां संतापतृण्यर्थी दीयते सलिलं मया । ११ । अ० ३

अर्थ—जो पितर, संस्कार हीन मरे हों । जलकी इच्छा रखते हों और जो देव जलके इच्छुक हों उनके संतापकेलिये मैं पानी देता हूँ कलसे तर्पण करता हूँ । ११ ।

हस्ताभ्यां निक्षिपेत्तोयं तत्तोरे सलिलाद्वहिः

उत्तार्य पीडयेद्वस्त्रं संत्रतो दक्षिणे ततः । १२ ।

अर्थ—यह उपयुक्त श्लोक पढ़कर हाथमें जल लेकर उसजलाशयके तीरपर जलके बाहिर जलको अंजली छोड़े इसके बाद वस्त्र उतार कर मंत्रपूर्वक दक्षिण दिशाकी तरफ निचोड़े । १२ ।

केचिदस्मःकुले जाता अपूर्वाव्यंतराः सुराः ।

ते गृह्णन्तु मया दत्तां वस्त्रनिष्पोद्गनोदकम् ॥१३॥

अर्थ—और जो कोई हमारे कुलमें उत्पन्न हुए पुरुष मरकर व्यंतर या असुर जातिके देव हुए हो तो वे मेरे द्वारा वस्त्र निचोड कर दिया हुआ जल ग्रहण करें । १३ । कहिये पण्डितजी महाराज ! यह आपके प्रमाणीक ग्रंथ त्रिवर्णाचारमे तर्पणका खुलासा है, क्या यह आपको स्वीकार है ? यदि स्वीकार है तो आपको यह विधि खुलासा लिखकर पृष्ट करनी चाहिये थी । मुनिदान आदिको जो तर्पण श्राद्धका रूप दिया गया है उस पर न झुक पडना चाहिये था । क्योंकि ऊपरके जिस श्लोकसे श्राद्ध तर्पणका विधान किया है वह भी त्रिवर्णाचारका है । और यह विधि भी त्रिवर्णाचार में लिखी हैं । आपने श्लोकके तर्पण पदको सिद्धधान्तोक्त मानकर उसकी पृष्टके लिये तो अनेक पृष्ट काले कर डाले और इस त्रिवर्णाचारकी लिखी विधिको प्रमाण माननेमें पोल खुलती देखकर उसका नाम तक नहीं लिखा । क्या आपके मतानुसार त्रिवर्णाचारके कर्त्ता सोमसेन जैनाचार्य नही ? उनको तो आपने जैनाचार्य कहकर लिखा है । एक बात उनको प्रमाण मानी जाय और दूसरी प्रमाण न मानी जाय यह हो ही नहीं सकता नही तो उन्हें जैनाचार्य कहना समजा-  
को धोखा देना कहा जायगा ? अब त्रिवर्णाचारकी श्राद्ध विधि सुनिये—

तीर्थतटे प्रकर्तव्यं प्राणायामं तथाचमम् ।

संध्यां श्राद्धं च पिंडस्य दानं गेहेऽथवा शुचौ ॥१७७॥

अर्थ—प्राणायाम, आचमन, संध्या, श्राद्ध, और पिंडदान ये नदी वगैरहके किनारे पर बैठकर करे। अथवा अपने घरमें भी किसी पवित्र स्थान पर बैठकर करे। १७७।

सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः ।

नासां तटे न कुर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥७८॥

अर्थ—सिंह और कर्कट सक्रमणमें सर्वा नदियां प्रायः, अशुद्ध रहती हैं इसलिये उन दिनों उनके किनारे पर उक्त क्रियार्थे न करें किन्तु समुद्रमें जानेवाली नदियोंके तटपर करनेमें कोई दोष नहीं। कहिये पण्डितजी! इस श्राद्धको भी आप जैनधर्मानुकूल मानेंगे? ये तो आपके पूज्य सोमसेन आचार्यके वचन हैं। आपने इस बात को छिपाकर जो इधर उधरका लिख मारा है यह आपने अच्छा नहीं किया है। ऊपरके जिस श्लोकमें श्राद्धका उल्लेख किया गया है वह श्लोक जब त्रिवर्णाचारका है तब त्रिवर्णाचारका कहा हुआ ही श्राद्धका विधान आपको मानना होगा, सो आपने एकदम छोड़ दिया। भांभरीजीकी भी आपत्ति इसी तर्पण और श्राद्धके विषयमें है क्योंकि चर्चासागरमें इसीप्रकारके श्राद्ध तर्पणकी आज्ञा दी गई है। आपने जो तर्पण श्राद्धका अर्थ लिखा है उस पर तो कोई आपत्ति है ही नहीं इसलिये आपने जो श्राद्ध तर्पणकी पुष्टिमें लिखा है वह बिल्कुल निरर्थक है। आपके वैसे लिखनेसे चर्चासागरके मतानुसार श्राद्ध तर्पणकी पुष्टि नहीं हो सकती। कृपानिधान! इस विषयमें तो आपको चर्चासागरका कथन सर्वथा जैन

धर्मके विपरीत करार देना होगा । देखिये भांभरीजीकी क्या आपत्ति है--

‘ जप होम दान स्वाध्याय पितृतर्पण पूजा शास्त्रश्रवण आदि कार्य बिना तिलक लगाये नहीं करना चाहिये’ । और तो ठाक परंतु यह पितृ तर्पण (श्राद्ध) जैनियोमे कबसे शुरू हो गया ? जैनधर्मके जितने प्राचोन ग्रन्थ उपलब्ध हैं क्या कहीं पितृतर्पण करना लिखा है ? जैन सिद्धान्तमें ऐसे पितृ नामकी कोई चीज मानी गयी है क्या ! जैनियोमें यह रीति प्रचलित कही नहीं है । मालूम होता है यह नया विधान अपने स्वार्थके लिये प्रचलित किया जा रहा है ।” भांभरी जीके इन शब्दोंसे जिन आचार्यों ने श्राद्ध तर्पण आदि हिंदूधर्मके शब्दोंको जैन सिद्धांतके अनुसार ढाला है उसपर कोई आपत्ति नहीं की गई किन्तु चर्चासागरमें जो श्राद्ध तर्पण आदि लिखा है वह त्रिवर्णाचारके आधारसे लिखा है । त्रिवर्णानारमे श्राद्ध तर्पणका विधान हिंदूधर्मके अनुसार माना है जैसा कि ऊपर लिखा गया है इसलिये भांभरीजीकी आपत्ति विलकुल ठीक है । भांभरीजी हो क्यों अनेक आचार्योंने त्रिवर्णाचारके अनुसार जो श्राद्ध तर्पण माने हैं उन्हें धर्मविरुद्ध बताया है । जैनाचार्योंने श्राद्ध तर्पणको किनना घुरा बतलाया है । यह पर हम उनके वचनोंका उल्लेख करने हैं ।

आचार्य सकल कीर्ति विरचित प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमें तर्पण और श्राद्धको इस प्रकार हेय बतलाया है ।

तर्पणं ये प्रकुर्वन्ति मृतजोवादिश्रेयसे ।

मिथ्यात्वसत्त्वसंघाताद्भवारण्ये असंति ते ॥१७॥

अर्थ—जो मूढ़ प्राणी मरे जीवनिके कल्याणके अर्थ तर्पण करे हैं ते प्राणी मिथ्यात्व अर प्राणीनिके घात ते संसार रूप जनविषे भ्रमे हैं ॥१७॥

और भी प्रमाण—

मातृपित्रादिसिद्धयर्थं श्राद्धं कुर्वन्ति ये वृथा ।

गृध्नन्ति ते स्वपुष्पेण वै बंध्यासुनशेखरं ॥१८॥

अर्थ—माता पितादिके सिद्धिके अर्थ जो पुत्र वृथा श्राद्ध करे हैं वे आकाशके पुष्पकरि बंध्याके पुत्रका सेहरा गूथे हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शंभु स्त्रीके पुत्रका होना असम्भव है । आकाशके पुष्पोंका माला होना असम्भव है उसी प्रकार श्राद्धसे माता पिताको लाभ पहुंचना असम्भव है । जौलोग ये क्रियाये करते हैं वे मूढ़ हैं ॥१८॥

और भी प्रमाण

भोजनं कुरुते पुत्र पिता पश्यति तं स्वयं ।

यदि तृप्तिर्भवेन्नैव मृतः सोऽपि कथं श्रयेत् ॥१९॥

पुत्र हैं सो भोजन करे है अर पिता तिहिं पुत्रने आप देखे हैं सो तृप्ति ताकूं नहीं प्राप्त होय है तो मत्वा कैसे तृप्त होयगा ॥१९॥ आचार्य सकल कीर्तिनि यह एक बड़ी सुन्दर युक्ति दी है । पिता पुत्र एक साथ बंठे हैं वहांपर पुत्रके खा लौनेसे पिता

का पेट नहीं भरता जब पासमे बैठनेपर पुत्रके खानेसे पिताका पेट नही भरता तब जो पिता मरकर न मालूम कहाँ गया है उसकी तृप्तिके लिये उसका पुत्र श्राद्ध कर ब्राह्मण आदिको भोजन वागवै' तो उस मरे पिताको कैसे तृप्ति हो सकती है। इसलिये श्राद्धकी क्रिया भोले जीवोको उगनेके लिये है। पवित्र जैन सिद्धान्तमे ऐसी क्रियाओका कभी समावेश नहीं हो सकता।

### और भी प्रमाण—

आचार्य देवसेन सूरिका बनाया हुआ एक भावसंग्रह ग्रन्थ है उसमें श्राद्धको इस प्रकार हेय बतलाया है—

कुण्ड सराहं कोई पियरे संसारतारणत्येण ।

सो तेसिं संसाणि य तेसिं णामेण खावेह ॥२९॥

पृ०६ छापा

अर्थात्--पितरोंको संसारसे तारनेके लिये जो उनका श्राद्ध करते हैं वे उनके नामसे उनका मास खाते हैं। पाठक ! विचारिये यहापर देवसेन सूरिने श्राद्धके कार्यको कितना बुरा कहा है। ऐसे निकृष्ट श्राद्धका चर्वासागरमें विधान किया गया है और पं० मन्मथलालजी उसकी पुष्टि कर रहे हैं। यह आश्चर्य है।

### और भी प्रमाण—

आचार्य सोमदेवने यशास्तिलक चपूमे श्राद्धकी इस प्रकार निंदा की है।



मन्थेषु चेत्सञ्जनि नाकिनां वा विधायपुण्यं पितरः प्रयाताः  
 तेषामपेक्षा द्विजकाकमुक्तौ पितृभवेद्वर्षकृतैर्न कापि  
 गन्त्यन्तर जन्मकृतां च पितृणां स्वकर्मपाकेन पुराकृतेन  
 तथापि किं तेन न दृष्टमेतत्तृप्तिः परेषां परितपिणोति

अर्थात्--अपने पुण्यके अनुसार पितर लग पितृ माता आदि  
 अपने बन्धुगण. मनुष्योमें या देवोंमें पैदा हो जाते हैं अर्थात् मनुष्य  
 गति या देवगतिमें उत्पन्न हो जाते हैं उनके लिये लाल र  
 पीछे कंवा ओर ब्राह्मणोंको खिलानेसे कुछ फायदा नहीं है  
 अर्थात् उन्हें खिलानेसे परलोकमें जानेवाले पितरोंका कोई सम्बन्ध  
 नहीं है। अपने पूर्व कर्मके उदरसे दूसरी पर्यायमें गये हुए पितर  
 लोग उस ब्राह्मण भोजन आदिसे कभी तृप्त नहीं हो सकते।  
 उनका इस ब्राह्मण भोजन और काक भोजनसे कोई सम्बन्ध  
 नहीं है किन्तु ब्राह्मण और काक ही रूतुष्ट होते हैं यह बात  
 निश्चित है। इन विषयमें विस्तार भद्रसे अधिक प्रमाण देना  
 व्यर्थ है। श्राद्ध तर्पणके निषेधमें अगणित प्रमाण शास्त्रोंमें भरे  
 पड़े हैं। जो हां यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी है कि--  
 चर्चासागरमें जो श्राद्ध तर्पणका विधान किया गया है वह बिल्-  
 कुल जैनधर्मके विपरान्त है। उसे कोई माननेके लिये तैयार नहीं। अब  
 हम प० मन्खनलालजीने श्राद्ध और तर्पणकी पुष्टिमें जो व्यर्थ  
 लिख मारा है उसपर विचार करने हैं।

पृष्ठ नं ११७ में 'पितृतर्पणके अर्थके समझनेमें भांभरीजी

की नासमझी बतलाई है और लिखा है कि समान नाम रहने पर भा पितृनर्पण जैनधर्मके विरुद्ध नहीं। अन्य मतियोंने जो पितृनर्पणका अर्थ माना है वह धर्म विरुद्ध है और मिथ्यात्व है इत्यादि” यहापर इतना हो लिखना पर्याप्त है कि भ्रांभरी जीने ग्बू समझ बूझकर पितृनर्पण और श्राद्धपर आपनि की है जिस ग्रंथसे चर्चासागरमें पितृनर्पणकी पुष्टिमें श्लोक लिया है उस ग्रन्थनक को देखा है। उस ग्रंथ त्रिवर्णाचारमें पितृनर्पण और श्राद्धकी गेति प्राय हिन्दूधर्मके अनुगार मानी हैं। इसलिये चर्चासागरमें किया हुआ श्राद्धनर्पणका विधान प्रामाणिक नहीं समझा जा सकता। पृष्ठ नं० ११६ में—

**जन्मैकमात्माधिगमोद्वितीयं भवेन्मुनीनां व्रतकर्मणा व  
अमो द्विजाः साधु भवंति तेषां संनर्पणं जैनजनः करौतु**

अर्थात्—एक जन्म तां गर्भसे निकलना माना जाता है दूसरा जन्म व्रतक्रिया और दोगा क्रिया द्वारा मुनियोंका माना जाता है। इसलिये ये मुनिगण दो जन्मवाले द्विज ब्राह्मण हैं यह बात अच्छा तरह निद्ध हो जाती है। उन मुनिरूप द्विजोका तर्पण जैनो लोग करते हैं। उन मुनियोंको दान देते हैं। पंडितजीने यह केवल तर्पण शब्दकी पुष्टिमें यशन्तिलक चपूका श्लोक उद्धृत किया है। परन्तु आपत्ति पितृ तर्पण शब्दपर है। सो पितृतर्पण शब्दका यह अर्थ नहीं किया गया है। यदि यहापर यह लिखा रहता कि इसीको पितृनर्पण कहते हैं तो भी यह श्लोक इस प्रकरणमें उपयोगी होता परन्तु वैसा नहीं लिखा तर्पण शब्दको देखकर पितृ-

नर्पण समझ लेना यह बड़ी भारी भूल है। यहांपर इस श्लोकका प्रमाण रूपमें, उल्लेख करना निरर्थक है। पृष्ठ नं० १२० में पंडितजीने —

निर्निमित्तं न कोऽपीह जनः पूयेण धर्मधोः,

अतः श्राद्धादिकाः प्रोक्ताः क्रियाः कुशलबुद्धिभिः ।

इस श्लोकका यह अर्थ लिखकर कि “बिना निमित्तके कोई भी पुरुष धर्ममें बुद्धि नहीं लगाता है इसी लिये चतुर बुद्धिवालोंने (आचार्योंने) श्राद्धादिक क्रियायें बतलाई हैं” यह श्राद्धकी पुष्टि की है। परन्तु यह अर्थ इस श्लोकका नहीं है किन्तु इस श्लोकका अर्थ यह है कि—“बिना कारण किसी मनुष्यकी प्रवृत्ति धर्मार्थ नहीं होती इसलिये संसारकी हवा पढ़िचाननेवाले चालाक पुरुषोंने ये श्राद्ध आदि क्रियायें बतलाई हैं, वास्तवमें ये क्रियायें मिथ्या हैं।” यशस्तिलक चंपूमें यह श्लोक उस प्रकरणका है जहांपर महाराज यशोधरकी माता वैदिक धर्मको मानती थी और महाराज यशोधर दि० जैन धर्मावलम्बी थे। माताने अपने पुत्रको वैदिक धर्म स्वीकार करनेके लिये श्राद्ध आदि कामोको प्रशंसा की है, वहांपर महाराज यशोधरने मर्त्येषु चेतसश्चसु नाकिनां वा इत्यादि दो श्लोकोसे श्राद्धका खंडन किया है वही पर महाराज यशोधरके ये वचन हैं कि बिना कारण लोग धर्म नहीं करते इसलिये धर्मके वहानेसे स्वार्थ लोकोने श्राद्धादि क्रियायें जारी कर दी हैं। इससे महाराज यशोधरने श्राद्ध क्रियाका ढोंग बताकर उसका खंडन किया है। विद्वान पाठक वहांका प्रकरण निकालकर पढ़ सकते

है। पं० मक्खनलालजीने कुशलबुद्धिभिः का अर्थ आचार्य किया है हमें नही मालूम यह अर्थ उन्होंने कहाँसे कर डाला ? इस श्लोककी श्रुतसागर सूक्तित सस्कृत टीका भी है उसमें भी इसका अर्थ आचार्य नहीं किया। टीकाकार भला कृशलबुद्धि शब्दका अर्थ आचार्य कैसे कर सकते थे क्योंकि श्राद्ध क्रियाका किसी भी प्राचीन ग्रंथमे विधान नहीं। पं० मक्खनलालजीने यहापर बहुत बडा अनर्थ किया है। यहापर तो श्रुतसागर सूक्तिसे भी पंडितजीने अपनेको विशेष विद्वान मान लिया है क्योंकि जो अर्थ श्रुतसागर सूक्तिको न सुझा वह पं० मक्खनलालजीने सुझा दिया है। उस पंडितार्डके लिये धिक्कार है जो मिथ्यात्वको वाते जारी करनेके लिये खर्च की जाती है। श्लोकका अर्थ न समझकर यशस्ति-ल्लक चंपूमें श्राद्धका विधान बतलाकर पं० मक्खनलालजीने यहां बहुत बडा धोखा दिया है। इसके ऊपर येनापि केनापि मि-  
षेण मान्यैः इत्यादि श्लोक और हैं उससे यह बात विलकुल स्पष्ट है कि स्त्रार्थी लोगोंने श्राद्ध आदि वाते चलाई हैं। वे वाते जैन धर्मकी नहीं। परन्तु कोई ग्रंथके अर्थपर विचार करे तब न। अस्तु। पृष्ठ न० १२१ में-

“सुगधिजलसंपूर्णं पात्रमुद्घृत्य भामिनी इत्यादि तीन श्लोक पद्मपुराणके लिखकर यह स्पष्ट किया है कि मुनियोको दान देना ही श्राद्ध कहा जाता है। वहांपर श्राद्ध शब्दके आ-जानेसे पंडितजीने उसे श्राद्ध बतला दिया है। तथा “श्रद्धयान्त्

प्रदान तु सद्भ्यः श्राद्धमितीज्यते ।” “श्रद्धया दीयते दानं श्राद्ध-  
मिन्यमिधायते” अर्थात् श्रद्धापूर्वक दान देना ही श्राद्ध है। इस प्रकार श्राद्धका अर्थ बतलाया है। परन्तु इस कथनसे श्राद्धका पुष्टि नहीं होता। क्योंकि इसे जैन शास्त्रों आहार दान कहा है वह भी श्रद्धापूर्वक दिया जाता है इसलिये उसे श्राद्ध कह दिया जाता है। चर्चासागरमे जो पितृतर्पण वा श्राद्ध बतलाया है उस श्राद्धकी पुष्टि इससे नहीं होती। आप “चर्चासागरके अनुसार श्राद्ध पितृतर्पणको सिद्ध कर रहे हैं कि मुनियोंका आहार दान बतला रहे हैं? सम्भ्रमे नहीं आता। यदि इतना ही आप कह दे कि ‘चर्चासागरका पितृतर्पण श्राद्ध त्रिवर्णाचारके अनुसार है वह ठीक नहीं। श्राद्धका तो अर्थ यह है, तो कोई विवाद ही न रहे परन्तु वहाँके विषयको छिपाकर यह छल किया जा रहा है यह बुरा है। यदि पंडितजीके कहे अनुसार मुनिदानको ही हम श्राद्ध मान ले तब भी तो ठीक नहीं होता क्योंकि चर्चासागरमे जहाँ पितृतर्पणका उल्लेख किया है वहाँपर तिलक लगाकर पितृतर्पण करना चाहिये यह लिखा है। अब यहाँ जब पण्डितजी मुनियोंके आहारदानके पितृतर्पण-वा श्राद्ध बतला रहे हैं तब कसों भी शास्त्रमे यह बात देखनेमें नहीं आई कि मुनियोंको आहारदान तिलक लगाकर करना चाहिये। आदिदानी राजा श्रेयांसने भगवान आदिनाथको आहार-दान दिया है वहाँपर आदिपुराणमें यह उल्लेख नहीं कि उन्होंने तिलक लगाकर दिया था। और भी बहुतसी जगह मुनियोंके

आहारका प्रकरण आया है परन्तु कही भी तिलक देकर आहारदानका जिक्र नहीं आया। महाराज पंडितजी! श्राद्धका अर्थ यदि आप मुनिदान करने हैं तो मुनिदानके समय तिलकका विधान कहा लिखा है? यह भी तो स्पष्ट करना था। चर्चासागरका विषय देखकर आपको कलम उठाना थी आप कितनी भी बात बडाइये पकड़नेवाला तो पकड़ेगा ही। यदि पितृतर्पणके अर्थ लिखते समय आपको यह ख्याल रहता कि यहा तिलकके वर्णनमे यह बात है तो आप श्राद्ध शब्दके अर्थके लिये प्रयत्न ही नहीं करने। चर्चासागरको किस २ पोलको आप दवाये गे ! पृष्ठ न० १२२ मे

नित्यं सामयिकादीनि इत्यादि धर्मसंग्रहश्रावकाचारका श्लोक उद्धृत किया है इसमे समथी श्रावक साधु आदि पांच पात्रोको दान आदिसे सतुष्ट कर्ना चाहिये यह लिखा है इसमे पंच पात्राणि तर्पयेत् अर्थात् पांचो पात्रोको सतुष्ट कर्ना चाहिये, इस शब्दको देखकर ही पंडितजीने पंचपात्र तर्पणको ही पितृतर्पण मान लिया है। धन्यवाद है। क्या पात्रतर्पण यहापर तर्पण शब्द देखकर आपने उसे ही पितृतर्पण समझ लिया है? यदि यह व्यवस्था मान ली जायगी तो जहापर मिथ्याज्ञान लिखा हो वहा ज्ञानशब्द देखकर उसे भी सम्यग्ज्ञान समझ लेना चाहिये। जहा मिथ्यादर्शन वा मिथ्या चारित्र लिखा हो वहा दर्शन और चारित्रको देखकर सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र समझ लेना चाहिये क्योंकि पात्र और पितृ शब्दोके अर्थोमे जमीन आकाशका फरक है उनको

भी जब आपने एक मान लिया तब सम्यग्ज्ञान मिथ्याज्ञान आदि को एक माननेमें आपके मतानुसार कोई दोष नहीं आ सकता । बात यह है कि पितृतर्पण शब्द जैनागमका नहीं है न उसकी क्रियाका कोई विधान है । आप उसे पात्रतर्पण आदि अर्थमें घसीट कर सिद्ध करना चाहते हैं यह आपका प्रयास व्यर्थ है । आपको चर्चासागरके अनुसार पितृतर्पण, श्राद्धकी सिद्धि करनी चाहिये सो आपसे बन नहीं सकता क्योंकि वैसा विधान जैन शास्त्रोंमें नहीं हो सकता इसलिये आपको इस विषयमें चुप रह जाना ही ठीक था । तैरना न जाननेवाला मनुष्य बिना लौचे समझे हाथ पर फेकने मात्रसे दरियाच पार नहीं कर सकता । समझ सोचकर तैरनेवाला ही पार कर सकता है । पृष्ठ नं० १२३ में आपने लिखा है—

“ब्रह्मा, विष्णु, महादेवको भी अकलांक देवने नमस्कार किया है परन्तु उनका स्वरूप और ही माना है इसी प्रकार श्राद्धके विषय को भी जानना चाहिये ।” इसका उत्तर यह है कि नामका भेद रहने भी उनके स्वरूपमें तो भेद नहीं माना गया जो भगवान् जिनेन्द्रका स्वरूप है उसी स्वरूपसे उनको स्तुति की गई है किन्तु परमतमें जो ब्रह्मा बुद्ध आदिका स्वरूप माना है उस रूपसे उनकी स्तुति नहीं की । यहां चर्चासागरमें तो जो परमतमें पितृ-तर्पण श्राद्ध वगैरहका स्वरूप माना है प्रायः वैसा ही मान लिया है । यह विषय त्रिवर्णाचारको खोलकर देखा जा सकता है इसलिये आपका यह लिखना ठीक नहीं ।

आपने आचार्य सोमदेवको विक्रम स० ८८१ मे घतला दिया है यह आपकी बड़ी भारी ऐतिहासिक भूल है। यह शक संवत् है। इतिहासका भी कुछ खान रखना चाहिये। इतिहासकी जानकारी न रहनेसे रत्नमालाके कर्ता भट्टारक शिवकोटिको आपने स्वामी समंत भद्राचार्यके शिष्य भगवती आराधनाके कर्ता शिवकोटि करार दिया है। अकलंक प्रतिष्ठा पाठ नेमिचंद्र प्रतिष्ठा पाठोंके कर्ताओंको आपने राजवार्तिकके कर्ता भगवान अकलंक देव और गोश्रुटसारके कर्ता भगवान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती लिख मारा है। यद्यपि इनका इतिहास प्रगट हो चुका है परन्तु उसको न जानकर आपने बड़ी भारी भूल की है। इसके सिवाय आपने भ्राभरीजी और उनके साथियोंको गालिया देकर खूब पुष्प वर्षा की है सो आपकी मर्जी है। जब ठीक उत्तर नहीं बनता तो यही सौगात भेंट की जाती है। लोग अपने भोलेपनसे न समझे पर आपका हृदय तो यह समझ ही रहा है कि चर्चासागरकी बातोंका ठीक समर्थन मुझसे नहीं हो रहा है, तब आपका गालिया देना ठीक ही है।

### सारांश

चर्चासागरमें तिलक लगानेके प्रकरणमें जो पितृतर्पणका विधान किया है वह त्रिवर्णाचारके आधारसे किया है। त्रिवर्णाचारमें हिंदू धर्मकी नकल कर उसका वर्णन किया है इसलिये वह जैन सिद्धांतानुसार नहीं हो सकता। पं० मन्मथलालजी



जब चर्चासागरकी बात पृष्ट करने बैठे हैं तब उन्हे चर्चासागरमे माने हुये पितृतर्पणका ही मंडन करना था परंतु उन्हाने उस विषयको बिलकुल हा छिया दिया । मुनिदान वा पात्रतर्पणको ही उन्होंने श्राद्ध तर्पण बतला डाला जिसको कि किसी भा जैनाचार्यने श्राद्ध और पितृतर्पणके नामसे नहीं पुकारा तथा जिस पर किसी प्रकारकी आपत्ति भी न था इसलिये प० मन्खनलालजीने श्राद्ध और तर्पणके विषयमे जो भी लिखा है सब व्यर्थ है । उन्होंने बिना सनझे कलम उठाकर अनेक पृष्ट काले कर डाले हैं । चर्चा सागरके अनुसार श्राद्ध और पितृतर्पणका जैनशास्त्रों से कहीं भी बियान नहीं । उनका तो बड़े जोरोंसे खंडन किया है जैसा कि ऊपर अनेक प्रमाण देकर खुलासा कर दिया है । पाठक स्वयं इस विषयकी जांच कर सकते हैं ।



# देवोंके मांसाहारी बतानेपर विचार



जेन सिद्धघातमे नोकर्माहार १ कर्माहार २ कवलाहार ३ ले-  
पाहार ४ उज्जाहार ५ और मानसाहार ये छह भेद आहारके माने  
हैं। इन छहों प्रकारके आहारोंमेंसे देवमात्रके मानसाहार माना  
है। मनमें इच्छा होते ही उनके कण्ठसे अमृत भर जाता है उसी  
से वे तृप्त हो जाते हैं। मांस आदि कवलाहार उनके नहीं माना  
गया। इस विषयको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

गोकम्मकम्महारो कवलाहारो य लेव आहारो ।  
उज्जमणो विय कमसो आहारो छत्विहो भणियो  
गोकम्मं तित्थघरे कम्मं णिये य मानसो अमरे ।  
णरपसुकवलाहारो पंखी उज्जो णरे लेओ ।

अर्थात्—नोकर्माहार कर्माहार कवलाहार लेपाहार उज्जाहार  
और मानसाहार इस प्रकार आहारके छह भेद माने हैं। इनमे तीर्थ-  
करों नोकर्माहार होता है। नारकीयोंके कर्माहार, देवोंके मान-  
सिक आहार मनुष्य और पशुओंके कवलाहार, पक्षियोंके उज्जाहार  
और मनुष्योंके लेपाहार होता है। इस आगम प्रमाणके बलसे  
देवोंके; सिवाय मानसिक आहारके और दूसरा आहार नहीं माना

जा सकता यदि दूसरा आहार माना जायगा तो वह शास्त्र विरुद्ध कहा जायगा । यदि देवोंको मांसाहारो बता दिया जाय तो जैन शास्त्रोके अनुसार वह देवोंका अवर्णवाद माना जायगा क्योंकि—

**केवलिश्रुतसंघघर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य अ० ६**

अर्थात्—केवलियोंका अवर्णवाद शास्त्रका अवर्णवाद संघका अवर्णवाद धर्मका अवर्णवाद और देवोंका अवर्णवाद ये दर्शन मोहनीय कर्मके आस्रवके कारण हैं । इस सूत्रकी व्याख्यामे सर्वार्थ सिद्धिके कर्ता आचार्य पूज्यपाद राजवार्तिकके कर्ता भगवान् भट्टाकलंक देव और श्लोकवार्तिकके कर्ता स्वामी विद्यानन्दने देवोंको मांसाहारी बताने पर देवोंका अवर्णवाद बतलाया है । इन पूज्य आचार्योंके आज्ञानुसार देवोंको कभी मांसाहारी नहीं कहा जा सकता । परंतु खेदके साथ लिखना पड़ता है कि चर्चासागर के कर्ता पाडे चम्पालालजीने देवोंको मांसाहारी लिख मारा है और इस बातकी पुष्टिमे श्रीआदिपुराणकी श्लोक उद्धृत कर प्रमाण दिया है । यह उनने बहुत ही अनर्थ किया है क्योंकि श्री-आदिपुराणके श्लोकका वह अर्थ नहीं जो चर्चासागरके कर्ताने समझ लिया है श्रीआदिपुराणका वह श्लोक इस प्रकार है—

**विश्वेश्वरादयो ज्ञेया देवताः शान्तिहेतवः**

**ऋरास्तु देवता हेया येषां स्याद्वृत्तिरामिषैः ।**

इस श्लोकका अर्थ यह है कि विश्वेश्वर आदि देव शान्तिके

कारण हैं। इनसे भिन्न देव जिनको कि लोगोंने मांसाहारी कल्पना कर रक्खा है वे क्रूर देव हैं वे त्यागने योग्य हैं। यहांपर स्याद्बृत्तिरामिषैः इस वाक्यमें 'स्यात्' क्रियाका प्रयोग ग्रंथ कारने किया है। उसका अर्थ ही यह है कि देव मांसाहारी नहीं हैं परन्तु स्वार्थी लोगोंने मांस खानेकी लोलुपतासे उन्हें मांसाहारी जबरन मान रक्खा है। ऐसे देव त्यागने योग्य हैं। यहांपर देवोंको मांसाहारी नहीं बतलाया। मामूली विद्वान भी जब देवोंको मांसाहारी नहीं कह सकता तब भगवज्जिनसेनाचार्य ऐसा कैसे लिख सकते थे? चर्चासागरमें जो मांसाहारी देवोंको लिखा गया है वह ना समझीसे अर्थका अनर्थ किया गया है। इसी बातपर भाई रतनलालजी भांभरीजीने आपत्ति की है। यदि चर्चासागरमें यह लिखा होता कि देव मांसाहारी नहीं परन्तु स्वार्थी लोगोंने देवोंको मांसाहारी मान लिया है उन्हें त्याग देना चाहिये तो कोई आपत्ति ही नहीं उठ सकती थी। हम यहां चर्चासागरके ज्योंके त्यों शब्द उद्धृत किये देते हैं—

विश्वेश्वरादयो ज्ञेया देवताः शान्तिहेतवः ।

क्रूरास्तु देवता हेया येषां स्याद्बृत्तिरामिषैः ॥

इसका अर्थ चर्चासागरमें यह लिखा है—“तीर्थंकरोंके सिवाय विश्वेश्वरादिक और भी देव हैं जो शान्तिके करनेवाले हैं। इन विश्वेश्वरादिकके सिवाय मांसाहारी क्रूर देव और भी हैं सो उनका त्याग कर देना चाहिये अर्थात् उनको नमस्कार पूजन आदि नहीं करना चाहिये।” चर्चासागरमें 'मांसाहारी क्रूर देव और

भी हैं' इन शब्दोंसे देवोंको स्पष्ट मांसाहारी करार दिया है यह विलकुल स्पष्ट नहीं किया कि स्वार्थी लोग उन्हें मांसाहारी मानते हैं पर वे हैं नहीं क्योंकि उनके मांसका आहार संभव नहीं, तब कैसे कहा जा सकता है कि चर्चासागरमें देवोंको मांसाहारी नहीं कहा गया। यह बात अवश्य धर्मविरुद्ध लिखी गई है और आदिपुराणका प्रमाण देकर जो इसकी पुष्टि को-हैं वह बहुत बड़ा धोखा दिया है। ऊपर गाथाओंसे हम देवोंमें केवल मानसिक आहार सिद्ध कर चुके हैं। सर्वार्थसिद्धि राजवार्तिक श्लोकवार्तिकमें अवर्णवाद बताकर देवोंमें मांसके आहारका निषेध किया है वह इस प्रकार है—

**सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवावर्णवादः ॥**

सर्वार्थसिद्धि १६३

अर्थात्—देवोंको मदिरा और मांसका खानेवाला कहना उनका अवर्णवाद है। अर्थात् मानसीक आहार होनेसे देव मद्य और मांसका सेवन नहीं कर सकते। जो उन्हें मद्य मांसका सेवन करनेवाला बताते हैं वे उनका अवर्णवाद निन्दा करते हैं। और भी प्रमाण—

भट्टकालंक देव विरचित राजवार्तिक जैन सिद्धांतका बहुत बड़ा ग्रन्थ है उसमें इस प्रकार लिखा है—

**सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं, देवावर्णवादः । सुरां मांसं चोपसेवन्ते देवा अहल्यादिष्वासक्तचेतसः इत्याद्याघोषणं देवावर्णवादः । पृष्ठ २६२**

अर्थात्—अहल्या आदिमे आसक्त चित्त देवोंको मद्य और मासका सेवन करनेवाला बताना देवोंका अवर्णवाद हैं।

### और भी प्रमाण

जोलोग देवोंको मदिरा पीनेवाले और मांस खानेवाले बतलाते हैं उनका कहना सिद्धान्तके विरुद्ध है।

प्रातः स्मरणीय स्वामी विद्यान्ध विरचित श्लोक चार्त्तिक सिद्धातका एक महान ग्रंथ है उसमें इस प्रकार लिखा है—  
**सुरामांसोपसेवाद्या घोषणं देवेष्ववर्णवादो वेदितव्य ।**

पृष्ठ ४५३

अर्थात् मदिरा और मासका सेवन करना देवोंका अवर्णवाद समझना चाहिये। इनमें सिवाय मानसिक आहारके और किसी भा प्रकारके आहारका विधान नहीं। देव मांसाहारी नहीं यह सिद्धान्तकत बात है। इस सिद्धान्तको पुष्ट करनेवाले अगणित प्रमाण हैं। देवोंको मांसाहारी कहना सिद्धात विरुद्ध कथन करना है। चर्चासागरमें देवोंको मांसाहारी कहा है। वह सिद्धात विरुद्ध कथन किया गया है। अब हम ५० मखनलालजाक शब्दोंपर विचार करते हैं।

पृष्ठ नं० १२५ में पंडितजीने चर्चासागरकी पंक्तिया उद्धृत की हैं। इन पंक्तियोंके आधारसे पंडितजी लिखते हैं “चर्चासागरके कर्त्ताने कुदेवोंकी पूजाका निषेध किया है” इत्यादि। इस विषयमें इतना ही निवेदन पर्याप्त है कि कुदेव और सच्चे देवोंके विषयमें तो यहा कोई आपत्ति है ही नहीं। यहां तो देवोंको मांसाहारी बताने पर आपत्ति है इसलिये

यहाँपर यह लिखना आपका व्यर्थ है । पृ० नं० १२६ में आपने भ्रॉभरीके शब्दोंको उद्धृत किया है और लिखा है कि “भगवज्जिनसेनाचार्यके वचनोंके आधारसे पांडे चंपालालजीने लिखा है” इसलिये उनको बुरा भला कहना ठीक नहीं है।” इसके उत्तरमे यह निवेदन है कि पांडे चंपालालजीने जिस आदिपुराणके श्लोकको उद्धृत किया है उसका अर्थ बिलकुल उलटा समझकर देवोको मांसाहारी बतला दिया है । जब कि देवोंमे मांसाहार आदि कबलाहारका सर्वथा निषेध है तब भगवज्जिनसेनाचार्य उन्हे कैसे मांसाहारी कह सकते हैं ? यदि चर्वासागरके अर्थको आप भी पृष्ट करते हैं तो कहना होगा आप भी उस अर्थके समझनेमे गलती कर रहे हैं और सिद्धांत विरुद्ध वातका पोषण कर रहे हैं । पृष्ट नं० १२७ मे आपने विश्वेश्वरादयो ज्ञेयाः इत्यादि श्लोक भी आदि पुराणका लिखा है । आपने भी ‘येषां स्याद्गत्तिरामिवैः’ इस वाक्यका अर्थ ‘जिनकी वृत्ति मांसके द्वारा-होती है’, यह लिखा है । आपका अर्थ भी चर्वासागरके अर्थसे मिलता है इस लिये यही कहना होगा कि आप भी श्लोकका अर्थ नहीं समझ रहे हैं । आपके किये अर्थसे भी देवोंमे मांसाहारकी सिद्धि होती है जो कि सिद्धान्त विरुद्ध होनेसे भगवज्जिनसेनाचार्यके वचनोंका अर्थ नहीं हो सकता । कृपानिधान ! उस वाक्यका अर्थ यह है कि ‘जिनकी आजीविका लोगोंने मांसके द्वारा मान रखी है ।’ क्योंकि इसी अर्थसे यह वात स्पष्ट होती है कि देवोकी वृत्ति मांस खानेकी नहीं परन्तु स्वार्थी लोगोंने उनकी वैसी वृत्ति कायम कर रखी

है। पांडे चंपालालजी संस्कृतके विद्वान न थे। सिद्धांतकी बातोंकी भी विशेष जानकारी नहीं रखते थे उनके द्वारा गलती होजाना स्वाभाविक है। आप तो लोगोंकी दृष्टिमें विद्वान माने जाते हो। सिद्धांत विद्यालयका अध्यापकपद भी आपको प्राप्त है। आपको तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिये। शब्दोंकी शक्ति जाननेकी कुछ तो योग्यता रखनी चाहिये। आपने मास शब्दका अर्थ कोषका प्रमाण देकर लिखा है सो इसके लिये कोषकी कोई आवश्यकता न थी। मास शब्दका अर्थ प्रायः लोग जानते हैं। शायद लिखते समय आपको कोषका श्लोक याद आ गया होगा सो लिख दिया जान पड़ता है। पृष्ठ नं० १२८ में आपने—

विद्वज्जन बोधककी कुछ पक्तियां लिखी हैं वे बहुत ही उपयोगी हैं। उन्होने सिद्धांतानुसार बिलकुल खुलासा कर दिया है। यदि चर्चासागरके कर्ता ऐसा खुलासा कर देते तो यह झगडा ही क्यों खडा होता? विद्वज्जन बोधकसे देवोंमें मांसाहारका निषेध देना कर भी आपने भी भगवज्जिनसेनाचार्यके वचनोंसे उन्हें मांसाहारी बता दिया है यह महान आश्चर्य है। पृष्ठ न० १२६ में आपने लिखा है कि “क्या भगवज्जिनसेनाचार्य इतना भी नहीं जानते थे कि देवोंके मानसिक आहारके सिवाय कोई आहार नहीं होता।” इसका उत्तर यह है कि—वे तो सब कुछ जानते थे और सिद्धांतके पूर्ण ज्ञाता थे परन्तु पांडे चंपालालजी और आप तो उनके वचनोंको गदला कर रहे हैं। और उनके वचनोंका अर्थका अनर्थ कर सिद्धांत विरुद्ध बातकी पुष्टि करना चाहते



हैं। इसी पृष्ठमें आपने लिखा है कि “भगवज्जिनसेनाचार्यने पर-  
 देवोकी अपेक्षासे ही कुदेवोको मांसाहारी बतलाया है क्योंकि  
 लोगोंने चंडो मुंडी आदि कुदेवोको मांसाहारी मान रक्खा है।”  
 इसका उत्तर यह है कि भगवज्जिनसेनाचार्यने तो यही बतलाया  
 है परन्तु चर्चासागरके कर्ता तो इस बातको नहीं समझ सके।  
 उन्होंने तो श्लोकका विपरीत अर्थ कर सिद्धांत पर ही पानी  
 फेर दिया। झांभरीजीने “इससे देवी देवताओंके सामने बलि  
 चढ़ानेवालोंकी बातकी पुष्टि होती है” यह बात लिखी है।  
 पंडितजीने इस बातको नासमझी ठहराया है और लिखा है कि  
 “आचार्य महाराजके कथनसे बलि चढ़ानेवालोंकी पुष्टि नहीं  
 होती है किन्तु पूरा २ खंडन होता है” इत्यादि इसके उत्तरमें यह  
 निवेदन है कि आचार्य महाराज भगवज्जिनसेनाचार्यके वचनोंसे  
 बलिदानकी पुष्टि होती है यह झांभरीजीने नहीं लिखा है किन्तु  
 चर्चासागरमें जो इस श्लोकका विपरीत अर्थ कर देवोको मांसा-  
 हारी लिख मारा है उससे बलिदानकी पुष्टि अवश्य होती है  
 क्योंकि लोग कह सकते हैं कि जैन सिद्धांतमें भी देवोको मांसा-  
 हारी बतलाया है। आपने जो यह लिखा है कि “झांभरीजीने भगव-  
 ज्जिनसेनाचार्यको कुवचन लिखे हैं” यह आपका भोली समाजको  
 मढ़कानेका निष्फल प्रयत्न है। भगवज्जिनसेनाचार्यसे यहां क्या  
 लेन देन ? यहा तो चर्चासागरमें देवोको मांसाहारी कह दिया है  
 इस सिद्धांत विरुद्ध बात पर आपत्ति की गयी है। पृष्ठ न०

प्रत्यवासीपकरणानि इत्यादि यशस्तिलक चपूकी पक्तिया उद्धृत कर देवोंको मांसहारी सिद्ध करनेकी चेष्टा की है। यह भी आपका सिद्धांत विरुद्ध लिखना है वहांपर भी यही कहा है कि परमनमें चंडमारी देवको मांसहारी कहा है और उसके भोजनके बर्तन मनुष्योंको खोपड़ीसे बने माने हैं। इसमें यह नहीं कहा कि वह मांसाहारी है। प्रकरण पर दृष्टि डालकर आपको लिखना चाहिये। आपने लिखा है “सौमदेव सूरिने चंडामारी देवताको मांसाहारी लिखा है सो क्या वे भी जैन सिद्धान्त नहीं समझते थे ?” इसके उत्तरमें यह निवेदन है कि वे तो जैन सिद्धान्त के आचार्य ही थे परन्तु चर्वासागरके कर्ता और उसके पक्षपाती आप लोग तो उस सिद्धान्तकी निर्मलता नष्ट किये देते हैं। नासमझीसे अर्थका अनर्थ कर लोगोंको धोखेमें डालते हैं। अस्तु-

यह बात अच्छी तरह सिद्ध कर दी गई कि भवनवासी व्यंता आदि देवोंके, सिवाय मानसिक आहारके मांसाहार आदि कबलाहार बन नहीं सकते। चर्वासागरमें जो देवोंको मांसाहारी कहा गया है वह सिद्धान्त विरुद्ध है। तथा यह जो लिखा है कि आदि पुराणमें देवोंको मांसाहारी बतलाया है यह आदि-पुराणके श्लोकके अर्थको न समझनेके कारण लिखा गया है। इसलिये चर्वासागरमें जो देवोंको मांसाहारी कहा है वह प्रामाणिक नहीं। इस विषयमें पं० मधुखनलालजीको इतना ही लिखना उचित था कि परमतकी अपेक्षा देवोंको मांसाहारी बतलाया गया है। जैन सिद्धान्तानुसार उनके मांसाहार नहीं

बन सकता तो इतनेसे ही लोगोंको सन्तोष हो जाता परन्तु अन्तमें यही बात माननेपर भी उन्होंने कई पृष्ट व्यर्थ काले कर डाले हैं यह ठीक नहीं किया। स्पष्ट बात न कहना यह आदत-की लाचारी है। तथास्तु।



## भूमिदान गोदान आदिपर विचार !

जिस दानके देनेसे संयमकी रक्षा हो। धर्मकी रक्षा हो वही दान प्रशस्त दान माना गया है। शास्त्रोंमें आहार औषध शास्त्र और धर्मके भेदसे दान चार प्रकारके माने गये हैं और उत्तम मध्यम और जघन्य इन तीनों प्रकारके पात्रोंके लिये उनकी व्यवस्था और हीनाधिक फलका अच्छी तरह वर्णन है। दुखी और भूखोंके लिये करुणा दानकी भी व्यवस्था स्वीकार की गई है। भूमिदान गौदान आदि दानोंसे अनेक जीवोंका घात होता है। विपप कषायोंकी पुष्टि होती है इसलिये इन दानोंको कुदान वा मिथ्यादान माना है। आदिपुराणमें दानके प्रकरणमें समदत्ति सकलदत्ति आदिका भी उल्लेख किया है परन्तु वहांपर जो दिया जाता है वह संयमकी रक्षाकी भावनासे वा धर्मरक्षाकी कामनासे दिया जाना है यह नहीं लिखा। वहांपर तो अपने कुटुम्बी जाति-वाले वा इष्ट मित्रोंको सन्तोषके लिये चीजें दी जाती हैं। गृहस्थ

को ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति राजा महाराजा है तो उसे अपनी जातिवाले वा धर्मवाले इष्ट मित्रोंके लिये धन सचारी मंकाण महल आदि देना होता है। जातिवालोंके लिये कन्या दिनी पड़ती हैं। उसके दहेजमें गाय भैंस दौलत आदि देना पड़ता है। परन्तु धर्मसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं। यदि गौदान कन्यादान आदिको धार्मिक दान मान लिया जायगा तो सच्चे दानकी प्रवृत्ति नष्ट हो जायगी। लोग मान बढ़ाई के लिये गायें दान देने लगेगे। अपनी कन्या और दूसरोंकी कन्याओं का भी दान करनेमें धर्म माना जायगा। जैसा कि हिन्दुधर्ममें माना जाता है इस रूपसे जैन सिद्धान्तमें जो दानका खास उद्देश्य बताया है वह उद्देश्य कायम नहीं रह सकता। यदि किसी महा-नुभावने समदत्तिकी भावनासे किसी निज जातिवाले वा निज धर्मवालेको गाय वा सुवर्ण दे भी दिया तो वह दान नहीं कहा जाता। क्योंकि देनेवाला किसीकी आवश्यकता पड़नेपर लोहा काठ कपड़ा आदि भी देता है परन्तु वह लोहा कपड़ा काठ आदिका दान, दान नहीं कहा जाता। वहां तो किसी खास व्यक्तिकी आवश्यकताकी पूर्ति कर दी जाती है। यदि कोई धनी अपने इष्टोंको धन आदि दे तो वह अपने बड़प्पनके लिये जैसा करता है। वह दान नहीं कहा जाता। समदत्ति आदिमें कुछ पदार्थ दिये जाते हैं इसलिये देना रूप क्रियासे उसे दान कह दिया है। परन्तु वह धार्मिक दान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वहां संयम वा धर्मकी रक्षा नहीं है। वहां विषय कषायका पोषण

है। चर्चासागरमें 'गाय आदिका दान मिथ्या दृष्टियोंको देनेसे कुदान माना है परन्तु सम्यग्दृष्टि आदि ब्राह्मणोंको देनेसे सुदान कहा है।' यह बात ठीक नहीं। गाय सोना आदिका दान किसीको भी देनेपर सुदान नहीं हो सकता। सम्यग्दृष्टि गृहस्थ ब्राह्मणको देनेपर भी इससे विषय कषायका पोषण ही होगा। सजातीय इष्ट मित्रोंके संतोषके लिये वहाँपर वे चीजें दी जाती हैं इसलिये वह दान नहीं कहा जा सकता। पुत्र आदिके जन्मोत्सवके समय याचकोको हाथी घोड़े सोना चांदी आदि बहुतसे पदार्थ दिये जाते हैं परन्तु वह दान नहीं। खुशीमें दौलतका लुटाना है। गरीब लोग अपना मनोरथ सिद्धि जान उसे दान, कहकर पुकारते हैं परन्तु हिंसाका कारण और कषायका पोषक वह दान, दान नहीं कहा जाता। गोदान भूमिदान कन्यादान इनको दूसरे मतोंमें दान माना गया है। उनको देखा-देखी यह कहना कि ये दान हमारे यहाँ भी हैं बड़ी भारी भूल हैं। फिर तो पलंग गद्दा तकिया बीजना आदिको भी गोदान कन्यादानके समान दान कहना चाहिये क्योंकि ये भी तो खुशीमें दिए जाते हैं पर इनकी पुष्टि नहीं की गई। बात भी ठीक है जब दूसरे मतोंमें इनका दान, दान नहीं माना गया तब चर्चासागरमें इनकी पुष्टि क्यों की जाती? दूसरे मतोंमें गाय कन्या आदि दानोंको पवित्र माना गया है इसलिये चर्चासागरमें गोदान कन्यादानको दान मान लिया गया है। वहाँ तो परमतकी बातोंकी नकल करना ही मुख्य समझा गया है। चाहे वह जैनधर्मके विरुद्ध ही क्यों न हो। भाई रतनलालजी भांभरीकी, समान जाति वा

धर्मवाले इष्ट मित्रोंको गाय भैस हाथी घोडा आदि कुछ भी दिया जाय इस विषयमे कोई आपत्ति नहीं है। मात्र आपत्ति उनकी इसी विषयपर है कि “गोदान कन्यादान आदिको दान कहनेसे दानकी प्रवृत्तिमें अड़चन हो जायगी। हिन्दुओकी देखा देखी लोग इन दानोंको करने लगेगे और उसमें धर्म मानने लगेगे। प्राचीन शास्त्रोंमे आहार औषध आदि चाग्ही दान माने हैं गोदान आदिको धार्मिक दान नहीं माना गया।” हम यहापर चर्चासागर और भाभरीजी दोनोंके शब्द उद्धृत किए देते हैं पाठक स्वयं विचार कर लेंगे।

### चर्चासागरके शब्द

“कन्या हाथी सुवर्ण घोडा क पला ( गौ ) दासी तिल रथ भूमि घर ये दश प्रकारके दान हैं। ये दान परमतमें मिथ्या दृष्टि ब्राह्मणोंको देनेके लिये बतलाये हैं यह बात महा निन्दित है। इन्हो दानोंका वर्णन जैन शास्त्रोंमें भी है किंतु उनके देनेका अभिप्राय जुदा है—तीनो पात्रोंमेंसे जघन्य पात्रोंको योग्या योग्य विचारकर ऊपर लिखे दस प्रकारके दान देने चाहिये। इत्यादि” चर्चासागरके इन शब्दोंसे सिद्ध है कि गोदान आदिको दान माना है। यद्यपि चर्चासागरमें जैनधर्मों जघन्य पात्रको इनकी देनेको आज्ञा दी है तथापि दान तो इन्हें माना ही है। जघन्यपात्रोंके संतोपके लिये ये चोजे दी जाती हैं परंतु इनका देना दान नहीं कहा जाता है। गोदान और कन्यादान आदिको दान मानना जैनधर्मके विरुद्ध है।

## झांझरीजीके शब्द

चर्चा १८४—“ब्राह्मणोंको गोदान देना चाहिये” जघन्य पात्रोंको दस प्रकारका दान देना चाहिये भूमिदान गौदान कन्यादान सुवर्णदान वास्तु (मकानदान), रथदान हाथी दान प्रपाशाला ( व्याज ) दान वस्त्रदान उपकरण दान । मंदिरोंमें गोदान देना चाहिये । खूब ! अभीतक तो आहार औषध शास्त्र और अभयदान ही सुने जाते थे, अब ये गोदान आदि नवीन दान कहांसे निकल पड़ । क्या लेखकने जौनियोंको पूरा वैष्णव बनाने का ही सङ्कल्प कर डाला है । पितृनर्पण श्राद्ध गौदान भूमिदान जाप्य समयमें आचमन और प्राणायाम, गोवरादिसे भगवानकी पूजा आदिका विधान स्पष्ट ही इस बातकी सूचना देता है ।” ये शब्द झांझरीजीके हैं । समदत्तिकी भावनासे हाथी घोड़ा सोना चांदी गाय कन्या आदि जो भी समानजानीय वा इष्ट मित्रोंको चीजे दी जाती हैं उसका यहां झांझरीजीने कोई विरोध नहीं किया गृहस्थ पुरुषोंको व्यवहारमें ऐसा करना ही पड़ता है । गृहस्थाश्रमके अन्दर ऐसा बिना किये काम नहीं चल सकता । गोदान आदि धार्मिक दान नहीं कहे जा सकते क्योंकि इनसे लयमकी रक्षा नहीं होती किंतु इनके देनेमें अनेक जीवोंका विघात होता है—विषय कषायका पोषण होता है चर्चासागरके कर्ताने इन्हें आहार दान आदिके समान ही प्रशस्त दान मान रखा है यह भूल है । चर्चासागरमें मंदिरके लिये गौ दानका विधान किया है और उसका उद्देश्य यह बतलाया है कि पञ्चामृत अभिषेकके लिये

गौओका दान मंदिरोंमें उपयोगी है इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि मंदिरोंमें आजतक गौदानकी व्यवस्था कहीं भी देखनेमें नहीं आई । पञ्चामृतभिण्णके अभिलाषी गृहस्थ अपने घरसे शुद्ध गोरस लाकर सानद् अभिण्ण कर सकते हैं । क्या गृहस्थोंसे इतना भी नहीं बन सकता । यदि मंदिरोंके लिये गौदान शास्त्रोक्त होता तो कहीं भी किसी मंदिरों उनके वधनेकी जगह भी तो दीख पडती । सो कहीं भी नहीं देखी गई, इसलिये मानना होगा कि गोदान आदिकी व्यवस्था हिंदुओंकी देखा देखी है, और उनके मतमें माने हुए दानकी नकल करनेकी चेष्टा की गई है । जो हो समदत्ति प्रकरणमें जो समान जातीय इष्ट मित्रोंको गोदान कन्यादान आदिका उल्लेख किया गया है वह ससारका व्यवहार बतलाया है धर्मसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । गोदान आदिसे कभी सयम वा धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती । जैनाचार्योंने जगह २ गौदान कन्यादान आदि दानोंको कुदान बतलाया है गौदान आदिको कुदान कहनेवाले कुछ प्रमाण हम यहा पाठश्रौंके सामने उपस्थित करते हैं:-

पद्मनंदि पंचविशतिकामे आचार्य पद्मनदी महाराजने दान-का स्वरूप बहुत बडे बिस्तारसे बतलाया है । आचार्य पद्मनन्दीके बचन कितने प्रमाणीक है । इसके लिये इतना ही कहना पर्याप्त है कि चर्चासागरके कर्ता पाडे चम्पा झालजीने मुनियोंका रहना जिन मन्दिरमें सिद्ध करनेके लिये संप्रत्यत्र कलौ काले इत्यादि श्लोकको हेरफेर कर इनकी प्रमाणीकताकी छापके लिये भरपूर



चेष्टा की है। यदि इनके बचनों का इतना महत्त्व न होता तो चर्चासागरके कर्ता इनके श्लोकको क्यों अशुद्ध गढ़कर प्रमाण-रूपमें उपस्थित करते ! और भी भट्टारक ग्रन्थोंके श्लोक प्रमाणरूपमें दिये जा सकते थे। आचार्य पद्मनन्दीने दानके विषयमें इस प्रकार लिखा है—

चत्वारि यान्यभयभेषजमुक्तिशास्त्र-

दानानि तानि कथितानि महाफलानि ।

नान्यानि गोकनकभूमिरथाङ्गनादि—

दानानि निश्चितमवद्यकराणि यस्मात् ॥५०॥

पृ० १३४ छपा

अर्थात्—अभय औषध आहार शास्त्र इस प्रकारसे दान चार प्रकारका है तथा वह चार प्रकारका दान तो महाफलका देनेवाला कहा है परन्तु इससे भिन्न गौ, सुवर्ण, जमीन, रथ, स्त्री, आदि दान, फलके देनेवाले नहीं। पापके करनेवाले निन्दाके कारण हैं। इस लिये महाफलके अभिलाषियोंको ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका ही दान देना चाहिये ॥५०॥ यहाँपर आचार्य महा-गजने गौदान आदिको सर्वथा कुदान बतलाया है। यदि जिन धर्मों ब्राह्मणोंके गाय कन्या आदिका देना दान होता तो आचार्य महाराज गौदान आदिको एकदम कुदान नहीं कह देते। उन्होंने दानके स्वरूपके समझानेमें कई श्लोक लिखे हैं वहाँपर यह भी एक श्लोकसे कह सकते थे कि जिन धर्मों ब्राह्मण आदि

को गाय घोडा हाथो सोना आदि देना दान है परन्तु उन्होने इस बातका कही उल्लेख नहीं किया । इस लिये गौ दान आदि को दान कहना शास्त्रोक्त नहीं ।

### और भी प्रमाण

हरिवंश पुराणके कर्ता जिन सेनाचार्य विक्रमकी ६ वीं शताब्दीमें हो गये हैं । अपने समयके ये बड़े भारी विद्वान थे न्याय व्याकरण ज्योतिष गान विद्य आदि सभा विषयका पंडित्य इनके अन्दर कूट कूटकर भरा हुआ था । इनका बनाया हुआ हरिवंश पुराण इस बातका उज्वलत उदाहरण है । पुराणोंमें हरिवंश पुराण भी अपनी शान्कीका अद्वितीय पुराण है उस हरिवंश पुराणमें दानके विषयमें आचार्य महाराज लिखते हैं—

गोभूकन्याद्विरण्यादि-दानानि विषयातुर  
पापवधनिमित्तानि विप्र प्रजाप्य सोऽवनौ । १३ ।  
मोर्हायित्वा जङ् लोकं राजलोकपुरोगमम्  
प्रवृत्तः पापवृत्तेषु सप्तमीं पृथ्वीमितः । १४ ।

हरिवंश पु० ६० सर्ग

अर्थात्-विप्र मुंडल शायनने राजा प्रजा सर्व जनताको पाप वधका कारणभूत गौदान हैं पृथ्वीदान आदि करना सिखाया जिस से पाप वृत्तियोंमें प्रवृत्त होकर वह सानवें नरक गया । १३-१४ ।  
यहापर गोदान आदिका फल आचार्य महाराजने स्मृतवां नरक वत-  
लाया है । इससे बढ़कर और भयकर फल क्या हो सकता है ।

आश्चर्य है इस फलके सामने रहते भी लोग गौदान आदि दानोंकी पुष्टि करते हैं । थोड़ी देरके लिये मान भी लें कि जैनधर्मो गृहस्थको ही जाप आदि दी जाय परन्तु वहांपर भी उसके पालन पोषणमें हिंसा तो होगी ही इसके दूध आदिसे भी विषय कपाय ही पुष्ट होंगे, संयम नहीं पल सकता । यदि मिथ्या दृष्टिको दान देनेसे सातवां नरक मिलेगा तो जैनधर्मोको देनेसे दूसरा तीसरा तो मिलेगा ही पर मिलेगा अवश्य, यहां रियायतका काम नहीं । फिर ऐसे नरक लेजानेवाले गौदान आदिकी पुष्टि करना दूसरोंको नरक भेजनेका उपाय बतलाना है । जो लोग गौदान आदिकी पुष्टि करते हैं उन्हें हरिवंश पुराणके इन श्लोकोंपर दृष्टि डालना चाहिये ।

### और भी प्रमाण—

आचार्य सकलक्रीतिके प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्यका जैन समाजमें बहुत बड़ा आदर है । दानके प्रकरणमें वे इस प्रकार लिखते हैं—

गोकन्प्रहेमहस्थद्वगोहक्षमानिल स्यंदनाः ।

दासी चेति कुदानानि प्रणीतानि शठैर्मुवि । ४९ ।

अर्थ—गाय, कन्या, सुवर्ण, हाथी, घोड़ा, मकान पृथ्वी, तिल, रथ, दासी या दान पृथ्वी विषे मूर्खनिकरि कहे हैं । ४९ । यहांपर दशों दानोंका नाम लिखकर यह स्पष्ट ही कर दिया है कि स्वार्थी मूर्ख लोगोंने इन्हें दान मान रक्खा है किंतु ये दान नहीं । कुदान हैं । यहांपर जैनधर्मो गृहस्थोंके लिये भी इन्हें देनेके लिये नहीं कहा ।

## और भी प्रमाण

गोदानं योऽतिमूढात्मा दत्ते पुण्यादिहेतवे ।

वधबन्धांगिघातादिजातं पापं लभेत सः ।

अर्थात्—जो अति मूढात्मा गायदान ताहि देहै पुण्यादिके हेतु ।  
वध, घंध, अंगी जो प्राणीनिका घात तै उत्पन्न भया जो पाप सो  
गोदानकारि ताहि प्राप्त होय है । ५० । इससे स्पष्ट है कि गोदान  
कुदान है । जैनधर्मीको देनेपर भी वह कुदान ही है क्योंकि वध  
घंध आदिसे उत्पन्न पाप वहाँ भी होगा । जैनधर्मी ग्रहस्थोके  
लिये भी इस पापमें कोई रियायत नहीं हो सकती । इसी तरह  
भूमिदान कन्यादानका भी महा भयंकर फल बतलाया है । इस  
लिये गोदान आदिको दान मानना मिथ्यात्व है ।

## और भी प्रमाण

आचार्य अमितगतिने अमितगतिश्रावकाचारके अंदर गोदान  
आदि कुदानोंका बड़े जोरसे खंडन किया है वे इस प्रकार  
लिखते हैं—

पीडा संपद्यते यस्य वियोगे गोनिकायतः

मया जीवा निहन्यन्ते पुच्छशृंगखुरादिभिः ।

यस्यां च दुह्यमानोयां तर्णकः पीड्यते तरां ।

तां गां वितरता श्रेयो लभ्यते न मनागपि । ५४ ।

पृष्ठ ८६ लिखित

जिसको गौनिके समूहतै जुदा होते पोंडा उपजे है। अरजा-  
करि पूछ सींग खुर आदिकनिकरि जीव हनिये हैं। अर जाका  
दूध दुहें सते वच्छा अतिशय करि पोड़िये हैं तिस गौको देनेवाले  
पुस्वनिकरि किछु भी पुण्य न पाइये है। भावार्य-गऊ देनेमें पुण्य  
का अंश भी नहीं पाप ही है। ( भाषाटीकाकार पं० भागचंद्रजी )  
५३-५४।

### और भी प्रमाण

या सर्वतीर्थदेवानां निवासीभूतविग्रहा

दीयते गृह्यते सा गौः कथां दुर्गतिगोमिर्भिः।५५।

अर्थ—जो गौ सर्वतीर्थ अर देवनिका बसनेका स्थान है शरीर  
जाका सो गौ दुर्गतिके जानेवालेनिकरि कैसे दीजिये है। अर कैसे  
ग्रहण करिये है। भावार्य-मिथ्यादृष्टि गौके शरीरमें सर्व तीर्थ कर  
देव बसते माने हैं ऐसी गौको पापो कैसेदेय हैं और कैसे लेय है।  
ऐसी तर्क करी है! इन प्रमाणोंसे यह सिद्ध हैं कि गौदान आदि  
किसी भी प्रकार दान नहीं कहे जा सकते। अमित गति श्रावका-  
चारमें भूमिदान सुवर्ण दान आदिके भी छोटे फल बतलाये हैं वे  
इस प्रकार हैं—

हलेर्विदार्यमागायां गर्मिण्यामिव योषिति

त्रियन्ते प्राणिनो यस्यां सा भूः किं ददते फलं।४६।

अर्यान्-गर्मिणो खीके समान हलके द्वारा विदारण की गई  
पृथ्वीमें प्राणियोंका विनाश होता है तब वह दान की गई पृथ्वी

क्या फल दे सकती है । अर्थात् भूमि दान देना फलदायक नहीं  
घोर पापका कारण हैं । तथा

तद्येत्राष्टापदं यस्य दीयते हितकन्याया

स तस्याष्टापदं मन्ये दत्ते जीवितशांतये । ५० ।

अर्थात्--जैसे कोई किसीको हितकी इच्छासे हिंसक अष्टापद  
( सिंह ) देता है और वह उसका जीवन नाश कर देता है उसी  
प्रकार अष्टापद सुवर्णका भी नाम है वह सुवर्ण दान करना भी  
जीवन नाशका या दोनोंके लिये पापका कारण है । इसी तरह  
हाथी दान रथ दान आदिका भी भयंकर फल बतलाया है । इस-  
रूपसे इन महा आचार्योंके वचनोंसे यह स्पष्ट है कि गौदान आदि  
सभी कुदान है जो लोग किसी भी रूपसे उन्हें दान कहते हैं वे इन  
मान्य आचार्योंके वचनोंके विरुद्ध चलते हैं ।

गौदान कन्यादान आदि मिथ्या दानोंके पक्षपातियोका यह  
कहना है कि मिथ्यादृष्टि ब्राह्मणोंको गऊ, कन्या, सोना आदि  
देनेसे पाप बंध होता है और इन चीजोंका उनको देना कुदान  
कहलाता है परन्तु जो महानुभाव साधर्मि भाई हैं । इष्ट मित्र हैं ।  
उन्हें गाय कन्या, सोना, हाथी आदि देना दान ही है वह कुदान  
नहीं कहा जा सकता ।" इसका उत्तर यह है कि गाय दान किसी  
को भी दिया जाय, मारना बांधना जीवोंका घात होना चछड़ाको  
पीड़ा होना, ये कार्य तो सब जगह किये जायगे और उनसे पाप  
बंध भीहोगा, वह कैसे रुक सकता है । साधर्मि भाई वा इष्ट मित्रो  
को गाय देनेसे ये कार्य होंगे ही इस लिये वहा भी पाप बंध तो

होगा ही इस रूपसे साधर्मिं इष्ट मित्रोको गाय देनेसे वह दान कहा जायगा यह बनाबटी बात है ! वहांपर भी पाप बंधका कारण होनेसे गाय दान कुदान ही है इसी तरह सोनादान, हाथीदान आदि भी पापबंधके कारण होनेसे कुदान ही है । समदत्तिकी भावनासे किसीको कुछ चीज दे देना उसे संतुष्ट कर देना है अथवा सहानुभूति दिखाना है । समदत्तिकी भावनासे दिये हुए गाय, कन्या, सोना हाथी आदिको दान नहीं कहा जा सकता क्यों कि वहां पर संयम वा धर्मकी रक्षा लेशमात्र भी नहीं हो सकती । इसलिये समदत्तिमें जहां सोना गाय हाथी आदिको देना लिखा है, जो लोग उसे दान कहते हैं ! वे दानका स्वरूप नहीं समझते । दश धर्मोंमें दानको धर्म माना है । गाय हाथी आदिको देनेमें क्या धर्म सधता है ? इस पर भी विचार करना चाहिये । जिससे विषय कपाय पोषण हो उसे धर्म कहना सरासर समय मूढ़ता है । जो हो गाय हाथी घोड़ा आदिका दान कुदान है यह हम अनेक प्रमाणोंसे अच्छी तरह सिद्ध कर चुके अब पं० मक्खन-लालजीके शब्दोंपर विचार करते हैं—

पृष्ठ नं० १३१ में पण्डितजीने चर्चासागरकी पंक्तियां उद्धृत कर यह बतलाया है कि “मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण आदिको दान देना महा पापका कारण है । अन्य मतियोने गौदान, सुवर्णदान, भूमिदान, आदि ब्राह्मणोंको देना बताया है वह हिंसादिक महा पापों का बढ़ाने वाला है ! इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि वैसा तो लिखना होगा ही क्योंकि मिथ्या दृष्टि विधर्मों ब्राह्मणोंको गौदान

आदिका देना जैनधर्मानुकूल नहीं हो सकता । पृष्ठ नं० १३२ में भांभरीजीकी शब्द उद्धृत कर उन्हें धोखेवाज आदि कहा है । यह भी अनुचित है क्योंकि भांभरीजीने आहार आदिको ही दान बतलाया है । गौदान आदिका निषेध किया है वह शास्त्रोंकी आज्ञानुसार किया है । उन्होंने धोखेवाजीका कोई काम नहीं किया । पृष्ठ नं० १३३ में चर्चासागरके वे शब्द भी उद्धृत किये हैं जिनमें यह कहा गया है कि “गौदान आदि दान जैन शास्त्रोंमें भी माने हैं ।” वहाँपर आपने लिखा है “इन पंक्तियोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि चर्चासागरके बनानेवालोंने जैन मतके अनुसार गौदान, भूमिदान, आदि दानोंको ही जैनधर्मानुकूल कहा है पर प्रयाजम उनका दूसरा है इत्यादि।” इसका उत्तर यह है कि गौदान, भूमिदान आदि कभी जैनधर्मानुकूल दान नहीं हो सकते यह अच्छी तरह प्रमाणोंसे ऊपर सिद्ध कर दिया गया है आपने —

समानायात्मनान्यस्मै क्रियामंत्रव्रतादिभः

निस्तारकोत्तमायेह भूहेमायतिसर्जनं । ३८ ।

समानदत्तिरेषा स्यात् पात्रे मध्यमतायिने

समानप्रतिपत्त्यैव प्रवृत्त्या श्रद्धयान्वितः । ३९ ।

गर्भाधानादि क्रिया, मंत्र और व्रत आदिसे जो अपने समान है ऐसे गृहस्थाचार्यके लिये जो भूमि और सुवर्ण आदि देना है उसे समान दत्ति कहते हैं । अथवा मध्यम पात्र, सत्पात्र, श्रावकके लिये समान बुद्धिसे श्रद्धा पूर्वक दान देनेको भी समानदत्ति कहा.



हैं। ये श्लोक आदिपुराणके उद्धृत किये हैं। यहां पर आचार्य महाराजने समानदत्तीका वर्णन किया है। समानदत्तीका अर्थ अपने समान व्यक्तिको आदर भावसे देना है। उसे संतुष्ट करने के लिये पृथ्वी सोना आदि देना कहा है। यहांपर जिस दानसे संयम वा धर्मको रक्षा हो उस दानका अथवा दान धर्मका कोई उल्लेख नहीं किया। इसलिये समान व्यक्तिको गाय सोना आदि से संतुष्ट कर देना दान धर्म नहीं कहा जाता। पृष्ठन० १३५ में आपने भ्रांभरोजोको लिखा है कि “जब महापुराणमें गौदान आदि दोनोंका विधान है तब आहार आदिको ही दान बताकर गौदान आदि को दान न कहना आपकी ना समझो है” इत्यादि। इसको उत्तरमें निवेदन यह है कि दान धर्मके आहार औषध आदि चार ही भेद हैं। गौदान आदि महाहिंसाके कारण दान नहीं हो सकते। व्यवहारमें लोगोंके संतोषके लिये ये चीज दे दी जाती हैं इसलिये इनका देना दान धर्म नहीं कहा जा सकता। महापुराणमें यही बात कही है। आप गौदान आदिको दानधर्म समझ रहे हैं यह आपकी भूल है समान धर्मों इष्ट मित्रोको गाय आदि कुछ भी दिया जा सकता है उन्हें उत्तमोत्तम भोजन भी कराये जाते हैं परंतु धर्म समझ कर नहीं। धर्म समझकर जो चीज दी जानी है। वही दान माना जाता है। क्या आप कह सकेंगे कि अन्य मती लोग जिस प्रकार धर्म समझ कर गौ सोना आदि दान देते हैं उस प्रकार जैनों को क्या समान धर्मोंके लिये धर्म समझ कर ही गाय घोड़ा हाथी आदि देते हैं? कभी नहीं!

पृष्ठ नं० १३६ में आपने ब्राह्मण शब्दका जो अर्थ बतलाया है वह व्यर्थ है। सम्यग्दृष्टी श्रावकोंको ब्राह्मण बतलाने में भी जैन धर्मानुसार कोई महत्त्व नहीं। सम्यग्दृष्टि श्रावकोंको ब्राह्मण बतलाना उनके लिये गौदान आदिकी कल्पना करना यह जैनधर्मपर दूसरे मतोंकी छाप लगाना है। आपने दहेज आदिमें वा मृत्युके समय जो गाय, पलंग, सोना आदि पदार्थ दिये जाते हैं उन्हे भी गौदान सुवर्णदान आदि कहा है। यह आपकी समझकी बलिहारी है। जैनाचार्योंने इन चीजों का देना महा हिंसाका कारण माना है फिर न मालूम इन चीजों का देना आप दानधर्म कैसे कहते हैं। गृहस्थ व्यवहारमें अपनी मान बढ़ाईके लिये ये चीजें देते लेते हैं। ऐसा न करनेसे उनका चलता नहीं। वे धर्म बुद्धिसे इनमेसे कोई चीज नहीं देते इसलिये आपसके व्यवहारमें इन चीजोंका देना कभी दान धर्म नहीं हो सकता। व्यवहारकी बातोंको धर्म बताना मूढ़ता है। आप भ्रांभरीजीको बार बार यह लिखते हैं कि “तुम्हें शास्त्र ज्ञान न होनेसे किसी विषयमें राय देनेका कोई अधिकार नहीं” इत्यादि। इसके उत्तरमें यह निवेदन है कि यदि भ्रांभरीजीको शास्त्रका ज्ञान नहीं तो आपही कहां शास्त्रकी बात समझते हैं। अक्षरका अर्थ कर लेना पण्डितताई नहीं। उखका रहस्य समझना चाहिये। भ्रांभरीजी, दानका स्वरूप, धर्मकी दृष्टिसे लिखते हैं और आप उसका खण्डन व्यवहारमें प्रचलित बातोंके आधारपर करते हैं समदत्तिका अर्थ जब आपसमें देना लेना है। वहांपर धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं

तब वहाँपर दी गई चीजोंको दानधर्म कहना यह आपको शोभा नहीं देता ।

पृष्ठ नं० १३८ में 'दीयतेऽद्य महादानं' इत्यादि आदिपुराण के श्लोक उद्धृत किये हैं वहाँपर भगवान् ऋषभदेवके वैराग्यके समय खुशीमें भरतचक्रवर्तनि याचकोंको हाथी घोड़ा सोना आदि लुटाया है । पण्डितजीने उसे भी दान समझ लिया है । क्या पण्डितजी इस खुशीकी लूटको भी आप दान धर्म माने गे । हाथी घोड़ा आदिके दानसे अहिंसाधर्मको कितना बड़ा धक्का पहुँचता है यह भी तो आप समझ ले ! बात यह है कि आपने दान का अर्थ ही नहीं समझा है इसीलिये इधर उधर भटकते फिरते हैं । वहाँपर आप यह नहीं कह सकते कि भरत चक्रवर्ती धर्मात्मा थे यदि वह कुदान होता तो वे क्यों करते ? क्योंकि खुशीमें इस प्रकार दौलत लुटाना चक्रवर्ती राजाकी शोभा है । शोभाके लिये ही वैसा किया जाता है ।

पृष्ठ नं० १३८ में 'अणुवृत धरा धीराः' इत्यादि श्लोक उद्धृत किया है यहाँ भी समदत्तिका वर्णन है । समानधर्मी गृहस्थोंको धन, सवारी आदि देनेकी शास्त्रकारने आज्ञा दी है । वहाँपर दान धर्मका उपदेश नहीं किया । समानधर्मीके सन्मानके लिये धन, हाथी, घोड़ा आदि दिये जा सकते हैं परन्तु उसका देना दानधर्म नहीं कहा जा सकता । क्योंकि घोड़ा हाथीके देनेमें विशेष हिंसा का बंध होता है । जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म कहाँ ? इसलिये उनका दान धर्म दृष्टिसे कुदान है ।

पृ० नं० १३६ में 'चैत्यचत्यालयादीनां' इत्यादि श्लोक उद्धृत किया है इस श्लोकमें चैत्यालयोंकी रक्षा वा व्यवस्थाके लिये ग्राम नगर आदिका दानपत्र करदेना नित्यमह कहा है। यहां पर पण्डितजीने यह बात जाहिर की है कि "ग्राम आदि भूमिका दान शास्त्रकी आज्ञानुसार है" परन्तु यहांपर इतना ही लिखना पर्याप्त था कि "इस प्रकार दान कुदान नहीं। क्योंकि जिन मन्दिरकी रक्षा एक वह चीज है कि उससे हजारों जीवोंका कल्याण होता है। लोग जिन मन्दिरमें आकर धर्म सेवन करते हैं। यदि ग्रामादिक उसकी रक्षाके लिये प्रदान किये जायंगे तो पाप वंधकी वजाय पुण्य वंध ही अधिक होगा। मुनियोंको आहार देनेमें हिंसा होती है, जिन मन्दिर वा जिन प्रतिविम्ब बनाने में हिंसा होती है परन्तु वह हिंसा बुरी नहीं समझी जाती क्योंकि वहा धर्मायतनोंके निर्माण वा रक्षाके भाव हैं।" परन्तु वैसे न लिखकर पण्डितजीने इस श्लोकके आधारसे भूमिदान आदिको उत्तम दान सिद्ध करनेकी चेष्टा की है वह व्यर्थ है क्योंकि किसी व्यक्तिको चाहे वह जैनधर्मी ही हो यदि गाय घोड़ा रथ आदि दिये जायंगे तो वह खूब दूध पीयेगा आनन्दसे चढ़ता फिरता मौज करेगा। वहां तो महान हिंसा ही होगी। यदि किसीको जमीन दान दी जायगी तो जोतते समय अगणित जीवों का विध्वंस होगा। वहाँ धर्म कैसे पल सकता है? किसीको हाथी घोड़ा गाय सोना दान देना उसे बहू परिग्रही बनाकर हिंसादि पांचों पापोंका केन्द्र बनाना है। यह दान नहीं कहा जा

सकता और इनके बिना चल भी सकता है। परन्तु आहार बिना मुनिधर्म नहीं पल सकता जिन मन्दिरोंके बिना बनाये अथवा बने हुए मन्दिरोंकी बिना रक्षा किये जैनधर्म नहीं टिक सकता उसकी रक्षाका ठोस प्रबंध करना होगा। ग्राम आदि प्रदान कर उसकी रक्षाका ठोस प्रबंध करना है। इसलिये मंदिर आदिकी रक्षा र्थ ग्राम आदिका देना दूषित नहीं है। वहां बात चलरही है ब्राह्मण आदिको भूमि आदि देनेकी पण्डितजी ले उड़े मंदिरके लिए भी उसका निषेध करने। यह बात वे प्रकरण है। ‘सभी काले वापके साले’ नहीं होते।

पृष्ठ नं० १३६ में ‘गोभूमि स्वर्णकच्छादि’ इत्यादि रत्नमालाका श्लोक उद्धृत किया है यह रत्नमाला किसी शिवकोटि भट्टारक का बनाया छोटासा ग्रंथ है और उसकी रचना वि० सं० १५०० में बहुत पीछे हुई है। इस बातको हम ऊपर बड़े विस्तारसे कह आए हैं। पण्डितजीने यहां भी रत्नमालाके कर्ताको भगवती आधनके कर्ता आचार्य शिवकोटि लिख मारा है यह उनकी गलती है। ऊपर हम इस बातको अच्छी तरह पुष्टकर आये है। इस श्लोकमें जिन मन्दिरोंके लिये गोदान करना लिखा है इससे पण्डितजीने सिद्ध किया है कि “जिन मंदिरोंमें गोदान किया जाता है।” इस विषयमें हमारा निवेदन यह है कि प्राचीन ग्रंथोंमें कहीं भी जिन मन्दिरोंमें गोदानका विधान नहीं है। आचार्योंने गोदान को महा हिंसाका कारण माना है। रत्नमालामें जो गोदानका विधान किया है वह भट्टारक शिवकोटिकी कोरी कल्पना है भी जिन

मंदिरोमें गौदान करनेका चर्चासागरमें यह फल बतलाया है कि "मंदिरोमें गायके रहनसे भगवान जिनेंद्रका सानन्द दुग्धाभिपेक हो सकता है। पं० मखनलालजीने भी यही बात पुष्ट की है। इस विषयमें यहो कहना है कि गृहस्थ बराबर गायें रखते हैं वे शुद्ध दूध अपने घरसे लाकर अभिपेक कर सकते हैं। इसके लिये मंदिरोमें गायोंके रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं। गौदानका जो ऊपर बुरा फल बतलाया है वह फल तो जिनमंदिरोमें गौदान करनेपर दूर नहीं हो सकता। अवश्य जीवोंकी हिंसा होगी। इसलिये जिन मंदिरोके लिये जो गौदान कहा है वह शास्त्राज्ञा नहीं है। पञ्चामृताभिपेक भी कल्पित है या शास्त्रोक्त हैं। इस विषय पर हम फिर कभी विस्तृत विवेचन करेंगे।

पृ० नं० १४१ में आपने जिन मंदिरोकी रक्षाके लिये गाव आदि स्थावर सम्पत्तिकी अपने वचनोंसे पुष्टि की है बहुतसे ऐसे उदाहरण भी दिए हैं। जिनसे सिद्ध किया है कि अमुक जगह जिन मन्दिरोके लिए ग्राम आदि दिए हुए हैं इत्यादि। इसके उत्तरमें यह निवेदन है कि इस प्रकारके दानपर आपत्ति ही कहाँ की गई है। इस दानसे इन्द्रिय कषायोंका तो पोषण होता नहीं है। जिससे इसे बुरा कहा जाय। ब्राह्मणोंको जो भूमि आदि दान में दी जाती है उनसे इन्द्रिय कषायका पोषण होता है। वहाँपर धर्म मानकर दान देना मिथ्यात्व व लोकमूढता है। शिखरमें जो हाथी का दान लिखा है वह खास आवश्यकताकी पूर्ति की गई है। वह दान नहीं कहा जाता है। भगवान जिनेंद्रकी सवारी दान दिए

हुए हाथोंपर वा दान दिए गए बौलोंके रथपर ही निकले यह कोई खास बात नहीं इसके लिए हाथो या बौलोंके दानको भी कोई आवश्यकता नहीं । सवारीके समय इनका आयोजन आपसे आप हो जाता है ।

पृष्ठ नं १४२ मे "तत्र नित्यमहो नित्यं यथाशक्ति जिनगृहेभ्यः" इत्यादि चारित्र सारकी पंक्तियां उद्धृतकी हैं । इसका मतलब यह है कि जिन मन्दिरोंके लिये गांव नगर आदिका देना भी नित्य मह पूजा हे । इस बातका हम ऊपर खुलासा कर आये हैं । मन्दिरोंकी रक्षार्थ भूमिदान ग्रामादिका दान दूषित नहीं । क्योंकि यहां इंद्रिय कषायका पोषण नहीं । धर्मायतनकी रक्षाके वहां भाव हैं ।

पृष्ठ न० १४३ मे समदत्ति स्वसमक्रिपाय मित्राये इत्यादि पंक्तियां भी चारित्रसारकी उद्धृत की हैं । इन पंक्तियोंसे समान क्रियावाले साधर्मि इष्ट मित्रोंको कन्या हाथी घोड़ा भूमि सोना आदिसे संतुष्ट करनेका विधान किया है । पण्डितजीने समान धर्मियोंको हाथी घोड़ा आदि चीजोंका देना देख उसे दानधर्म मानलिया है । यह पण्डितजीकी भूल है । यह व्यवहार वड़प्पनके और साधर्मियोंकी संतुष्टिके लिये है ।

धर्म वृद्धिसे हाथी घोड़ा आदिको कोई किसीके लिये नहीं देता । समदत्ति भावनासे दी हुई चीजोंको दान धर्म कहना यह ना समझी है । इसी प्रकार कुलजाति क्रियासंग्रहः इत्यादि धर्म संग्रह श्रावकाचारका भी श्लोक उद्धृत किया है । इसमें भी समदत्ति भावनासे समानधर्मि इष्ट मित्रोंको भूमि कन्या सुवर्ण

आदिसे संतुष्ट करना लिखा है इसलिये धर्मबुद्धिसे भूमि कन्यां आदि न देनेसे वह भी दान धर्म नहीं माना जा सकता है । इसी तरह 'स्थापनं जिन वि'वानां' इत्यादि श्लोक और भी धर्म संग्रह श्रावकाचारका उद्धृत किया है । इसश्लोकमें जिनमन्दिरोकी रक्षार्थ ग्राम आदिके दानका विधान किया गया है । इस पर कोई आपत्ति नहीं यह ऊपर विस्तारसे कह दिया गया है जो हो । गौ हाथी घोड़ा आदिको कुदान माना गया है इसके लिये हमने बहुत प्रमाण दिये हैं । समदत्ति प्रकरणमें समान धर्मी गृहस्थोंके लिये गाय घोड़ा हाथी आदि देनेका विधान शास्त्रोंमें मिलता है उसीसे लोगोंने गौ दान, सुवर्ण दान, कन्या दान आदिको दान धर्म कह डाला है परन्तु यह उनकी भूल है । साधर्मि गृहस्थोंके लिये जो ये पदार्थ दिये जाते हैं वह धर्म बुद्धिसे नहीं । लोक प्रतिष्ठासे दिये जाते हैं । इनके देनेसे जीवोंका विशेष विघात होता है, इसलिये ये हाथी घोड़ा आदि दान हिंसाके कारण हैं ये कभी धार्मिक दान नहीं कहे जा सकते हैं इस लिये तो महानुभाव गो दान कन्यादान आदिको जैन शास्त्रानुसार मानते हैं वे गलती पर हैं । भांभरी जीने यही लिखा है कि आहार औषध आदि दान ही धार्मिक दान हैं गो दान आदि दान कुदान हैं । वैष्णवोंकी नकल है यह ऊपर अच्छी तरह सिद्ध कर दिया जा चुका । इसलिये गौ दान आदि को हिंसाके कारण होनेसे कभी सम्यग्दान नहीं मानना चाहिये ये कुदान हैं पापबंधके कारण हैं ।



## प्रायश्चित्त प्रकरणपर विचार ।



प्रायः, का अर्थ अपराध है उसका चित्त अर्थात् शुद्ध करना प्रायश्चित्त कहा जाता है। गृहस्थ और मुनि दोनोंके लिये प्रायश्चित्तका विधान है। जैसा छोटा बड़ा अपराध होता है वैसा ही छोटा बड़ा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मुनिगण मूलगुण और उत्तर गुण दोनोंके धारक होते हैं। उत्तर गुण न भी पलें तो भी मूल गुण तो पलना ही चाहिये किसी समय खास कारणसे यदि मूलगुणमें विराधना हो जाय और वह ऐसी विराधना कि मूलगुणकी सत्ता तो बराबर कायम रहे परन्तु उसमें कुछ मलिनता उत्पन्न हो जाय तो उसकी शुद्धि दोषके अनुसार होती ही है किन्तु जहां पर मूलगुणका निशान ही मिट जाय वहां पर मामूली प्रायश्चित्त नहीं हो सकता। वहां पर तो अपराधके अनुसार कठिन प्रायश्चित्त ही करना होगा मूलगुणोंमें अहिंसा आदि व्रत हैं। प्रमाद वा असावधानीसे कोई सूक्ष्म जीवका विघात हो जाय तो बसका उसी रूपसे प्रायश्चित्त कर लिया जाता है परन्तु कोई मुनि यदि तीव्र कपायवश किसीको जानसे मार डाले तो वहां मूलगुणमें अतीचार नहीं कहा जाता किन्तु अहिंसा महाव्रत जो मूलगुण था

उसका समूलनाश है। वहाँ पर ऐसे घोर अपराधकी शुद्धि उपवास आदिसे नहीं होती। वहाँ तो दीक्षा छेद सरीखा कठिन प्रायश्चित्त ही हितकर होता है। इसी तरह यदि कोई मुनि पररत्री हरण कर ले वा अर्जका आदिसे व्यभिचार कर डाले। तो वहाँ पर अचौर्य महाव्रत वा ब्रह्मचर्य महाव्रतका समूलनाश है—घोर अपराध है। वहाँ पर दीक्षाछेद संघवाहिर आदि ही प्रायश्चित्त कल्याणकारी हो सकते हैं। वहाँपर उपवास आदिसे काम नहीं चल सकता। यदि इतने सरल प्रायश्चित्तका विधान कर दिया जायगा तो मुनियोंको जानसे मार डालना अर्जिका आदिसे व्यभिचार सेवन कर लेना भयंकर पाप न समझा जायगा। इच्छानुसार मुनि जय चाहे सानंद यह काम कर सकता है और थोड़ेसे उपवास कर शुद्ध हो सकता है। यदि इस भयंकर अपराधके लिये दीक्षा-छेद संघ वहिष्कार आदि कठिन प्रायश्चित्त होगा तो किसी भो मुनिकी प्रवृत्ति उपर्युक्त भयंकर पापोंके लिये नहीं हो सकेगी।

वर्चासागर ग्रन्थमें “यदि कोई मुनि किसी मुनिको मार डाले तो उसके लिये एक वर्ष पर्यंत तैला और पारणा प्रायश्चित्त बतलाया है। अर्जिके साथ व्यभिचार करने पर प्रतिक्रमण सहित पंच कल्याणक बतलाया है। इसी तरह श्रावकको मार डाले तो छह महीनातक तैला पारणा, घाल हत्या करनेपर तीन माह तक, स्त्री हत्या के लिये डेढ़ महीना तक, ब्राह्मणके मार डालने पर छह महीनातक क्षत्रिय वैश्य शूद्रके मार डालने पर क्रमसे तीन महीना तक डेढ़ महीना तक और तेईस दिन तक एकांतर उपवास और आदि अंत

से तेल करे । इत्यादि लिखा है तथा यदि रोगवश मुनि रात्रिमें चारों प्रकारका आहार करे तो उसके लिये तीन दिनका उपवास, अपने हाथसे बनाकर भोजन करे तो एक उपवास कईवार भोजन बनाकर उपवास करे तो तीन उपवास । काठ पत्थर ढेला आदि एक स्थानसे उठाकर यदि दूसरे स्थानमें मुनि रखे तो उसका प्रायश्चित्त एक कार्योंत्सर्ग है। यदि यही क्रिया रात्रीमें करे तो एक उपवास है” इत्यादि विधान किया है । चर्चासागरके इस विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमवीतरागी दिगम्बर जैन मुनि भी इस प्रकारके भयंकरसे भयंकरभी अपराधकर मुनि रह सकते हैं । एक गृहस्थ भी जब इतना भयंकर अपराध नहीं करसकता तो शत्रु मित्रमें एक सी भावना भानेवाले मुनिगण ऐसा महा निन्द्य कार्य कैसे कर सकते हैं ! यह अवश्य विचारणीय है । मुनि भी महा हत्यारे और महा व्यभिचारी अनाचारी हों जैन सिद्धान्त यह कभी स्वीकार नहीं कर सकता ! चर्चासागरके कत्तनि इतने भयङ्कर अपराधियोंको भी जब मुनि मान रक्खा है तब यही कहना होगा कि उसने चाह्य भेषके ही मुनि समझ लिया है संयम और शांतिकी साक्षात् मूर्ति मुनियोंकी आत्माके स्वरूपका अनुभव नहीं किया । मुनिगणोंसे ऐसा भयंकर कार्य कभी नहीं होसकता । बहुतसे लोगोंका यहाँपर यह कहना है कि चर्चासागरमें यह जो प्रायश्चित्तका विधान किया है वह पार्श्वस्थ कुशील आदि भ्रष्ट मुनियोंकी अपेक्षा किया गया है । उत्तम मुनियोंकी अपेक्षा नहीं इसका समाधान यह है कि चर्चासागरमें पार्श्वस्थ आदि मुनियों

का नाम तक वही गिनाया । वहां तो सामान्य रूपसे मुनि शब्द का उल्लेख किया है । चर्चासागरके मतानुसार यही जान पड़ता है कि मुनिमात्र ऐसा भयङ्कर अनर्थ कर सकता है और उपयुक्त उपवास आदि मामूली प्रायश्चित्त कर वह शुद्ध हो सकता है । चर्चासागरके इस प्रायश्चित्त विधानसे मुनियोंकी प्रवृत्ति स्वच्छन्द होसकती है । इससे बहुत बड़े अनर्थकी सम्भावना है । यदि चर्चासागरमें यह लिखा होता कि पार्श्वस्थ आदि भ्रष्ट मुनियोंकी अपेक्षा यह प्रायश्चित्तका विधान है तो विशेष आपत्ति नहीं हो सकती थी । भाभरीजी भी ऐसी आपत्ति नहीं उठाते । सामान्य रूपसे मुनिशब्द देखनेसे ही भाभरीजीने आपत्ति की है जो कि त्रिलकुल युक्त है ।

आचार्योंने पार्श्वस्थ आदि मुनियोंको स्वयं भ्रष्ट कह कर पुकारा है । जो भ्रष्ट है वह सब कुछ अनर्थ कर सकता है, परन्तु उसका प्रायश्चित्त दीक्षा छेद ही है उपवास पारणा आदिका प्रायश्चित्त बतलाना कल्याणकारी नहीं । आचार्य वीरनन्दीने इस बातको इस प्रकार स्पष्ट किया है—

प्रमादेनान्यपाखंडिगृहस्थयतिसंश्रितं ।

वस्तु स्तेनयत किञ्चिञ्च तनाचेतनात्मकं ।

यतोन् प्रहरतोऽन्यस्त्रोहरणदीक्षु च कुर्वतः ।

दश नवपूर्वज्ञस्य आद्यसहननस्य तत ।

पुनर्दीक्षाग्रहो मूलं सवा पूर्वा तपःस्थिति ।

छित्त्वोन्मार्गस्थपार्श्वस्थप्रभृतिश्रमणेष्विदं ।

अर्थात्—यदि कोई मुनि किसी पाखण्डों गृहस्थ वा यतिकी कोई चेतन अचेतन वस्तु चुरा ले तथा मुनिको जानसे मारना और परस्त्री हरण करना आदि भयंकर पाप कर डाले तो चाहे वह दश अंग और नौ पूर्वका पाठी भी हो और आदिके वज्रबुध्न नागाच आदि तीन संहननोंका धारकभी हो तो भी उसके लिये पहिलेकी समस्त दीक्षा छेद कर फिरसे दीक्षा ग्रहण करना यह प्रायश्चित्त है। इस प्रकारके भयंकर पाप उत्तम मुनियों से नहीं हो सकते किन्तु उन्मार्गगामी भ्रष्ट पाश्वस्थ आदि मुनियासे ऐसे पाप बन जाते हैं। आचार्य बीरनन्दीने मुनियोंको मारना और परस्त्री हरण करना आदि पापोंके करनेवाले भ्रष्ट मुनियोंके लिये दीक्षा छेदकर फिर दीक्षा ग्रहण करना रूप प्रायश्चित्त बतलाया है। जब कि चर्चासागरमें एक वर्षपर्यंत तैला परिणा वा पंचकल्याणके उपवास कहा है। यहां पर आचार्य बीरनन्दीने सिद्धातोक्त प्रायश्चित्त लिखा है। चर्चासागरका बताया प्रायश्चित्त उनके वचनोंसे बिलकुल विरुद्ध है इसलिये वह कभी प्रमाणोंके नहीं हो सकता। कहिये पण्डितजी महाराज ! अब हम आचार्य बीरनन्दीके वचन प्रमाण माने या आपके माननीय ग्रन्थ चर्चासागरके वचनोंको प्रमाण कहें ? चर्चासागर का इस प्रकार प्रायश्चित्त विधान मुनि धर्मका घातक है। आप भी उस मुनिधर्मके घातक सिद्धातकी पुष्टि करना चाहते हैं यह महान खेद है। आप मुनि धर्मकी रक्षाके बड़े भारो ठेकेदार बन रहे हैं सो क्या इसी प्रकार मुनि धर्मकी रक्षा करेंगे ? चर्चासागरके प्रायश्चित्त प्रकरणको पुष्ट करना मुनियोंको मुनि पदसे भ्रष्ट करना है। इससे कितना

भयङ्कर पापबन्ध होगा यह तो जग आप उसका फल भोगोगे तभी जान सकेंगे किमीके कहनेसे आप नहीं मान सकते । चाग्निस्वामीके अन्दर भी पार्श्वस्थ आदि मुनियोंके लिये यहो प्रायश्चित्त बतलाया है वह इस प्रकार है—

एते पंच श्रमणाः, जिनधर्मवाच्याः एवमुक्तपार्श्वस्थादिपंचाविवोन्मार्गस्थितस्थापरिमितापराधस्य सर्वपर्यायमपहाय पुनर्दीक्षादानमूलमित्युच्यते । प्रमादादन्यमुनिसंवाधिनमृषिं छात्रं गृहस्थं वा परपाखं डिप्रतिवद्धचेतनाचेतनद्रव्यं वा परस्त्रियं वा स्तेनयातो मुनीन् प्रहरतः वान्यप्येवमादिविरुद्धाचारितमावरतो नवदशपूर्वाधरस्त्योदित्रिकसंहननस्य जितपरोषहस्य दृढधर्मिणः धीरस्य भयभीतस्य निजगुणानुस्थापनं प्रायश्चित्तं भवति ।

अर्थात् पार्श्वस्थ कुशोल आदि पांच प्रकारके भ्रष्ट मुनि जिन धर्मसे बाह्य है । इस प्रकार उन्मार्गगामी भ्रष्ट और जिनका अपराध बहुत ही बडा है ऐसे पार्श्वस्थ आदि मुनियोंको पहिली दीक्षा छेद कर फिरसे दीक्षा देना यही प्रायश्चित्त है । अन्यमुनिविद्यार्थी, गृहस्थ और पाखंडियोंकी चेतन अचेतन द्रव्योंको चुगना, परस्त्रियोंका हरण करना मुनियोंको जानसे मारना आदि अनेक धर्म विरुद्ध आचरणोंको आचरण करनेवाले पार्श्वस्थ आदि मुनियोंके लिये

चाहे वे दण अंग नौ पूर्वके पाठी बज्रवृषभ नाराच आदि तीन उत्तम  
संहनोंके धारी परीषदोंके विजेता दृढधर्मी धीरवीर सैसारसे मयभीत  
भी क्यों न हो जो उन्होंने भयङ्कर पाप किया है उसका तो पहिली  
दीक्षा छेदकर फिरसे दीक्षा देना ही प्रायश्चित्त है। यहां पर भी  
चरित्रसारके कर्त्ताने चर्चासागरमे कहा गया प्रायश्चित्त न कह कर  
दीक्षा छेद ही प्रायश्चित्त बतलाया है। इस प्रकार आचारसार और  
चरित्रसारके प्रमाणोंसे यह बात निश्चित हो चुकी कि मुनियोंको  
मारना, पर-स्त्रियोंको चुराना आदि महा पापोंके करनेवाले पाश्व-  
स्थ आदि भ्रष्ट मुनि हैं उनसे यह बज्र कुकर्म-बनजाने पर उसका  
प्रायश्चित्त दीक्षा छेद है। चर्चासागरमें जो प्रायश्चित्तका स्वरूप  
बतलाया है वह शास्त्र विरुद्ध है वह कभी प्रामाणिक नहीं हो सकता  
इसी तरह मुनियोंको निज हाथसे भोजन बनानेवाला बताना रात्रिमें  
खानेवाला बताना यह मुनि धर्मको बड़ा लगानेवाली बात है ! अस्तु  
अब हम पण्डित मक्खनलाल जीके शब्दों पर विचार करते हैं।

पृष्ठ नं० १४४ में लिखा है कि—“प्रायश्चित्त ग्रन्थोंके पढ़ने  
पढ़ानेका गृहस्थोंको अधिकार नहीं इत्यादि। इस विषयमे यह निवे-  
दन है कि प्रायश्चित्त ग्रन्थोंके पढ़नेमें कोई हानि नहीं विद्वान गृहस्थ  
पूर्वाचार्योंके मतनुसार प्रायश्चित्त ग्रन्थ भी बना सकता है। गृहस्थ  
भट्टारकोंके बनाये प्रायश्चित्त ग्रन्थ उपलब्ध भी हैं। हां यह बात  
सर्वथा है कि स्वपरायके अनुसार किसीको प्रायश्चित्त देना यह  
कार्य आचार्योंका ही है। आपने यह भी लिखा है कि “प्रायश्चित्तके  
विषयमे समालोचना करनेका अधिकार गृहस्थको नहीं हमलिये।

उस विषयमें गृहस्थोंका कुछ भी विचार करना सर्वथा अनुचित एवं अनधिकार है” इत्यादि- इसका उत्तर यह है कि, जिस समय आचार्य महागुरु किसीको प्रायश्चित्त दे रहे हों वह चाहे भारी हो-या हलका हो- उस समय किसी गृहस्थको प्रायश्चित्तकी समालोचनाका कोई अधिकार नहीं किन्तु अपराध-एक है और वह बहुत भयङ्कर है उसका प्रायश्चित्त मान्य आचार्योंने तो उसीके अनुसार लिखा है और दूसरे लोगोंने जो शिथिलाचारके प्रवर्तक हैं उन्होंने उसका प्रायश्चित्त बहुत ही सरल लिखा है उस समय गृहस्थका कर्तव्य है कि वह अवगत्य तम पर विचार करे।-मुनियोंका मारना परस्त्री हर-लेना अर्जिकामे साथ व्यभिचार कर डोलना आदि महा भयङ्कर पापोंका प्रायश्चित्त आचारसार, चरित्रसार आदि मान्य ग्रन्थोंमें पूर्व दीक्षा छेदकर पुनर्दीक्षा देना लिखा है। चर्चासागरमें उन भयङ्कर पापोंका प्रायश्चित्त कुछ उपवास पारणा वा पंचकल्याणक उपवास मात्र बहुत हलका प्रायश्चित्त कहा है।-ऐसा प्रायश्चित्त माननेपर मुनियोंकी प्रवृत्तिमें भयङ्करता हो सकती है। इसलिये शास्त्र विरुद्ध जहाँ पर ऐसे प्रायश्चित्तका प्ररूपण हो वहाँ उसके समालोचनाकरनेका गृहस्थोंको भी अधिकार है। पूर्वापर विरोधी वचनको कोई गृहस्थ प्रमाणीक नहीं मान सकता !-चर्चासागरमें जो महान भयङ्कर पापोंका न कुछ प्रायश्चित्त कहा है वह शास्त्र विरुद्ध है। इसलिये भाँझरोझी द्वारा प्रायश्चित्तके उस स्वरूप पर आपत्ति करना बिलकुल उचित है।-पृष्ठ नं० २४५में आपने लिखा है प्रायश्चित्त गुणद्वारा नियत की गई आज्ञा है।-वह पात्रकी योग्यता देखकर हीनाधिक रूपसे दिया जा सकता है हम



गृहस्थ लोग उसका विचार नहीं कर सकते इत्यादि” इसका उत्तर यह है। प्रथम जहां प्रमादवशात् अतीचार छटा गया हो वहां गुरु योग्य-नानुसार हलका सारी प्रायश्चित्त दे सकता है किन्तु जहां त्रतको ही समूल नष्ट कर दिया हो वहां पर तो कठोर प्रायश्चित्त हा देना हांगा मार डालना, व्यभिचार परस्त्री हरण आदि भयङ्कर पाप हैं। इनका प्रायश्चित्त अपराधीका सर्वस्व छीन लेना है तथा वह सर्वस्व छीन लेना, दीक्षा छेद् ही है। ऐसे पापोंका यही प्रायश्चित्त आचारसार और चारित्रसारमें कहा गया है। चर्वासागरके कर्ताने तो ऐसे भयंकर पापियोंका मुनिपना कायम रखकर बहुत हलका प्रायश्चित्त, उपवास, पाखण्डा, वतला दिया है। जो कि मुनिधर्मका नाशक है। इसके बाद आपने लिखित और छपे ग्रन्थों की उपयोगिता पर विचार किया है जो कि व्यर्थ है। आपने यह भी लिखा है “प्रायश्चित्त आदि प्रकरणोंका वर्णन होनेसे चर्वासागरका छपना व्यर्थ नहीं क्योंकि उसके पहिले बहुतसे ग्रंथ छप चुके हैं। जिनमें गौदान, भूमिदान, कन्यादान आदिका विधान है “तथा यहांपर यह भी लिख मारा है कि “हमने उन सब ग्रंथों के प्रमाण दिये भी हैं” इत्यादि इस विषयमें यह कहना है कि पहिले जो ग्रंथ विपरीत मालूम हुए हैं उनका काफी विरोध किया गया है उस विरोधसे उनका धासन भी गिर चुका है। चर्वासागर ग्रंथके छपनेके साथ ही बिना मूल्य काफी प्रचार किया गया सब लोगोके देखनेमें वह आया इसलिये बड़े जोरसे उसके विरुद्ध आवाज उठाई गई। आपने गौदान आदि की पुष्टिमें जो प्रमाण

दिये हैं वे कितने सारहीन और शास्त्र विरुद्ध हैं। आपको मेरे इस परिश्रमसे पता चल जायगा विशेष लिखना व्यर्थ है। पृष्ठ नं० १४७ में आपने—

‘प्रमादेनान्यपाखण्डि’ इत्यादि तीन श्लोक आचारसारके उद्धृत किये हैं। आपके लिये इनका उद्धृत करना विलकुल व्यर्थ है क्योंकि मुनियोंका मार डालना परस्त्री चुराना इत्यादि भयंकर पापोंका प्रायश्चित्त यहांपर दोक्षा छेद कहा है। चर्चासागरमें यह नहीं कहा। इसके विपरीत उपवास और पारणा करलेना प्रायश्चित्त बतलाया है। हमने इन श्लोकोंको ऊपर प्रमाणरूपसे लिखा है। चर्चासागरमें पश्चिम भागि मुनियोंके लिये यह प्रायश्चित्तका विधान है, यह नहीं लिखा। आप अपनी ओरसे जोड़कर उसकी बात पृष्ठ कर रहे हैं। जो हो उपर्युक्त भयंकर पापोंका प्रायश्चित्त दोक्षा छेद हो है, यही इन श्लोकोंसे प्रगट किया गया है। चर्चासागरमें जो इन भयंकर पापोंका बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त कहा है वह विरुद्ध है। पृष्ठ नं० १५० में आपने लिखा है—कि “अपराधोंको आचार्य, दोक्षा छेदकार प्रायश्चित्त देते हैं। अनेक आचार्योंके पास घुमाकर उसको शांत आत्माको परीक्षा करते हैं फिर यथायोग्य उपवासोंका विधान बताते हैं। चर्चासागरमें पूराप्रकरण नहीं इसलिये भाभरीजी उस ग्रंथको खिलो उड़ाकर भले ही श्लोक चिल्लीपनका काम करें। जो बात चर्चासागरमें कही गई है वह सभी प्रमाण और शास्त्रोक्त है इत्यादि” इसका उत्तर यह है कि चर्चासागरमें दोक्षा छेदका वा आचार्योंके पास अपराधी मुनिके

भोजनका कोई जिक्र नहीं जिससे यह कहा जा सके कि इस दंडके बाद उन दंडित मुनियोंके लिये पीछेसे उपवास पारणा आदि प्रायश्चित्तोंका विधान है क्योंकि वहां तो भयंकर भी पापोंके लिये सामान्यरूपसे उपवास और पारणाओंका ही प्रायश्चित्त वतलाया है इसलिये चचासागरमें पूरा प्रकरण नहीं, यह आपका लिखना व्यर्थ है मालूम होता है आचारसारमें इस प्रकारका प्रायश्चित्त विधान देखकर आपने चचासागरकी रक्षाके लिये यह कल्पनाकी है। भांभरीजीकी जो चचासागरके शब्दोंपर वह अपत्ति है सो बिलकुल ठीक है। चचासागरके कर्ताको जब इस विषयका पूरा ज्ञान न था तब उसे नहीं लिखना था। उसमें कुछ शोबी नहीं मारी जाती थी। चचासागरके शब्द मुनिधर्मकी रक्षामें बाधक है वे किसी तरह शास्त्र-सम्मत नहीं हो सकते। इन शब्दोंके रहते भी उसे प्रमाणीक मानना बिलकुल मूढ़ता है, इस तरह चचासागर प्रमाणीक नहीं बन सकता। आपने एक सैठकी कथा उल्लेख कर उसका बहुत हलका प्रायश्चित्त बताकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि भयंकर भी पापका आचार्य बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त देते हैं, परन्तु प्रकृतमें यह बात घटती नहीं। वहां तो अपनी जाति में अपने समान किसीको बड़ा न समझ कर और यह विचार कर कि मेरा कोई क्या कर सकता है? मेरा वैभव देख सबका दबना पड़ेगा? इस धनकी मदाधतासे वैसा किया गया था। उससे धर्मको बड़ा भारी धक्का नहीं पहुंचता था। परन्तु एक मुनि व्यभिचार सेवे, मुनिको जानसे मार, परस्त्री हरण करे तो वहां

धर्मको बड़ा भारी लालन, लगाता, है। - वहां तो, दीक्षा छेद कर फिर उसके, परिणामोंको धर्मानुकूल जान, दीक्षा देता, ही प्राय-श्चित्त है। ऐसे पापोंके करनेपर मुनिपना कायम रखकर उपवास आदिका प्रायश्चित्त बतानेसे काम नहीं चलता। पृष्ठ न० १५१ में आपने—

पास्त्य भावनाओं-इत्यादि पद प्राश्रुतकी गाय्या उद्धृत कर, पार्श्व स्थ आदि मुनियोंका स्वरूप बतलाया है। यह भी व्यर्थ है। जब चर्चासागरमें इनको लक्ष्यकर प्रायश्चित्तका विधान नहीं कहा तब चर्चासागरके कथनको, पुष्टिमें तो इनका स्वरूप बतलाना व्यर्थ ही है। पार्श्व स्थ आदि मुनियोंका भेद बतानेके लिये आपने मूलाचारका भी एक प्रमाण दे डाला है। उसका भी प्रकृतमें उपयोग नहीं। पृष्ठ न० १५३ आपने लिखा है कि "ऐसे भूष्ट मुनियोंकी चर्चासागरमें निंदा ही की गई है उन्हें अच्छा नहीं बतलाया उन भूष्ट मुनियोंके कुकृत्यकी थोड़ी भी प्रशंसा वा समर्थन किया होता तो भांफरोजी या उनको आगे रखनेवाले पण्डित या वाक् कोई भी बताने। चर्चासागरके बहिष्कारकी भावनासे ग्रंथका अभिप्राय बदलकर पत्रों द्वारा लोगोंको अन्यथा समझाते हैं इत्यादि"। इसका उत्तर यह है कि यह ठीक है कि मुनियोंके कुकर्मकी निंदा ही की गई है परंतु इस निंदासे मुनिधर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। इस भयकर कुकर्मका यदि थोड़ा सा प्रायश्चित्त बतलाया जायगा तो हर कोई कुकर्म कर थोड़ा प्रायश्चित्त कर लेगा। ऐसी निंदा किस कामकी जिससे मौलिकता

ही नष्ट हो जाय । आप भांभरीजो और उनके मित्रोंको चाहे जहां कोस डालते हैं यह आपका कार्य विद्वत्ताका नहीं जब आपसे उत्तर नहीं बनता तब चुप रहनेमें कोई हानि नहीं । कोसनेसे तो और भी खोखेपनकी वृ फलती है । पृष्ठ नं० १५४ में आपने—

‘एते पंच श्रमणाः जिनधर्मवाहाः’ इत्यादि चरित्रसारकी पंक्तियां उद्धृत की हैं । चारित्रसारके कर्ताने इन पंक्तियोंसे व्यभिचारी आदि भयंकर पापी मुनियोंके लिये निजगुणानुस्थापन अर्थात् फिरसे दोक्षा ग्रहण करना ही प्रायश्चित्त कहा है । इस कथनसे चर्वासागरके कथनकी पुष्टि नहीं होती इसलिये इन पंक्तियोंका उद्धृत करना आपके लिये व्यर्थ है । हम ऊपर इन पंक्तियोंको प्रमाणरूपसे उल्लेख कर आये हैं । चारित्रसारकी जो ये पंक्तियां हैं उनमें निजगुणास्थापन शब्दका उल्लेख किया है उसका अर्थ गुणोंका फिरसे उपस्थापन कर देना अर्थात् फिरसे दोक्षा ग्रहण करना यह अर्थ है । शब्दपर विचार करनेसे एक मामूली जानकार भी निज गुणानुपस्थापनका अर्थ समझ सकता है । पंडितजीके ध्यान शरोफमें यह अर्थ नहीं आया वे पृष्ठ नं० १५४ में लिखते हैं ‘निजगुणानुपस्थापन’ नामका प्रायश्चित्त बतलाया है अर्थात् इसका तात्पर्य यह है कि छेद परिहार और उपस्थापन आदि जिस प्रकार प्रायश्चित्तके भेद हैं उस प्रकार निजगुणानुपस्थापन भी कोई भिन्न ही प्रायश्चित्तका भेद है । बलिहारी इस पंडिताईको है । यदि आचारसारकी पंक्तियोंका भाव भी दिमागमें जमा रहता तो भी निजगुणानुपस्थापन

नामका भिन्न प्रायश्चित्त वतलानेका साहस नहि होता क्योकि-  
 आचारसारमे भी इस विषयका इसी रूपसे वर्णन किया है।  
 परन्तु चञ्चल ध्यानमे यह बात टिके कैसे ?-निजगुणानुपस्थापन  
 नामका कोई जुदा ही प्रायश्चित्त वतानेसे तो यही जान पड़ता है  
 कि पंडितजीको प्रायश्चित्तके विषयका जरा भी ज्ञान नहीं। नहीं  
 तो क्या जानकार कहे जानेवाले व्यक्तिसे इतनी बड़ी गलती हो  
 सकती थी। क्योंकि, 'निजगुणानुपस्थापन' इस शब्दके  
 अक्षरोंसे फिरसे दोक्षा ग्रहण करना यह अर्थ टपक रहा  
 है—कोप आदिके देखनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं तथा  
 आचारसारमे इयह यही विषय रहनेसे वहांपर पुनर्दोक्षाग्रहण  
 करना यहां प्रायश्चित्त वतलाया है। यहापर तो पंडितजीने वही  
 उदाहरण उपस्थित कर दिया कि एक पंडितजी कहीं कथा वाच  
 रहे थे विशेष जानकार तो थे नहीं। इधर उधरसे सुनकर कुछ  
 ज्ञान रक्खा था पर मुखों को लच्छेदार बातें सुनाकर रिझाना खूब  
 जानते थे। पंडितजी जब यहां बहाका गप मारने लगे तो एक  
 समझदारने किसी शब्दका अर्थ घर पूछा, पंडितजीको उसका  
 उत्तर तो सभ न पड़ा। मुखोंमें बदनामो न हो जाय इस ख्यालसे  
 उन्होंने कह दिया यह भागवतके अमुक पात्रका नाम है इत्यादि।  
 मिहिरवान पंडितजी ! इतनी बड़ी नासमझी रखनेपर प्रायश्चित्त  
 विषयपर विचार करना शोभा नहीं देता। मुख तो आपकी  
 तारीफके पुल बांध सकते हैं पर विद्वानोंको आपकी इतनी मोटी  
 अज्ञानकारीसे कितना शर्मिदा होना पड़ेगा। यह भी तो आपको

ध्यानमें रखना था ! एक दो बातको अज्ञानकारीपर तो नहीं भी कुछ लिखा जा सकता है किन्तु जहाँ अज्ञानकारियोंको ढेरका ढेर हो वहाँ तो कुछ टीका टिप्पणी करना ही होगा । एक दो धावकी मलहमपट्टी हो सकती है पर जहाँ सारा शरीर ही फूट निकला हो वहाँ किस २० धावकी मलहमपट्टी का जा सकता है ! अस्तु ।

चर्चासागरमें ब्राह्मणके मारनेको क्षत्रिय आदिकी अपेक्षा अधिक पाप बतलाया है वहाँपर यह आपत्तिकी गई है कि ऐसा क्यों ! इस बातकी पुष्टिमें आपने पृष्ठ नं० १५५ में स्यादिवध्या धिकारेऽपि स्थिरात्मा द्विजसत्तमः इत्यादि दो श्लोक आदि-पुराणके उद्धृत किये हैं इन श्लोकोंमें यह लिखा है कि जो ब्राह्मण स्थिर आत्माका धारक हो धर्मका धोरी हो उसे नहीं मारना चाहिये क्योंकि गुणीके मारनेसे धर्मकी विशेष हानि होती है और गरीबोंके मारनेसे भी हानि तो है ही किंतु ब्राह्मणके मारनेसे यहाँ विशेष हानि है । परन्तु यहाँपर स्थिरात्मा शब्ददेकर ब्राह्मणशब्दसे संयमी मुनियोंका ग्रहण जान पड़ता है क्योंकि यशस्तिलक चंपूमें मुनियोंके लिये ब्राह्मण शब्दका व्यवहार किया गया है (यह बात ऊपर श्राद्धानर्पणके समय लिखी गई है ।) यदि ब्राह्मण शब्दसे मुनियोंका ग्रहण न किया जायगा तो मुनियोंसे भी ब्राह्मणका मारना विशेष हानिकर समझा जायगा यह बात ही नहीं सकती क्योंकि धर्म दृष्टिसे मुनिगण विगेष उपकारी हैं । ब्राह्मण शब्दसे सम्यग्दृष्टि

श्रावक अथ नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसकी आत्मा स्थिर-  
रात्मा नहीं कही जा सकती। आचार्य जिनसे न मुनियोंकी  
अपेक्षा ब्राह्मणोंको महान समझे यह हो नहीं सकता। जो भी  
हो तो भी आदिपुराणमें इन श्लोकोसे यह नहीं निकलता कि  
ब्राह्मणके मारनेमें ज्यादा पाप है क्षत्रियादिके मारनेमें नहीं।

पृष्ठ नं० १५६ में 'साधूपासक वाल स्त्री धेनूना' इत्यादि  
गुरुदास विरचित प्रायश्चित्त चूलिकाका प्रमाण दिया है इस  
श्लोकमें मुनि श्रावक, बालक, स्त्री, गौके मारनेका प्रायश्चित्त कहा  
है और वहापर गुणोंकी अपेक्षा मार डालनेपर हीनाधिक प्राय-  
श्चित्त बतलाया है। वहापर एक बात तो यह है कि ब्राह्मणके  
मारनेपर अधिक पाप लगता है उससे थोडा क्षत्रियके मारनेपर  
उससे थोडा वैश्यके मारनेपर यह जो विधान चर्चासागरमें लिख  
कर ब्राह्मणको बहुत महान बतलाया है यह बात यहां नहीं कही  
है। इसलिये चर्चासागरमें जो ब्राह्मणको महान माना गया है  
यह बात ठीक नहीं है। दूसरे एक मुनि यदि अन्य मुनिको मार  
डाले तो इसका प्रायश्चित्त जो एक वर्ष तैलापारणा बतलाया  
है वह आचारसार और चरित्रसारसे विरुद्ध पड़ता है तीसरे  
गुरुदासको आचार्य लिखा गया है यह बात जरा खटकती है।  
आचार्य रूपसे गुरुदासका कहीं उल्लेख नहीं मिलता इसलिये  
उनका बचन प्राचीन आचार्योंके समक्ष महत्व नहीं रख सकता।  
चर्चासागरमें लिखा है कि ये जो प्रायश्चित्त विषयके प्रमाण दिये  
हैं। प्रायश्चित्त चूलिका ग्रन्थसे दिये हैं। वह प्रायश्चित्त चूलिका



प्राकृतका ग्रन्थ है। गुरुदासने उसीकी नकलकी है इसलिये चर्चा-सागरके समान गुरुदासका भी संस्कृत प्रायश्चित चूलिका ग्रंथ प्रमाणीक नहीं माना जा सकता।

पृष्ठ नं० १५७ में विरदोय सावभोय इत्यादि दो गाथायें इंद्र-नंदि भट्टारक विरचित प्रायश्चित छेदकी उद्धृत की है। इन गाथाओंमें भी मुनि श्रावक आदिके मारनेका हीनाधिक प्रायश्चित वर्तलाया है जैसा कि ऊपरके श्लोकसे गुरुदासने लिखा है। मालूम यही होता है कि प्रायश्चित चूलिका प्रायश्चित संग्रह और प्रायश्चित छेद ये ग्रन्थ एक दूसरेको देख कर बने हैं। सबोंमें एक ही वात है और वह आचारसार और चरित्रसारके कथनसे विरुद्ध होनेके कारण सिद्धांत विरुद्ध हैं।

पृष्ठ नं० १५७ में जो अंबवम संघदि विरदो संतो संइ अवि-  
ष्णाह इत्यादि गाथा भट्टारक इंद्रनंदि विरचित प्रायश्चित छेदकी उद्धृतकी है। चर्चासागरमें जो अर्जिकाके साथ व्यभिचार करनेका पंचकल्याणक उपवास मात्र प्रायश्चित कहा है वही इस गाथासे पुष्ट किया गया है। यह कोई प्राचीन ग्रन्थका प्रमाण नहीं प्रायश्चित चूलिका और यह प्रायश्चित छेद एक दूसरेको नकल है। तथा—

‘रात्रौ ग्लालेन मुक्तः स्यादित्यादि’ श्लोक गुरुदासकृत प्रायश्चित समुच्चयका उद्धृत किया है। चर्चासागरमें जो यह बात लिखी है कि मुनि रात्रिमें चारों प्रकारका आहार खा सकता है उसीवातकी पुष्टि इस श्लोकसे की गई है। प्रायश्चित्त

चूलिका नामका ग्रन्थ जिसके कि आधारसे चर्चासागरमें प्रायश्चित्त विषय लिखा गया है उसीकी यह नकल है इसलिये शास्त्रविरुद्ध होनेसे यह बात प्रमाणीक नहीं मानी जा सकती पृष्ठ न० १५२ में पं० मकखनलालजीने स्वयं भी प्रायश्चित्त चूलिका ग्रन्थकी टीका उद्धृत की है इस टीकाके शब्द और गुल्दासके श्लोकके शब्द मिलते जुलते हैं तथा इस श्लोकका अर्थ पण्डितजीने संस्कृत टीकाके अनुसार ही लिखा है ऐसा स्वयं प्रगट भी कर दिया है। सार बात यह है कि पण्डितजी ने जो यहां चर्चासागरकी पुष्टिमें प्रमाण दिये हैं वे ग्रन्थ एक दूसरेकी नकल हैं और शिथिलाचारी भट्टारकोके बनाये हैं इसीलिये प्राचीन ग्रन्थोंसे उनका कथन विलकुल विरुद्ध पडता है अतः वे प्रमाणीक नहीं माने जा सकते।

पृष्ठ नं० १५६ में लिखा गया है कि मुनियोंकी भ्रष्टताकी चर्चासागरमें निन्दा ही की गई है। तथा चर्चासागरकी वे पंक्तिया भी उद्धृत की गई हैं। इसका हम उत्तर ऊपर दे चुके हैं ऐसी निन्दा किस कामकी जिससे मुनिधर्मकी मौलिकता चली जाय। जैसा उनका भय कर पाप है उसीप्रकार आचारसार आदि सैद्धांतिक शास्त्रोंके अनुसार उनका प्रायश्चित्त होता तो वह ठीक होता चर्चासागरमें मुनिपना कायम रखकर भयंकरसे भयंकर पापका भी प्रायश्चित्त बहुत सरल बतलाया है। यह मुनिधर्मकी सत्ता मिटानेवाला है। जो हो यह अच्छी तरह निश्चित हो चुका कि चर्चासागरमें तो प्रायश्चित्तका प्रमाणलिखा

है वह प्रायश्चित्त चूलिकाके आधारसे है । प्रायश्चित्त चूलिका का कर्धन आचरंसार चारित्रसारआदि ग्रन्थोंसे विरुद्ध है इसलिये चर्चासागरमें जो प्रायश्चित्त प्रकरण है वह शास्त्रोंके विपरीत है वह कभी मान्य नहीं हो सकता । इस हिससे चर्चासागरकी भी प्रमाणीकता कायम नहीं रह सकती ।

चर्चासागरमें प्रायश्चित्त प्रकरणमें रजस्वला स्त्रीसे बालक का स्पर्श होनेपर इस प्रकार प्रायश्चित्त लिखा है ।—

नया सह तद्बालस्तु द्व्यष्टस्नानेन शुद्ध्यति ।

नां स्पृशन् स्नानपापी चत्प्रोक्षणेनैव शुद्ध्यति ।

।३८। त्रिवर्णाचार ।

इसका अर्थ यह है कि यदि कोई बालक माँहसे रजस्वला स्त्रीके पाल लोये बैठे वा रहै तो सोलहवार स्नान करनेसे उसको शुद्धि होती है । दूध पीनेवाले बच्चाकी शुद्धि जलके छोटें देते मात्रसे होजाती है । यहाँ अर्थ चर्चासागरमें लिखा गया है । यहाँपर बालकका प्रायश्चित्त सोलह बार स्नान बताना बहुत कड़ा है । इसीपर काम्भरीजोंने आपत्ति की है कि ऐसे कड़े प्रायश्चित्तसे बालकको निमोनियाँ आदि रोग पकड़ सकते हैं । यह बात पं० मकखनलालजीकी समझमें ठीक जव गई है इसलिये उन्होने लिखा है कि द्व्यष्ट और स्नान शब्दोंका जुदा न कर दोनोंको लगभग मानलिया है इसलिये चम्पालालजीसे भूल हो गई है । वास्तवमें द्व्यष्ट यह विलगान्त पद है और उससे यह अर्थ होता है कि सोलह वर्षका बालक स्नान करनेसे

शुद्ध होता है । वास्तवमें पाडे चम्पालालजीकी भूल बताकर यहाँ पं० मकखनलालजीने बड़े ही साहसका काम किया है । यदि ऐसी उनकी भूलें और जगह भी स्वीकार करली जातीं तो यह जन धनकी शक्ति नष्ट न होती और न समाजमें क्षोभ पैदा होता चलो एक जगह भूल स्वीकार करनेपर यह तो पं० मकखनलालजीके शब्दोंसे सिद्ध हुआ कि पाडे चम्पालालजी भी भूल कर सकते हैं । उनके वचन श्राप्त वचन नहीं । परन्तु विचार किया जाय तो पं० मकखनलालजीने जो पाडेजीकी भूल पकड़ी है वह भूल नहीं । वास्तवमें इस श्लोकमें सोलह वार ही स्नानका विधान है । सोलह वर्षके जवान पुरुषकी बालक संज्ञा नहीं । फोप और नीतिमें बालक सत्रा ५ वर्षतक मानी है । विचारिये एक स्त्रीके तीसरी या चौथी वर्षमें दूसरा बच्चा हुआ । तो पहिले बच्चेका दूध छूट जानेसे वह तो दूध पीनेवाला कहा नहीं जा सकता । दूसरा बच्चा दूध पीनेवाला कहा जायगा । दूसरे बच्चेके लिये चर्चासागरके मतानुसार जलके छीटोंसे शुद्धि और पांचवर्षतकके बालकके लिये सोलहवार स्नानसे शुद्धि है; यही अर्थ त्रिवर्गाचारके श्लोकका है । पंडितजी लिखते हैं कि मोहसे १६ वर्षका बालक माके पास जा सकता है सो मकता है इत्यादि इस बात पर बड़ी हंसी आती है । सोलह वर्षका बालक जिसके सन्तान उत्पन्न हो सकती है वह मोहमे माके पास सोयेगा कि अपनी स्त्रीके पास सोयेगा वह रजोधर्मका स्वरूप जानेगा फिर वह माको रजस्वला जानकर

श्री. कैसे उसके पास सोवेगा। यह समझ नहीं पड़ता।  
 जिस सिद्धांतमें अष्टम वर्षमें यज्ञोपवीत अणुव्रतका विधान  
 है। तथा अष्टम वर्षमें केवल ज्ञान तककी प्राप्ति मानी है फिर वहां  
 उससे दूनी अवस्था वाला व्यक्ति, क्या यह भी न समझेगा कि मेरी  
 मा रजस्वला है इसके पास न सोना चाहिये ? पंडितजी महाराज !  
 दूसरे आदमीने लकड़ी पकड़ा दी उसीके सहारे न खिंचे जाइये।  
 बुद्धि नेत्र आपके पास मौजूद हैं उनसे काम लीजिये। आपने  
 त्रिवर्णाचारकं श्लोककी भाषाटीकाओंसे ही यह निश्चय कर  
 लिया कि सोलह वर्ष तकका भी बालक होता है। यह महान  
 अक्षरज्ञ है त्रिवर्णाचारकी भाषाटीकामें यदि इस श्लोकका अर्थ  
 अशुद्ध हैं तो उसकी आज्ञानुसार चलनेवाले तो इसे शुद्ध कर  
 सकते हैं—उन्हें तो बुद्धि रूपी नेत्र प्राप्त हैं। कृपानिधान ! कानी  
 स्त्रीके औलाद कानी हीं नहीं होती, दोनों उज्वल नेत्रवाली  
 होती है। यह तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आप निश्चय  
 समझें सोलह वर्ष तो बहुत है ४—५ वर्षके बालकको भी यदि  
 यह ज्ञान हो जाय कि मेरी मा रजस्वला है तो वह भी स्पर्श  
 नहीं करता इसलिये त्रिवर्णाचारमे जो बाल शब्द दिया है उसका  
 अर्थ अवोध बालक ही है। वही माताके पास मोहसे जा भी  
 बैठ सकता है इसीके लिये यह १६ बार स्नानका विकट विधान  
 कर डाला है। पाडेजीने जो इस श्लोकका अर्थ दिया है वह  
 ठीक किया है। भांभरीजी की आपत्ति ठीक है आपने जो इस  
 श्लोकका विना विचारे अर्थ किया है वह आपको गलती है।  
 किसी विचारशील विद्वानसे आप समझ सकते हैं।

पृष्ठ नं० १६२ में “रोगी स्त्री यदि रजस्वला न हो जाय तो उसका विधान जो यह लिखा है कि दूसरी सशक्त स्त्री दशवार छूकर दशवार स्नान करे तो वह शुद्ध हो जाती है यह विधान बिलकुल नया और मन गढ़न्त है और भी जगह रजस्वलाकी शुद्धिका विधान आया है वहां ऐसी मनगढ़न्त बात नहीं दीख पड़ी। यदि कहीं और जगह विधान है तो आपको वे बचन उद्धृत करने थे यह सब ढोंग हिन्दू धर्मसे उड़ाया जान पड़ता है।

पृष्ठ नं० १६५ में यह लिखा है कि—“जो गृहस्थ सभामें बैठकर चाते करे तो ऐसे पुरुषको देखकर बख सहित स्नान करना चाहिये”। इत्यादि इसपर भाई रतनलालजी भांभरीने आपत्तिकी है। वहां आपने यह लिखकर कि ‘चर्चासागरमें रजस्वला स्त्री की बात करे उसके लिये ऐसा लिखा है’ तथा भांभरीजीको धोखेबाज ठहराया है। परन्तु यह आपकी बड़ी भारी भूल है जहापर यह लिखा गया है वह रजस्वला शुद्धिके प्रकरणमें अवश्य लिखा गया है परन्तु उस प्रकरणसे इस लिखनेका कोई सम्बन्ध नहीं। वहांपर कहीं दूसरे मतसे एक श्लोक उठाया है उसके आधारसे यह लिखा गया है देखिये वह श्लोक इस प्रकार है।

अश्वारूढं यतिं दृष्ट्वा खाट्दारूढां रजस्वलां ।  
शास्त्रस्थाने गृहवक्तृन् सचेलस्नानमाचरेत् ।  
अर्थ—घोड़ेपर चढ़े हुए मुनिको, खाटपर बैठी रजस्वला

स्त्रीको, शास्त्र सभामें बैठकर घरकी बातें करनेवाले पुरुषोंको देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिये । पाठक । विचार कर ले' यह श्लोक स्वतंत्र है । और यह श्लोक जैनाचार्योंका भी नहीं हो सकता क्योंकि मुनि घोड़ापर कैसे बैठ सकता है । दूसरे मतसे उठाकर इसे जवरन चर्चासागरके कर्ताने प्रमाणरूप मान लिया है । तथा गृहवक्तृ यह पद देकर तो स्पष्ट ही कर दिया है कि घरकी बातें करनेवाले पुरुषोंको देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिये । यहांपर 'रजस्वला स्त्रियोंकी बातें करनेवालेको' यहअर्थ निकलता ही नहीं फिर न मालूम पं० मक्खनलालजीने भाई भांभरीजीको कैसे धोखेवाज कह डाला प्रकरण देखेंगे नहीं । विचारके लिये बुद्धिको तकलीफ न देंगे आंख मीच चाहे सो बरू डालेंगे इससे पण्डिताई की प्रशंसा नहीं हो सकती । यहांपर पंडितजीने चर्चासागरका प्रकरण पढ़ा तक नहीं इधर उधर देख कर लिख मारा है इसी लिये उन्हें भांभरीजीका धोखापन सूझा है । वास्तवमें पण्डितजीने जितने भी उत्तर लिखे हैं सब जगह नासमझीका काम किया है । कहीं भी विचार करनेके लिये तकलीफ नहीं की । अपनी व्यर्थ कपाय पोषण कर उन्हें समाजमें तहलका मचाना था । लोगोंकी जन धन शक्ति नष्ट करनी थी सो भरपेट कर ली, अब आप विचारलें आपने चर्चासागरका निदिन पक्ष लेकर कितना बड़ा अनर्थ किया है । भांभरीजीने जो बात लिखी है वह अपनी समझके अनुसार बिलकुल ठीक लिखी हैं उससे उन्हें तो आपने मोटे २ अक्षरोंमें धोखेवाज लिख डाला और

आपने झूठी घात ' लिख कर लोगोंको धोखेमें डाल दिया सो आपने अपनेको धोखेवाज न समझा ? । आश्चर्य है एकबार आप अपने माननीय ग्रंथ चर्चासागरको उठाकर देखिये, उसमेंयह कही नहीं लिखा है कि "शास्त्र सभामें रजस्वला स्त्रियोंकी बात करने वालोंको देखकर वस्त्रसहित स्नान करना चाहिये" किंतु कहीं अन्यत्रका श्लोक उद्धृत कर उसके आधारसे यह लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र सभामें बैठकर घरकी बातें करें उन्हें देख कर वस्त्रसहित स्नान करना चाहिये । यह बहुत कड़ा प्रायश्चित्त है जैन-चार्य कभी ऐसा प्रायश्चित्त नहीं दे सकते । अब आप सोच लीजिये आपने यह घात झूठ लिख कर कितना बड़ा धोखा दिया है । एक विद्वान कहे जानेवाले व्यक्तिका इस प्रकार धोखेवाजी से लिखा जाना नितांत घृणित है ।

सार घात यहापर यह है कि चर्चासागरमें जो प्रायश्चित्त प्रकरण लिखा है वह जैन शास्त्रानुकूल नहीं । हिंदू धर्ममें प्रायश्चित्तको सुलभता देख जैन धर्मको भी सुलभ और सरल बनानेके लिये यह प्रायश्चित्तका सुलभरूप ढाला गया है । प्रायश्चित्त चूलिका, प्रायश्चित्त-छेद प्रायश्चित्त संग्रह आदि ग्रंथ शिथलचारियों द्वारा बनाये गये हैं और ये एक दूसरेकी नकले हैं । क्योंकि इनमें एक सा हो कथन दोष पढ़ता है तथा प्राचीन ग्रन्थोंमें जो प्रायश्चित्त मिलता है उससे इन ग्रन्थोंमें लिखा प्रायश्चित्त प्रकरण विलकुल विरुद्ध है । चर्चा सागरमें तो हिन्दू धर्मके श्लोकोंको लेकर प्रायश्चित्तका स्वरूप और भी बढ़ाकर लिख डाला है



इसलिए वह कभी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। जो लोग खोटी हठसे चर्चासागरका समर्थन करते हैं उन्हें परिश्रम कर प्राचीन ग्रन्थोंका मनन करना चाहिए।

### अन्तिम सारांश

वस्तुका जो खास स्वरूप है वही असली और शुद्ध स्वरूप कहा जाता है यदि उसमें जरा भी परिवर्तन वा पलटन हुई तो असलियत नष्ट हो जाती है और वह पदार्थ विह्वल माना जाता है। जैनाचार्योंने भगवान महावीरके वचनोंके आधारसे जो पदार्थका स्वरूप हैं वही उस पदार्थका स्वरूप बताया है और उसी को माननेसे इष्ट सिद्धि होता है, किंतु देखा, देखो जहाँ उस पदार्थ के स्वरूपमें विकार होना है तो वह ढोंग स्वरूपमें पण्डित हो जाता है और वैसे होनेसे इष्ट सिद्धिका द्वार भी बंद हो जाता है।

दशमी शताब्दीके पहिलेके जितने भी जैन ग्रंथ हैं उनमें भगवान महावीरके वचनोंकी रक्षा की गई है। जहाँ जरा भी शिथिलाचारकी मात्रा देखी है उसकी तत्काल समालोचना कर डाली गई है, वहाँपर इस प्रकारका लिहाज नहीं किया है कि ये महाराज आचार्य हैं अथवा बड़े मुनि हैं। क्योंकि वहाँपर धर्मकी रक्षाकी चिन्ता थी। वहाँपर व्यक्तित्वका कोई प्रभाव न था। आचार्य गुणभद्रने गात्रके समीप ठहरनेवाले मुनियोंको मृगोंके समान डरपोक कह दिया, हद्द हो गई। देवसेन सूरिने काण्ठासंघ माथुर संघ आदिको जैनाभास मऊ कह डाला। क्या काण्ठा संघ और माथुर आदि सधामें नामी विद्वान नहीं हुए? क्या जैन समाजमें

पद्मपुराण हरिवंश पुराण प्रभृति काष्ठा संघ आदिके ग्रन्थोका प्रचार नहीं ? परन्तु बात उनके ऊंचे व्यक्तित्व और विद्वत्ताको न थी वहा तो मुनियोके प्राणस्वरूप चारित्र्यमे शिथिलता सह्य न थी इसीलिये इन संघोंमें चरित्रकी शिथिलता देख इन्हें जैनाभास कहने मे भी किसो प्रकारका संकोच नहीं किया गया यह बात एक बहुल बडा महत्त्व रखती है ।

चर्चासागर कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं । अनेक ग्रंथोंके आधारसे उसका संकलन किया गया है । जो ग्रंथ पूर्वापर विरोध रहित है तथा जैनधर्मके असली स्वरूपके प्रतिपादक है उन ग्रन्थोंके जो प्रमाण चर्चासागरमें दिये हैं उन पर किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं—उन ग्रन्थोंकी प्रमाणीकता रहनेसे उन ग्रन्थोंके आधारसे जो बात चर्चासागरमें लिखी है वह प्रमाणीक हो हैं । किन्तु जिन ग्रन्थोंके कथन में पूर्वापर विरोध है । समयको खूबीसे जिनमे परमतकी धर्म विरुद्ध बातोंको जैनधर्मका रूप दिया गया है अर्थात् परमतकी धर्म विरुद्ध बातोंको जैनधर्मका रूप देनेके लिये उनकी नफ़ल की गई है । अतएव जो जैनधर्मके असला स्वरूपको भ्रष्ट करनेवाले हैं उन ग्रन्थोंको प्रमाण मान उनके आधारसे ज चर्चासागरमें बातें लिखी गई हैं वे कभी प्रमाणीक नहीं मानी जा सकती तथा उतना अश चर्चासागरका भी प्रमाणीक नहीं हो सकना इस रूपसे समस्त चर्चासागर प्रमाण कोटिमें नहीं आ सकता । जो महानुभाव चर्चासागरके समस्त अंशको प्रमाण मानते हैं वे गलतों पर हैं और वह खोटा पक्ष लेकर जैनधर्मकी निर्मलताको नष्ट करना चाहते हैं ।

भाई रतनलालजी द्वारा चर्चासागरकी जिन बातों पर आपत्ति लगी गई है। वे सभी बातें दूसरोंकी नकल है। वरिनिर्वाण सं० ८५० में श्वेतास्वर साधुओंमें मंदिर मार्गकी प्रथा शुरू हुई थीं। वे लोग मन्दिरोमें रह निकले थे। और मन्दिरोमें रहनेकी पुष्टिमें श्वेतास्वर साधुओंने बहुतसे ग्रन्थ भी बना डाले थे। उनकी देखा देखी दिगम्बर जैन मुनियोंमें भी यह रोग फैला। कुछ दिन बाद जो दि० जैन ग्रन्थ बने उनमें भी मुनियोंका मन्दिरोमें रहना पुष्ट किया गया। उन जिनिलान्वारी व्यक्तियोंके बनाये ग्रन्थोंसे चर्चासागरमें मुनियोंका जन मन्दिरोमें रहना बताया गया है जो कि कभी प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्योंकि प्राचीन ग्रन्थोंके कर्त्ता पूज्य आचार्योंने उनका रहना पर्वतकी गुफा जित्तर नदी तट आदि स्थानों पर ही कहा है। यह बात अनेकानेक प्रमाणोंसे अच्छी तरह खुलासा की गई है। गोबर अनेक जातोंका पिंड है उसका उपयोग करनेसे अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो सकता उस निकृष्ट गोबरसे भगवान् जिनेन्द्रकी आगती करना चर्चासागरमें लिखा है यह हिन्दूधर्मकी नकल की गई है क्योंकि हिन्दूधर्ममें गोबर गोमूत्रको अधिक पवित्र अमृत तुल्य माना है। यह बात अधिकतर प्रतिष्ठा पाठोंमें देख पड़ती है। प्रतिष्ठापाठों के कर्ता प्रायः हिन्दूधर्मके पक्ष गनी ब्राह्मण हुए हैं। उनके द्वारा वैसा लिखा जाना स्वाभाविक है इसी प्रकार आद्य, पिंडदान, तर्पण, गोदान, भूमिदान, कन्याशन, प्राणायाम, आचमन गगदि बातें भी परमत की हैं जिनिलान्वारी जैन पंडितोंने उनकी नकल की है और जैनधर्मका रूप देनेकी चेष्टा की है। इन

चातोंका चर्चासागरमें वर्णन किया है। देवोंको मासाहारी बतलाना। माला और आसनोंको ही सर्वस्व मानकर उनका बुराभला फल कहना पूजा और ध्यानका तत्त्व न समझना। प्रायश्चित्तका स्वरूप पूर्वाचार्योंके मतानुसार न कहना आदि धर्मविरुद्ध चातोंका भी चर्चासागरमें बड़े विस्तारसे विधान किया है। इन बातोंके विधानसे आडम्बर रहित निर्मल जैन धर्मको आडम्बरो धर्म सिद्ध किया गया है, जिससे कि जैनधर्मकी असलियती कभी कायम नहीं रह सकती। इस प्रकार इन धर्म विरुद्ध चातोंका चर्चासागरमें विधान रहने उसे प्रमाण कहना सरासर धोखा देना है।

चर्चासागरके विरुद्धमें जिस समय आवाज उठी थी, बुद्धि मानी इसीमें थी कि बड़ो शान्तिके साथ यह बात मिटा दी जाती और समाजको क्षुब्ध होनेका मोका न दिया जाता। परन्तु जिन लोगोंके सामने यह विषय रक्खा गया उन्होंने बुद्धिमानोंसे काम नहीं लिया। कलकत्तामें पंडित मन्मथनलालजीसे चर्चासागरके विषयमें भाई भांभरीजीने कुछ पूछा तो पंडितजीका माथा एकदम गरम हो गया यदि उस समय उनके पास उत्तर न था तो शांतिसे भांभरीजी आदिको संतुष्ट कर देना था। परन्तु उन्होंने अंडबंड बोलना शुरू कर दिया। उस समय जिन उपस्थित विद्वानोंने विरोध किया उन्हें भी मूर्ख और अज्ञानी कहा गया। जब उपस्थित विद्वानोंने पंडितजीके सामने उपस्थित होकर अपनी मूर्खता और अज्ञानिताकी परीक्षा करानी चाही तो

पंडितजीने मुंह छिपा लिया मैदान छोड़कर पलायांचक्रे हुए।  
 ऊपरसे तो यह जान पड़ा कि पंडितजी अब शांत हैं। इस बात-  
 को न उठावे'गे परन्तु वह पराजयकी अग्नि ईंटकी अग्निके समान  
 उनके हृदयमें बराबर धधकती रही और दो मास बाद वह चर्चा  
 सागरपर शास्त्रीय प्रमाण इस ट्रेकके रूपमें जोरसे जल उठी।  
 जो वाते चर्चासागरमें भ्रष्ट थीं उन्हें पंडितजी भ्रष्ट कह देते तो  
 भी सन्तोष था अथवा उनकी पुष्टिमें मान्य प्राचीन ग्रन्थोंके प्रमाण  
 देने तो भी ठीक था परन्तु उन भ्रष्ट बातोंका पंडितजीने मंडन  
 किया, प्रमाण भी प्रायः उन ग्रन्थोंके दिये जो ग्रन्थ जैन समाजमें  
 बहिष्कृत हैं—समाज उनका नामतक लेना नहीं चाहता। यदि  
 मान्य ग्रन्थोंके कुछ वचन पंडितजीने उद्धृत किये हैं तो उनका  
 तात्पर्य नहीं समझा है। आदिपुराण, राजवार्तिक आदि सबोंका  
 भाव उलटा समझ लिया है। तिसपर भी चर्चासागरके विरोधी  
 लोगोंको जगह २ गाली दी है सार यह है कि पं० मधुखनलाल-  
 जीने एक सारहीन पोथा निकाल कर जन धनकी शक्तिको छिन्न  
 भिन्न कर डाला है। हमें पंडितजीसे कोई द्वेष नहीं और न  
 संपादक सहायक प्रेरक और प्रचारकोंसे हमारा वैमनस्य है क्योंकि  
 ये सभी महानुभाव हमारे मान्य और बडे हैं। द्वेष हमें जैन  
 धर्मकी विपरीत बातोंकी पुष्टिसे है। चर्चासागरमें दि० जैन-  
 धर्मके विपरीत बातोंकी पुष्टि की हैं। तिसपर भी दूसरोंको  
 नीचा दिखाने हुए पं० मधुखनलालजीने उस धर्म विरुद्ध पुष्टि-  
 की और प्रमाणोंभाषोंसे और भी पुष्टि कर बड़ा अनर्थ कर डाल

है जिसे कोई भी सच्चा जैनों सहन करनेके लिये तैयार नहीं। इसी लिये हमें इस ट्रेक्टरके लिखनेके लिये प्रयास करना पडा है। अहंकारवश किसीको नीचा दिखाना हमारा भाव नहीं। भाई मक्खनलालजीके कटुक शब्दोंकी तो हमे अवश्य समालोचना करनी पडी है पर वहापर भी जो हमने लिखा है वह पंडितजीके शब्दोंका उत्तरमात्र है, कषायभावसे प्रेरित हो हमने वैसा नहीं लिखा। हम तो पं० मक्खनलालजीको अपना परम उपकारी समझते है जिनकी कृपासे हमें सैकड़ों शास्त्रोंके देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ अनेक विषयोंपर विचार करनेका मौका मिला। तथा इन धर्म विरुद्ध बातोंपर विचार करनेका भी अवसर प्राप्त हुआ यदि पंडितजी इन भ्रष्ट बातोंका पक्ष न लेते तो आगे जाकर महा अनर्थ होनेकी संभावना थी। यदि वे ट्रेक्टर न लिखते और खास रूपसे हमें न छेडते तो इस विशेष ज्ञान प्राप्तिका सौभाग्य हमें कहा मिलता ?

चर्चासागर ग्रंथको भी हम परम उपकारी मानते हैं जिसकी कृपासे हमें जैन ग्रंथोंमें भी असली नकलीपनका पता लग गया यद्यपि स्वनामधन्य आचार्यकल्प पं० टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशमें शिथिलाचार जैनग्रंथको पवित्रताका अत्यन्त घातक है इस विषयपर अच्छा प्रकाश डाला है तथापि वह हमने पढ़ा ही था अनुभवमें नहीं लिया था परन्तु चर्चासागरकी कृपासे वह बात अनुभवमें भी आ गई। हमें यह खूब मालूम हो गया कि प्राचीन आचार्योंके नामसे शिथिलाचारियोंने ग्रंथ निर्माणकर उनमें

धर्म विरुद्ध बातों का बेसा र भयकर समावेश कर डाला है ।  
वक्त्रारशीलों की दृष्टिमें अब चर्चासागर ही वहिष्कृत नहीं किन्तु  
जिन भ्रष्ट ग्रन्थों के उसमें प्रमाण दिये हैं वे ग्रंथ भी अब वहिष्कृत  
समझे जाने लगे हैं यदि चर्चासागरका इस प्रकार प्रचार  
न होता तो उन भ्रष्ट ग्रन्थोंकी पोल न खुलती ।  
चर्चासागरके इस वहिष्कारसे सद्बुद्धमें जैन सिद्धांतकी  
बड़ी भारी रक्षा हुई है जिस बलिदानसे धर्मकी रक्षा  
हो वह बलिदान बड़ा ही महत्वशाली है । भगवान निकलंकदेव-  
का बलिदान भी इसी लिये महत्वशाली था कि उससे परमपा-  
वन जैनधर्मकी रक्षा हुई थी । चर्चासागरके वहिष्कार वा बलि-  
दानसे जैन सिद्धांतकी बहुत बड़ी रक्षा हुई है इसलिये यह बलि-  
दान भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है । भोले लोग इसके बलिदानका  
महत्व न समझे तो उनकी भूल है । उन्हें इसके बलिदानका तत्त्व  
समझना चाहिये और उसका मनन करना चाहिये । पवित्र जैन  
सिद्धांतकी रक्षा ही सर्वस्व है ।

यद्यपि हमने इस टुकड़े लिखनेका प्रयोजन रपष्ट कर दिया  
है तथापि निजानुभवसे हमें यह जान पड़ता है कि पं०मखनला-  
ल्जीकी प्रकृति हमपर प्रसन्न होनेमें संकोच करेगी इसलिये  
हमारी उनसे यह नम्र प्रार्थना है कि वे हमारे लिखे और  
अपने लिखे प्रमाणोंपर शांत चित हो विचार करें । आशा  
है हमारी प्रार्थना पर वे अवश्य ध्यान देनेकी कृपा करेंगे ।

॥ समाप्तः ॥

## नम्र निवेदन

प्रायः मुख्य मुख्य नगरोंकी पंचायतियों एवं अनेक विद्वान और धनी मानी सज्जनोंने इस चर्चासागरका जोरोंसे बहिष्कार किया है वे तो इस टूकट पर अपनी सम्मति भेजेंगे ही परन्तु जिन पंचायतियों या विद्वानों और श्रीमानोंने अब तक इस ग्रन्थका बहिष्कार न किया हो वे इस टूकटको भली भांति मननकर और विचार कर शीघ्र अपनी सम्मति भेजनेकी कृपा करें ।

विनीत—

रतनलाल भांभरी ।